CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ज़ेबा लतीफ़

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ

(1857, रूहेला विरासत के सदंर्भ में)

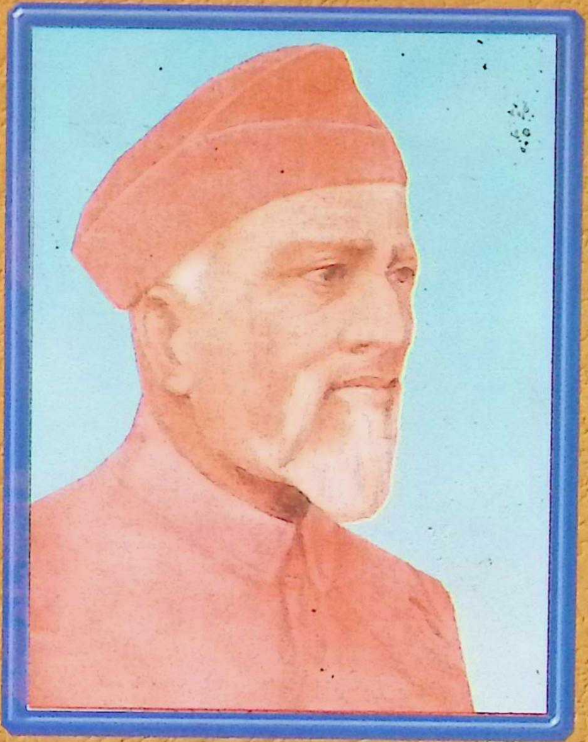

प्रस्तावना

डॉ० डब्लू० एच० सिद्दीकी

पूर्व निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

विशेष कार्याधिकारी रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर

रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

नवाब ख़ान बहादूर ख़ाँ

(1857, रूहेला विरासत के संदर्भ में)

लेखिका :

ज़ेबा लतीफ़

प्रस्तावना :

डॉ. डब्लू. एच. सिद्दीक़ी

पूर्व निदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

विशेष कार्याधिकारी, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर

रामपुर रज़ा लाइब्रेरी

रामपुर - 244901

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

© रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, उत्तर प्रदेश

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक की पूर्ण अनुमति बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रानिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकार्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा इसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।

हिन्दी वर्ष के उपलक्ष्य में

पुस्तक का नाम	:	नवाब ख़ान बहादुर खाँ (1857, रूहेला विरासत के संदर्भ में)
लेखिका	:	ज़ेबा लतीफ़
प्रकाशक	:	डॉ. डब्लू. एच. सिद्दीक़ी विशेष कार्याधिकारी रामपूर रज़ा लाइब्रेरी, रामपूर
सत्र	:	2004 प्रथम संस्करण
प्रतियां	:	
मुद्रक	:	डायमंड प्रिन्टर्स, नई दिल्ली
मूल्य	:	Rs. 175/-

ISBN 81-87113-59-6

रामपूर रज़ा लाइब्रेरी

हामिद मन्ज़िल, क़िला, रामपुर-244901 (उत्तर प्रदेश)

Phone Library : 0595-2325045, 2327244, 2325346

Fax : 0595-2340548, *Website* : www.razalibrary.com

E-mail : whsiddiqi@indiatimes.com

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

मेरे

माता पिता

के

नाम

समर्पित

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

प्रस्तावना

अंग्रेज़ व्यापारी के रूप में हमारे यहाँ आए और अपनी चालाकी, कूटनीति और बर्बरता के बल पर भारत-भूमि के शासन-स्वामी बन बैठे। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने यहाँ हर प्रकार के कठोर दमन, शोषण और उत्पीड़न से काम लिया। उन्होंने यह नीति अपनाई कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी देशी राज ऐसा बाक़ी न रहने पाए, जो या तो अग्रेज़ों की ताक़त के सहारे क़ायम न हो या जिसका समस्त राजनीतिक कारोबार पूरी तरह अंग्रेज़ों के हाथ में न हो। इसी नीति को उन्होंने समस्त भारतीय रियासतों पर लागू करने का सफल प्रयास किया। इस नीति का विरोध करनेवाली शक्तियों को अंग्रज़ों ने बुरी तरह कुचल डाला। रूहेलखंड रियासत भी उन्हीं अन्दरुनी शक्तियों में से एक थी। इसके वीर सपूत पहले तो अग्रेज़ों के दाँत खट्टे करते रहे, परन्तु साधनहीन और साज़िशों का शिकार होकर अंग्रेज़ों के ख़ूंखार पंजों तथा ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ ही गए। पूरे रूहेलखंड में अराजकता, लूटपाट, भय, आतंक और असुरक्षा का साम्राज्य स्थापित हो गया। 1857 के प्रथम महा जन विद्रोह में भाग लेने के कथित जुर्म में वहाँ के हर वर्ग की जनता को चुन-चुन कर सज़ा दी गई। तरह-तरह के कठोर दंड की व्यवस्था की गई। लोगों को सरेआम फांसी दी गई। जिन क्षेत्रों में क्रान्ति का प्रभाव था, उन क्षेत्रों में गाँवों को जला दिया गया। गाँवों की सम्पत्तियाँ-परिसम्पत्तियाँ लूट ली गईं, ज़ब्त कर ली गईं और नष्ट कर दी गईं।

अंग्रेज़ बड़ी ही चालाक और धूर्त क़ौम है। वह अपने समस्त काले कारनामों को सही ठहराती रही है। वह कभी, कहीं भी, कुछ कर सकती है और अपने समस्त कारनामों को बड़ी चालाकी और न्यायसंगत भी ठहरा सकती है। महान नाटककार और विचारक जॉर्ज बर्नाई शॉ ने 'द मैन ऑफ डेस्टिनी' में इसी तथ्य को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है:

"कोई भी बात एक अंग्रेज़ के लिए इतनी बुरी या भली नहीं है कि वह उसे करने में हिचकिचाए। मज़ा यह कि आप किसी अंग्रेज़ को रंगे हाथों नहीं पकड़ सकते। जब वह आपसे लड़ता है तो देशभक्ति के नाम पर; जब वह आपको लूटता है तब व्यापार के नाम पर; जब आपको वह ग़ुलाम बनाता है तो साम्राज्यवादी सिद्धान्त के अनुसार; जब वह आप पर धौंस जमाता है तो पौरुष के नाम पर; जब वह अपने राजा का समर्थन करता है तो राजभक्ति के सिद्धान्त पर और जब वह राजा का सिर काट लेता है तो प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर। कर्तव्य उसका मूलमंत्र है और यह कभी नहीं भूलता कि जो जाति कर्तव्य को स्वार्थ के आड़े आने देती है वह कभी फूलती-फलती नहीं।"

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

इस पुस्तक 'नवाब ख़ान बहादुर ख़ान' में फ़िरंगियों की उपर्युक्त विशेषताओं की झलक तो मिल ही जाएगी, रूहेला पठानों की वीरता, देश प्रेम की उत्कट भावना और महान बलिदानों के भी दर्शन होंगे। इसमें रूहेला पठानों की अनेक प्रेरक ऐतिहासिक घटनाएँ वर्णित हैं।

रूहेला पठानों की परम्परा, वीरता, देश-प्रेम और स्वतंत्रता-प्रेम के प्रतीक एवं महान स्वतंत्रता सेनानी नवाब खान बहादुर ख़ाँ के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ को पढ़कर हिन्दी पाठक वर्ग अपनी इतिहास-ज्ञान सम्पदा में अवश्य ही कुछ वृद्धि महसूस करेगा। साथ ही इस कृति से इतिहास के शोधर्थियों को एक नई दिशा और रहनुमाई भी मिलेगी। यह कृति नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद के जीवन और व्यक्तित्व का, ज़िन्दगी और उनके कारनामों का गहन, विशद और सर्वांगपूर्ण विवेचन, देश की आज़ादी के लिए उनके महान बलिदानों की, फ़िरंगियों द्वारा उन्हें सरेआम फांसी पर लटका देने और फ़िरंगियों की मक्कारियों तथा बर्बरता के रोंगटे खड़े कर देनेवाली गाथा तो है ही तत्कालीन इतिहास का एक प्रामाणिक दस्तावेज़ भी है।

इतिहास की सुधी पाठिका और कुशल प्राध्यापिका ज़ेबा लतीफ़ ने संबंधित विषय-सामग्री को विवेचनात्मक, गवेषणात्मक और प्रामाणिक बनाने का सफल और सराहनीय प्रयास किया है। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देनेवाले मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों और देशप्रेमियों के जीवन और व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालनेवाली पुस्तकों की बहुत कमी है। ऐसे में ज़ेबा लतीफ़ की यह कोशिश अंधेरे में चिराग़ रौशन करने के समान है। हिन्दी जगत् इस पुस्तक का स्वागत करेगा, ऐसी आशा है।

इस पुस्तक के छपने में महामहिम् श्री टी. वी. राजेश्वर राव, राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्ष रामपुर रज़ा लाइब्रेरी बोर्ड और उसके माननीय सदस्यों का बहुमूल्य योगदान रहा है जिसके लिये हम उनके आभारी हैं।

इसके अलावा सचिव, एंव संयुक्त सचिव, भारत सरकार, संस्कृति विभाग का भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने रज़ा लाइब्रेरी के पब्लिकेशन प्रोग्राम के लिये अच्छी धनराशि उपलब्ध करायी। डा. अबू साद इस्लाही, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी आभार प्रकट करना आवश्यक है जिन्होंने मेरी सहायता की।

रज़ा लाइब्रेरी की श्रीमति बिलक़ीस फ़ारूक़ी एंव कुमारी मोहनी रानी ने पुस्तक के छपने में जो सहायता दी है उसके लिये हम उनका आभार प्रकट करते हैं।

– डॉ. वक़ारुल हसन सिद्दीक़ी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

परिचय

ज़ेबा लतीफ इतिहास की स्कॉलर हैं। उन्होंने एम.जेपी रूहेलखण्ड विश्वविद्याय बरेली के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग से एम. फिल. की उपाधि ग्रहण की हैं। वह इस विश्वविद्यालय के एस. आर. एस. पोस्ट ग्रेज़ुएट महिला डिग्री कॉलेज में इतिहास पढ़ा रही हैं। वह अपने अध्ययन काल से ही रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में आयोजित सेमीनारों में भाग लेती रही हैं। और समाचारपत्र, पत्रिकाओं में इतिहास-सम्बन्धित लेख प्रकाशित करवाती रहीं हैं। हाल ही में उनका यू. पी. हिस्ट्री कांग्रेस सेमीनार में पढ़ा शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। उन्होंने इं. ग. रा. मु. विद्यालय - दिल्ली से क्रिऐटिव राइटिंग (Creative Writing) का कोर्स भी किया है। उनको लेखन के क्षेत्र में विशेष रुचि है।

अभी तक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रान्तिकारी ''नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ रूहेला'' के सम्बन्ध में केवल एक उर्दू भाषा में पुस्तक ''जंगे आज़ादी 1857 का एक जांबाज़ मुजाहिद नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद'' (कराची 1963) प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तक किसी भी भाषा में इस स्वतंत्रता सेनानी पर प्रकाशित नहीं हुई। ज़ेबा लतीफ प्रशंसा-योग्य हैं कि उन्होने कठोर परिश्रम करके ख़ान बहादुर ख़ाँ से सम्बन्धित यर्थाथ सूचना सामग्री को एकत्रित करके उसको वर्तमान एतिहासिक शोध नियमों के आधार पर जांचा-परखा तथा निष्पक्षता एवं स्थूलता से प्रस्तुत कर दिया। यह हिन्दी भाषा में उपर्युक्त शीर्षक पर आधारित प्रथम पुस्तक है।

मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक के पढ़ने वालों का दायरा बड़ा होगा और रूहेला इतिहास की पुस्तकों में इसकी अलग पहचान होगी।

– डॉ. श्म्स बदायूँनी (बरेली)

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

प्रस्तावना

रूहेला विरासत नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ तथा 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम, मेरा एम. फिल. का शोध कार्य था। मैंने अपने लघु शोध प्रबन्ध पर प्रकाशन के उद्देश्य से पुन:सूक्ष्म दृष्टि डालते हुए, कुछ आवश्यक संशोधन किये हैं।

इस शोध प्रबन्ध का शीर्षक "नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ, रूहेला विरासत तथा 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम" इस मौलिक सत्य को दृष्टि में रखकर किया गया है कि वर्तमान से अतीत का सम्बन्ध बना रहे चाहे वह किसी व्यक्ति अथवा युग के रूप में हो। यह सत्य स्थानीय इतिहास के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि स्थानीय इतिहास पर ध्यान कम ही दिया जाता हैं।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ एक व्यक्ति तथा युग पुरुष थे। उनके दादा नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ रूहेलखण्ड के नवाब थे। उनके राज्य में लाखों रुहेला पठान रूहेलखण्ड में बस चुके थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ व्यक्तिगत रूप से रूहेलों की परम्परा, वीरता, स्वतन्त्रता तथा प्रतिशोध की भावना से भी जुड़े थे। जिसका विस्फोट रूहेला प्रशासन के पतन (1774 ई.) के पश्चात 83 वर्ष के अन्तराल से 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में हुआ। समस्त रूहेलखण्ड में रूहेला पठानों ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया तथा अंग्रेज़ों से पराजित होने के पश्चात वह गोली से मारे गये, फाँसी पर लटकाये गये या काले पानी में बन्दी बनाकर भेजे गये। उनकी सम्पत्तियाँ ज़ब्त की गयीं। देखने में 1774 तथा 1857 में 83 वर्ष का अंतर है परन्तु नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का ग्यारह माह चार दिन का क्रन्तिकारी प्रशासन उनके दादा नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के रूहेला प्रशासन का द्वितीय संस्करण प्रतीत होता है। क्योंकि रूहेलों की विरासत दोनों युगों में समान है। अत: नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के 1857 ई. की क्रान्ति के योगदान का उल्लेख रूहेलों की

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
विरासत को सम्मिलित करके किया गया है।

उपर्युक्त विषय पर लघुशोध का विचार कई और कारणों से भी उत्पन्न हुआ। 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में रूहेलखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ रूहेलखण्ड के क्रान्तिकारी प्रशासन के प्रबन्धक (नाज़िम) थे, परन्तु यह दुखद है कि इस शहीद के जीवन उनके महान कार्यो पर केवल एक पुस्तक उपलब्ध है जो सैयूयद मुस्तफ़ा अली बरेलवी की उर्दू भाषा में "1857 का एक जाँबाज़ मुजाहिद नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद" (कराची 1966) है। उसके अतिरिक्त किसी भी भाषा में और कोई पुस्तक नहीं मिलती है। स्वयं सैय्यद मुस्तफा अली बरेलवी की पुस्तक भी ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक मूल्यवान नहीं है। क्योंकि उनकी पहुँच उन वास्तविक अभिलेख तक नहीं थी जो National Archives में सुरक्षित है। सैयूयद मुस्तफा अली बरेलवी ने द्वितीय स्रोत तथा सुनी-सुनायी बातों पर निर्भर किया है और उन्होंने आलोचनात्मक पद्धति को भी महत्व नहीं दिया है तथा उनका कार्य कालक्रमानुसार भी नहीं है। अत: उनकी पुस्तक के प्रकाशित होने के उपरान्त भी लघु शोध की आवश्यकता बनी रही है। दूसरा कारण जिसने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ पर लघुशोध के लिए प्रेरित किया यह स्वयं नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का बरेली के सम्बन्धित होने का तथ्य है जहाँ उन्होंने जन्म लिया, क्रान्तिकारी आंदोलन चलाया तथा जहाँ उन्हें फाँसी की सज़ा हुई। अर्थात बरेली के राजनैतिक जीवन का वह न सिर्फ चिन्ह बने बल्कि प्रशासक के रूप में भी बरेली को बनाने तथा संवारने में महत्वपर्ण योगदान दिया। परन्तु उनके विषय में अज्ञानता के कारण यहाँ की जनता उनकी सेवाओं तथा बलिदान से कोई भी प्रेरणा नहीं ले सकी। अत: इस लघु शोध के माध्यम से नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ तथा उनके द्वारा स्वाधीनता के प्रति योगदान को स्मरण करने का प्रयास किया गया है।

रूहेलों के इतिहास तथा 1857 की घटनाओं पर अंग्रज़ी, उर्दू तथा हिन्दी में बड़ी संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हैं। कई पुस्तकें फ़ारसी तथा अरबी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

में भी हैं परन्तु उन पुस्तकों में अधिकतर गिने-चुने 1857 के योद्धा तथा स्थानों की घटनाओ की विशेषता को प्रस्तुत किया गया है। रूहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड तथा फर्रूखाबाद आदि में जो घटनाएं 1857 में घटी थीं तथा उनके जो नायक थे उनका वर्णन अधिक विस्तार से नहीं मिलता है। स्वयं बरेली में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ, शोभाराम तथा बख़्त ख़ाँ तथा दूसरे क्रान्तिकारियों के संबंध में विस्तार पूर्वक सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है। अत: इस लघुशोध के माध्यम से इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया है।

रूहेलों का इतिहास तथा 1857 की घटनाओं के इतिहास पर जो पुस्तकें प्रकाशित हुईं तथा जिनकी पाण्डु-लिपियाँ (उर्दू, फ़ारसी, अरबी) उच्च पुस्तकालयों (विशेषतर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी रामपुर) में उपलब्ध है। उनसे यह बात स्पष्ट होती है कि इतिहासकारों का अपना-अपना दृष्टिकोण था। उदाहरणत: रूहेलों के इतिहास पर प्रथम पुस्तक फ़ारसी भाषा में नवाब फ़ैज़ुउल्ला ख़ाँ के एक अधिकारी शिव प्रसाद की है । जिसका नाम ''तारीखे़-फ़रहबक़्श'' 1794) है। इस पुस्तक में शिव प्रसाद ने नवाब फैज़उल्ला ख़ाँ तथा उनके पिता नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ की प्रशंसा की तथा नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ की और उनके परिवार की आलोचना की है। यही दृष्टिकोण अधिकतर अग्रेज़ इतिहासकारों ने अपनाया है। केवल सर जान स्ट्रेची ने नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के व्यक्तित्व की प्रशंसा की है। उसके पश्चात् रामपुर के ही हकीम नजमुल ग़नी की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अखबार-उस-सनादीद (दो खण्ड लखनऊ 1918) वस्तुनिष्ठ है। गुलाम हुसैन ने अपनी फ़ारसी पुस्तक सयर-उल-मताख़रीन (1833) में नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ तथा रूहेलों से अपनी शत्रुता की भावना का विस्तृत वर्णन किया है क्योंकि नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ तथा नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने उसके पिता सैयूयद हिदायत अली ख़ाँ को तलवार के बल पर बरेली से निकाला था (1748) और स्वयं गुलाम हुसैन ख़ाँ मरते-मरते बचा था। अंग्रज़ों ने रूहेलों का इतिहास लिखते समय गुलाम हुसैन ख़ाँ के भी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
दृष्टिकोण को अपनाया। उक्त पुस्तकों को भी पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं कहा जा सकता । दूसरी ओर जो पुस्तकें नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के वंश के इतिहासकारों ने लिखी उनमें नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ, नवाब हाफ़िज़ रहमत खाँ तथा समस्त रूहेलों का पूर्ण रूप से वास्तविक चित्रण किया है। जब भी अवसर मिला नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ तथा रूहेलों की प्रशंसा की। नवाब हाफ़िज़ रहमत खाँ के वंश के प्रसिद्ध इतिहासकार नवाब मुस्तजाब ख़ाँ (मृत्यु-1832) तथा उनकी फ़ारसी भाषा में पुस्तक (पाण्डुलिपि) गुलिस्ताने-रहमत में रूहेलों का वर्णन पक्षपातपूर्ण मिलता है। यह परम्परा रूहेलावंश के इतिहासकार नवाब हसन रजा ख़ाँ की उर्दू पुस्तक अखबारे-हसन (पाण्डुलिपि 1836) तथा नवाब सुलेमान ख़ाँ असद की उर्दू भाषा में पुस्तक तारीखे-सुलेमानी में भी वस्तुनिष्ठता का अभाव है। स्वयं सैय्यद अल्ताफ अली बरेलवी (मृत्यु-1986) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ- (1934) में नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ का वर्णन करते समय उन्हें एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। और अधिकतर वस्तुनिष्ठता पर ध्यान नहीं दिया है। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के वंश के एक इतिहासकार नवाब नयाज़ अहमद ख़ाँ होश बरेलवी (मृत्यु-1892) ने एक पुस्तक तारीखे-रूहेलखण्ड लिखी थी जो 1866 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में जितना वर्णन नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ तथा रूहेलों का है वह नवाब मुस्तजाब ख़ाँ के व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार है परन्तु जितनी घटनाएं नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ तथा 1857 के विद्रोह से सम्बन्धित हैं वे ब्रिटिश दृष्टिकोण से वर्णित हैं। वास्तव में नवाब नयाज़ अहमद ख़ाँ अंग्रेज़ों को प्रसन्न करके अपना जीवन तथा सम्पत्ति बचाना चाहते थे। इस शताब्दी में केवल एक पुस्तक अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ आँसी बरेलवी की तारीख़े-रूहेलखण्ड है (कराँची 1963) उसमें वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिसमें इतिहासकार ने आलोचनात्मक वर्णन किया है तथा किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह (पक्षपात) नहीं है।

इसी प्रकार से 1857 के विद्रोह पर विभिन्न दृष्टिकोण देखने को मिलते

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

हैं। कोई इतिहासकार उसको सैनिक विद्रोह कहता है और कोई मुस्लिम षडयन्त्र, किसी इतिहासकार की दृष्टि में वह अंग्रज़ों से विद्रोह था तो किसी इतिहासकार की दृष्टि में स्वाधीनता संग्राम। स्वयं भारतीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण भी भिन्न-भिन्न है। आर. सी. मजूमदार की दृष्टि में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ तथा दिल्ली के सम्राट बादशाह बहादुर शाह जफ़र सठीयाए शाक्तिहीन वृद्ध थे। तथा भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न व्यक्ति अपने उद्देश्यों के लिए अंग्रज़ों से युद्ध करते रहे थे। जबकि एस. एन. सेन की दृष्टि में यह एक स्वाधीनता संग्राम था। अनेक इतिहासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने 1857 की घटगनाएं अपनी आँखों से देखी थीं। वह मुंशी ज़काउल्लाह, सर सैयूयद अहमद ख़ाँ, हकीम अहसन उल्ला ख़ाँ, अब्दुल लतीफ़ तथा मौलाना फ़ज़लेहक ख़ैराबादी है। इनमें मौलाना फज़लेहक़ ख़ेराबादी को अंग्रेज़ों ने काले पानी की सजा दी थी। उन्होंने एक पुस्तक अरबी भाषा में ''सुरतुलहिंदिया'' अर्थात बाग़ी हिन्दुस्तान (आज़मगढ-1985) अडंमान में लिखी थी और जो उर्दू अनुवाद के साथ छप चुकी है, यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सर सैयूयद अहमद ख़ाँ ने 1857 के विद्रोह का दोष अंग्रेज़ों पर लगाया है। अब्दुल लतीफ ने 1857 की घटनाओं पर एक रोजनामचा (डायरी) लिखा था। जिस पर विश्वास किया जा सकता है प्रो. ख़लीक़ अहमद निज़ाभी ने उसको प्रकाशित किया था (देहली 1957), मुंशी जक़ा उल्लाह की पुस्तक तारीख़ उरूजे इंगलिशिया'' (देहली 1904) भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि उन्होंने दिल्ली में क्रान्तिकारियों तथा अंग्रज़ों के मध्य हुए युद्धों को अपनी आँखों से देखा था। इस लघुशोघ में उन सभी इतिहासकारों की पुस्तकों को सामने रखा गया है। सैयूयद ज़हीर देहलवी की पुस्तक ''दास्ताने-ग़दर'' को भी देखा है परन्तु उसमें भावनात्मक पद्धति मिलती है। उपर्युक्त इतिहासकारों तथा उनकी पुस्तकों के अतिरिक्त सौभाग्य से डॉ. सैयूयद अतहर अब्बास रिज़वी ने जो 1857 की घटनाओं पर आधारित अंग्रज़ी भाषा में अनुवाद (Freedom Struggle in Uttar Pradesh Vol. Vth.) प्रकाशित किया है, उस से सहायता मिली है। परन्तु इस पर

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
आँख मूंद कर विश्वास न करके अन्य पुस्तकों से तुलना करके तथ्य को खोजने का प्रयास किया है।

यह प्रेरित करनेवाला एवं हर्ष का विषय है कि रूहेलखण्ड तथा 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम पर पूर्व की तुलना में वर्तमान में अधिक शोध कार्य हुआ है। इस संबंध में प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों को प्रकाशित किया गया। उदाहरणत: रूस्तम अली बिजनौरी की पुस्तक ''किस्सा व अहवाले रूलेखण्ड'' (1776) जिसे क़ाज़ी आरिफ़ हुसैन ने 1989 में प्रकाशित किया। एक बहुमूल्य पुस्तक डॉ. अययूब कादरी की है। ''जंगे आज़ादी 1857-वाकियाते-शख़सियात'' (1976)। इस पुस्तक में विशेषत: रूहेलखण्ड और बरेली की 1857 के समय घटनाओं एवं स्वतन्त्रता सेनानियों का विवरण मिलता है। डॉ. कादरी का जन्म ऑवला (बरेली) में हुआ था। अत: उन्होनें इस पुस्तक के लेखन में उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभायी है। रूहेलखण्ड के इतिहास से संबंधित दो पुस्तकों का अग्रेज़ी भाषा में प्रकाशन हुआ। प्रथम-पुस्तक श्री इफ़ज़ालुर रहमान की ''रूहेलखण्ड टेरी-टुरी (कठेर)'' 1994 और दूसरी पुस्तक इक़बाल हसन की ''दी रूहेला चीफटेन सीज'' 1994 है। ये दोनों पुस्तकें रूहेलखण्ड के समस्त इतिहास को उजागर करती हैं तथा सूचनाप्रद हैं।

हाल में ही सैयूयद ख़ुर्शीद मुस्तफ़ा रिज़वी की पुस्तक ''जंगे आज़ादी 1857'' का प्रकाशन, रामपुर रजा लाइब्रेरी की सौजन्य से डॉ. वकारूल हसन सिद्दीकी ने करवाया है। इस पुस्तक में रूहेलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक जनपद तथा कस्बों से संबंधित 1857 की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह 1857 के शीर्षक पर लिखी गयी महत्वपूर्ण पुस्तक है।

रज़ा लाईब्रेरी रामपुर के ओ. एस. डी. डॉ. वकारूल हसन सिद्दीकी ने रूहेलखण्ड क्षेत्र की सांस्कृति में विशेष रुचि रखते हुए रूहेलखण्ड की विरासत पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार्स का रज़ा लाईब्रेरी रामपुर के संरक्षण में सफल आयोजन किया। जिनके द्वारा रूहेलखण्ड के इतिहास को श्रेष्ठता

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

प्राप्त हुई। डॉ. सिद्दीक़ी रूहेलखण्ड के समीकरण हेतु लगातार प्रयास करते रहते हैं जो हमारे लिये गर्व की बात है और रूहेलखण्ड के इतिहास के अध्ययन के लिये अत्यधिक लाभकारी है। रूहेलखण्ड वि. वि. बरेली के प्राचीन इतिहास विभाग ने अनेक प्राचीन स्थानों पर उत्खन्न के माध्यम से रूहेलखण्ड तथा बरेली की ऐतिहासिक प्राचीनता सिद्ध की हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि दिन-प्रतिदिन रूहेलखण्ड का ऐतिहासिक महत्व बढ़ता रहेगा।

यूँ तो 1857 के क्रान्तिकारियों का यथोचित उल्लेख प्रस्तुत किया गया है, फिर भी यहाँ अभी बरेली के शोभाराम, नयाज़ मुहम्मद ख़ाँ, वख्त ख़ाँ, मुरादाबाद के नज्जू ख़ाँ, बिजनौर के महमूद ख़ाँ, अमरोहा के मीर सरफ़राज़ अली, इस्लामपुर बदायूँ के बाबू राम नारायण आदि पर अलग-अलग पूर्ण शोध कार्य की आवश्यकता बाक़ी बनी रहती है। रूहेलखण्ड के आन्दोलन से संबधित जो भी विभिन्न जिलों के नायक विशेषतर बदायूँ के नायकों पर शोध कार्य की आवश्यकता है जहाँ तक संभव हो सकता है हमने स्वयं लघुशोध कार्य को वस्तुनिश्ष्ठ तथा आलोचनात्मक बनाने का प्रयास किया है। आशा है कि इस शोध कार्य से यह बात दिखायी देगी कि यह लघु शोध कार्य केवल हिन्दी अथवा अग्रेज़ी की पुस्तकों को पढ़कर नहीं किया गया है। उर्दू, फ़ारसी की पुस्तकों को भी सामने रखा गया है और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं ताकि शोध और लेखन पूर्ण रूप से आलोचनात्मक हो सके।

मैं रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के ओ. एस. डी. डॉ. वकारूल हसन सिद्दीक़ी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होनें मेरी इस पुस्तक के प्रकाशन में विशेष रुचि दिखाते हुए, उक्त लाईब्रेरी की ओर से प्रकाशन को स्वीकार किया।

मैं डॉ. अभय कुमार सिंह, रीडर प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग रूहेलखण्ड विश्व विद्यालय बरेली की कृतज्ञ हूँ कि उन्होनें मेरे लघु शोध का निर्देशन किया और मेरी विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने में मेरी सहायता

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
की। मैं रूहेखण्ड विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) उदय प्रकाश अरोड़ा, डॉ. अतुल कुमार सिन्हा, डॉ. रूदल प्रसाद यादव एवं डॉ. पुष्पा सक्सेना की आभारी हूँ जिन्होनें मुझे इस विषय पर कार्य करने का परामर्श दिया। मैं एफ. आर. इस्लामिया इण्टर कॉलिज के लाइब्रेरियन मुहम्मद हारून सिद्दीकी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंनें जब भी आवश्यकता पड़ी मुझे पुस्तकें उपलब्ध कराने में सहयोग दिया।

ज़ेबा लतीफ़

73-फूलवालान, बरेली

दिनांक-1.1.03 243003

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ABBREVIATIONS

(अर्थात FREEDOM STRUGGLE IN UTTAR PRADESH VOL.(V) के अभिलेखों के सन्दर्भ में)

BMR	: NARRATIVE OF OCCURANCES, BAREILLY COMMISSIONER'S OFFICE MUTINY RECORD.
DNE	: DAILY NARRATIVE OF EVENTS.
FS	: FREEDOM STRUGGLE IN UTTAR PRADESH VOL.(V).
FPC	: FOREIGN POLITICAL CONSULTATIONS.
FPP	: FOREIGN POLITICAL PROCEEDINGS.
FPMI	: FURTHER PAPERS RELATIVE TO THE MUTINIES IN THE EAST INDIA 1857.
FSC	: FOREIGN SECRET CONSULTATIONS.
FDNE	: FOREIGN DEPARTMENT N.W. PROVINCES, NARRATIVE ABSTRACT PROCEEDINGS.
MB	: MUTINY BASTA
MNE	: MUTINY NARRATIVE OF EVENTS N.W.P. AGRA.
RP	: THE MUTINY OF THE BENGAL ARMY, AN HISTORICAL NARRATIVE POPULARLY KNOWN AS RED PAMPHLET, 1857

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CITY

BRY	:	BAREILLY
BEN	:	BUDAUN
BJN	:	BIJNORE
MOB	:	MORADABAD
PBE	:	PILIBHIT
SJP	:	SHAHJAHANPUR

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

विषय-सूची

अध्याय-1 रूहेला विरासत (1707-1857) **23**

(क) 1- भूमिका 23

2- रोह-रूहेला 23

3- रूहेलो का हिन्दुस्तान में पहुँचना 25

4- रूहेला इतिहास के तीन स्तम्भ 26

5- रूहेलों का शासन -दाऊद ख़ाँ 26

6- अली मुहम्मद ख़ाँ 27

7- नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ 30

8- रूहेला युद्ध के पश्चात् शुजाउद्दौला के रूहेलो पर अत्याचार 38

9- लाल डांग की सन्धि- (7 अक्टूबर 1774 ई.) 39

रूहेला विरासत (1774-1857) **42**

रूहेलो का स्वतन्त्रता के लिये प्रयास 42

(ख) 1- पीलीभीत पर आक्रमण 43

2- फैज़ उल्ला ख़ाँ की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकारी युद्ध में रूहेलों का व्यक्तित्व 44

3- दो जोड़ा का युद्ध, 24 अक्टूबर 1794 46

4- अवध के नवाबों के समय में रूहेलखण्ड तथा बरेली 47

5- ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में रूहेलखण्ड तथा बरेली 51

6- रूहलेखण्ड में उथल-पुथल 51

7- ईस्ट इण्डिया कम्पनी की रेग्यूलेशन संख्या के विरुद्ध बरेली में सन् 1814 में विद्रोह 52

अध्याय-2 नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का व्यक्तित्त्व और कृतित्व (प्रारम्भिक जीवन) **61**

1- नाम, ख़ानदान 61

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

8- नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के बारूद तथा मैगज़ीन में आग का लगना 143
(ज) स्वतन्त्रता संग्राम की अन्तिम अवधि 145
1- बरेली में अंग्रेज़ी सेना का नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की सेना से युद्ध 146
2- किला बरेली का मोर्चा 147
3- बरेली में दूसरा मोर्चा नकटियाँ नदी के तट पर 148
4- अंग्रेज़ों की विजय तथा क्रान्तिकारियों का स्थानान्तरण 152
5- दिनांक 6 मई 1858 को बरेली में अंग्रेज़ी सेना की कार्यवाही 153
6- दिनांक 7 मई 1858 को बरेली की स्थिति 153
7- अंग्रेज़ी सेना का बरेली नगर पर अधिकार करने के उपरान्त बरेली की स्थिति 154
(च) बरेली के पतन के पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की क्रान्तिकारी गतिविधियाँ 158
1- शाहजहाँपुर में युद्ध 158
2- मुहम्मदी का युद्ध तथा क्रान्तिकारियों की पराजय 159
3- क्रान्तिकारियों का अवध में एकत्र होना 160
4- बुटवल (नेपाल) में क्रान्तिकारियों का एकत्र होना 161
5- नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की गिरफ़्तारी 162
6- नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को फाँसी का आदेश 169
7- मुक़दमे की कार्यवाही की आलोचना 170
8- गवर्नर जनरल के नाम ख़ान बहादुर ख़ाँ का प्रार्थनापत्र 174
9- नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को फाँसी 175
10- रूहेलखण्ड तथा बरेली में क्रान्ति की असफलता के कारण 176
उपसंहार **192**
सन्दर्भ-ग्रन्थ **197**
अनुक्रमणिका (इन्डैक्स) **202**

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

चित्र नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ

(1789 - 1860)

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

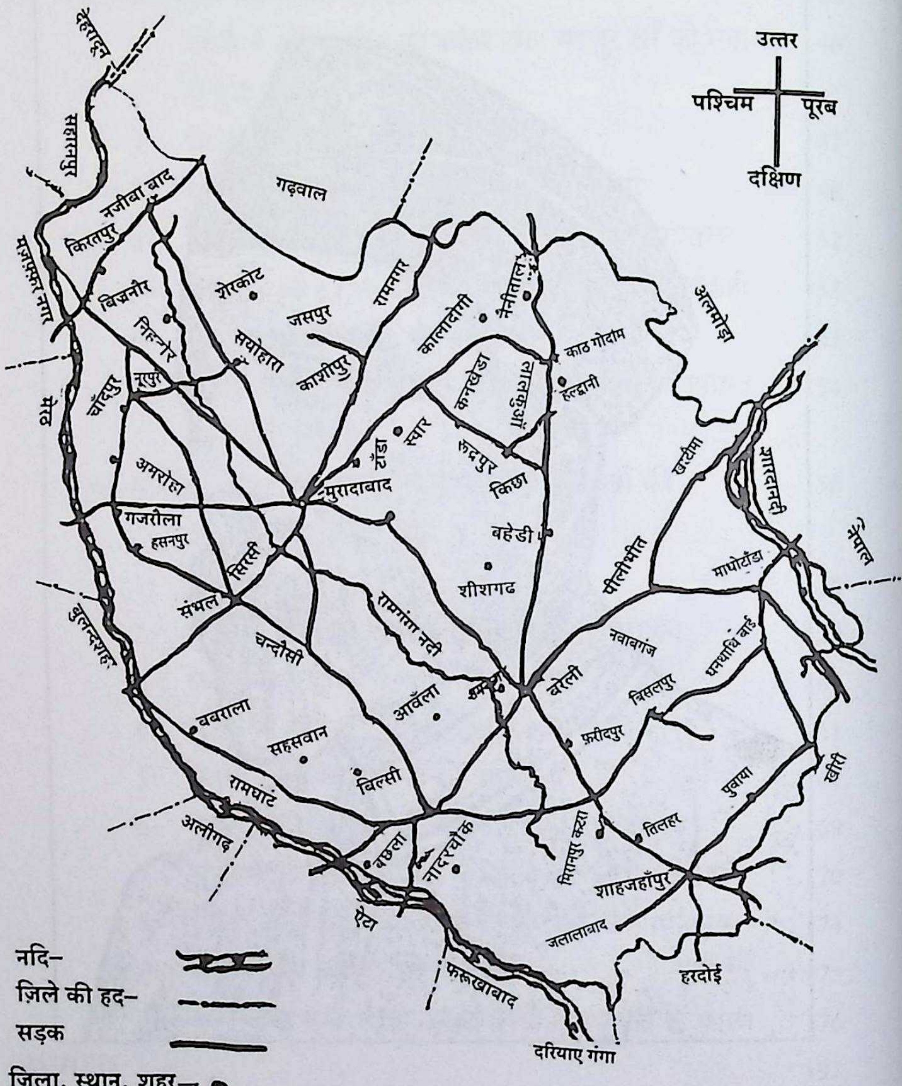

मानचित्र रूहेलखण्ड

संदर्भ: फ़्रीडम स्टग्गिल इन यू. पी. भाग 5 पृष्ठ 356

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अध्याय-1

रूहेला-विरासत
(1707-1774)

भूमिका:-

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के एक प्रमुख नायक ख़ान बहादुर ख़ाँ का सम्बन्ध रूहेला परिवार से था। वह रूहेलखण्ड के नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ (मृत्यु-1774) के पौत्र थे। उनके व्यक्तिगत गुणों के अतिरिक्त जिनको अध्याय-2 में प्रस्तुत किया गया है यह जानना आवश्यक है कि रूहेले वास्तव में कौन थे और उनकी राजनैतिक गतिविधियाँ क्या थीं? उनका उत्थान-पतन किस प्रकार हुआ उन्होंने क्या खोया, क्या पाया और उनके पतन के पश्चात् क्या चेतना जाग्रह हुई। इन बातों को जानने के पश्चात् ही यह ज्ञात हो सकता है कि रूहेलों के पतन के 83 वर्ष बाद हुये सन् 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम जिसमें रूहेलों ने जो भूमिका निभायी थी। वह उनकी विरासत (संस्कृति) के अनुसार थी। रूहेले 1774 ई. में एक युद्ध हारे थे परन्तु उनकी आजादी की चेतना तथा अंग्रेज़ों से प्रतिशोध की भावना समाप्त नहीं हुई थी। जिसकी पुष्टि स्वयं 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में हो गयी।

रोह-रूहेला:-

रूहेले कौन थे? साधारणत: रूहेला इतिहासकार ''रोह'' की भौगोलिक सीमाओं को तय नहीं कर सके हैं उनके लेखन से इतना ज्ञात होता है कि ''रोह''का क्षेत्र भारतीय उप महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी प्रान्त में स्थित था। जहाँ से आये पठान रूहेला कहलाये जाते थे। वास्तव में ''रोह'' के क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं का कथन ''तारीख़े-फ़रिशता'' में मिलता है जो इस प्रकार है:-

''रोह से यह कोहिस्तानी सिलसिला मुराद है जो लम्बाई में बजौर से

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
सीवी[2] तक बक़्र का इलाका है। और चौड़ाई में हसन अब्दाल और काबुल तक फैला हुआ है।''

''अफ़ग़ानों ने पेशावर पर कोहिस्तान में एक हिसार खींचा और उसका नाम ख़ैबर रखा और रोह के मूल्क पर ऐसे क़ाबिज़ हुए कि आलेसमान के अहदे हुकूमत में सामानी लश्कर को कभी उन्होने लाहौर तक न पहुँचने दिया[3]।

हक़ीम नजमूल ग़नी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ''ग़ौर व ग़जनी के पठानों में जबकि कोहिस्ताने ''रोहे'' में सकूनत अख़्तयार की तो उनको ''रोहला'' या ''रूहेला'' कहने लगे[4]।

अब्दुल हलीम असद अफ़ग़ानी ने राय दी है कि रूहेले रोह-ईल के वंश से थे और रोह-ईल यहुदा का पुत्र था और यहुदा याकूब के पुत्र थे। प्राचीन समय में यह वंश ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में आकर बस गये। इस प्रकार से यह वंश रोह-ईला कहलाता था जो अब रूहेला के नाम से प्रसिद्ध है[5]।

इसके अतिरिक्त रोह का अर्थ है पहाड़ में रहने वाला क्योंकि रोह का क्षेत्र पहाड़ों में था अत: यह हो सकता है कि पहाड़ों के निवासी होने के कारण भी यह क्षेत्र रूहेला कहलाये। हिन्दुस्तान में रूहेला पठान रूहेलों की रियासत बनाने से पहले ही मौजूद थे। रूहेले भारत में व्यापार करते थे और नौकरी भी करते थे। रूहेले अधिकतर राजाओं, नवाबों और ज़मींदारों के यहाँ फौजी सेवा पर नियुक्त होते थे। रूहेले बड़ी संख्या में कूमायूँ की तराई में एकत्रित हो गये थे[6]। रू हेलो का सम्बन्ध अपने-अपने क़बीलों से था। अठाहरवीं सदी में उनके झुंड़ के झुंड़ भारत में आये जिनमें ख़ेल-ज़ई, कमाल-ज़ई , मान-ज़ई, खिल-ज़ई, युसुफ-ज़ई, उक-ज़ई, मीरान-ज़ई, खटक, बड़ैच आदि कबीलों के पठान बहुत सम्मानित और प्रसिद्ध थे[7]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के दादा नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ का संबंध कबीले बड़ैच से था। कबीला बड़ैच अपने पूर्वजों में शहाबद्दीन ख़ाँ के कारण बहुत सम्मानित और बहुत प्रसिद्ध था। क्योंकि शहाबउद्दीन ख़ाँ कन्धार के प्रसिद्ध सूफ़ी थे, जो कन्धार से आकर हज़ारा में रहने लगे थे तथा

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

हज़ारा में ही उनकी मृत्यु हुई। शहाबउद्दीन ख़ाँ के सभी अच्छे गुण उनकी जाति/वंश में मिलते हैं जिसका उदाहरण स्वयं नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ उनके पुत्र नवाब जुल्फेकार ख़ाँ और उनके पुत्र नवाब ख़ान बहादुर खाँ में थे।

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ग्राम तूरशहामतपूर जिला मरदान[8] में 1120 हिजरी /1708[9] ई. में पैदा हुए थे ।

रूहेलों का हिन्दुस्तान में पहुँचना:-

अफ़ग़ानिस्तान से आये हुए पठान भारत में मुग़लों के आने से भी पहले मौजूद थे। स्वयं बाबर ने लोदी पठानों को पराजित करके मुग़ल राज्य की स्थापना की थी। अफ़ग़ानी पठान जिन्होंने हिन्दुस्तान में शासन किया था मुग़लों के समय में भी भारत के निवासी बने रहे और इस प्रकार से वह भारत के समाज का एक भाग थे। पठानों ने हिन्दुस्तान में रहकर भारत की राजनीति और भारत की सामाजिक परिस्थितियों को अपना लिया था। रूहेला पठान भी अफ़ग़ानिस्तान के निवासी थे और वे भी भारत के समाज में घुल-मिल गये, परन्तु उनकी स्वभाविक भावनाओं और उनके व्यक्तिगत व्यवहार में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। वह मुग़ल दरबार की सुन्दरता और मुग़ल अमीरों के ठाठ-बाट पसन्द नहीं करते थे उनका सम्बन्ध किसी न किसी क़बीले से था जिसका वे आदेश मानते थे और उनके निर्णय से बन्धे होते थे। अठारहवीं शताब्दी में जब रूहेलों ने अपनी रियासत की स्थापना की तो वह सम्मानित रूहेला सरदारों के हाथों में थी जिन्होंने आपस में ही से एक सरदार नियुक्त कर लिया था। रूहेला सरदारों का पहनावा (लिबास), उनके रीति-रिवाज, उनकी भाषा और उनकी दैनिक गतिविधियाँ वही थीं जो अपने साथ अफ़ग़ानिस्तान से लाये थे। वह सभी तलवार के धनी थे और सैन्य जीवन व्यतीत करना पसन्द करते थे। इसी कारण वह सैन्य सेवा भी करते थे इसके अतिरिक्त वह घोड़ों का व्यापार भी करते थे, क्योंकि उनके वंश में घोड़ों के व्यापार को एक उच्च व्यापार समझा जाता था। रूहेलों ने भारत में कृषि का कार्य नहीं किया। रूहेलों के सरदार और पूज्यनीय विद्वान व्यक्ति बहुत योग्यता रखते थे। उस समय जितनी भी योग्यता उपलब्ध थी वह

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
उसको प्राप्त करते थे। उनकी मातृभाषा पश्तो थी सरकारी भाषा फ़ारसी थी और धार्मिक भाषा अरबी थी। रूहेला सरदार कवि और लेखक भी थे। परंतु साधारणत: रूहेलों में भी पढ़ने-लिखने का रिवाज बहुत था। रूहेला अफ़ग़ानिस्तान और पश्चिमी, उत्तरी प्रान्त के जिस क्षेत्र से आये थे वह पूर्णतया पहाड़ी क्षेत्र था। ऐसे वातावरण में धन की उपलब्धि बहुत कम होती थी और खेतों पर सरदारों का अधिकार था। वह सरदार आपस में लड़ते-झगड़ते रहते थे। ऐसी पृष्ठभूमि में पठानों में यह मनोवृत्ति उत्पन्न हो गई थी कि प्रत्येक वस्तु केवल तलवार से प्राप्त करना चाहते थे और जब वे उस वस्तु को प्राप्त कर लेते थे तो वे उस वस्तु को अपनी सामग्री समझ लेते थे। जब दाऊद ख़ाँ हिन्दुस्तान आया तो उसने भी तलवार के बल से राज्य की स्थापना की। उस समय भारत में अराजकता फैली हुई थी जिससे उसने पूर्ण लाभ उठाया।

रूहेला इतिहास के तीन स्तम्भ:-

रूहेला इतिहास के तीन स्तम्भ हैं प्रथम दाऊद ख़ाँ जिसने रूहेला शासन की नींव डाली। द्वितीय अली मुहम्मद ख़ाँ जिसने रूहेला राज्य का निर्माण किया। तृतीय नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ जिन्होने रूहेला राज्य को संगठित और सम्पन्न किया।

रूहेलों का शासन:- (दाऊद ख़ाँ):

सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी ने दाऊद ख़ाँ को शाह आलम ख़ाँ का गुलाम बताया है जिसकी देख-रेख उन्होने अपने पुत्र की तरह की थी और जो उनके व्यापार और खेतों की देखभाल करता था[10]। हकीम नजमुल ग़नी ने दाऊद ख़ाँ को शाह आलम ख़ाँ का गोद लिया हुआ पुत्र बताया है। और सूचित किया कि वह बड़ैच पठानों के वंश का था[11]। हमारे विचार में यह शब्दों का हेर-फेर है। पठान अपने सरदार को अपना मालिक मानते थे। और अपने सरदार के लिये उनका व्यवहार गुलाम जैसा होता था। अत: हमारे विचार में शाह आलम ख़ाँ ने अपने क़बीले अर्थात बड़ैच के किसी बालक का पालन-पोषण किया उसको अपने खेती और व्यापार में लगाया और उस

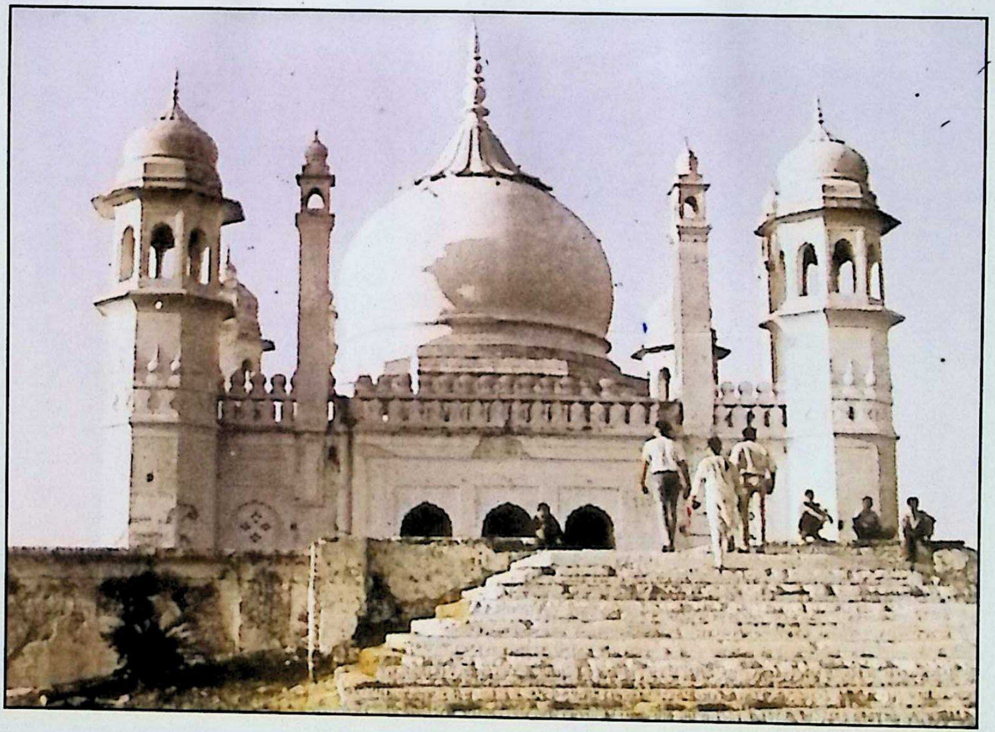

मक़बरा नवाब अली मुहम्मद खाँ, आंवला

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

बालक ने एक गुलाम की तरह शाह आलम ख़ाँ की सेवा की थी। अतः वह उनका गुलाम नहीं था अपना गोद लिया पुत्र ही था। जब शाह आलम ख़ाँ के यहाँ उनके पुत्र रहमत ख़ाँ ने 1708 ई. में जन्म लिया तो दाऊद ख़ाँ ने भारत आकर अपना भविष्य बनाने की चेष्टा की। इसके फलस्वरूप ज़िला बदायूँ में एक ज़मींदार बन गया। उस समय भारत में अराजकता फैली हुई थी और ज़मींदार आपस में लड़ रहे थे। दाऊद ख़ाँ ने रूहेला पठानों की एक टुकड़ी बनाकर एक ज़मींदार के विरुद्ध ज़मींदार की सहायता की और धीरे-धीरे स्वयं ज़मींदार बन गया। वह जिला बदायूँ में बनया बयोली का ज़मींदार था जो आजकल वज़ीरगंज कहलाती है। जिला बदायूँ में ग्राम चोहमेहल्ला की लड़ाई में बाँकोली[12] के स्थान पर उसको सड़क पर एक बालक पड़ा हुआ मिला जिसका उसने पालन-पोषण किया और उसका नाम अली मुहम्मद ख़ाँ रखा। जब रोह में सूचना पहुँची कि दाऊद ख़ाँ एक ज़मींदार बन गया है तो रोह के बड़े-बड़े सरदार जैसे पायन्दा ख़ाँ, सरदार दूंदे ख़ाँ, शादी ख़ाँ, सदर ख़ाँ आदि दाऊद ख़ाँ के पास बदायूँ आ गये और इन सब सरदारों ने मिलकर एक दल बना लिया। उस समय दाऊद ख़ाँ, कूमायूँ के राजा के यहाँ नियुक्त था। जब नवाब अज़मत उल्ला ख़ाँ फ़ारूकी (सूबेदार कठेर) ने राजा कुमायूँ पर आक्रमण किया तो दाऊद ख़ाँ ने राजा कुमायूँ की सहायता न करके नवाब अज़मत उल्ला ख़ाँ फारूकी की सहायता की जिससे राजा कुमायूँ को पराजय का मुँह देखना पड़ा। इसके उपरान्त राजा कुमायूँ ने दाऊद ख़ाँ को धोखा देकर कत्ल करा दिया।[13]

अली मुहम्मद ख़ाँ:-

दाऊद ख़ाँ की सन्1726 में मृत्यु के पश्चात् रूहेला सरदारों ने आपस में से किसी को अपना सरदार नियुक्त नहीं किया और दाऊद ख़ाँ के पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार किया। दाऊद ख़ाँ का एक पुत्र मुहम्मद ख़ाँ था परंतु वह बालक था[14]। अली मुहम्मद ख़ाँ का गोद लिया हुआ पुत्र था और युवा भी था, अतः रूहेला सरदारों ने उत्तरधिकारी की पगड़ी अली मुहम्मद ख़ाँ के सिर पर रख दी।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अली मुहम्मद ख़ाँ का पालन पोषण रूहेलों के वातावरण में हुआ था। वह स्वामी भक्त था। अतः रूहेला सरदारों ने उसका उत्तराधिकारी के पद पर चयन करके सही ही किया। अली मुहम्मद ख़ाँ ने शासक नियुक्त होने के बाद अपनी राज्य-शक्ति को बढ़ाना प्रारम्भ किया। पहले उसने स्थानीय ज़मींदारों को अपने अधीन किया। उसने सन् 1727 ई. में मुग़लशासक ख़्वाज़ा सरा मुहम्मद सालेह को पराजित किया तथा सन् 1730 ई. तक आँवला पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात् मुग़ल सम्राट मुहम्मद शाह के प्रधान मन्त्री नवाब कमर उद्दीन ख़ाँ से आँवले पर राज्य करने की सनद भी उसको प्राप्त हो गयी। अली मुहम्मद ख़ाँ सन् 1737 ई. में सादाते बारह जानसठ के नवाब सैय्यद सैफ़उद्दीन अली ख़ाँ के विरुद्ध देहली के शासक की सहायता करने के फलस्वरूप अली मुहम्मद खाँ को नवाबी की पदवी और नौबत रखने की अनुमति मिली[15]। अली मुहम्मद ख़ाँ ने राजा हरनन्दन अरोड़ा खत्री को ग्राम असालतपुर जारई कस्बा बिलारी (जिला मुरादाबाद) में 15 मार्च 1742 ई. को अरल नदी के समीप पराजित करके सम्भल से, अमरोहा, बरेली शाहजहाँपुर और शाहाबाद कलाँ (जिला हरदोई) पर अधिकार प्राप्त किया[16]। अली मुहम्मद ख़ाँ ने सन् 1744 ई. में पीलीभीत को विजित किया। रूहेलों ने 1744 ई. में ही अल्मोड़ा और श्रीनगर गढ़वाल को अपने अधीन किया परन्तु वह वहाँ से लौट आये[17]। रूहेलों की शक्ति बहुत बढ़ जाने से नवाब अवध तथा देहली के सम्राट दोनों को ही उनसे भय उत्पन्न हो गया था। अतः अबुल मन्सूर, सफ़दरजंग (मृत्यु-1754 ई.) ने दरबार देहली के अमीरों से षडयन्त्र रच कर नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ की राजधानी आँवला पर आक्रमण किया। इस युद्ध में स्वयं मुग़ल सम्राट मुहम्मद शाह ने भाग लिया था। रूहेले मुग़ल सेना का सामना नहीं कर सके और अन्त में सन्धि की गयी[18]। समस्त रूहेलखण्ड देहली के अधीन हो गया। फ़रीदउद्दीन ख़ाँ और बदरूल इस्लाम[19] ख़ाँ बरेली के शासक नियुक्त हुए। नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ को देहली के दुर्ग में बन्द कर दिया गया। अली मुहम्मद खाँ के दाहिने हाथ के समान वफ़ादार भी नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ,

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

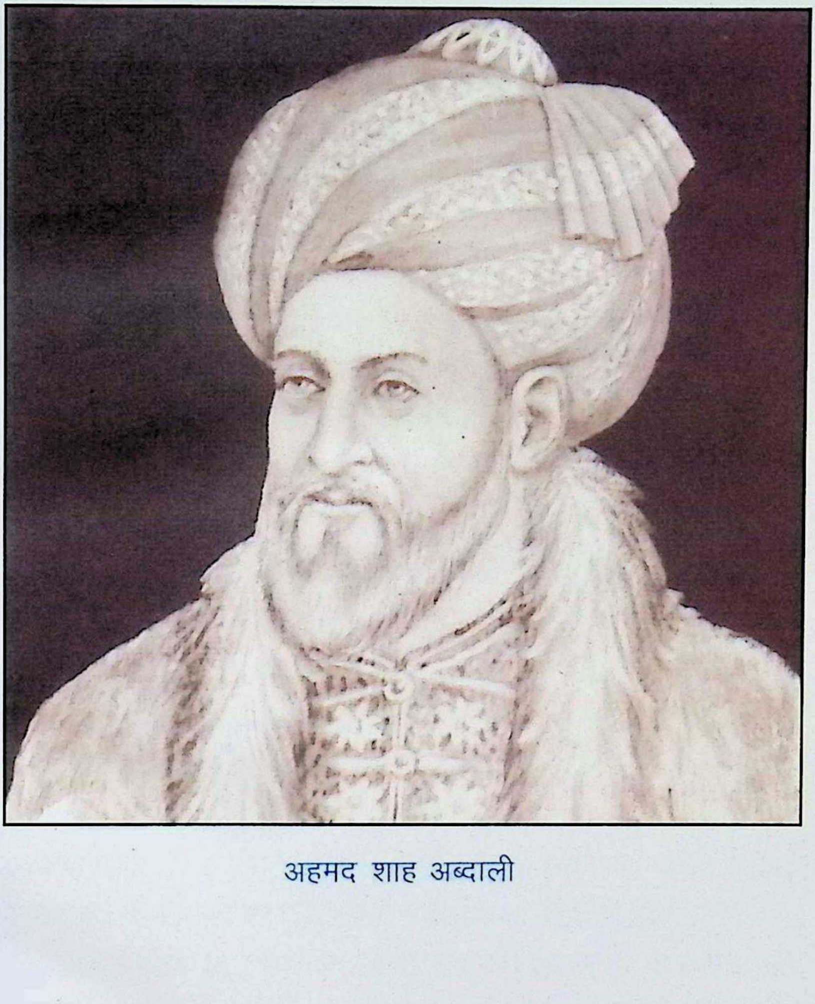

अहमद शाह अब्दाली

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

कादिर गंज (जिला ऐटा) में एक रूहेला सरदार राजाअत ख़ाँ ग़िलजई के पास चले गये। वहाँ उन्होंने सैनिकों की भर्ती की और इस दल द्वारा सन् 1747 ई. में दिल्ली के लाल किले को घेर कर नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ को मुक्त किया। उसके उपरान्त सम्राट मुहम्मद शाह ने नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ को सर हिन्द का शासक नियुक्त करके भेजा। सन् 1748 ई. में जब अहमद शाह अब्दाली ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया तो सम्राट मुहम्मद शाह ने यह सोच कर कि कही रूहेला पठान अहमद शाह अब्दाली की सहायता पर तैयार न हो जाये रूहेलखण्ड को नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ के नाम छोड़ दिया और रूहेले पुनः रूहेलखण्ड के मालिक हो गये। उसी समय क़मरउद्दीन ख़ाँ की मृत्यु हो गई जिसके उपरान्त नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ की सहायता से अबुलमंसूर सफ़दरजंग दिल्ली का अमीरउलउमरा बन गया। नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ की मृत्यु 14 सितम्बर 1749 ई. को आँवला में हुई[20]।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ बहुत समझदार और वीर पुरुष थे परन्तु राजनैतिक अधिकार रूहेला अमीरों के हाथ में था जो क़स्बे और नगर विजित करते थे। उदाहरण के लिये पायन्दा ख़ाँ ने पीलीभीत और नवाब हाफ़िज़ रहमत ने अलमोड़ा विजित किया आदि। जब भी अली मुहम्मद ख़ाँ के विरुद्ध रूहेला पठानों के गिरोह में असन्तोष फैलता था तो रूहेला अमीर ही उसको समाप्त करते थे। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के कठेर में बुलाने का आशय भी यही था कि उनके माध्यम से रूहेला पठानों को दबाकर रखा जाये इस प्रकार से रूहेलों का राज्य प्रारम्भ से ही एक नवाब या राजा की स्थिति के उपरान्त भी एक व्यक्तिगत राज्य नहीं था और सम्मानित वरिष्ठ रूहेला अमीर शासन को चलाया करते थे। रूहेला अमीरों में सबसे अधिक आदरणीय नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ थे और व्यावहारिक रूप में रूहेला राज्य इनके ही हाथो में था।

जब रूहेलों की राजनैतिक शक्ति बढ़ गयी तो अवध के नवाब और देहली के सम्राट के मन में यह भय उत्पन्न हुआ। कहीं रूहेले अवध और देहली के क्षेत्रो को भी अपने अधीन न कर ले। ऐसी शका रखकर अबुल

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

मन्सूर सफदरजंग रूहेलों से दुश्मनी रखने लगे। वह अवध के नवाब और दिल्ली के सम्राट के अमीरउल उमरा थे। वह रूहेलों को "मुख़ाले फ़ाने शक़ावत बुनियाद"[21] कहता। (अर्थात ऐसे शत्रु जिनका आधार क्रूरता पर था) सफदरजंग ने रूहेलों को मिटाने के लिये बहुत प्रयास किये। उसकी मृत्यु के बाद यही नीति नवाब शुजाउददौला ने अपनायी थी। दिखावटी तौर पर तो इन दोनों ने ही नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ से पगड़ी बदलकर उसको अपना भाई बनाया था परन्तु वह मन में उनसे दृेष घृणा करते थे और मित्रता की आड़ में उनको मिटाना चाहते थे। जबकि उल्लेखनीय है कि रूहेलों ने कभी विश्वासघात नहीं किया न तो अवध पर अधिकार करने का प्रयास किया और न ही देहली को अधिकार में लेने के लिये कोई कार्यवाही की। दिल्ली के विरुद्ध तो अफ़ग़ानिस्तान के सम्राट अब्दाली की सहायता भी सम्भव हो सकती थी। इससे यह बात सामने आती है कि रूहेलों का महान व्यक्तिगत चरित्र उनके धोखेबाज़ मित्रों के सामने उनकी राजनैतिक दुर्बलताएं बन गईं। और जब आन्तरिक और बाहृय शत्रुओं की संख्या बढ़ गयी तो उनके राज्य का अन्त हो गया।

नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ का पूर्ण जीवन युद्ध करने में व्यतीत हुआ और उनके समय में साहित्य और कला की विशेष उपलब्धियाँ हासिल नहीं हो सकीं। उनके समय में अफ़ग़ानिस्तान से रूहेला पठान बड़ी संख्या में कठेर आये थे जिसके कारण रूहेला पठानों को एक पहचान प्राप्त हो गयी थी।

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ:-

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ का जन्म 1708 ई. में हुआ था। इनके पिता का नाम शाह आलम ख़ाँ था और इनका सम्बन्ध बड़ैच के क़बीले से था। वह क़ुरान के हाफ़िज़ थे और उनके समय में जो ज्ञान उपलब्ध था वह उन्होंने प्राप्त किया था वह बहुत पवित्र हृदय के और ईश्वर भक्त थे। वह शायद 1735 ई. में कठेर आये और नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ के साथ रूहेला राज्य के विस्तार में योगदान दिया। जब 14 सितम्बर 1749 ई. को अली मुहम्मद

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

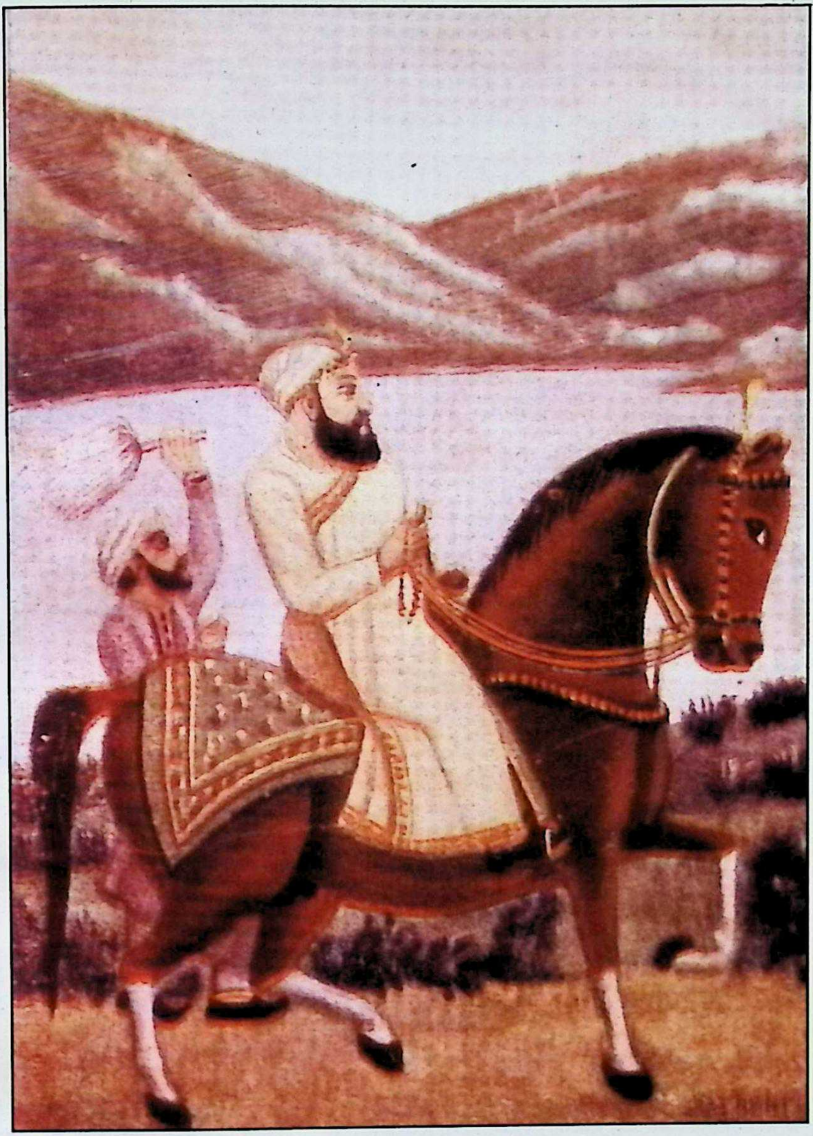

हाफ़िज़ रहमत खाँ

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ख़ाँ की मृत्यु हुई उस समय अली मुहम्मद ख़ाँ के तीसरे पुत्र साद उल्ला ख़ाँ को जिनक़ी आयु तेरह-चौदह वर्ष की थी उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अली मुहम्मद ख़ाँ के दो बड़े पुत्र अब्दुला ख़ाँ और फैज़ उल्ला ख़ाँ कन्धार में अहमद शाह अब्दाली के बन्दी थे[22]। साद उल्ला ख़ाँ को उत्तराधिकारी बनाते समय रूहेला अमीरों ने जिनमें नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ भी शामिल थे वही प्रथा अपनायी गयी जो अली मुहम्मद ख़ाँ को उत्तराधिकारी बनाते समय कभी अपनायी गयी थी। हाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ अपने उच्च व्यक्तिगत गूणों और महान चरित्र से रूहेला सरदारों के मध्य प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुके थे। अतः व्यावहारिक रूप में शासन प्रबन्ध उनके हाथों में बिना किसी एतराज़ के सौप दिया गया। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने अन्य रूहेला सरदारों की सहायता से लगभग पच्चीस वर्ष (1749-1774) तक रूहेलखण्ड का राज्य संभाला और रूहेलखण्ड के विकास और पतन में शामिल रहे। उनके समय में समस्त कठेर रूहेलों के अधिकार में आ चुका था और राज्य की सीमा एक ओर ख़ैराबाद (जिला सीतापुर) तक थी तो दूसरी ओर जिला एटा और इटावा तक पहुँच चुकी थी उनके राज्य की सीमाएं अवध दिल्ली, भरतपुर, मेरठ तथा कुमायूँ आदि के ज़िलों से मिली थी। वास्तव में रूहेला राज्य के उत्थान और पतन के इतिहास से जुड़ा हुआ है।

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के राज्यकाल में शेष भारत में अराजकता फैली हुई थी दिल्ली का मुगल शासन दुर्बल हो गया था और भारत के प्रान्तों पर उसका समस्त अधिकार का अन्त हो गया था। अवध के ''सआदत अली ख़ाँ ने सन् 1720 ई. में देहली के अधिकार को अस्वीकार कर दिया था। अतः उस अराजकता के समय में दो बातें विचारणीय हैं प्रथम रियासतों का दिल्ली के साम्राज्य से स्वतन्त्र होने के पश्चात् दिल्ली से राजनैतिक सम्बन्ध और दूसरे इन प्रान्तों का स्वयं आपसी राजनैतिक सम्बन्ध। जहाँ तक पहली बात का सम्बन्ध है वह अवध के मुग़ल हो या रूहेलखण्ड के रूहेला या दूसरे प्रान्तों के राज्य वह सभी देहली में मुगल राज्य का अस्तित्व

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

स्थापित रखना चाहते थे। क्यों कि उस समय भारत में जो भी राजनैतिक गतिविधियाँ होती थीं वे मुग़ल साम्राज्य के नाम पर होती थीं। इस प्रथा के फलस्वरूप जो भी प्रान्तीय राजा या नवाब थे वह मुग़ल सम्राट को अपनी मुठ्ठी में बन्द रखने का प्रयास करते थे। ताकि सम्राट के राज्य की मोहर (मोहरे- सल्तनत) उनके पक्ष में ही प्रयोग में आये। मुग़ल सम्राट का अमीर-उल-उमरा व्यावहारिक रूप में समस्त राज्यों को चलाया करता था। अत: प्रान्तीय शासक यह भी करते थे कि वे स्वयं अमीर-उल-उमरा बन जाये, उनकी ही बात को माने या फिर अराजकता के समय में मुगल सम्राट को अन्धा करके या कत्ल करके अपने स्वार्थ के लिये बादशाह देहली के सिंहासन पर उसके परिवार के किसी सदस्य को बिठाकर अपने पक्ष में प्रयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं समझता था। इतना ही नहीं यह भी हुआ कि यदि कोई व्यक्ति देहली के मुगल सम्राट पर अपना प्रभाव रखता था तो उसकी भी हत्या कर दी जाती थी। सन् 1748 में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह की मृत्यु हुई थी और नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने अपनी सेना से लाल किला देहली का घेरा डालकर सफदरजंग को बादशाह अहमद शाह का अमीर-उल-उमरा नियुक्त कराया था।[23] परन्तु उसी नवाब सफदरजंग ने अली मुहम्मद ख़ाँ की मृत्यु के पश्चात् रूहेलों की शक्ति को समाप्त करने के लिए नवाब कुतुबउद्दीन ख़ाँ को रूहेलखण्ड पर शासन करने की बादशाह अहमद शाह से सनद दिलवायी। इसके फलस्वरूप नवाब हाफ़िज़ रहमत खाँ ने कुतुबउद्दीन ख़ाँ पर आक्रमण करके बरेली से हटाया तथा बरेली पर अधिकार किया। सफदरजंग ने 13 नवम्बर 1749 ई. को बरेली के रूहेला पठानों तथा फर्रूखाबाद के बंगश पठानों में युद्ध कराया। और जब अहमद शाह ने जावेद ख़ाँ ख़्वाजा सरा की हत्या के पश्चात् सफदरजंग को प्रधान-मन्त्री के पद से हटाया और अमाद-उल-मुलक गाज़ी उद्दीन ख़ाँ[24] को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया तो उस समय भी नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने बादशाह अहमद शाह के विरुद्ध सफदरजंग का पक्ष लिया जिसके फलस्वरूप स्वयं रूहेला पीठानों में फूट पड़ गयी और नजीब ख़ाँ[25] और नवाब हाफ़िज

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

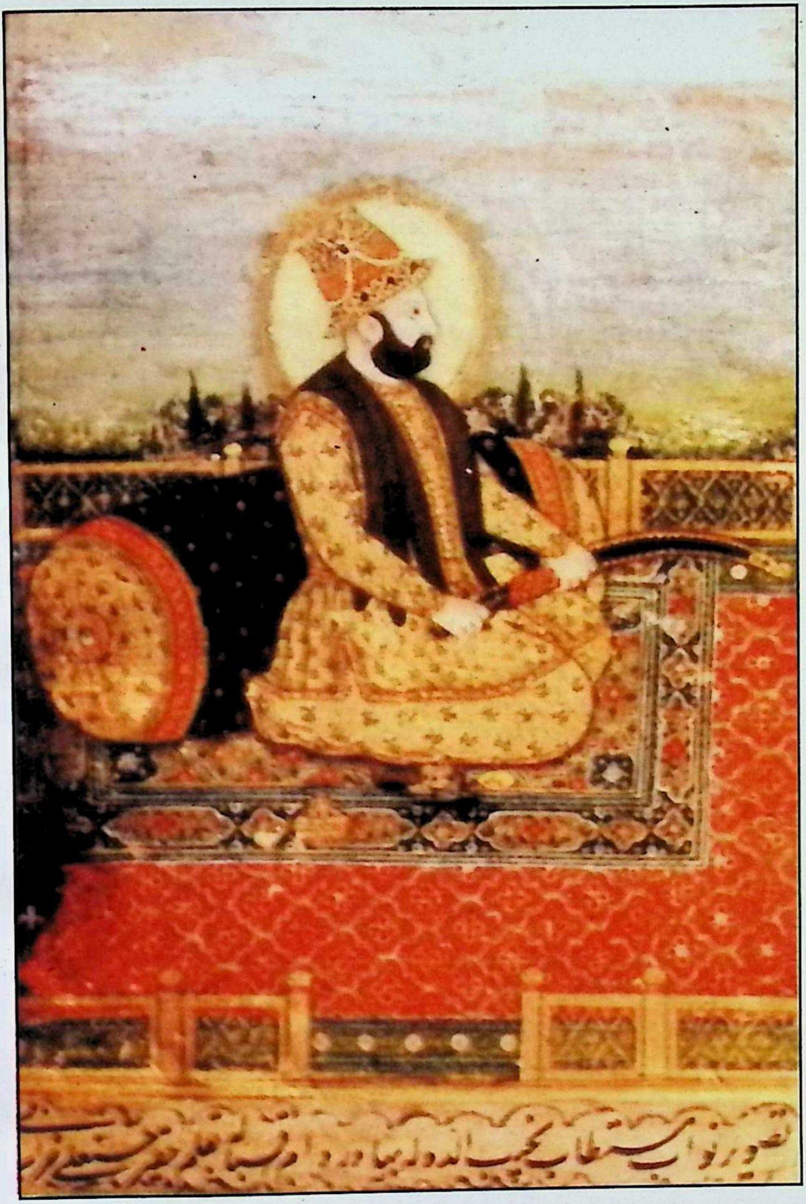

नवाब नजीब उद्दौला

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

रहमत ख़ाँ के बीच में दूरी उत्पन्न हो गयी।

नजीब ख़ाँ नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ की तुलना में एक राजनीतिज्ञ था। उसने हज़रत शाह वली उल्ला के धार्मिक अभियान का संचालन करने के लिए नजीबाबाद में उसकी एक शाखा खोली थे। उसने सफ़दरजंग के विश्वासघात के विरुद्ध बादशाह अहमद शाह की सहायता की थी। उसने सफ़दरजंग को कई मोर्चो पर पराजित किया था और रूहेला सिपाहियों को अपने साथ मिलाने के लिए उसने यह नारा (Battle-cry) दिया था। ''सुन्नी दमचार शिया दम पंच'' क्योंकि सफदरजंग शिया और गाज़ी उद्दीन ख़ाँ सुन्नी था[26]।'' अन्त में हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ की सफदरजंग को सहायता मिलने के उपरान्त भी नजीब ख़ाँ ने सफदरजंग को हराकर गाज़ी उद्दीन ख़ाँ को ही देहली का अमीर-उल-उमरा बना दिया। इसके पश्चात् सफ़दरजंग की 11अक्टूबर 1754 ई. को मृत्यू हो गयी। देहली के बादशाह ने नजीब ख़ाँ को नजीबउद्दौला की पदवी दी और सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ जागीर में दिये।

अमादुल मुलक ग़ाज़ी उद्दीन ख़ाँ ने भी अमीर-उल-उमारा अर्थात प्रधानमन्त्री बनने के बाद दिल्ली के बादशाह को अपने पक्ष में प्रयोग करना चाहा और जब वह नजीब ख़ाँ के कारण सफल नहीं हुआ तो उसने बादशाह अहमद शाह और उसकी माँ कुदसिया बेगम को अन्धा करके बन्दी बना दिया (1754) और औरंगज़ेब के पौत्र अज़ीज़उद्दीन बहादुर शाह को आलमगीर सॉनी की पदवी देकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। गाज़ी उद्दीन ख़ाँ की शक्ति नजीब ख़ाँ के अमीर-उल उमारा बनने के बाद और अहमदशाह दुर्रानी के हाथों मराठों की बार-बार पराजय के पश्चात् ही टूटी। इतिहास के उस दौर के सिंहावलोकन से स्पष्ट होता है कि उस अराजकता के समय में वही बलवान, राजनीतिज्ञ होता था जिसकी मुठ्ठी में दिल्ली का सम्राट हो। रूहेला पठानों में यह विशेषता केवल नजीब ख़ाँ के भाग में आयी थी।

दूसरे प्रश्न कि नयी उभरती हुई राजनैतिक शक्तियों के बीच में आपसी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सम्बन्ध कैसे थे का प्रत्यक्ष उत्तर यह है कि उनके परस्पर सम्बन्ध अवसरग्राही (समयानुसार बनाने वाला) थे । वह अवसर के अनुसार आपस में मिल जाते थे और फिर एक दूसरे से अलग हो जाते थे। वास्तव में उनके सामने कोई राजनैतिक नीति नहीं थी केवल स्वार्थ सिद्ध और अवसरवाद था वह केवल अपने प्रान्त को सुरक्षित रखते और देहली के बादशाह को अपने प्रभाव में रखने के लिए प्रयास करते थे और इस नीति को सफल बनाने के लिये न किसी के मित्र थे और न किसी वचन और सन्धि के पाबन्द थे। गुटबन्दी, विश्वासघात, आपसी युद्ध, हिंसा, बादशाह की हत्या करना उनकी राजनैतिक गतिविधियों में शामिल था। ऐसे राजनीतिज्ञो में सफ़दरजंग तथा शुजाउद्दौला विशेषतर वचन का पालन न करने वाले सन्धि को तोड़ने वाले अवसरवादी और विश्वास न करने योग्य थे। मराठे भी चौथ और संखेशमुखी वसूलने में लगे थे। जो रियासतें उनको यह कर अदा कर देती थी वह उनके प्रान्त पर आक्रमण नहीं करते थे।

ऐसी अराजकता की आवधि में नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने देहली के केन्द्रीय राज्य के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया । उन्होंने देहली के सिंहासन पर अधिकार बनाने की चेष्टा की और ने प्रधानमन्त्री बनने का प्रयास किया। जबकि उन्होंने रूहेला राज्य कुतुबउद्दीन ख़ाँ (जो कठेर में मुग़ल सम्राट की ओर से शासक बनाकर भेजा गया था) से युद्ध करके अपने अधीन किया था। वह स्वतन्त्र नवाब थे और यदि वह देहली अथवा अवध पर युद्ध करके अधिकार करने की नीति रखते तो भी वह उस समय की राजनीति के वातावरण में आपत्तिजनक तथा आश्चर्यजनक नहीं होता परन्तु वह इस प्रकार की भावना या महत्वाकांक्षा नहीं रखते थे।

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने लाल किला देहली को घेरकर अली मुहम्मद ख़ाँ को स्वतन्त्र कराया था। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने ही सफदरजंग को देहली का प्रधानमन्त्री बनवाया था। वास्तव में वह चेष्टा करते तो एक शेरशाह सूरी की भूमिका अदा कर सकते थे। लेकिन उनकी दृष्टि एक मित्र और एक शत्रु के बीच में कोई अन्तर नहीं कर सकी। उन्होने प्रत्येक

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

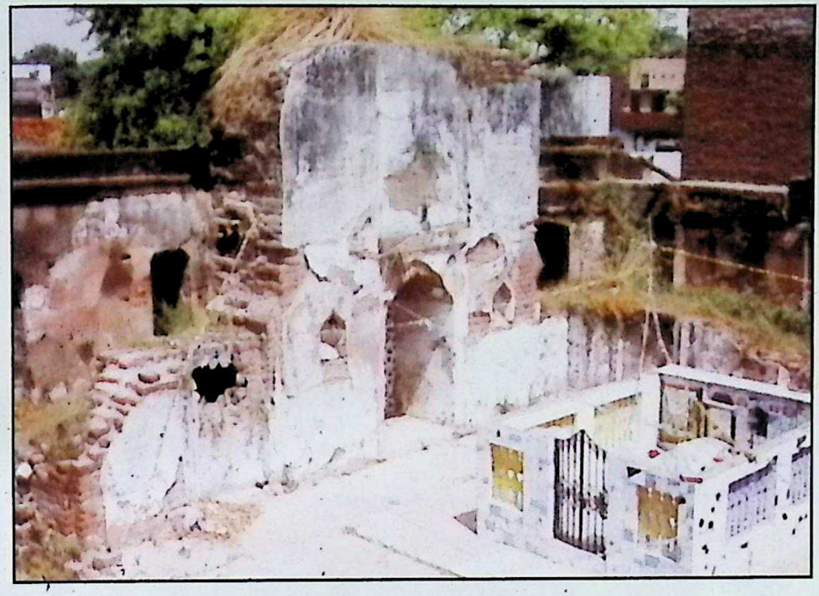

मक़बरा हाफ़िज़ रहमत खाँ, बरेली (अंदर का द्रश्य)

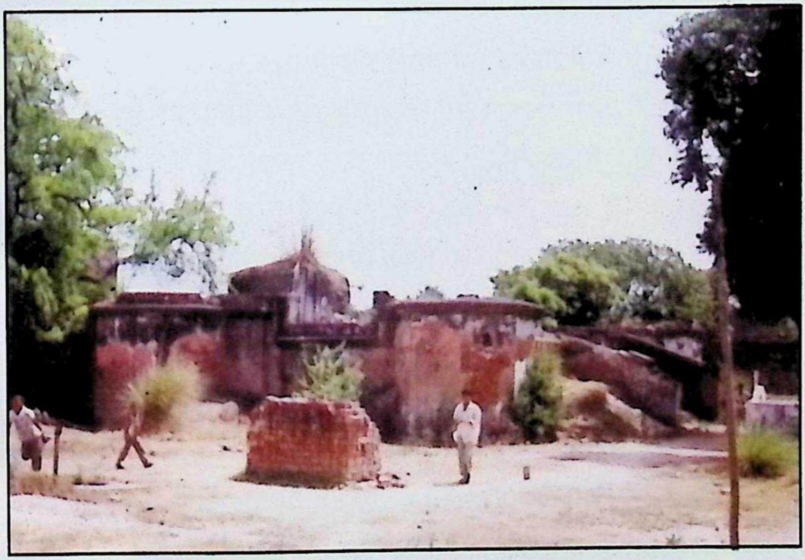

मक़बरा हाफ़िज़ रहमत खाँ, बरेली (बाहरी द्रश्य)

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अवसर पर सफ़दरजंग और शुज़ाउद्दौला जैसे धोखेबाज़ों का साथ दिया। और अन्त में मराठों की लूटमार, ईस्ट इण्डिया कम्पनी और शुजाउद्दौला के षडयन्त्र शाह आलम बादशाह देहली और ज़ाबता ख़ाँ पुत्र नजीब उद्दौला की फौजी सहायता और आन्तरिक षडयन्त्र में अहमद ख़ाँ बक़्शी, दून्दे ख़ाँ और फतेह ख़ाँ ख़ानसामा के पुत्रों मोहतिशम ख़ाँ, रसालदार और क़ाज़ी सनाउल्ला ख़ाँ की शुजाउद्दौला से गुप्त सन्धि के फलस्वरूप उन्होंने 23 अप्रैल 1774 ई. को रूहेला युद्ध में अपने प्राण त्याग दिये। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के पास कर्नल चैम्पियन के तोपख़ाने से निबटने के लिए कोई साधन नहीं था। रूहेला युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के अपने भी पराये हो गये थे। प्लासी का युद्ध (1757) बक्सर का युद्ध (1764) और रूहेला युद्ध (1774) में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को इतना अधिक बलशाली बना दिया कि भविष्य में उसका सम्पूर्ण भारत पर अधिकार हो गया। मुग़लों, रूहेलों, मराठों, जाटों की स्वतन्त्रता का अन्त हो गया था और विजय अंग्रज़ों की हुई। जिसमें सम्पूर्ण भारत पर उनका अधिकार हो गया।

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ और उनके रूहेला अमीर, व्यक्तिगत रूप में आदर्श, वीर पुरुष थे। वास्तव में उस समय की राजनीति में यह गुण उनके पतन का कारण बन गया। उनका मुकाबला ऐसे शत्रुओं से था जो मित्रता की आड़ में धोखा देते थे। परन्तु नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए महान कार्य किये उन्होने कभी भेद-भाव का व्यवहार नहीं किया सदैव इन्साफ किया और क़ौमी एकता की एक ऐसी विरासत बरेली में छोड़ी जिसका उदाहरण स्वयं बरेली में आपसी भाई-चारे के रूप विद्यमान है।

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के समय में जनता समृद्ध थी कृषकों से केवल उनकी आय का चौथाई भाग मालगुज़ारी में वसूल किया जाता था। अकाल के समय कृषकों को तक़ावी (माली सहायता) दी जाती थी। ग्रामों में पंचायतों के माध्यम से मुकदमे तय होते थे। पंचायत का चौधरी बहुत

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अवसर पर सफ़दरजंग और शुज़ाउद्दौला जैसे धोखेबाज़ों का साथ दिया। और अन्त में मराठों की लूटमार, ईस्ट इण्डिया कम्पनी और शुजाउद्दौला के षडयन्त्र शाह आलम बादशाह देहली और ज़ाबता ख़ाँ पुत्र नजीब उद्दौला की फौजी सहायता और आन्तरिक षडयन्त्र में अहमद ख़ाँ बक़्शी, दून्दे ख़ाँ और फतेह ख़ाँ ख़ानसामा के पुत्रों मोहतिशम ख़ाँ, रसालदार और क़ाज़ी सनाउल्ला ख़ाँ की शुजाउद्दौला से गुप्त सन्धि के फलस्वरूप उन्होंने 23 अप्रैल 1774 ई. को रूहेला युद्ध में अपने प्राण त्याग दिये। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के पास कर्नल चैम्पियन के तोपख़ाने से निबटने के लिए कोई साधन नहीं था। रूहेला युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के अपने भी पराये हो गये थे। प्लासी का युद्ध (1757) बक्सर का युद्ध (1764) और रूहेला युद्ध (1774) में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को इतना अधिक बलशाली बना दिया कि भविष्य में उसका सम्पूर्ण भारत पर अधिकार हो गया। मुग़लों, रूहेलों, मराठों, जाटों की स्वतन्त्रता का अन्त हो गया था और विजय अंग्रज़ों की हुई। जिसमें सम्पूर्ण भारत पर उनका अधिकार हो गया।

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ और उनके रूहेला अमीर, व्यक्तिगत रूप में आदर्श, वीर पुरुष थे। वास्तव में उस समय की राजनीति में यह गुण उनके पतन का कारण बन गया। उनका मुकाबला ऐसे शत्रुओं से था जो मित्रता की आड़ में धोखा देते थे। परन्तु नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए महान कार्य किये उन्होने कभी भेद-भाव का व्यवहार नहीं किया सदैव इन्साफ किया और क़ौमी एकता की एक ऐसी विरासत बरेली में छोड़ी जिसका उदाहरण स्वयं बरेली में आपसी भाई-चारे के रूप विद्यमान है।

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के समय में जनता समृद्ध थी कृषकों से केवल उनकी आय का चौथाई भाग मालगुज़ारी में वसूल किया जाता था। अकाल के समय कृषकों को तक़ावी (माली सहायता) दी जाती थी। ग्रामों में पंचायतों के माध्यम से मुकदमे तय होते थे। पंचायत का चौधरी बहुत

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

आदरणीय होता था। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने एक उचित कार्य यह किया कि सन् 1769 में ऐसे व्यापार के सामान पर जो उनके राज्य में लाकर बेचा जाता था उस पर कर माफ़ कर दिया। जिसके कारण समस्त रूहेलखण्ड में व्यापार बढ़ा और वस्तुएं जनता को कम मूल्य पर प्राप्त होने लगी[27]। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के समय में रूहेलखण्ड की जनता इतनी समद्धशाली थी कि प्रसिद्धि अन्य प्रान्तों में पहुँची तथा वहाँ के लोग रूहेलखण्ड में आकर बस गये। उस समय ही राजस्थान से मारवाड़ी और मेवाती आये और पंजाब से खत्री तथा अन्य व्यापारी वर्ग के लोग आये और बरेली में बस गये।

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने शिक्षा के विकास के लिए महान कार्य किया। उनके समय में पाँच हजार शिक्षक सरकारी वेतन पर छात्रों को शिक्षा देते थे और हर छात्र को सौ रूपये वार्षिक छात्रवृति दी जाती थी। शिक्षा देने के लिए कोई फ़ीस नहीं थी। ऐसे वातावरण में विद्वान और संत सूफ़ी रूहेलखण्ड और बरेली में आकर बस गये और उनके योगदान से क़ौमी एकता की कल्पना और अधिक जागृत हुई।

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने एक अन्य निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ और उनके प्रसिद्ध रूहेला अमीरों ने अधिक संख्या में धार्मिक तथा लौकिक भवन बनवाये थे। जैसे-मस्जिदें, मक़बरे, रहने के भवन, पुल, कुएं, सराये, सड़कें, स्नानगृह, तालाब, बाग़, शहरपनाहें (शहर की सीमा के चारों ओर मजबूत दीवारें सुरक्षा की दृष्टि से) आदि। इनमें आँवला में स्थित नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ का मक़बरा, पीलीभीत की जमा मस्जिद, आँवला में फ़तेह ख़ाँ ख़ानसामा की बारह बुर्जी मस्जिद, बदायूँ में सागरताल के निकट मस्जिद और स्थान-स्थान पर नदियो पर सेतु प्रसिद्ध है।

यह खेद की बात है कि शुजाउद्दौला ने 23 अप्रैल सन् 1774 ई. को ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता से नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ को पराजित करने के उपरान्त अधिकतर भवनों को गिरवा दिया था। यह कितने अफसोस की बात है कि रूहेला नवाब और उनका परिवार जिस भवन में रहता था

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

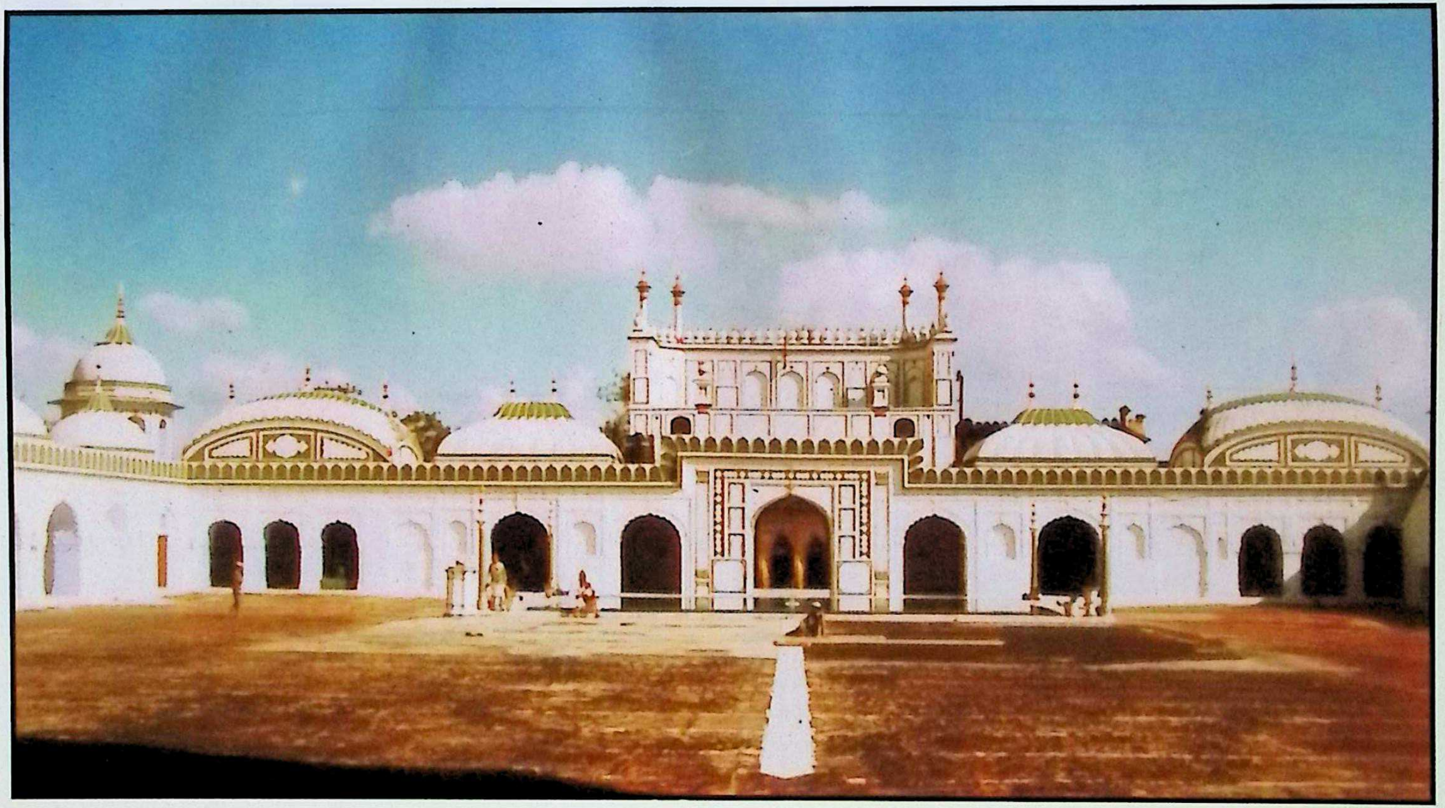

जामा मस्जिद पीलीभीत का अन्दर का द्रश्य।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

आज उसका भी पता नहीं लगता[28]। ऐसी घटना के उपरान्त भी रूहेलखण्ड में रूहेलों के शासनकाल की इमारतें प्रत्येक ज़िले में मिलती है जिनकी देख-रेख अति आवश्यक है।

उक्त विवरण से यह सत्य सामने आता है कि रूहेलों केराज्य में जनता सम्पन्न थी, सबके साथ एक सा व्यवहार होता था। कृषक सुखी थे और रूहेलखण्ड की खुशहाली के कारण आस-पास के स्थानों के लोग रूहेलखण्ड में आकर बसने लगे थे। इस समय यह बात भी दृष्टि में रखना आवश्यक है कि रूहेलों ने जो विरासत छोड़ी उसको व्यापकता भविष्य में प्राप्त हुई वह विरासत एक ऐसी परम्परा थी जिसमें अनेकता में एकता थी जनता में परस्पर प्रेम और मेल मिलाप का वातावरण बन गया था। यदि भाषा और साहित्य को दृष्टि में रखा जाये तो यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक जाति के व्यक्तियों ने उस समय साहित्य का विकास किया था। शाह नयाज़ अहमद नयाज़, मुन्नू लाल फ़लसफ़ी, कुन्दन लाल अशकी और महाराजा रत्न सिंह ज़ख्मी जैसे महान फ़ारसी और उर्दू कवि और साहित्यकार रूहेला विरासत और उसकी परंपरा की देन थे। सूफ़ियों की ख़ानखाहों से प्रेम का सन्देश फैला। रूहेलों की मातृ भाषा ''पश्तो'' थी और उसके अपने रहन-सहन के तरीके थे। ''पश्तो'' भाषा ने उर्दू भाषा पर प्रभाव डाला और पठानों के ढीले-ढाले वस्त्र प्रचलित हुए और मुग़लों की टोपी के स्थान पर पगड़ी का रिवाज पड़ा। इसी प्रकार से संगति ने रूहेला पठानों के सुर और ताल का प्रभाव पड़ा उनकी ''चारबेत'' प्रसिद्ध हुए जिसका प्रचलन आज भी रामपुर में मिलता है। इस मिश्रित परंपरा के अतिरिक्त उनमें सबसे अधिक स्वतन्त्रता की भावना थी। जो उनकी मूल विरासत थी तथा जिसका परिणाम रूहेला युद्ध (1774) में उनके पतन के बाद भी लगातार मिलता रहा। रूहेलों को जब भी अवसर मिला उन्होने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया और उनका अंग्रेज़ों के विरुद्ध ऐसा व्यवहार सन् 1857 ई. तक जारी रहा। सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम से रूहेलखण्ड में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नायक अधिकतर पठान थे

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

जिनका नेतृत्व नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने किया था और अधिक संख्या में पठान ही फाँसियों पर चढ़ाये गये, गोलियों का निशाना बने, काला पानी भेजे गये और उनकी जायदादें जब्त हुईं। आज भी ख़ान बहादुर ख़ाँ, बख़्त ख़ाँ, मदार अली ख़ाँ, मुबारक शाह ख़ाँ, नयाज़ अली ख़ाँ, बन्डे मीर ख़ाँ आदि पौराणिक (कहावती) नाम हैं। कहना यही पड़ता है कि सन् 1774 ई. में रूहेले पराजित तो हुए थे। परन्तु उनकी विरासत उनका मूलाधार, उनकी स्वतन्त्रता की भावना उनकी विरासत के रूप में 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम तक जारी रही।

रूहेला युद्ध 23 अप्रैल 1774 ई. में अवध के नवाब शुजाउद्दौला की विजय कर्नल चैम्पियन के तोपख़ाने की सहायता से हुई थी जिसकी सेवा के लिए शुज़ा उद्दौला ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 50 लाख रुपये दिये। इसके अतिरिक्त शुजउददोला ने कर्नल चैम्पियन की सेना को साढ़े दस लाख रुपये दिये। इस प्रकार से शुजाउद्दौला ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता प्राप्त करने के लिये कुल राशि साढ़े साठ लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दिये थे। यह बात सोचने की है कि शुजाउद्दौला नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ पर इस कारण आक्रमण किया था कि नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने उसको चालीस लाख रुपये का भुगतान नहीं किया था इससे यह ज्ञात होता है कि शुजाउद्दौला के मन में रूहेलों की शक्ति को तोड़ने की इच्छा थी और उसके लिए वह बहाना दूंढ़ रहा था।

रूहेला युद्ध के पश्चात शुजाउद्दौला का रूहेलों पर अत्याचार:-

शुजाउद्दौला ने रूहेला युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् रूहेलों पर बहुत अत्याचार किया। उसने एक हजार से अधिक ग्रामों में आग लगा दी। उसकी सेना ने मस्जिदों, मदरसों, ख़ानकाहों और मक़बरों में पड़ाव डाला, आँवला में स्थित आखून मुहम्मद रहीम की मस्जिद में वैश्याओं ने पड़ाव डाला। रूहेलों के भवन और दुर्ग गिरा दिये गये। एक लाख से अधिक जनता अपने घर छोड़कर जंगल में चली गयी। शुजाउद्दौला ने नवाब

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के परिवार के सदस्यों को बन्दी बनाकर भूखा, प्यासा, छक्कड़ों (बैलगाड़ियों) में रस्सी से बांधकर गर्मी और लू के मौसम में इलाहाबाद भेज दिया[29]।

सन् 1774 ई. के मराठा युद्ध में रूहेलों ने स्वयं मराठों से युद्ध किया और मराठों को अवध पर आक्रमण करने से रोका था। परन्तु रूहेला युद्ध से यह स्पष्ट हो जाता है कि नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने मराठों से युद्ध करके और उनकी सेना को अवध पर आक्रमण करने से रोकने की भूल की थी।

शुजाउद्दौला ने रूहेलों को मिटाने के लिये अपने पुत्र सआदत अली ख़ाँ को पीलीभीत, बदायूँ, बरेली तथा रामपुर के कुछ क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया[30]। आँवला और बरेली में पाँच-पाँच हज़ार सेना और पाँच-पाँच सौ घुड़सवार फौज की छावनियाँ स्थित की समस्त विजित क्षेत्रो में विभाजित करके एक अधिकारी को हर क्षेत्र पर नियुक्त किया ताकि वह आय को वसूल करे। आय का अनुमान साठ लाख रुपये वार्षिक लगाया गया था[31]।

लाल डांग की सन्धि (7 अक्टूबर 1774 ई.) :-

फैज़उल्ला ख़ाँ पुत्र अली मुहम्मद ख़ाँ रूहेला युद्ध में उपस्थित था। रूहेला युद्ध में पराजय के पश्चात् फैज़उल्ला ख़ाँ अपनी सेना के साथ रामपुर चले गये और नजीबाबाद से पच्चीस किलोमीटर दूर गढ़वाल की तराई के जंगल में शरण ली। जहाँ रूहेला सरदार और रूहेले भी एकत्रित हो गये थे। शुजाउद्दौला और कर्नल चैम्पियन की सेना ने लाल डांग पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु वह सफल नहीं हुए और अन्त में लाल डांग की सन्धि हुई। इस सन्धि के दो भाग है एक भाग में फैज़उल्ला ख़ाँ और कर्नल चैम्पियन के बीच सन्धि का लेख और दूसरे भाग में शुजाउद्दौला और कर्नल चैम्पियन के बीच सन्धि का लेखा है। यह सन्धि तीन व्यक्तियों के बीच में हुई थी। फैज़उल्ला ख़ाँ, शुजाउददौला और कर्नल चैम्पियन। इस सन्धि के आधार पर फ़ैज़उल्ला ख़ाँ को रामपुर का नवाब नियुक्त किया गया

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

और उनको पाँच हजार सेना रखने की अनुमति दी गयी। उनसे यह तय किया गया कि वह आवश्यकतानूसार दो-तीन हजार सैनिकों से शुजाउद्दौला की सहायता करेंगे। यह भी तय हुआ कि फ़ैज़उल्ला ख़ाँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अतिरिक्त किसी दूसरे राजा या नवाब से सम्बन्ध नहीं रखेंगे[32]।

इस सन्धि के उपरान्त फ़ैज़उल्ला ख़ाँ ने पचास लाख रु. के लगभग शुजाउद्दौला और ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ईलच ख़ाँ और कालीचरण के माध्यम से भेंट किये[33]। और पाँच हज़ार रूहेला सैनिक रोककर सत्रह और अटठारह हज़ार रूहला सैनिकों को उनके परिवार संहित अमानवीय हालातों में गंगा पार निकाल दिया। जो भारत के शहरों में भटकते फिरे[34]। लाल डांग की सन्धि को इतिहास की दृष्टि से परखने के पश्चात निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते है।

1- क्या उस समय लाल डांग की सन्धि आवश्यक थी?

2- क्या लाल डांग की सन्धि से सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त हुई?

मेरी दृष्टि में लाल डांग की सन्धि अनावश्यक थी। क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ शुजाउद्दौला के पक्ष में नहीं थी तथा व्यक्तिगत, सैन्य और राजनैतिक परिस्थितियाँ उसे घेरे हुए थी। शुजाउद्दौला व्यक्तिगत रूप से फोड़े की पीड़ा से व्याकुल था। उसकी सेना रूहेलखण्ड में अवध से दूर थी और बिखरी हुई थी। उनको यह भी भय था कि मराठे आक्रमण न कर दे और रूहेले आन्तंरिक रूप से विद्रोह न कर बैठे। कर्नल चैम्पियन अपने तोपख़ाने और सेना को लेकर लौट जाने की बात दोहरा रहा था। बरसात का मौसम था और लाल डांग के तराई के जंगलों में सैनिक कार्यवाही असफल हो चुकी थी। व्यय भी अधिक बढ़ गया था। उसकी फौज में मलेरिया का बुखार फैल चुका था। ऐसी परिस्थिति में शुजाउद्दौला बिना युद्ध किये और बिना सन्धि के लौट जाता। हकीम नजमुल ग़नी ने शिव प्रसाद के सन्दर्भ में लिखा है कि अगर फैज़उल्ला ख़ाँ केवल एक सप्ताह सन्धि नहीं करते तो शुज़ाउद्दौला को लाल डांग में ठहरना कठिन हो जाता[35]। शिव प्रसाद नवाब फैज़ उल्ला ख़ाँ का नौकर था। अत: उसकी बात को गलत मानने का कोई आधार नहीं

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

हो सकता।

लाल डांग की सन्धि से जो तत्व सामने आये वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि फैज़ उल्ला ख़ाँ को यह भय हो गया था कि शुजाउद्दौला नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के बड़े पुत्र नवाब मुहब्बत ख़ाँ से सन्धि करके उसके रूहेलखण्ड या उसके किसी छोटे क्षेत्र का नवाब बनाकर अवध को लौट जाएंगे। और इस प्रकार से फैज़ उत्ला ख़ाँ के भाग में वही ढाक के तीन पात वाली बात होगी[36]।

अत: फैज़ उल्ला ख़ाँ ने कर्नल चैम्पियन तथा लाल डांग की सन्धि के माध्यम से उजावन,काबर, बिलासपुर रेहड़ा, कोट द्वारा, सरकड़ा, शाहबाद सरसाँवा और चौहमहल्ला के परगनों के क्षेत्र का नवाब बनना स्वीकार कर लिया। इन परगनों में शाहबाद, सरसाँवा और चौहमहल्ला फैज़ उल्ला ख़ाँ की जागीर में पहले से ही शामिल थे। अत: फैज़ उल्ला ख़ाँ ने समस्त रूहेलखंड के स्थान पर केवल 9 परगनों की रियासत रामपुर का नवाब बनके अपनी पुरानी इच्छा को पूरा कर लिया।

लाल डांग की सन्धि लाभदायक नहीं थी क्योंकि फैज़ उल्ला ख़ाँ के एक पाँव में शुजाउद्दौला की जंजीर आ गयी और दूसरे पाँव में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की। वास्तव में इस सन्धि से ईस्ट इण्डिया कम्पनी को लाभ हुआ। क्योंकि कम्पनी की दृष्टि में देहली को अपने अधीन करना था[37]। लाल डांग की सन्धि के माध्यम से फैज़ उल्ला ख़ाँ जिसने अंग्रेज़ों से वफ़ादार रहने का वायदा किया था रामपुर रियासत की विरासत बन गया और कुछ समय बाद सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्रांम में रामपुर के नवाब युसूफ अली ख़ाँ ने अंग्रज़ों की भरपूर सहायता की। रामपुर के नवाब अंग्रज़ों के सदा विश्वसनीय रहे। लाल डांग सन्धि के सकारात्मक पक्ष भी निकले क्योंकि फैज़ उल्ला ख़ाँ को कर्नल चैम्पियन और शुजाउद्दौला ने रामपुर का नवाब बनाया था और रूहेलों की परम्परा के अनुसार रूहेला सरदारों ने उनका नवाबी के लिये चयन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त रामपुर में अधिकतर रूहेला ही निवासी थे जबकि स्वयं फ़ैज उल्ला ख़ाँ रूहेला पठान नहीं थे। इन सब बातों

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

का यह परिणाम निकला कि रियासत रामपुर में फैज़उल्ला ख़ाँ को विरोधी वातावरण में शासन करना पड़ा। अवध और ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने फ़ैज़ उल्ला ख़ाँ को आय प्राप्त करने का माध्यम बना लिया[38]। वास्तव में अवध के नवाब को फ़ैज़उल्ला ख़ाँ से कोई हमदर्दी नहीं थी। जिसका प्रमाण यह है कि सन् 1782 ई. में चुनार की सन्धि के अवसर पर आसिफ़ उद्दौला ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता से रियासत रामपुर को ज़ब्त करने का प्रस्ताव रखा था[39]। उस समय लाल डांग सन्धि का यह भी अर्थ निकाला गया कि फैज़ उल्ला ख़ाँ को उनके जीवित रहने तक ही रामपुर का नवाब बनाया गया था और रामपुर रियासत सदा के लिए उनको नहीं दी गयी थी ऐसी परिस्थिति में फ़ैज़ उल्ला ख़ाँ ने धन देकर ही अपनी नवाबी को स्थापित रखा[40]। वास्तव में फ़ैज़ उल्ला ख़ाँ रियासते रामपुर का कारोबार पूर्ण स्वतन्त्रता से नहीं चला सके और रियासते-रामपुर धीरे-धीरे अंग्रेज़ों की आसामी रियासत (VASSAL STATE) बनकर रह गयी।

हमारे विचार में रूहेला युद्ध के पश्चात् और रूहेलों की पराजय के उपरान्त ही रूहेलों को पुनः शक्ति प्राप्त करने के अवसर का बिल्कुल अन्त नहीं हुआ था। परन्तु लाल डांग की सन्धि ने रूहेलों की पराजय की पुष्टि कर दी और उनके पुनः शक्ति प्राप्त करने का मार्ग बन्द कर दिया।

रूहेला विरासत (1774-1857)

रूहेलों का स्वतन्त्रता के लिए प्रयास:-

रूहेला युद्ध पराजय और पतन के उपरान्त और लाल डांग की संधि के माध्ययम से निर्वाचित होने के उपरान्त भी रूहेले उसे विरासत से जुड़े रहे जो उनकी पहचान बन चुकी थी अर्थात उनकी स्वतन्त्रता की भावना और शत्रु को पराजित करने की परम्परा। अतः रूहेलों ने ऐसी परिस्थितियों में जो उनके हित में नहीं थी स्वतन्त्रता के लिये प्रयास किया और दुश्मन को पुनः चुनौती देने की ठानी।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

पीलीभीत पर आक्रमण

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के दसवें पुत्र हुर्मत ख़ाँ (मृत्यु 1819) अपने दो भाईयों अज़मत ख़ाँ (मृत्यु 1779 ई.) और अकबर ख़ाँ (मृत्यु 1830) को साथ लेकर नवाब आसिफ़ उद्दौला से बदला लेने और रूहेलखण्ड को स्वतंत्र कराने के लिए कार्रवाई की। उन्होने रामपुर में फ़ैज़ उल्ला ख़ाँ से सहायता माँगी परन्तु फ़ैज़ उल्ला ख़ाँ ने इनकार कर दिया जिसके फलस्वरूप हुर्मत ख़ाँ ने रामपुर छोड़ दिया और छोटी-सी सेना से पीलीभीत पर आक्रमण किया[41]। हुर्मत ख़ाँ की सेना का आसिफ़ उद्दौला की सेना से युद्ध हुआ परन्तु हुर्मत ख़ाँ पीलीभीत के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सके और वह नानकमता के जंगल में चले गये जो पीलीभीत से कुछ दूरी पर कुमायूँ की तराई में है। हुर्मत ख़ाँ के आक्रमण की सूचना पाकर आसिफ उद्दौला और फ़ैज़ उल्ला ख़ाँ ने सेना भेजी। इस सेना का अधिकारी मुल्ला सैद ख़ाँ बक्शी[42] था जिसका पिता फतेह ख़ाँ ख़ानसामा नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ का प्रसिद्ध सरदार था। इस युद्ध में भी हुर्मत ख़ाँ पराजित हुआ और वह कुमायूँ की तराई के जंगल और पर्वतों में सेना सहित छुप गये इस युद्ध के पश्चात् हुर्मत ख़ाँ बादशाह शाह आलम (मृत्यु-1806 ई.) के पास देहली गये जहाँ शाह आलम ने उनको सेना का रिसालदार बना दिया। परन्तु शाह आलम ने हुर्मत ख़ाँ को रूहेलखण्ड पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं दी। जब हुर्मत ख़ाँ का देहली में भी काम न बना तो वह नवाब नजीब उद्दौला के पुत्र ज़ाबता ख़ाँ से सहायता मांगने के लिये नजीबाबाद गये परन्तु ज़ाबता ख़ाँ ने भी उनको सहायता देने से इन्कार कर दिया।

उसके पश्चात् हुर्मत ख़ाँ महाबाजी सिंधिया के पास ग्वालियर गये। परन्तु सिंधिया ने भी रूहेलखण्ड पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में सहायता देने से इंकार कर दिया। हुर्मत ख़ाँ हर तरफ से निराश हो गये तो वह अफगानिस्तान के बादशाह तैमूर शाह के पास सहायता माँगने के लिये गये परन्तु तैमूर शाह ने भी उनकी सहायता करने से इन्कार कर दिया। इसके पश्चात हुर्मत ख़ाँ इतने हताश हुए कि वह मुरादाबाद में अपनी ससुराल में

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

आ गये, हाथों में चुड़ियाँ पहन लीं और शरीर पर महिलाओं के वस्त्र पहन लिये। स्त्रियों की भाषा में बात-चीत करने लगे। देखने में तो यह उनका पागलपन था लेकिन वास्तव में वह इस लज्जा के प्रतीक थे जो उनको रूहेलों की पराजय और स्वयं उनके स्वतन्त्रता के प्रयासों के असफल होने से पहुँची थी।[43]

फैज़ उल्ला ख़ाँ की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकारी के युद्ध में रूहेलों का व्यक्तित्व:

फ़ैज़ उल्ला ख़ाँ की मृत्यू 17 जुलाई 1794 को रामपुर में हुई और उसी दिन से उनका बड़ा पुत्र मुहम्मद अली ख़ाँ उनका उत्तराधिकारी बना। फ़ैज़ उल्ला ख़ाँ ने मुहम्मद अली ख़ाँ को अपने जीवन में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हकीम नजमुल ग़नी ख़ाँ ने यह निश्चित किया है कि मुहम्मद अली ख़ाँ घमंन्डी, क्रोधी और छोटी आयु से ही मानसिक तनाव का रोगी था[44]। जब मुहम्मद अली ख़ाँ मार्च 1794 में वज़ीर ख़ाँ के विवाह के सम्बन्ध में लखनऊ गये और एक माह तक आसिफ़ उद्दौला के अतिथि रहे तो उसने लखनऊ के दरबार के ठाट-बाट देखे तथा आसिफ उद्दौला के उकसाने पर शिया भी हो गया[45]। इस प्रकार से आसिफ़ उद्दौला और मुहम्मद अली ख़ाँ के बीच में जो गहरा सम्बन्ध बना वह उस समय के राजनैतिक वातावरण में केवल प्रत्यक्ष रूप से ही लाभदायक था। परन्तु फ़ैज़ उल्ला ख़ाँ और उनका पूरा परिवार सुन्नी था रूहेले भी सुन्नी थे और वह किसी ऐसे परिवर्तन के पक्ष में नही थे जो उनकी परम्परा और स्वतन्त्रता के विपरीत हो। रूहेलों में छोटे-बड़े का अन्तर नहीं था। छोटे से छोटे सैनिक या कर्मचारी बड़े से बड़े सरदार से भेंट कर सकता था और उससे अपनी बात बिना हिचकिचाहट के कह सकता था। मुहम्मद अली ख़ाँ में घमंड, क्रोध और मानसिक तनाव और राजकीय ठाट-बाट जो लखनऊ दरबार की भाँति थे। वह रूहेलों की परंपरा के विपरीत थे। जिससे रूहेले असन्तुष्ट हो गये। हकीम नजमुल ग़नी ख़ाँ ने लिखा है ''रूहेला सरदार ऐसी बातों के आदी न थे और तमाम रियासत पर ऐसे पुराने ख्यालों के सरदार छाये हुए थे। नई बात

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

तो दरकिनार कोई मुनासिबे वक्त तब्दीली होती तो ज़रा-सी बात पर चमक उठते थे और उसमें बेइख्तयारी और बेइज्जती समझते थे[46]।'' धीरे-धीरे मुहम्मद अली ख़ाँ के पूर्वज (बुजुर्ग) रूहेलों का असंतोष इतना बढ़ गया था कि उन्होंने मुहम्मद अली ख़ाँ को रियासत रामपुर के सिंहासन से हटाकर उनके छोटे भाई गुलाम मुहम्मद ख़ाँ को रियासत रामपुर का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय किया[47]। जिन रूहेला सरदारों ने यह निर्णय किया था उनमें नज्जु ख़ाँ, मुस्तकीम ख़ाँ, उमर ख़ाँ बड़मूछे, मुहम्मद सईद ख़ाँ, गुलाम हसन ख़ाँ पुत्र मौलवी जिलानी ख़ाँ, सैफ़उद्दीन ख़ाँ पुत्र परमूल ख़ाँ जैसे आदरणीय और शाक्तिशाली रूहेला सरदार शामिल थे।

हम इस झगड़े के सम्बन्ध में यह समझते हैं कि नवाब फ़ैज़ उल्ला ख़ाँ का परिवारिक सम्बन्ध रूहेलों कमाल ज़ई नवी वाल बड़ैच उक़ज़ई आदि कबीलों से था और स्वयं मुहम्मद अली ख़ाँ एक कमालज़ई माँ के पुत्र थे[48]। उस समय रामपुर में रूहेलों की भीड़ लगी थी। अतः रूहेलों ने अपनी परंपरा के अनुसार मुहम्मद अली ख़ाँ के उत्तराधिकार को तो स्वीकार किया। परन्तु मुहम्मद अली ख़ाँ और आसिफ़ उद्दौला के सम्बन्ध को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि आसिफ़ उद्दौला उनका शत्रु था। हमारा विचार यह है कि मुहम्मद अली ख़ाँ आसिफ उद्दौला की सहायता से एक ऐसी सन्धि करना चाहता था जिसके आधार पर रूहेला पठानों को रामपुर से निकाल दिया जाये[49]।

इस प्रकार से उस समय रामपुर में दो राजनैतिक दल बन गये थे। एक नवाब मुहम्मद अली ख़ाँ का और दूसरा रूहेला सरदारों का। इन दोनों दलों की प्रतिर्स्पधा में रूहेला सफल हुए और उन्होंने उन्नीस अगस्त 1794 को नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ की हत्या कराके उनके छोटे भाई गुलाम मुहम्मद ख़ाँ को रियासत रामपुर के सिंहासन पर बैठा दिया। उल्लेखनीय है कि उक्त उत्तराधिकार युद्ध में रूहेला सरदारों ने फैज़ उल्ला ख़ाँ के परिवार को न तो क्षति पहुँचायी न बन्दी बनाकर स्वयं अपने किसी सरदार के माध्यम से रियासते रामपुर पर अधिकार किया[50]। रूहेलों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
उनकी दृष्टि में उनका शत्रु आसिफ़ उद्दौला ही था और वह उसके प्रभाव को रियासते-रामपुर से हटाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त रूहेलों ने अपनी उस परम्परा को भी पूरा किया जो रियासत का नियमित रूप से उत्तराधिकारी हो उसको ही रियासत के सिंहासन पर बैठाना चाहिये।

दो जोड़ा का युद्ध 24 अक्टूबर 1794:-

गुलाम मुहम्मद ख़ाँ के उत्तराधिकारी की सूचना पाकर आसिफ़ उद्दौला ने युद्ध की ठान ली। क्योंकि लाल डांग की सन्धि में एक प्रतिवादी अंग्रेज़ कम्पनी भी थी। अत: आसिफ़ उद्दौला की सहायता के लिए कानपुर और फ़र्रूख़ाबाद से अंग्रेज़ी फ़ौज गयी और उसने बरेली में पड़ाव किया। उधर रामपुर में गुलाम मुहम्मद ख़ाँ और उनके भाई दुविधा में थे कि युद्ध करें या सन्धि। स्वयं गुलाम मुहम्मद ख़ाँ युद्ध से बचना चाह रहे थे और उन्होंने अंग्रेज़ी सेना के जनरल अबरकरम्बई को पत्र भी भेजा। उन्होने रूहेलों के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि युद्ध के उपरान्त तराई में शरण लेकर सन्धि का प्रयास किया जाये। परन्तु रूहेले तैयार नहीं हुए। हकीम नजमूल ग़नी ने लिखा है कि रूहेले नवाब की कोई बात नहीं चलने देते थे[51]। अन्त में नवाब गुलाम मुहम्मद ख़ाँ को युद्ध के लिए जाना पड़ा। नवाब गुलाम मुहम्मद ख़ाँ के तीन भाई हसन अली ख़ाँ, फ़तह अली ख़ाँ और निज़ाम अली ख़ाँ बरेली जाकर अंग्रेज़ों से मिल गये[52]। इसके विपरीत रूहेलों का उत्साह इतना बढ़ा हुआ था कि प्रत्येक रूहेला स्वयं को सूरमा समझ रहा था[53]।

हमारे विचार में यह मनोबल ग़लत नहीं था क्योंकि वह अपने शत्रु से युद्ध करने के लिए जा रहे थे वह बीस वर्ष पूर्व अपने शत्रु से अवश्य पराजित हुए, परन्तु उनकी स्वतन्त्रता की भावना और बदला लेने का उत्साह समाप्त नहीं हुआ था। 24 अक्टूबर सन् 1794 ई. शुक्रवार को संखा नदी के सेतु के पश्चिम में ग्राम भिठौरा के लाही[54] खेड़ा टीले के चारों ओर यह युद्ध हुआ था जिसमें रूहेले पराजित हुए। रूहेलों की पराजय का कारण यह था कि उनकी सेना में सैनिक अनुशासन की कमी थी और उनके पास आधुनिक

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अस्त्र-शस्त्र भी नहीं थे। अंग्रज़ों ने अपने तोपख़ानों से अग्नि की वर्षा की थी। जबकि रूहेलों ने उनका सामना अपनी तलवारों से किया और पराजित हो गए।

गुलाम मुहम्मद ख़ाँ को और रूहेलों के युद्ध में पराजित होने के पश्चात् कुमायूँ की तराई में कताचोर के स्थान पर शरण ली। गुलाम मुहम्मद ख़ाँ ने अंग्रज़ों से सुरक्षा युद्ध करने के स्थान पर स्वयं को अंग्रेज़ों को सर्म्पण कर दिया और अंग्रज़ों ने उसको बन्दी बनाकर बनारस भेज दिया। इसके पश्चात् नसरूल्ला खाँ ने रामपुर का खज़ाना अंग्रेज़ों को पहुँचा दिया जिसके उपरान्त आसिफ़उद्दौला और अंग्रेज़ रामपुर पहुँचे जहाँ उन्होंने मुहम्मद अली ख़ाँ के पुत्र अहमद अली ख़ाँ को रामपुर का उत्तराधिकारी बनाया। क्योंकि अहमद अली ख़ाँ (नाबालिग़) छोटी आयु का था। नसरूल्ला[55] ख़ाँ को उसका सरंक्षक नियुक्त किया और जागीर की वार्षिक आय घटाकर केवल दस लाख कर दी।

इस युद्ध की आलोचना करते हुए अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी ने लिखा है कि अंग्रज़ों ने यह युद्ध भी आसिफ़ उद्दौला की सहायता से किया था। अंग्रज़ों ने फैज़उल्ला ख़ाँ की जागीरें ज़ब्त नही की क्योंकि अंग्रज़ों को यह चिन्ता थी कि नवाब हाफिज़ रहमत ख़ाँ के देश में रूहेलों के प्रभाव की सत्ता का जमाओ पुनः न हो जाये। वह कलकत्ता में बैठा हुआ है अवध भी रूहेलखण्ड से दूर है। अतः रूहेलखण्ड के निकट सेना स्वयं के लिए और अवध के लिए एक गुलाम पहरेदार उपलब्ध रहना चाहिये[56]।

यह ठीक है कि जिस प्रकार से अंग्रेज़ रूहेलों से चिन्तित रहे उसी प्रकार से रूहेलों ने भी उनको अपना शत्रु समझा और जब भी उनको अवसर मिला उन्होने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया।

अवध के नवाबों के समय में रूहेलखण्ड तथा बरेली:-

शुजा उद्दौला ने सआदत अली ख़ाँ को बरेली का सूबेदार नियुक्त किया था। परन्तु आसिफ़ उद्दौला ने सन् 1775 ई. में राऊ पहाड़ सिंह को

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
1776 ई. में राजा कुन्दन लाल को और 1777 में अपने ससुर सूरत सिंह को बरेली का सूबेदार नियुक्त किया। सूरत सिंह ने बरेली के उन बड़े लोगों की सहायता से जिन्होंने रूहेला युद्ध में नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के विरुद्ध षडयन्त्र करके शुजा उद्दौला की सहायता की थी, नगर का प्रशासन संभाला। आसिफ़ उद्दौला के समय में बरेली नगर का क़ाज़ी गुलाम नबी था जो नवाब आसिफ़ उद्दौला के दरबार में सम्मानित था और जिसको अंग्रज़ों ने ख़िलअत आदि पेश किये थे[56]। परन्तु आसिफ़ उद्दौला ने मालगुज़ारी की प्रणाली की जो नीति बनायी उसने समस्त रूहेलखण्ड को बरबाद कर दिया। यह आश्चर्य की बात है कि मालगुज़ारी वसूल करने वाले ठेकेदारों ने राऊ पहाड़ सिंह और राजा कुन्दन लाल भी शामिल थे जो अवध के प्रशासन की ओर से सूबेदारी के पद पर भी नियुक्त थे। इस बात से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मालगुज़ारी की वसूली में बहुत कठोरता बरती गयी। वास्तव में अवध शासन के 27 वर्षों में रूहेलखण्ड और बरेली में कुशासन और निर्धनता फैल गयी दुस्शासन का अनुमान केवल इस बात से किया जा सकता है कि रूहेलखण्ड पर अवध की नवाबी के 27 वर्ष के लघु समय में चौदह सूबेदार और दस फौजदार व तहसीलदार नियुक्त थे[59]। इस समय किसी व्यक्ति का जीवन और उसकी सम्पत्ति सुरक्षित नहीं थी और किसी समय भी सरकारी अधिकारी उन पर टूट सकते थे। क्योंकि सूबेदारो की कार्यकुशलता का आधार अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करना ही था और यदि वह मालगुज़ारी की वसूली में असफल होते थे तो उनको पद से हटा दिया जाता था। यही कारण है कि 27 वर्षों में चौदह सूबेदार नियुक्त किये गये थे। नवाब सआदत अली ख़ाँ के प्रशासन के समय में मिर्जा मेंहदी अली ख़ाँ बरेली के सूबेदार थे (1797-1800) परन्तु वह मालगुज़ारी की शेष राशि को वसूल न करने के कारण बन्दी बनाये गये थे और वह कारागार में ही मर गए। मेहन्दी अली ख़ाँ के पश्चात् मिर्ज़ा हुसैन अली ख़ाँ[58] बरेली के सूबेदार नियुक्त हुए थे (1800) परन्तु उनको भी सूबेदारी के पद से हटाया गया और उनके स्थान पर मुहम्मद कुली की नियुक्ति हुई (1800)।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

वास्तव में अवध के नवाबों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मुँह अशरफ़ियों से भरना पड़ता था जो वह अपनी प्रजा से अनुचित रूप से वसूल करते थे। किन्तु इस दुष्ट विधि से स्वयं अवध की रियासत दिवालिया हो गयी। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने 1759 में बरेली में लाकर बेची जानेवाली सामग्री को नि:शुल्क कर दिया था। जिसके कारण सामग्री की दर बहुत कम हो गयी थी जिससे जनता को सन्तोष मिला था। किन्तु आसिफ़ उद्‌दौला ने उस कर को पुन: लागू कर दिया जिससे महँगाई बढ़ गयी और इसके फलस्वरूप जनता निर्धन हो गयी। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने ऐसी भूमि को जहाँ कृषि नहीं होती थी। कृषि के योग्य बनाया था। आसिफ़ उद्‌दौला के समय में मालगुज़ारी के बोझ और महँगाई के कारण नष्ट हो गयी थी और वह भूमि जहाँ कृषि होती थी वहाँ कृषि होना समाप्त हो गयी। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रूहेलखण्ड पर अवध के प्रशासन काल में निर्धनता और दुख फैला।

आसिफ़ उद्‌दौला ने शिया निष्ठा का प्रचार किया। मेरे विचार में यह आसिफ़ उद्‌दौला की धार्मिक नीति का राजनीतिक आधार भी था। क्योंकि रूहेलखण्ड की जनता के शिया निष्ठा अपनाने से समस्त रूहेलखण्ड मानसिक रूप से एक हो सकता है और हृदय में जो एक दूसरे के लिये दुराव था उसे दूर किया जा सकता था। आसिफ़ उद्‌दौला ने मौहल्ला छीपी टोला बरेली में इमाम बाड़े को भूमि समर्पण की ताकि शिया निष्ठा का प्रचार हो सके इसी प्रकार से आसिफ़ उद्‌दौला ने बरेली के मन्दिरों को भी द्वदान दिया ताकि जनता के मन में उसके शासन के लिए प्रेम उत्पन्न हो। बरेली के सूबेदार मिर्ज़ा मेंहदी अली ख़ाँ ने संखा और बेहगुल नदियों के ऊपर सेतु बनवाये। मौहल्ला वाकरगंज़ हुसैन बाग और शिया मस्जिद बरेली में अवध शासनकाल की स्मृतियाँ है।

रूहेलखण्ड के रूहेला शासन में आँवला और बरेली उर्दू और फ़ारसी कविता का केन्द्र बन गये थे परन्तु रूहेलों के पतन के उपरान्त अधिकतर कवि रामपुर और लखनऊ को चले गये थे। तथापि सूफ़ी अपनी ख़ानखाहों

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

में बस रहे थे। उस समय के प्रसिद्ध सूफ़ी और कवि हज़रत शाहनियाज़ अहमद (मृत्यू-1834) थे जिनकी मौहल्ला ख्वाजा कुतुब बरेली में दो सौ वर्षों से अधिक पुरानी ख़ानक़ाह में प्रेम और राष्ट्रीय एकता और जनसेवा की परम्परा आज भी जारी है। बरेली में नौमहला के सैयूयदों ने भी अपना स्थान नहीं छोड़ा था और वह बरेली की जनता की सेवा में लगे रहे।

अवध के नवाबों के प्रशासन में विलासता (दरबारी आदाब) का प्रभाव पड़ा और नगर के धनवानों में विलासतापूर्ण जीवन को गुज़ारने की इच्छा प्रकट हुई अन्यथा रूहेला प्रशासन के समय में रूहेला पठान केवल अपनी तलवार और घोड़े से प्रेम करते थे और इनके जीवन में विलासिता का कोई स्थान न था। समस्त रूहेला सरदार ज्ञानी थे और विद्वानों का आदर करते थे।

रूहेला युद्ध (1774) के पश्चात् जो वातावरण अवध के नवाबों के समय में उत्पन्न हुआ उसकी समीक्षा करने के उपरान्त यह बात सामने आती है कि जागीरदार महाजन और ठेकेदार उच्च वर्ग में शामिल थे और यह वर्ग अवसरग्राही तथा स्वार्थी था इस वर्ग की अवध के नवाबों और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों से मित्रता थी और वह उनका पक्ष्पात करके अपना स्वार्थ पूरा करते थे। दूसरे वर्ग में कृषक, छोटे व्यापारी, श्रमिक और कारीगर आदि शामिल थे और उनकी संख्या बहुत अधिक थी बह वर्ग बहुत निर्धन था जिनके श्रम का लाभ उच्च वर्ग उठाता था। शोषित वर्ग को रोटी और न्याय दोनों ही नहीं मिल पाता था किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि यह वर्ग उच्च वर्ग को ही अपना सरंक्षक समझता था जिसके कारण उसके साथ और अन्याय हुआ। इस वर्गीय संघर्ष के फलस्वरूप शोषित वर्ग रूहेलों के साथ हो गया क्योंकि रूहेले भी अन्याय का सामना कर रहे थे। भविष्य में जब भी शोषितवर्ग प्रशासन के विरुद्ध हुआ तो रूहेलों का साथ इस वर्ग ने दिया। इस प्रकार से उन्नीसवीं शताब्दी के स्वतन्त्रता संघर्ष ने एक जन सामूहिक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया था। इस बात को इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि रूहेलों की विरासत शोषित वर्ग से मिलकर एक जनसमूह (आवामी तहरीक) बन गयी। जिसका श्रेष्ठ दृष्टिगोचर 1857 को स्वतन्त्रता

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

युद्ध में हुआ।

ईस्ट इण्ड़िया कम्पनी के शासनकाल में रूहेलखण्ड तथा बरेली:-

अवध के नावब सआदत अली ख़ाँ के प्राधिकारी में (1798-1814) रूहेलखण्ड को नवम्बर 1801 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने अधिकार में ले लिया। 1802 में फर्रूख़ाबाद पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इस प्रकार से बरेली के बड़ैच पठान नजीबाबाद के उमरख़ेल पठान और फर्रूखाबाद के बंगश पठान जो सब रूहेला थे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन हो गये। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पहले से ही सहायक सन्धि के अन्तर्गत हिन्दुस्तानी रियासतों को अपने अधीन करने का षडयन्त्र प्रारम्भ कर दिया था। लार्ड लेकॅ ने मराठों को (1803) में पराजित किया जिससे मराठों की शक्ति टूट गयी थी। देहली के मुगल सम्राट शाहआलम (मृत्यु 1806) अंग्रेज़ों का पेंशनर भी और नाम मात्र का सम्राट था। प्लासी का युद्ध (1757) बक्सर का युद्ध (1764) और रूहेलखण्ड का युद्ध (1774) की भाँति मराठा युद्ध (1803) में पश्चिमी भारत में अंग्रज़ों की सत्ता को अधिक मज़बूत किया और वह सम्पूर्ण प्रशासन के अधिकारी बन गये। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बरेली को जिला का मुख्य नगर बनाया और प्रान्तीय अपील न्यायालय स्थापित किया[59]। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सेना के लिए बरेली में केन्टुमेन्ट बनाया जिसमें बाज़ार और चर्च का भी निर्माण किया।

रूहेलखण्ड में उथल-पुथल:-

रूहेलखण्ड जैसे समृद्ध देश में सन् 1803 ई. में अकाल पड़ा। सन् 1805 में अमीर ख़ाँ ने आक्रमण किया और पीलीभीत तक लूटमार की। अमीर[60] ख़ाँ के आक्रमण के पश्चात् बीसलपुर के ज़मींदारों ने बल्वा किया जिसके दूर करने में अंग्रेज़ों को एक वर्ष का समय लगा। सन् 1813-1816 तक नेपालियो से युद्ध में अंग्रज़ों को पराजय हुई। सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी ने लिखा हैं कि नेपालियों से युद्ध में अग्रज़ों की बार-बार पराजय के कारण पठानों के मन से अग्रेज़ों का भय समाप्त हो गया और पठान अंग्रज़ों से

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

विद्रोह के लिए तैयार हो गये[61]।

वह अकाल हो या अमीर ख़ाँ रूहेला का आक्रमण या बीसलपुर के जमींदारों का बलवा इन सबका कारण वह निर्धनता और असन्तुष्टता थी जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में उत्पन्न हुई थी और जिसके विरुद्ध विद्रोह होना स्वाभाविक था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की रेग्यूलेशन संख्या 16 के विरुद्ध बरेली में 1814 में विद्रोह:

अंग्रेज़ों ने सन् 1814 के रेग्यूलेटिंग संख्या सोलह के माध्यम से गृहकर पारित किया। जब 1816 में उस रेग्यूलेशन पर कार्यवाही प्रारम्भ हुई तो बरेली की जनता ने उसका विरोध किया। पहले जनता ने इसको अस्वीकार किया तथा उसके उपरान्त अपना कारोबार बन्द करके कचहरी में जमा हुए और मुफ़ती मुहम्मद एवज़ ने बरेली की जनता की ओर से डमबल कलैक्टर बरेली के सामने असन्तोष प्रकट किया परन्तु वह सहमत नहीं हुआ। उसने कर को कठोरता से वसूल करने का आदेश जारी कर दिया, जिससे हंगामा बढ़ा और फौजियों ने गोली चलायी और जनता के कई लोग हताहत हुए उसके पश्चात् मुफती मुहम्मद एवज़ ने हुसैनबाग (वाकरगंज, बरेली) में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया और पहले युद्ध में अंग्रेज़ सैनिक को पराजित कर दिया। उसके उपरान्त अंग्रेज़ों ने बरेली में मुरादाबाद से सेना बुलाकर युद्ध किया जिसके फलस्वरूप मुफ़ती मुहम्मद एवज़ की सेना की पराजय हुई। दूसरा युद्ध हज़रत शाहदानावली (मृत्यु 1330) के मज़ार के निकट पुराना शहर बरेली में हुआ था। मुफती मुहम्मद एवज़[62] अंग्रेज़ी सेना से पराजित होकर रियासत टोंक चले गये और नगर में अंग्रेज़ों का शासन पुनः स्थापित हो गया[63]।

उपर्युक्त कर के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न विचार मिलते हैं। डॉ. तारा चन्द्र ने इसको पुलिस टैक्स बताया है। उनके कथन के अनुसार नगर चौकीदारों को रखने के लिए यह पुलिस टैक्स लगाया गया था (भारतीय चौकीदारी आन्दोलन का इतिहास खण्ड-11, पृ. 19) और आर. सी. मजूमदार का

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
कथन है कि यह टैक्स म्यूनिसीपल पुलिस की स्थापना के लिए आरोप लगाया था जिसकी वसूली में बहुत कठोरता की गयी थी (HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT IN INDIA प्रष्ठ 63) इस टैक्स को रूहेलखण्ड गज़ट में केवल टैक्स लिखा गया। मेरे विचार में क्योंकि यह कर घर-घर वसूल किया जाता था। इसी कारण यह हाउस टैक्स प्रसिद्ध हो गया। वास्तव में यह नगरपालिका की और से चौकीदारों को रखने के लिए पुलिस टैक्स ही था।

उक्त विद्रोह से अंग्रेज़ों को अपनी सुरक्षा की चिन्ता उत्पन्न हुई और उन्होंने बरेली कैन्ट में एक दुर्ग बनाया। सन् 1857 के समय में यह दुर्ग इतना सुरक्षित नहीं था कि उसमें अंग्रेज़ शरण ले पाये। अतः वह बरेली छोड़कर नैनीताल को भाग गये थे। यह दुर्ग आज भी सुरक्षित है। इस दुर्ग में ही नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ सन् 1860 में बन्दी बनाकर लाये गये थे और इस दुर्ग से ही उनको फाँसी के लिये ले जाया गया था।

सन् 1813 में अंग्रेज़ों को निजी व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी थी। अतः वह निजी व्यापार भी करते थे। उन्होने धीरे-धीरे समस्त व्यापार पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ मालगुज़ारी के वसूल करने में कठोरता से काम करते थे और जब भी उनके विरुद्ध कोई बलवा होता था तो वह कठोरता से उसको कुचल देते थे। इसके फलस्वरूप भारत में निर्धनता और असंतोष चारों ओर फैल गया था। बरेली में पुनः अकाल पड़ा, जो 1838 में समाप्त हुआ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बरेली में कोई जनता के हित में कार्य नहीं किया। बरेली के पश्चिम में रामपुर मार्ग पर किला नदी पर सेतु भी दीवान बहादुर सिंह भटनागर ने 1842 में बनवाया था। वास्तव में अंग्रज़ों ने जितना भी निर्माण कार्य किया वह उनकी अपनी आवश्यकता के अनुकूल था। वह बरेली कैन्ट हो या सदर बाज़ार, चर्च हो या क़ब्रिस्तान, कम्पनी बाग़ हो या कश्मीरी कोठी वह सब ही अंग्रज़ों ने अपनी आवश्यकतानुसार अपनी सुविधा के लिऐ निर्माण करायी थी।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अंग्रेज़ों ने फ़ारसी के स्थान पर उर्दू को न्यायालय में 1836 में जारी किया और धीरे-धीरे अंग्रेज़ी भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य नहीं किया। वे भारत की भाषाओं में केवल ईसाई धर्म की पुस्तकें छापकर बांटते रहे। कुछ अंग्रज़ों ने भाषा और विज्ञान पर शोध कार्य भी किया, परन्तु बहुत कम कॉलिजों की स्थापना का आशय भी यही था कि अंग्रज़ों को स्वदेशी भाषा की शिक्षा दी जायें।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 1838 के अकाल के उपरान्त ईस्ट इंडिया कम्पनी के विरुद्ध कोई हंगामा उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु यह शान्ति उसी प्रकार की थी जैसे: तूफान आने से पूर्व मौन छा जाता है अंग्रेज़ अपनी कठोरता, लालच, राजनैतिक षडयन्त्र और प्रत्येक प्रकार के अन्यायों के कारण घृणा से देखे जाते थे और वह एक बारूद के ढेर पर बैठे हुए थे जिसको उड़ाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता थी। बरेली के रूहेला पठान बदले के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जनता में यह भी भय उत्पन्न हो गया था कि अंग्रेज़ उनके धर्म को नष्ट करके ईसाई बनाना चाहते हैं जबकि रूहेला विरासत लोकप्रिय बन चुकी थी। न नेतृत्व की कमी थी और न जनता की सहायता की, बस एक अवसर की प्रतीक्षा थी। हमने तृतीय अध्याय में उन कारणों को प्रस्तुत किया है जिनसे 1857 का विद्रोह हुआ था।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सन्दर्भ :-

(1) ''बजौर'' उस क्षेत्र को कहते है जो चितराल और काबुल के बीच में है।

(2) ''सीवी (रियासत क़लात के क्षेत्र को कहते है।)

(3) ''तारीखे फरिश्ता'' उर्दू अनुवाद, खण्ड एक पृ. 83, अनुवादक-अब्दुल हई ख़वाजा।

(4) अखबार-उस-सनादीद, खण्ड एक, पृ.-47

(5) लेख-हमारी नस्ली और सक़ाफ़ती वहदत, ''माहेनौ कराची जून 1960, पृ.-19

(6) ''अखबार-उस-सनादीद'', खण्ड एक, पृ. -49

(7) वही, पृ.-55

(8) सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ तृतीय-संस्करण कराची, पृ.-37।

(9) हकीम नजमुल ग़नी, ''अखबार-उस-सनादीद'', खण्ड-एक, पृ.-62

(10) सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ.-47

(11) अखबार-उस-सनादीद, पृ. -60

(12) बॉकोली कस्बा बिसौली जिला बदायूँ (अब्दुल अज़ीज ख़ाँ ऑसी बरेलवी, तारीखे रूहेलखण्ड, पृ. -27) बासेर और चौहमहैल्ला के ज़मीदारों के युद्ध और स्वयं दाऊद ख़ाँ के निवास बनयाबायोली बिसौली के निकट था। अतः बॉकोली का कस्बा बिसौली जिला बदायूँ में स्थित होना सही ज्ञात होता है ग्राम बॉकोली को कस्बा काबर तहसील बहेड़ी जिला बरेली में बताना उचित नहीं है।

(13) अख़बार-उस-सनादीद, पृ.-78

(14) सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ पृ. -146

(15) बरेली गजट-पृ.-55

(16) अब्दुल अज़ीज ख़ाँ ऑसी बरेलवी, तारीखे रूहेलखण्ड, पृ.-33-34

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
(17) सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ पृ. 58-59

(18) बरेली गजट-पृ.-56

(19) इनकी बनायी हुई मस्जिद बदरूह इस्लाम ख़ाँ किला जाने वाली सड़क के किनारे आसिफ़ी मस्जिद के सामने है। यह मस्जिद गुज़री के नाम से प्रसिद्ध है। गुज़री उस स्थान को कहते है जहाँ पक्षी बेचे जाते हैं। हो सकता है कि इस स्थान पर पुराने समय में पक्षियों का व्यापार होता हो जिसके कारण इस स्थान का नाम गुज़री पड़ गया। इस समय सड़क के दोनों और दुकानें हैं।

(20) सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ. 65,69

(21) सफ़दर जंग का सूरजमल जाट के नाम पत्र- (हकीम नजमुल ग़नी-अखबार-उस-सनादीद, खण्ड एक, पृ. 226)

(22) अहमदशाह अब्दाली सन् 1748 ई. में मुहम्मद शाह से युद्ध में पराजय के पश्चात् अब्दुला ख़ाँ और फैज़ उल्ला ख़ाँ को अपने साथ अफ़ग़ानिस्तान ले गया था। (सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ - पृ. 66)

(23) सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ.-68

(24) इसका नाम शहाबउद्दीन ख़ाँ था अमाद उल मुलक गाज़ी ख़ाँ की पदवी से प्रसिद्ध हुआ। कुलीच ख़ाँ आसिफ़ जाह जिसने रियासते हैदराबाद की नींव रखी थी उसका पौत्र था।

(25) नजीब ख़ाँ के पिता का नाम असालत ख़ाँ था। उसके चाचा का नाम बशारत ख़ाँ था जिसके नाम पर बरेली और आँवला के बीच में बशारतगंज रेलवे स्टेशन है। कस्बा बशारतगंज बशारत ख़ाँ का बसाया हुआ है और बशारत ख़ाँ की कब्र कस्बे की मस्जिद में है। बशारत ख़ाँ के समीप ही ग्राम (भेटा) में रूहलों के समय के कुछ अवशेष मिलते है। नजीब ख़ाँ ने नजीबाबाद बसाया था और वह फ़ौज की जमादारी से

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

पदोन्नति करके देहली का प्रधानमन्त्री बना। उसकी मृत्यु सन् 1770 ई. में हुई थी।

(26) हकीम नजमुल ग़नी- अखबार-उस-सनादीद, खण्ड-1 पृ.-273
(27) सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ. 276
(28) मौलवी अबुल हसन महज़ूर मेरठी, रोज़ाना अखबार, बरेली सन् 1932 (हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ.-227)
(29) अब्दुल अज़ीज ख़ाँ अज़ीज़ बरेलवी, तारीखे-रूलेलखण्ड, पृ.-130
(30) मुंतुज़ा ख़ाँ, सुल्तान ख़ाँ का भाई था। वही सुल्तान ख़ाँ जिसने युद्ध के मैदान में नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के शव का सिर काटकर शुजा उद्दौला के सामने रखा था।
(31) रूहेलखण्ड गजट, पृ. -61
(32) हकीम नजमुल ग़नी ख़ाँ, अखबार-उस-सनादीद खण्ड एक, पृ.-533-534
(33) वही पृष्ठ-562, ईलच ख़ाँ और कालीचरण ने लाल डांग की सन्धि के सम्बन्ध में दूत का कर्तव्य निभाया था।
(34) सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ.-258, हकीम नजमुल ग़नी ने यह संख्या बरेली गजट के सन्दर्भ से सतरह, अठारह हजार बतायी है। परन्तु शिव प्रसाद ने यह संख्या अपनी फ़ारसी पुस्तक "तारीखे फ़राहबक्श" में पचास हजार अंकित की है जेम्स ग्रान्ड ने यही संख्या अपनी पुस्तक भारत के इतिहास में पाँच लाख बतायी है। और हमारे विचार में उन रूहेला सैनिकों की संख्या जिनको फैज़ उल्ला ख़ाँ ने निकाला था सतरह, अटठारह हजार ही ठीक ज्ञात होती है। क्योंकि लाल डांग के अनुसार पचास हजार या पाँच लाख रूहेला सैनिकों का एकत्रित होना अनुमानित नहीं है।
(35) अखबार-उस-सनादीद, खण्ड एक, पृ.-554
(36) वही, पृ.-554
(37) अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी, तारीखे रूहेलखण्ड, पृ.138

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

(38) हकीम नजमुल ग़नी, अखबार-उस-सनादीद, पृ.-591
(39) हकीम नजमुल ग़नी, अखबार-उस-सनादीद, पृ.-584-590
(40) वही, पृ. -590
(41) सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ.-346
(42) हकीम नजमुल ग़नी अखबार-उस-सनादीद, खण्ड एक, पृ.-569
(43) सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ. 346-347
(44) अखबार-उस-सनादीद, खण्ड एक, पृ. 607-608
(45) वही, पृ.-607
(46) अखबार-उस-सनादीद, खण्ड एक, पृ. 609
(47) वही-पृ.-603-604
(48) वही-पृ.-603-604
(49) अखबार-उस-सनादीद, खण्ड एक, पृ.-611
(50) वही-पृ.-613
(51) हकीम नजमुल ग़नी, अखबार-उस-सनादीद, खण्ड एक, पृ.-641
(52) वही, पृ. -635
(53) बरेली से लगभग पन्द्रह किलोमीटर दूर बरेली रामपुर मार्ग पर सड़क के बाईं ओर यह स्थान है। रेलवे स्टेशन का नाम भिठौरा है और उस कस्बे का नाम फतेहगंज पश्चिमी है, जो उस विजय की खुशी में रखा गया था। लाही खेड़ा के टीले पर मुस्तफा ख़ाँ उकज़ई उर्फ़ नज्जू ख़ाँ सेनापति रूहेला सेना की कब्र और वॉर मेमोरियल है जिसमें उन अंग्रेज़ों की क़ब्रें हैं जो उस युद्ध में मारे गये थे। प्रतिदिन इस एतिहासिक स्थान का नाश हो रहा है तथापि जनसमूह के व्यक्ति प्रत्येक बृहस्पतिवार को नज्जू ख़ाँ की कब्र पर फूल चढ़ाने जाते है जिससे उनकी कब्र सुरक्षित हो गयी है।
(54) नसरूल्ला ख़ाँ फ़ैज़उल्ला ख़ाँ का भतीजा था। गुलाम मुहम्मद ख़ाँ ने उसको अंग्रेज़ों के पास दूत बनाकर भेजा था, परन्तु वह अंग्रेज़ों से मिल

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

गया और युद्ध के उपरान्त अंग्रेज़ों ने उसको नवाब अहमद अली का सरंक्षक बना दिया।

(55) तारीखे रूहेलखण्ड-पृ.-189

(56) मुहम्मद याकूब ज़िया क़ादरी बदायूँ, अकमलुत तारीख, पृ.-45

(57) लेख मस्ऊद नक़वी ''बदायूँ और नवाबिने अहद का 27 साला अहदे हकूमत''मासिक मुजल्ला बदायूँ कराची, सितम्बर 1993 पृ. 7-9 तक

(58) इनके पुत्र मिर्ज़ा बाकर अली ने मुहल्ला बांकरगंज बरेली में बसाया था। उसने बांकरगंज में एक वाटिका बनायी जो हुसैनबाग़ कहलाता है। मिर्ज़ा मेहंदी अली ख़ाँ जो 1797 ई. से 1800 तक बरेली का सूबेदार था उसका भाई था।

(59) अब्दुल अज़ीज ख़ाँ ऑसी, बरेली, तारीख़े रूहेलखण्ड पृ.-195

(60) अमीर ख़ाँ रूहेला सरदार था। उसका दादा ताले मुहम्मद ख़ाँ रूहेलों की सेना में नौकर था। अमीर ख़ाँ मुहल्ला सरायतरीन सम्भल जिला मुरादाबाद का निवासी था। यही अमीर ख़ाँ टोंक का नवाब बना था।
अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ आसी, तारीख़े रूहेलखण्ड, पृ.-195

(61) सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ पृ.-364

(62) मुफती मुहम्मद एवज़ के पिता का नाम मुफती दुरवेश मुहम्मद था और बदायूँ के उसमानी परिवार से सम्बन्धित थे। वह बरेली में मुफती के पद पर नियुक्त थे और बहुत बड़े विद्वान थे। प्रसिद्ध साहित्यकार और विद्वान नवाब सिद्दीक हसन ख़ाँ उनके पुत्र के पुत्र थे, आपकी मृत्यु जिला टोंक में हुई थी।
मुहम्मद याकूब ज़िया कादरी, अकमलुत तारीख खण्ड-1,पृ.-46

(63) सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ.-364-365

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अध्याय-2

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ
व्यक्तित्व और कृतित्व

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

1857 का एक जाँबाज़ क्रान्तिकारी

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद

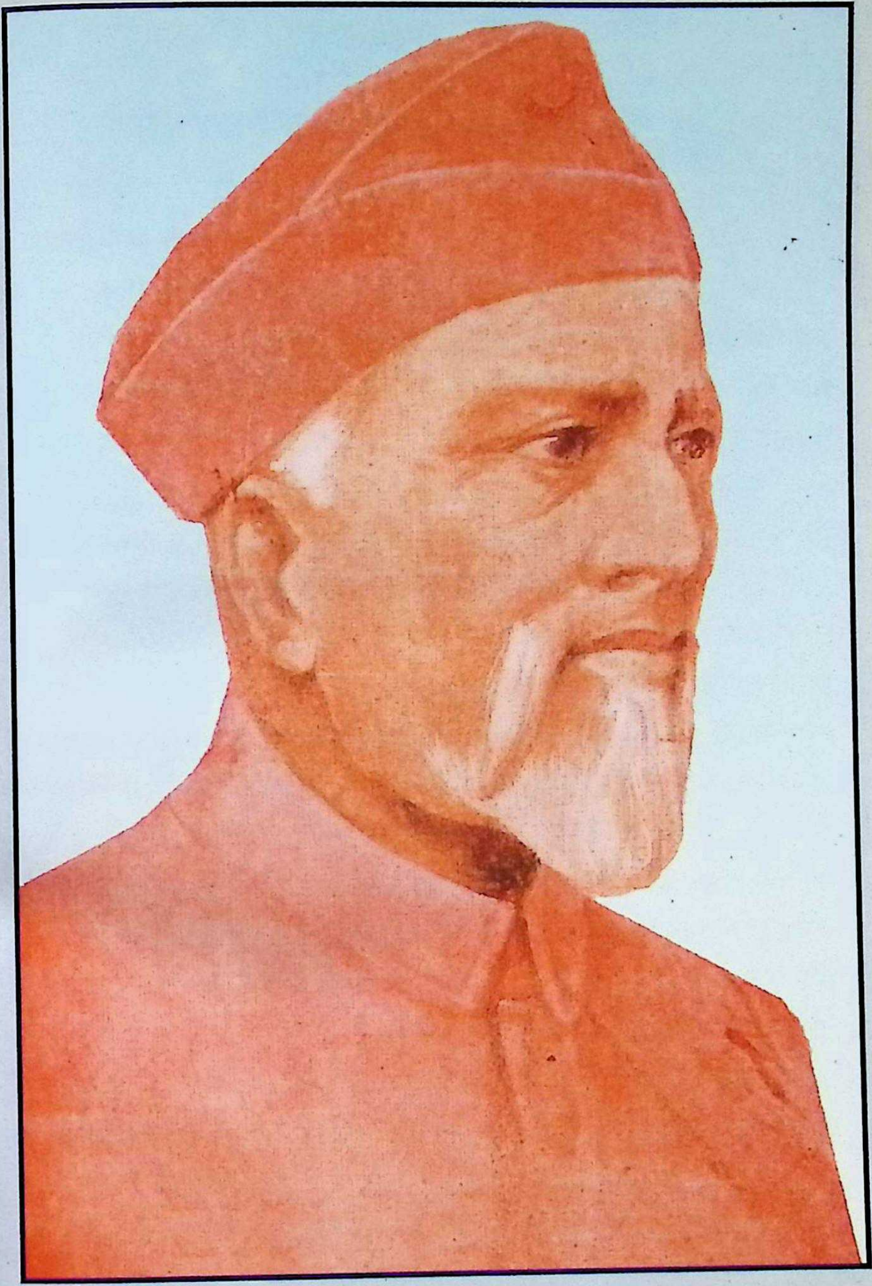

(1789 — 1860)

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अध्याय-2

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ व्यक्तित्व और कृतित्व

प्रारम्भिक जीवन:-

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ मीरानपुर कटरा के युद्ध 23 अप्रैल 1774 ई. में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके 14 पुत्र थे जिनमें से एक पुत्र का नाम ज़ुल्फेकार ख़ाँ था। ज़ुल्फेकार ख़ाँ[1] के 10 पुत्र थे जिनमें से एक पुत्र का नाम ख़ान बहादुर ख़ाँ था। इस प्रकार से नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के पौत्र थे।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का जन्म 1205[2] हिजरी में हुआ था। उनकी माँ कटरा शाहज़हाँपुर के एक आदरणीय पठान कमाल ज़ाऐ ख़ाँ की पुत्री थी।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की शिक्षा उस समय की शिक्षा रीति के अनुसार हुई थी। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उनके घर पर हुई और उसके पश्चात् किसी मकतब में या किसी विद्वान की देखभाल में। उस समय अरबी, फ़ारसी तथा उर्दू की शिक्षा देने की परम्परा थी, क्योंकि रूहेला पठानों की मातृभाषा पश्तो थी। अत: हो सकता है कि उन्होंने अरबी, फारसी तथा उर्दू साहित्य के अतिरिक्त पशतो साहित्य का भी ज्ञान प्राप्त किया हो। उस समय धार्मिक शिक्षा का बहुत रिवाज था। अत: उन्होंने धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त गणित, ज्योतिष और रेखागणित की शिक्षा भी प्राप्त की। उस समय सुलेखन कला (Caligraphy) का सीखना अनिवार्य था। अत: उन्होने यह कला भी सीखी थी। उनके विद्वान होने की दर्णता, उनकी कविता उनकी लिखी पुस्तकें और उनके मुक़दमों के निर्णय हैं जो उन्होने सदर अमीन के रूप में लिखे थे।

शायद नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की प्रारम्भिक शिक्षा लखनऊ में हुई

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

जहाँ उनके पिता रहते थे। क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी आयु केवल 6 वर्ष की थी। अब यह बात कि वह लखनऊ से कब बरेली आये, कहाँ शिक्षा प्राप्त की, किन विद्वानों से पढ़ा, उनकी क्या दिलचस्पियाँ थीं और क्या प्रिय व्यापार थे ? इसका विवरण किसी माध्यम से प्राप्त नहीं होता।

बरेली में मौहल्ला भूड़ का वह भाग जो "नवाब का खेड़ा[3]" कहलाता है वह ख़ान बहादुर ख़ाँ का निवास स्थान था। उनके कई सम्बन्धी " छावनी अशरफ ख़ाँ" बरेली में रहते थे।

अब "नवाब का खेड़ा" में मकान बन गये हैं उस समय की केवल एक मस्जिद रह गयी है जिसको नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने ही बनावाया था। यह मस्जिद आबाद है और उसमें नमाज़ होती है।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का विवाह मुमताज[4] बेगम से हुआ था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के केवल एक पुत्र था जिसका नाम जान बहादुर ख़ाँ था। मुमताज़ बेगम भी एक साहसी महिला थी। सन् 1857 ई. के विप्लव वातावरण में उन्होने बहुत कष्ट झेला था। वह अपने एक सम्बन्धी[5] हादी यार ख़ाँ के साथ लखीमपुर के जंगल में छिप गयी थी। उनकी छोटी आयु का बालक जान बहादुर ख़ाँ उनके साथ था। उन्होने जंगल में बहुत कष्ट उठाये थे। जब 1857 ई. के पश्चात् आम-माफी की घोषणा हुई तो मुमताज़ बेगम जंगल से वापस आकर अपने एक सम्बन्धी मूसा[6] रज़ा ख़ाँ के यहाँ जो मौहल्ला ज़खीरा में रहते थे छिप गयी। हादी यार ख़ाँ और उनके भाई को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। ज़फ़र यार ख़ाँ को फांसी का आदेश मिला, परन्तु इनको क्षमा मिल गयी। इसी प्रकार हादी यार ख़ाँ को भी पूछताछ के बाद क्षमा मिली और वह लखनऊ के कोतवाला बना दिये गये। जान बहादुर ख़ाँ को सरकारी नौकारी नहीं मिली। वह ग्वालियर चले गये। वहाँ उनको पुलिस विभाग में नौकरी मिल गयी थी। वह ग्वालियर में केवल दो तीन वर्ष रहे। उनकी मृत्यु 1919 में हुई थी। जान बहादुर ख़ाँ के दो पुत्र थे यार मुहम्मद ख़ाँ और अहमद बहादुर ख़ाँ[7]। अहमद बहादुर ख़ाँ मौलाना आजाद इन्टर कॉलेज

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

बरेली में अध्यापक थे। अहमद बहादुर ख़ाँ के दो पुत्र थे सलीम बहादुर ख़ाँ और कलीम बहादुर ख़ाँ। सलीम बहादुर ख़ाँ केन्टूमेन्ट बोर्ड रावलपिंडी में एक्ज़ीक्यूटिव आफिसर थे। और कलीम बहादुर ख़ाँ शाहजहाँपुर में अध्यापक थे। अहमद बहादुर ख़ाँ गली नवाबान (नैनीताल रोड) बरेली में रहते थे। नवाब ख़ानबहादुर ख़ाँ को गुजारे के लिये साधन उपलब्ध थे। उनको 100 रू. मासिक पारिविारिक पेंशन मिलती थी। इसके अतिरिक्त उनको माफीआत (फैमिली ग्रान्ट) से भी धन मिलता था। वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में सदर अमीन थे तथा उनका मासिक वेतन 250-00 रुपये था। कम्पनी के शासनकाल में सदर अमीन का पद सब जज के बराबर होता था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के पौत्र थे। अत: अंग्रज़ों ने उनकी इस पद पर नियुक्ति उनके आवश्यक परीक्षा पास किये बिना ही कर दी थी[8]।

वास्तव में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ बहुत ही आदरणीय नागरिक थे। जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी बरेली आया था तो उसने नवाब साहब को अपने बराबर कुर्सी दी थी और ख़िलअत, सरपेच, मोतियों का हार तथा इत्तर स्वयं अपने हाथ से पेश किया था[9]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के सदर अमीन बरेली के सम्बन्ध में एक रोचक दस्तावेज प्राप्त हुआ है। उनके एक निर्णय की एक मौलिक प्रति बख्त ख़ाँ म्युज़ियम पाकिस्तान एजुकेशनल कान्फ्रेन्स कराची में सुरक्षित की गयी है जिसकी एक फोटो लिपि पाकिस्तान एजुकेशनल कान्फ्रेन्स के तिमाही पत्रिका ''अलइल्म के 1857 ई. के जंगे आज़ादी नम्बर'' में छपी थी और जिसका फ़ारसी से उर्दू में अनुवाद ''सैय्यद मुस्तफा अली बरेलवी'' ने अपनी पुस्तक ''सन् 1857 ई का एक जांबाज़ मुजाहिद ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद'' में छापा है[10]। मुक़दमे की संख्या 23783 और तिथि 17 मई सन् 1839 ई. से है। मुक़दमे का सम्बन्ध 600 रुपये 10 आने की नालिश से है। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने इस मुक़दमे में 533 रुपये 15 आने और 3 पाई की डिक्री जारी की थी तथापि इस निर्णय से निम्नलिखित तथ्य मालूम होते है।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

(1) नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ सन् 1839 ई. में बरेली के सदर अमीन थे।

(2) उस समय न्यायालय की भाषा फ़ारसी थी।

(3) उस समय न्यायालयों में मुक़दमे की कार्रवाई उसी प्रकार से होती थी जैसा कि आज होती है। हमें प्रयास के उपरान्त भी मालूम नहीं हो सका कि नवाब ख़ान नहादुर ख़ाँ ने किस वर्ष सदर अमीनी से पेंशन ली। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सन् 1857 ई. में जबकि उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी और वह बीमार भी रहते थे वह सदर अमीनी से पेंशन प्राप्त करते थे।

ख़ान बहादुर ख़ाँ एक साहित्यकार के रूप में:-

ख़ान बहादुर ख़ाँ ने जिस वातावरण में आँख़े खोली थीं, वह वातावरण ज्ञान से भरा था। उनके परिवार के सभी व्यक्ति शिक्षित थे। स्वयं नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के आदरणीय पिता नवाब जुल्फेकार ख़ाँ बहुत ज्ञानी और बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, जिसका प्रभाव नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ पर भी पड़ा। इसके अतिरिक्त उस समय के जागीरदाराना समाज में, विशेषतर नवाबों के परिवारों में अपनी ऊँची हैसियत के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता था और वंह यह प्रयास करते थे कि समाज में उनका आदर बना रहे। रूहेला पठान बात के धनी और वीर व्यक्ति थे, अत: दूसरे व्यक्तियों की सहायता करना, ज्ञानी व्यक्तियों की देखभाल करना तथा समाज में आदरणीय रहना उनकी परम्परा में शामिल था। बरेली के रूहेला ख़ानदानो के सरदारो ने उर्दू कविता की बहुत सेवा की और स्वयं रूहेला परिवार में अधिक संख्या में कवि हुए। जब सन् 1739 में नादिरशाह दुर्रानी तथा सन् 1748 में अहमद शाह अब्दाली के हिन्दुस्तान पर आक्रमण के कारण विप्लव फैला और कवि देहली से दूसरे स्थानों को भागे, तो उस समय जितने भी कवि बरेली आये उनका सरंक्षण रूहेला नवाबों ने किया। उनको दरबारी कवि बनाया और उनको रहने को स्थान दिया तथा उनका मासिक वेतन निश्चित कर दिया जो कभी 100 रुपये से कम नहीं होता था[11]। इसी प्रकार से जब 23 अप्रैल 1774 ई. को नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ की पराजय के पश्चात् अराजकता

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

फैली और बरेली से रूहेला सरदार लखनऊ जा पहुँचे तो उन्होंने वहाँ भी कविता को सरंक्षण दिया। स्वयं कविता लिखी तथा लखनऊ के कवियों को अपने यहाँ नियुक्त किया। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ भी साहित्य के सरंक्षक थे। वह स्वयं उर्दू के कवि थे। उन्होने अपनी ग़जलों पर लखनऊ के प्रसिद्ध उर्दू कवि शेख कलन्दर बख़्श जुर्अत (मृत्यू 1810) से इस्लाह ली जो उनके ताया नवाब मुहब्बत ख़ाँ मुहब्बत (मृत्यू 1809) के यहाँ नियुक्त थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का तख़ल्लुस ''मसरूफ़'' था। उन्होंने अपनी कविताओं को एक पुस्तक के रूप में (दीवान) एक प्रकार दिया था। परन्तु वह पुस्तक नहीं छपी थी जिसके कारण उनकी कविता के नमूने उपलब्ध नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के कई लेखकों ने उनकी कविता की अपनी पुस्तकों में चर्चा की है। मौलवी अब्दुल ग़फूर नस्साख़ ने अपनी पुस्तक में उनकी कविता का परिचय दिया है[11]। उनकी एक ग़जल पर रूहेला ख़ानदान के प्रसिद्ध कवि नवाब अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ अज़ीज़ (मृत्यु 1891) ने अपनी गज़ल लिखी है जो उनकी पुस्तक ''दीवाने अज़ीज़'' में सम्मिलित है[13]। उनकी जितनी भी गज़ले उपलब्ध हुई हैं उनका संकलन डॉ. लतीफ़ हुसैन अदीब ने अपनी पुस्तक तज़करा-ए-शोआरा-ए-बरेली में प्रस्तुत किया है[14]। उनकी नज़मों का नमूना निम्नलिखित है :

''क़स्द करता हूँ तेरे घर से जो मैं जाने का।
दिल यह कहता है तू चल मैं नहीं आने का।
शमा गो तुझको भी है सोज़े मुहब्बत की लगन।
लेकिन क़ायल हूँ मैं परवाने के जल जाने का।
नहीं मालूम मज़ा क्या है मुझे ऐ ''मसरूफ़।
खूने दिल पीने का और लख़्ते जिगर ख़ाने का।''

ऐ मिस्ले हुबाव ज़िन्दिगानी ऐ नक़्श बरआब ज़िन्दिगानी
ता हशर अब ख्याल न मेरा करेगा दिल।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

तू उसको मिल गया तो मेरा क्या करेगा दिल।
जानो जिगर तो नाम को बाक़ी नहीं रहे।
क्यों कर अब उसकी ज़ुल्फ़ से सौदा करेगा दिल।
मसरूफ़ देख पैरवी-ए-दिल न कीजिओ।
मेरी तरह से तुझको भी रूसवा करेगा दिल।

मक़ासिद-उल-सालेहीन:-

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ केवल कवि ही नहीं लेखक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थीं। उनका विवरण प्राप्त नहीं हुआ। केवल उनकी एक पुस्तक मक़ासिद-उल-सालेहीन का पता लगा जो दो बार छप चुकी है और जिसके दोनों प्रकाशन कराची में डॉ. मुहम्मद अयूब कादरी के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इस पुस्तक की एक हस्तलिपि क़ारी बशीरउद्दीन पंडित को भी उपलब्ध हुई थी। यह पुस्तक उर्दू भाषा में है जिसको नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने कदाचित 1854 में लिखा था। इसका प्रथम प्रकाशन 1860 ई. में हुआ था। वास्तव में जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो प्रकाशक ने अंग्रेज़ों के भय से नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का नाम प्रकाशित नहीं किया था[15]। वह हस्तलिपि जो क़ारी बशीरउद्दीन को काज़ी[16] हैदर हुसैन से प्राप्त हुई थी उससे तुलना करने के उपरान्त ही ज्ञात हुआ कि यह पुस्तक ख़ान बहादुर ख़ाँ ने ही लिखी थी। यह हर्ष की बात है कि यह पुस्तक सुरक्षित रही और जिससे ख़ान बहादुर ख़ाँ के लेखक होने की पुष्टि हो गयी।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने मक़ासिद-उल-सालेहीन में अरबी और फ़ारसी की पुस्तकों से ऐसी नैतिक कथाएं तथा घटनायें प्रस्तुत की हैं जिनको पढ़ने के पश्चात् समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को उन कथाओं तथा घटनाओं की मार्ग पर चलकर नैतिकता से बिता सकते हैं। ख़ान बहादुर ख़ाँ को इस पुस्तक के माध्यम से जन साधारण को शिक्षा एवं उपदेश देना था। उन्होंने इस पुस्तक को उस समय की सरल उर्दू में लिखा। इस पुस्तक के लेख का उदाहरण निम्नलिखित है।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

"इलहाम हुआ के ऐ शिबली जुबान थाम और तरके अदब छोड़-मुझको जो दोस्त रखता है उसको मैं सख्त बला में गिरफतार करता हूँ और खून बहा में दीदार अपना और हयाते जाविदाना देता हूँ। ऐ करीम यह कत्ल और खून बहा इस आजिज़पुर मआसी को इनायत का सदका रसूले करीम सल्लाहो अलहे वसल्लम का।"

इस वाक्य में शिबली का अर्थ है हज़रत अबूबक़र शिबली रहमतुल्लाह अलैहि (मृत्यु 334 हिज़री /946 ई.) जो बग़दाद के प्रसिद्ध सूफी थे[17]। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ उनके सन्दर्भ में यह बताना चाहते हैं कि व्यक्तियों को कठिनाई भी अल्लाह की ओर से आती है और जो व्यक्ति अल्लाह को अपना मित्र बनाये रखते हैं उनकी परीक्षा भी कठिन होती है। अतः जो व्यक्ति कठिनाइयों में अल्लाह को नहीं भूलते हैं तो उनको अल्लाह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस समय इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि स्वयं नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को फाँसी का दण्ड मिला था और ऐसा ज्ञात होता है कि अल्लाह ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की जो छवि उनकी पुस्तक मक़ासिद-उल-सालेहीन से उभरकर सामने आती है वह यही है कि वह एक सीधे-साधे ज्ञानी, वीर तथा धार्मिक अवस्था के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व के यही गुण थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया तथा देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया।

मस्जिद ख़ान बहादुर ख़ाँ:-

रूहेला नवाबों और सरदारों को मस्जिदें, मक़बरे, सराये, मदरसे, पुल तथा बाज़ारों के निर्माण में विशेष रुचि थी। रूहेलखण्ड में कोई ऐसा नगर नहीं है जहाँ रूहेला नवाबों और सरदारों की बनवायी हुई कोई इमारत न मिलती हो। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ अपने दादा के समान रूहेलखण्ड के नवाब तो नहीं थे तथा उनकी आय भी सीमित थी, परन्तु उन्होंने अपने दादा के मक़बरे की मरम्मत करवायी तथा मौहल्ला भूड़ बरेली में अपने निवास

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

स्थान के निकट एक मस्जिद का निर्माण किया जो मस्जिद ख़ान बहादुर ख़ाँ कहलाती है। यह मस्जिद कुँवर दया शंकर ई. एम. इन्टरकॉलिज के पूर्व बरेली पीलीभीत मार्ग के किनारे स्थिान है। मस्जिद में कोई शिलालेख नहीं है जिसके कारण यह बताना कठिन है कि मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में हुआ परन्तु परम्परागत इस मस्जिद को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की ही मस्जिद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह मस्जिद उस क्षेत्र में स्थित है, जहाँ नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का निवास स्थान था जिससे यह ज्ञात होता है कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था।

मस्जिद ख़ान बहादुर ख़ाँ का क्षेत्रफल बरेली की अतिरिक्त ऐतिहासिक मस्जिदों की तुलना में बहुत कम है। सन् 1857 ई. से पूर्व जिस समय इस मस्जिद का निर्माण हुआ था उस समय मस्जिद के उत्तर तथा दक्षिण में जंगल और झाड़ियॉ थीं तथा इसका रूप एक ग्राम जैसा था जिससे यह ज्ञात होता है कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपनी निजी आवश्यकता के अनुसार यह छोटी मस्जिद बनवायी ताकि उसमें वह स्वयं उनके सम्बन्धी तथा कार्यकर्ता नमाज़ पढ़ा करें, तथापि इस मस्जिद की निर्माण शैली वैसी ही है जैसी कि उस समय की छोटी मस्जिद की होती थी।

बरेली में उन्नीसवीं शताब्दी में जिन मस्जिदों का निर्माण हुआ वह मुगल, अवध तथा रूहेला निर्माण शैली का संयुक्त रूप है। मुगल शैली के गुम्बद तथा दाँतेदार मेहँराबों (Engraled arches) को रूहेलों ने अपनी निर्माण शैली में अपना लिया था। उन्होंने छतरीदार बुर्जियों के स्थान पर गुम्बददार बुर्ज़ियां बनायी पत्थर के स्थान पर लखौरी ईंटों का प्रयोग किया। अवध की निर्माण शैली के प्रभाव से प्रथम मेहराब के ऊपर छोटी, बड़ी बुर्जियों का प्रयोग किया। मस्जिद ख़ान बहादुर ख़ाँ में न गुम्बद और न मीनार हैं। नमाज के कमरे के चारों कोनों पर चार बड़ी बुर्जियां हैं और प्रथम मेहराब के ऊपर 9 बुर्जियां इस प्रकार से स्थित की गयी हैं कि उनमें से 5 बुर्जियां ऊंचाई पर तथा शेष बुर्जियां नीचाई पर दिखायी देती है। प्रथम मेहराब पर ही

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

गदादार स्तम्भ है जिसके पीछे ही 9 बुर्जियां हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर दोहरी लम्बाई की बुर्जियां हैं। मस्जिद का चित्र समान मस्जिदों के अनुसार चर्तुभुज है। प्रथम मेहराब नमाज़ के कमरे के द्वार के ऊपर है। इसके अतिरिक्त-मेहराबें बराबर में हैं जिनमें मेहराबें छोटी और मेहराबें बड़ी हैं। जिनके नीचे द्वार है। अतिरिक्त मेहराबें दाँतेदार नहीं हैं मस्जिद के वर्तमान निर्माण से पहले नमाज़ के कमरे में दक्षिण तथा उत्तर की ओर कमरे थे। एक कमरा सामान का था और दूसरे में मस्जिद का इमाम रहता था। उन कमरों की दीवारों पर ही छत का भार रोका गया था। कमरे के वर्तमान निर्माण में जब दोनों कमरे तोड़े गये छत का भार सीमेन्ट की बीमों पर रोका गया तथा दोनों कमरे तोड़कर नमाज़ के प्रथम कमरे को बड़ा बना दिया ताकि अधिक संख्या में लोग नमाज़ पढ़ सकें। मस्जिद का बाहरी दृश्य (Facade) समान मस्जिदों जैसा है मस्जिद के स्तम्भों में धारियाँ हैं। आले मेहराबदार हैं और मेहराबों के बीच में बल्लम के फल की तरह उभार दिया गया है। मस्जिद के पूर्व उत्तर क्षेत्र में एक कुआँ था जो पाट दिया गया है। मस्जिद ऊंचाई पर बनायी गयी थी। प्रथम द्वार तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ हैं क्योंकि मस्जिद ऊँचाई पर बनायी गयी थी। उसके पूर्वी कोने (Quoins) ऊँचे स्तम्भ ऐसे आकार के बनाये गये थे जिनको देखकर यह लगता है कि वह अधूरे मीनार हैं। वास्तव में ये अधूरे मीनार नहीं हैं। यह मस्जिद की निर्माण शैली के आकार में सम्मिलित है। इनमें से एक स्तम्भ से आज़ान दी जाती है। अतः सैय्यद मुस्तफा अली बरेलवी का यह विचार ठीक नहीं है कि ''यह मस्जिद एक बुलन्द चबूतरे पर बनी हुई है। ऐसा महसूस होता है कि हंगामी सूरते हाल के पेशेनज़र, शानदार मस्जिद के मनसूबे को तर्क कर दिया होगा, जिसका सबूत मस्जिद की मीनारों की बुनियादें हैं जो जमीन से 8-10 फिट बुलन्दी पर ले जाकर छोड़ दी गयी है।'' बात भी उल्लेखनीय है कि ऊँचे मीनार किसी भी मस्जिद के पूर्वी दीवार के किनारे पर नहीं होते हैं। वास्तव में बाहरी दीवार (Parapet) का यही आकार मक़बरा नवाब हाफिज रहमत ख़ाँ में था। इस मस्जिद के अतिरिक्त नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की बनवायी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

हुई किसी अतिरिक्त इमारत का पता नहीं चहता।

नावब ख़ान बहादुर ख़ाँ की विरासत, उनका प्रारम्भिक जीवन, उनकी शिक्षा, साहित्यक प्रेम, उनका निर्माण कार्य तथा उनकी नैतिक रुचियाँ आदि को दृष्टि में रखने से यह ज्ञात होता है कि व्यक्तिगत रूप में एक महान पुरुष थे और उनमें देशभक्ति की भावना छिपी हुई थी। वास्तव में उनका व्यक्तित्व उस समय उजागर हुआ जब उन्होने सन् 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रज़ों के विरुद्ध क्रान्तिकारी प्रशासन स्थापित किया और उसको दक्षता के साथ दस माह तक चलाया और उन्होंने वृद्धावस्था के पश्चात् भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी की फौज से अन्तिम समय तक युद्ध किया। वास्तव में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में योगदान ही उनका महान ऐतिहासिक कार्य था और वह बलिदान ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का वंशवृक्ष (शिजरा)

नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ (मृत्यु- 1774)
|
नवाब ज़ुल्फ़ेकार ख़ाँ (मृत्यु- 1797)
|
नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ (मृत्यु- 1860)
|
नवाब जान बहादुर ख़ाँ (मृत्यु- 1919)

- अहमद बहादुर ख़ाँ
  - सलीम बहादुर ख़ाँ
  - कलीम बहादुर ख़ाँ
  - हकीम बहादुर ख़ाँ
- यार मुहम्मद ख़ाँ
  - दोस्त मुहम्मद.खाँ
  - मुहम्मद यार खाँ
  - यावर मुहम्मद खाँ

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

संदर्भ:

1- नवाब ज़ुल्फेकार ख़ाँ की आयु नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ की मृत्यु के समय केवल 22 वर्ष की थी। वह बहुत धार्मिक और परमेश्वर से डरने वाले व्यक्ति थे। उन्होनें बरेली में जुल्फेकारगंज बसाया था, जो अब शहामतगंज कहलाता है। उनकी मृत्यु लखनऊ में 1797 ई. में हुई थी और उनके शव को बरेली लाकर हाफ़िज़ रहमत खाँ के मकबरे में दफन किया गया था। (सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी-हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ पृ.-337)

2- ख़ान बहादुर ख़ाँ की जन्मतिथि (1205 हिजरी) केवल डॉ. मुईनुलहक़ ने अपनी पुस्तक "तारीखे-सरकशी-ए बिजनौर में दी है। (सैयूयद मुस्तफा अली बरेलवी-खान बहादुर ख़ाँ शहीद-पृ. 21) यह तिथि ठीक मालूम होती है। फांसी के समय ख़ान बहादुर ख़ाँ की आयु 71 वर्ष की थी तथा उनको फाँसी 1276 हिजरी में हुई थी इस प्रकार से 1276 हिजरी में से 71 कम करने से 1205 ही निकलते हैं। परन्तु यह बात भी सोचने की है कि स्वयं ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपनी आयु उस प्रार्थना पत्र में जो उन्होंने 14 फरवरी 1860 ई. को गवर्नर जनरल को कारागार से फाँसी का आदेश पाने के उपरान्त भेजा था। "80 बरस से 2 या 3 वर्ष ऊपर लिखी" यह ठीक ज्ञात नहीं होता यदि उनकी आयु 82 वर्ष मान ली जाये तो उनकी जन्मतिथि 1778 ई. निकलती है जबकि वह 1839 ई. में बरेली के सदर अमीन थे। अत: उनकी 1839 ई. में आयु 61 वर्ष की हुई इस आयु में वह पेंशन में थे। मेरे विचार में नवाब ख़ान बहादुर खाँ से भूल हुई और वह 70 के स्थान पर 80 लिख गये। उन्होंने वास्तव में यह प्रार्थना पत्र जेल से मानसिक तनाव की स्थिति में लिखा था।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

3- खेड़ा का अर्थ है छोटा ग्राम (Hamlet) ''नवाब का खेड़ा'' का अर्थ हुआ ''नवाब का ग्राम।'' वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारभं में मौहल्ला भूड़ नगर बरेली से जुड़ा हुआ एक छोटे ग्राम के समान था। अत: मुस्तफा अली बरेलवी का यह विचार है कि ''खेड़ा का अर्थ लवज़ तबाह शुदा या इमतेदाद-ए-ज़माना-खराब खस्ता जगह को कहते हैं।'' (ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद-पृ. 172) ठीक नहीं है। हुआ यह था कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की 1857 ई. के स्वतन्त्रता युद्ध में पराज्य के पश्चात् उनकी सम्पत्ति अंग्रेज़ सरकार ने ज़ब्त की तथा उसको व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार से पूरा खेड़ा समाप्त हो गया। परन्तु अब वहाँ घनी आबादी है केवल एक दरवाजे के अवशेष मिलते हैं जिसको वहाँ के निवासी ''नवाब के किले का दरवाज़ा'' कहते हैं जबकि वह उनकी हवेली का द्वार प्रतीत होता है।

4- सैयूद मुस्तफा अली बरेलवी-सन् 1857 ई. का मुजाहिद ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद-पृ. 180, 181

5- हादी यार ख़ाँ और ज़फर यार ख़ाँ एक रूहेला फौजी खुदाबाज़ ख़ाँ के परिवार से थे। यह परिवार ''छावनी अशरफ ख़ाँ'' बरेली में रहता था और इसी परिवार के दो एक घर अब भी वहाँ है। यह मुस्तफा अली बरेलवी ने ठीक नहीं लिखा है कि नवाब ज़फर यार ख़ाँ रासिख़ नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के पुत्र नवाब दीदार खाँ के परिवार से थे वास्तव में नवाब दीदार खाँ के पोते का नाम ज़फर यार ख़ाँ और तख़ल्लूस रासिख़ था। ज़फर यार ख़ाँ और ज़फ़र यावर ख़ाँ दो भिन्न नाम हैं ऐसा ज्ञात होता है कि मुमताज़ बेगम का सम्बन्ध खुदाबाज़ ख़ाँ के परिवार से था। (वही पृ. 180,181) मैंने मौहल्ला ''छावनी अशरफ ख़ाँ'' जाकर पूछताछ की उस मौहल्ले के एक वृद्ध व्यक्ति कल्लन ख़ाँ से बात करने के उपरान्त एक क़ब्र का पता चला वह अशरफ़ ख़ाँ की है। क़ब्र पर कोई स्मरण लेख नहीं है। परन्तु कल्लन ख़ाँ ने

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

बल देकर कहा कि यह क़ब्र अशरफ़ ख़ाँ की है उन्हें यह बात उनके पूर्वजों ने बतायी थी। कल्लन ख़ाँ, खुदाबाज़ ख़ाँ तथा अशरफ़ ख़ाँ के बीच क्या सम्बन्ध था नहीं बता सके। हमने इसके अतिरिक्त और ख़ोज की-यह सोचने की बात है कि मौहल्ले का नाम ''छावनी अशरफ़ ख़ाँ'' है, जिसका यह अर्थ हुआ कि अशरफ़ ख़ाँ एक फ़ौजी अधिकारी था जिसने यहाँ छावनी स्थापित की थी। बरेली में अंग्रज़ों के शासन से पहले जितने फ़ौजदार स्थित हुए थे उनकी सूची को दृष्टि में रखने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि नवाब आसिफ़उद्दौला (1775-1797) के समय में जब ख़वाजा ऐन उददीन बरेली का सूबेदार था (1780-1784) उस समय बरेली का फ़ौजदार अशरफ़ ख़ाँ था और वह बाँको की फ़ौज का फ़ौजदार था। जिसके कारण आज भी लोग ''छावनी अशरफ़ ख़ाँ बाँके'' बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखना चाहये कि ''बाँके की छावनी'' के अतिरिक्त कोई और मौहल्ला नहीं है। हमने अशरफ़ ख़ाँ की पक्की क़ब्र को देखा यह क़ब्र जिस प्रकार से बनायी गयी है। वह उसके अनुसार है। जो बरेली में अवध तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में प्रचलित था। इससे यह सिद्ध होता है कि अशरफ़ ख़ाँ की मृत्यु या तो अवध के शासनकाल में हुई थी या फिर कुछ समय पश्चात् ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में।

अशरफ ख़ाँ और खुदाबाज़ ख़ाँ के बीच कोई पारिवारिक सम्बन्ध हो या नहीं परन्तु यह बात समझ में अवश्य आती है कि खुदाबाज़ ख़ाँ और उनके पुत्र हादी यार ख़ाँ, ज़फ़र यार ख़ाँ आदि छावनी अशरफ खाँ बाँके के निवासी थे और मुमताज़ बेगम उनकी निकट सम्बन्धी थी।

लेख-मसूद नक़वी-बदायूँ और नवाबीने अवध का 27 साला अहदे हकूमत-माहनामा मुजल्ला बदायूँ कराँची अगस्त 1993 ई.

6- मूसा रज़ा ख़ाँ उर्फ छुट्टन मियाँ नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के पुत्र

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

नवाब अल्लाह यार ख़ाँ के परिवार से थे, (सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी हयाते हाफ़िज़ रहमत खाँ पृ.-341)

7- वही पृष्ठ-341

8- मौलवी मुहम्मद फाईक, कशमाति निज़ामिया पृ.-163

9- एफ. पी. सी. 16.3 1860, एफ.एस. 180-184

10. पृ. -194-203

11- लेख डा. सैयूयद लतीफ हुसैन अदीब-रूहेलखण्ड में उर्दू शायरी का फरोग़-मासिक पत्रिका मआरिफ़ आज़मगढ़-अगस्त 1965 ई.

12- तज़करा-ए-सुख़न-ए-शोएरा-पृ. 444

13- दीवाने अज़ीज-पृ.-179

14- तज़करा-ए-शोएरा बरेली (हस्तलिपि) पृ. -147

मौलाना इम्दाद साबरी ने भी अपनी पुस्तक ''सन् 1857 ई. के मुजाहिद शोएरा'' में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं-पृ.-341

15- सैयूयद मुस्तफ़ा अली बरेलवी, ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद-पृ. 176

16- काज़ी हैदर हुसैन का सम्बन्ध मौलवी सरफ़राज़ अली के ख़ानदान से था। मौलवी सरफ़राज़ अली गोरखपुर के रहने वाले थे । सूबेदार बख़्त ख़ाँ ने उनको क्रान्तिकारियों का सरदार (अमीर-उल-मुजाहिदीन) नियुक्त किया था। मौलवी सरफ़राज़ अली ने सन्1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम में शाहजहाँपुर के क्रान्तिकारियों की अगवाई की थी। अंग्रेज़ों ने उनको काले पानी की सज़ा दी थी, जहाँ वह 4 वर्ष कारगार में रहे। उनकी मृत्यु 10

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

जुलाई 1876 ई. को हुई थी सैय्यदा अनीस फ़ातिमा – सन 1857 ई. के हीरो पृ.-81 (2) सैयूयद मुस्तफा अली बरेलवी-ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद-पृ. सं. 178

17-शेख फ़रीद उद्दीन अत्तार-तजकरातुल औलिया, अनुवाद-कारी मुहम्मद आदिल ख़ाँ-पृ. 310

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अध्याय-3

भारत में 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम की घटना

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के रूप में बरेली में विस्फोट हुई थी। यह भी कहा जा सकता है कि इस महान नायक ने वक़्त के एक लम्हे को एक यादगार तारीख़ बना दिया। संग्राम हर एक नगर में नहीं हुआ था, यदि बरेली में क्रान्ति हुई तो उसका श्रेय इस महान व्यक्ति को जाता है। महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने के समय तथा व्यक्ति का सम्बन्ध क्या है? यह एक विचित्र प्रश्न है। यह भी सत्य है कि महान व्यक्ति सही समय सही निर्णय तथा सिद्धान्तों के पालन द्वारा इतिहास को दिशा देते हैं और समय के स्थान पर व्यक्ति की उच्चता स्थापित कर देते हैं।

1857 ई. में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो स्वतन्त्रता के लिये युद्ध हुआ था। उसके सम्बन्ध में अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी और फ़ारसी भाषाओ में इतनी अधिक संख्या में पुस्तके छप चुकी है कि उनकी सूची को तैयार करना स्वयं एक कठिन कार्य है। उन पुस्तकों में प्रत्येक लेखक ने सन् 1857 ई. के कारणो के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये है जिनका सारांश निम्नलिखित है-

उदाहरणत:-

1. F.R. SEDGWICK- (INDIAN MUTINY OF 1857) ने 1857 के विद्रोह को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कानूनी शासन के विरुद्ध विद्रोह बताया है।

2. W.H CAREY- (THE MOHAMEDAN REBELLION)- ने 1857 के युद्ध को अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों का विद्रोह बताया है।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

3.V.D. SARARKAR-THE INDIAN WAR OF INDEPENDENCE AND H.N. MUKHERJEE (INDIAN STRUGGLE FOR FREEDOM) ने इस युद्ध को अंग्रज़ों से स्वतन्त्रता पाने के लिये एक संघर्ष बताया है।

यही विचार प्रसिद्ध इतिहासकार S.N. Sen-(Eighteen Fifty Seven) ने प्रकट किया है।

4. H.CHATTOPADHYA-(THE SEPOY MUTINY)- की दृष्टि में 1857 की घटना सैनिकों का विद्रोह था।

5. G.CRAWSHAY-THE IMMEDIATE CAUSE OF THE MUTINY- और सर सैय्यद अहमद ख़ाँ (असबाबे बग़ावते हिन्द) ने प्रत्यक्ष रूप से 1857 की घटना के अनेक कारण बताये हैं जिनमें स्वयं अंग्रेज़ भी दोषी थे।

6. SIR JOHN W. KAYE- (A HISTORY OF THE SEPOY WAR IN THE INDIA) तथा R.C MAJUMDAR-BRITISH PARAMOUNTY AND INDIAN RENIASSANCE- कि दृष्टि में 1857 के विद्रोह में देशभक्ति की भावना नहीं थी, किन्तु जनता अपने स्वार्थों के लिये युद्ध कर रही थी।

उक्त भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखकर ही यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में 1857 की घटना के क्या क़ारण थे। क्योंकि इन कारणों का ज्ञान प्राप्त किये बिना 1857 की घटना और उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने उसमें भाग लिया था ऐतिहासिक अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। इनमें कुछ तो विशेष कारण थे जो केवल उस क्षेत्र पर लागू होते थे जैसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी में गोद निषेध (Doctrine of Lapse) और सहायक सन्धि (Subsidiary Alliance) के अन्तर्गत कई देशी रियासतों को ज़ब्त कर लिया और जिसके उपरान्त 1857 में अंग्रज़ों के

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

विरुद्ध विद्रोह हुआ था। इसके अतिरिक्त कई सामान्य कारण थे जिनके आधार पर समस्त भारत में विद्रोह हुआ था और जो निम्नलिखित हैं :-

राजनैतिक कारण :-

भारत में प्राचीन समय से ही राजतन्त्र की प्रथा का प्रचलन था। जिसको जनता ने स्वीकार किया था। सम्राट अपने कर्तव्यों को जानता था और उसको जो परम्पराएं विरासत में मिली थीं, उनके अनुसार राजकीय कार्य करता था। उसका दरबार एक मंत्री-परिषद की भाँति था। सम्राट अपने दरबार के मन्त्रियों से परामर्श करता था। इन मन्त्रियों में एक अमीरुल-उमरा होता था जो प्रधानमन्त्री की भाँति शक्तिशाली होता था। सम्राट और राज्य के मन्त्रियों के मध्य जब भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती तो कभी सम्राट को हटाकर दूसरा सम्राट सिंहासन पर बैठा दिया जाता था और कभी अमीरूल-उमरा को बदल दिया जाता था और कभी सम्राट सम्पूर्ण मंत्री-मण्डल को ही परिवर्तित कर देता था। परन्तु इस तनाव का प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। सम्राट अमीरुल उमरा और दरबार के तनाव और परिवर्तन से मनसबदार, सूबेदार और सैनिक अधिकारी बदल जाते थे, परन्तु प्रशासन ठीक उसी प्रकार चलता रहता था। कृषि जारी रहती, ग्राम की पंचायतें स्वयं कार्य करती रहती थीं। व्यापार चलता रहता था और निर्धारित समय पर मालगुजारी तथा कर अदा किये जाते थे। ऐसी स्थिति में जो सम्राट अपनी विलासिता के स्थान पर जनता की सुख-सुविधा को अधिक ध्यान में रखता था। वह सम्राट महान माना जाता था। उदाहरण में नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिन्होंने जनता की सुख-सुविधा के लिए वे सभी महान कार्य किये और रूहेलखण्ड को एक सम्पन्न रियासत बनाया जिसके कारण दूसरे प्रान्तों की जनता (मालवाड़ी, मेवाती) आदि रूहेलखण्ड में आकर बस गये थे। इसके विपरीत ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राजकीय प्रबन्ध इस प्रकार का था कि उसका मुख्य कार्यालय लन्दन में था और उनको भारत में ठेकेदारी की अनुमति बरतानिया के संसद से मिलती थी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

तथा भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी कार्यरत थे। वे कर्मचारी भारत में धन के मोह में आते थे। उन कर्मचारियों में अधिकतर न तो शिक्षित होते थे और न ही उनमें ईश्वर का भय होता था और न ही वे धार्मिक विचार के होते थे और न ही उनका उच्च कोटि के परिवार से सम्बन्ध होता था। स्वयं वारेंग हेस्टिंग भी इसी प्रकार से एक साधारण व्यक्ति था जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी में एक कलर्क के रूप में भरती हुआ था। अत: वह ईस्ट इणिडया कम्पनी के अधिकार हों या कर्मचारी उनका उद्देश्य धन कमाना था और क्योंकि वह भी लोभी थे उन्होंने भारत में भ्रष्टाचार फैलाया था। ब्रिटेन के संसद ने 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट पारित करके ईस्ट इण्डिया कम्पनी की कार्यकारिणी में सुधार करने का प्रयास किया। परन्तु उससे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और भारत का धन इंग्लैण्ड पहुँचता रहा। वास्तव में देहली का सम्राट अंग्रेज़ों का पेंशनर था। स्वयं भारत में अराजकता फैली हुई थी और एक राजा दूसरे राजा से युद्ध कर रहा था। जिससे अंग्रेज़ों ने लाभ उठाया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सहायक सन्धि (Subsidiary Alliance) और हड़प नीति (Doctrine of Lapse) के माध्यम से भारत को कमर तोड़ दी। ईस्ट इण्डिया कंपनी ने पैतृक धन को नीलामी और कुर्की पर चढ़ाकर जनता में असन्तोष उत्पन्न किया। सर सैयूयद अहमद ख़ाँ ने अधिकतर बल इस बात पर दिया है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपनी जनता को अपने प्रशासन में शामिल नहीं किया, जिसके कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी को जनता के दुख का ज्ञान नहीं हो पाया और ज़मींदार जो अंग्रज़ों से भेंट करते रहते थे वे अंग्रेज़ों के पिटठू और कायर थे और वह अंग्रेज़ों से सत्य बात नहीं कहते थे। अत: जनता असन्तुष्ट थी और असन्तुष्ट ही रही और अन्त में यह असंतोष ही 1857 के संघर्ष के रूप में प्रकट हुआ प. सुन्दर लाल ने भी 1857 के विद्रोह का एक कारण यह भी बताया है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी देहली के सम्राट को परंपरागत सम्मान नहीं देती थी। चार्ल्स मेडकॉफ रेजीडेन्ट देहली ने अकबर शाह और उनके दरबार को असम्मानित किया था। जब देहली के सम्राट ने पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिये कहा तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

उस पर ध्यान नहीं दिया जिससे स्वयं जनता में भी असन्तोष फैला[1]।

उक्त राजकीय गतिविधियों से जो नकारात्मक छवि सामने आयी वह यह थी कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी से पूर्व जब भी कोई राजकीय परिवर्तन होता था तो उसका प्रभाव कृषक, मजदूर आदि पर नहीं पड़ता था। इसके विपरीत ईस्ट इण्डिया कम्पनी की राजकीय गतिविधियों के प्रभाव से समाज का निम्न वर्ग भी नष्ट हो गया। जान, सम्मान और सम्पति सब असुरक्षित हो गये। यही वे परिस्थितियाँ थीं जिन्होंनें 1857 के विद्रोह की भूमिका तैयार की।

आर्थिक कारण

1- व्यापार :-

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में भारत में आर्थिक गिरावट के कई कारण थे, जिनमें एक कारण व्यापार था। बंगाल के नवाब व्यापार के सामान पर जो कर वसूल करते थे उसके लिए उन्होने एक विभाग बना दिया था। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1757 ई. में प्लासी के युद्ध के उपरांत उस सामग्री को जिसका व्यापार ईस्ट इण्डिया कम्पनी या उसके अधिकारी और कर्मचारी करते थे उसको नि:शुल्क कर दिया। जिसके फ़लस्वरूप बंगाल के नवाब की आय घट गयी और भारतीय व्यापारियों के व्यापार की तुलना में उसकी बिक्री समाप्त हो गयी। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने चाय, घी, छालियाँ , नमक, चावल, मछली, बांस, तम्बाकू और भूसा जैसी सामग्री को कम से कम मूल्य पर ज़बरदस्ती खरीदा और अधिकतम मूल्य पर बेचा, क्योंकि उसको न पुलिस का भय था और न न्यायालय का। अंग्रेज़ जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे। अंग्रेज़ों ने यह भी किया कि जब तक उनको सामग्री की निकासी नहीं हो जाती है वे भारतीय व्यापारियों को दुकानें बन्द करने के लिए मजबूर करते थे। जब बंगाल के नवाब मीर कासिम ने उक्त परिस्थितियों को देखकर भारतीय व्यापारियों की सामग्री को भी नि:शुल्क कर दिया, तो सन् 1764 ई. में बक्सर के युद्ध के उपरान्त स्वयं मीर कासिम

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। सन् 1813 में कंपनी के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यापार करने की अनुमति मिल गयी थी। यह व्यापार अत्याचार की मशीन बन गया। अंग्रेज़ों ने चाय और नील के उत्पादन की कोठियाँ बनाईं और उसने भारतीय कर्मचारियों पर बहुत अत्याचार किया। चाय और नील की कृषि के कारण भारतीय कृषि उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और भारतीय कृषक नष्ट होकर बेरोज़गार हो गये। वास्तव में इसी परिस्थितियों में पिण्डारियों ने लूटमार की थी। जिससे भारतवासियों को ही हानि हुई। उक्त परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत के व्यापारियों का व्यापार समाप्त हो गया और वे अंग्रेज़ों से बहुत असन्तुष्ट हो गये।

2- कृषि:-

कृषि और कृषक की सम्पन्नता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध लगान और भूमि के बन्दोबस्त से है, जिसकी ओर सबसे पहले शेरशाह सूरी (मृत्यु 1545 ई.) ने विशेष ध्यान दिया था और बाद में मुग़ल सम्राट अकबर (मृत्यु 1605 ई.) के राज्य में राजा टोडरमल (मृत्यु 1579 ई.) ने समस्त बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण किया था। डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि शेरशाह पहला मुसलमान शासक था जिसने भारत के बन्दोबस्त की ओर विशेष ध्यान दिया और जनता को सन्तुष्ट और समृद्धशाली बनाने की विधि अपनायी। उसने भूमि की माप करायी और उत्पादन के अनुसार लगान नियुक्त किया। भूमि का बन्दोबस्त टोडरमल ने किया था। प्रत्येक कृषि को पट्‌टा के लिए दिया जाता था और कृषक से उसकी स्वीकृति ली जाती थी। लगान की वसूली मुक़द्दम करता था, किन्तु कृषको को यह छूट थी कि आज वह लगान राशि (नक़द) के रूप में दे या अनाज के रूप में कृषको से उनके उत्पादन का चौथाई भाग लगान के रूप में लिया जाता था और इस सम्बन्ध में हिन्दू और मुसलमानों के बीच कोई अन्तर नहीं किया गया था। कोई भी अधिकारी रिश्वत नहीं ले पाता था। शेरशाह ने जागीर की प्रथा बन्द कर दी थी और अधिकारियों को

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

वेतन देने की प्रथा लागू की थी।[2]

राजा टोडरमल जो शेरशाह सूरी का राजस्व मन्त्री था। उसको ही शहनशाह अकबर ने अपना राजस्व मन्त्री नियुक्त किया और राजा टोडरमल ने अकबर के राज्य में भूमि का बन्दोवस्त किया। जिसके सम्बन्ध में डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि पहले भूमि की पैमाइश (नाप) की गयी उसके पश्चात् औसत दस वर्ष की मालगुजारी का औसत लेकर प्रत्येक प्रकार की भूमि को विभाजित किया और प्रत्येक लगान के लिये अनाज का दर नियुक्त किया। लगान की दर में कमीबेशी कभी नहीं होती थी।

इस प्रकार से प्रत्येक अनाज के लिए लगान की प्रत्येक दर नियुक्त की गयी, जो कम या अधिक नहीं हो सकती थी। फसल बोने के पश्चात् इस बात की जांच कर ली जाती थी कि कौन सा अनाज बोया गया है और उसी अनुसार लगान दर निर्धारित किया जाता था। अधिकारी कृषकों से लगान वसूल करते थे। लगान दो किस्तों में वसूल किया जाता था। सरकार को उत्पादन का एक तिहाई लगान दिया जाता था। कृषकों को यह छूट थी कि लगान रुपये या अनाज के रूप में दें। यदि कभी अकाल पड़ता तो कृषको को तक़ावी (रुपया) दे दी जाती थी और बंजर भूमि को जोतने, बौने के अवसर पर लगान की दर घटा दी जाती थी। प्रान्तों में दीवान नियुक्त किये जाते थे। जिसके अधीन अधिकारी करोड़ी या पटवारी होते थे। टोडरमल के इस बन्दोबस्त से जनता और कृषकों में समृद्धि उत्पन्न हो गयी। ज़मींदारों और जागीरदारों के न होने से कृषकों और प्रशासन के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध बन गया। लगान की दर भी सदा के लिए निर्धारित हो गयी। अधिकारियों के कार्यों की जांच होती थी जिससे वह कृषकों पर अत्याचार नहीं कर पाते थे[3]।

उक्त विवरण की तुलना में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जो बन्दोबस्त और मालगुजारी के सम्बन्ध में कार्य किया। वह अत्याचारी और अन्यायपूर्ण कार्य था। इलाहाबाद की 1765 की सन्धि के अनुसार ईस्ट इण्डिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था और उसके बदले में देहली के सम्राट

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

का नज़राना निर्धारित हो गया ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के उपरान्त अपनी आय को बढ़ाने के लिए भूमि की नीलामी का नियम लागू किया। जो व्यक्ति नीलाम के माध्यम से मालगुज़ारी वसूल करने पर नियुक्त होते थे, उनको ठेकेदार और बनिये कहा जाता था। यह ठेकेदार और बनिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को वार्षिक निर्धारित मालगुजारी का भुगतान कराते थे और ऐसे भुगतान के पश्चात् जो राशि उनको बचती थी, वह उनका लाभ होता था। अत: इसके फलस्वरूप जहाँ मोरूसी (पैतृक) मालगुज़ारी का अन्त हो गया वहाँ ठेकेदार और बनिये ने कृषकों से मालगुजारी के नाम पर लूट-खसोट की और इस प्रकार से कृषक अपनी भूमि छोड़कर भागने लगे। इसके उपरान्त जब स्थायी बन्दोबस्त हो गया और ब्याज की दर भी दो गुना हो गयी तो माल-गुजारी के वसूल न होने के रूप में भूमि छोड़कर भागने लगे। इसके उपरान्त जब स्थायी बन्दोबस्त हो गया और ब्याज की दर भी दो गुना हो गयी तो माल-गुजारी के वसूल न होने के रूप में भूमि का नीलाम होने लगा और वहाँ ठेकेदार और बनिये भूमि के मालिक बन गये। वास्तव में यहाँ से ज़मींदारी का प्रारम्भ हुआ। जो कृषक अपनी भूमि छोड़कर भागते थे उनको पकड़कर कारागार में डाल दिया जाता था। और जब कभी कृषक तंग आकर विद्रोह करते थे तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेना उनको कुचल देती थी[4]।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ठेकेदार और बनिये जैसे-देवीसिंह,कन्तो बाबू, गंगा, गोविन्द, रामचन्द्र, नन्दकुमार और रूप किशन तो लखपति बन गये लेकिन पैतृक जगींदार और कृषक निर्धन हो गये। पैतृक ज़मींदारों और कृषकों की निर्धनता के कारण समाज में उनका असम्मान हुआ तथा रुपये का मूल्य घट गया, जिससे महंगाई बढ़ी और नील की कृषि से भूमि बंजर हो गई। ऐसी परिस्थितियों में विद्रोह की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक था। और यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि पचास वर्ष पश्चात् भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के विरुद्ध विद्रोह हो गया।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

3- लघु व्यापार तथा कारीगरों का विनाश :-

हिन्दुस्तान का दूसरे देशों से व्यापार प्राचीन समय से ही होता था, परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में जिन वस्तुओं का अधिकतर निर्यात होता था उनमें मलमल, रेशम का कपड़ा और छींट अर्थात छपा हुआ सूती कपड़ा, इंग्लैण्ड को जाता था। इंग्लैण्ड में भारतीय वस्त्र, पर साठ प्रतिशत कर लगाया जाता था। फिर भी इंग्लैण्ड के बने कपड़े से सस्ता बिकता था यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी प्रान्त से लेकर बंगाल तक रेशम और सूती कपड़े बनाने के करघे घर-घर लगे हुए थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार की विधि यह थी की उसको व्यापार से हिन्दुस्तान में जो लाभ होता था, उससे वह अपना प्रशासन चलाती थी और जो रकम शेष बचती थी वह उससे व्यापार का सामान खरीदकर इंग्लैण्ड भेज देती थी और उससे जो लाभ होता था वह कम्पनी के हिस्सेदारों में विभाजित कर दिया जाता था। इस व्यापार की विधि से ईस्ट इण्डिया कम्पनी और इंग्लैण्ड का प्रशासन दोनों को लाभ होता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपने लाभ से सरोकार था और इंग्लैण्ड के प्रशासन को अपने देश के कपड़े के उद्योग की चिन्ता थी। भारतीय वस्त्र पर साठ प्रतिशत कर लगाने के उपरान्त भी इंग्लैण्ड के कारख़ानों का बना कपड़ा इंगलैण्ड के बाजार में भारतीय कपड़े से महंगा बिकता था। यही कारण है कि इंग्लैण्ड का प्रशासन भारतीय कपड़े के आयात को ठीक नहीं समझता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कपड़े और रेशम उद्योग पर अपना अधिकार बनाने के लिये रेशम की उपज पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जो कारीगर रेशम के कपड़े बनाते थे उन पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने कारख़ाने खोले और कपड़ा बुनने वालें को नौकर रखा और कारख़ानों के बाहर कपड़ा बुनने पर प्रतिबन्ध लगा दिया उसने कारीगरों को ज़बरदस्ती भर्ती किया और उनसे औसत से अधिक कार्य लिया। यह एक प्रकार से बन्धुआ मजदूरों की भाँति हो गये थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की इस नीति से कपड़े का उत्पादन कम हो गया। कपड़ा बुनने वाले कारीगर बेरोज़गार हो गये और उनकी आय कम हो गयी। जिसके फलस्वरूप

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

उन्होने अपना व्यापार छोड़कर दूसरा धन्धा अपनाया। यहाँ यह बात भी कहना महत्वपूर्ण होगी कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारतीय कपड़े पर जो लाभ इंग्लैण्ड में होता था वह भारत को वापस नहीं आता था जिसके कारण एक ओर जहाँ भारतीय उद्योग का खून निचौड़ा गया तो दूसरी ओर भारत उस लाभ में साझेदार नहीं बना। अत: ऐसी परिस्थितियों में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही भारत में कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया और इसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों के विरुद्ध असन्तोष फैला।

4- मुलाज़मत:-

कृषि व्यापार तथा उद्योग के विनाश के साथ भारतवासियों की नौकरी के मार्ग भी बन्द हो गये। मुग़लों के समय में कायस्थ मुंशी होते थे।

दीवानी का विभाग कायस्थों के पास था और वे लेखपाल से लेकर दीवान तक होते थे। रूहेलों के समय में भी यही नीति बनी रही। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ का दीवान मानराय कायस्थ था। 1857 में ख़ान बहादुर ख़ाँ का दीवान शोभाराम कायस्थ था। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस नीति को बदल दिया। वांरगे-हेस्टिंग ने 1772 ई. में कॅलैक्टर नियुक्त किये और उनको मजिस्ट्रेट का भी अधिकार दिया। कॅलक्टर सदा अंग्रेज़ होते थे। न्यायालय के समस्त अधिकारी अंग्रेज़ होते थे। छोटे-छोटे पदो पर भारतीय नियुक्त किये जाते थे और उनका वेतन बहुत कम होता था। इस नीति का एक बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि जनता का अंग्रेज़ों पर से विश्वास उठ गया क्योंकि वह अंग्रजों को सन्देह की दृष्टि से देखते थे। स्वयं अंग्रेज़ अधिकारियों को भी भारतीय परम्परा का ज्ञान नहीं था। एवं उनकी नियुक्ति से भारतवासियो की नियुक्ति का मार्ग भी बन्द हो गया था। इस प्रकार से भारतीयों में एक प्रकार से निर्धनता फैली तो दूसरी ओर उनके मन में अंग्रेज़ों की नीति के विरुद्ध सन्देह और घृणा उत्पन्न हुई।

उपयुक्त आर्थिक कारण जनता में असंतोष के फैलने का कारण तो थे

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ही, परन्तु उनके अतिरिक्त असंतोष के और भी कारण थे जो निम्नलिखित हैं

न्यायिक कारण :-

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने न्याय की उस प्रणाली को जो सैकड़ों वर्षों से भारत में लागू थी नष्ट कर दिया। भारत में न्याय की प्रथा इतनी परिपूर्ण हो चुकी थी कि राजाओं तथा सम्राटों के गुण और अवगुणों की पहचान उनके न्याय की कथाओं का स्मरण किया जाता है। मुग़ल राज्य के अन्त काल में जब रूहेला प्राधिकारी बने तो उन्होने भी न्याय कें साथ राज्य किया था। सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी ने नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के सम्बन्ध में लिखा है: " उनके इन्साफ की कचहरी में रज़ील व शरीफ खुर्द व बुज़र्ग अदना व आला सबके साथ एक-सा सुलूक किया जाता था। ख़ताकारों गुनाहगारों और मुजरिमों की सज़ादेही में हद्दे एतदाल से तजावुज़ न किया जाता था। और हुकूमत की जानिब से बड़े से बड़े इश्तिआल के मौके पर हक़ व इन्साफ को हाथ से न जाने दिया था[5]।

परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी के न्यायालय अन्याय, क्रूरता और लालच का माध्यम बन गये । वारेन हेस्टिंग ने 1772 ई. में भारत के प्राचीन न्यायालय के प्रशासन का अन्त कर दिया था। कम्पनी ने स्टाम्प पेपर की प्रथा डाली। जिसके कारण भारतीय परम्परा के विपरीत न्याय मुफ़्त मिलना समाप्त हो गया। उससे कम्पनी की आय तो बढ़ी, परन्तु निर्धन जनता पर न्याय बन्द हो गया, क्योंकि वह स्टाम्प पेपर का मूल्य नहीं चुका सकती थी। उस समय यातायात के साधन बहुत कम थे। अत: बड़े नगरों के न्यायाधीश में मुक़दमों के सम्बन्ध में जाना भी कठिनाई का कारण बन गया था। न्यायाधीश अंग्रेज़ होते थे, जिनकी सुविधा के लिए अनुवादक नियुक्त किये जाते थे। वे अनुवादक कागज़ों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए मनमानी फीस देते थे जो स्टाम्प पेपर की फ़ीस से अधिक होती थी। जितनी रकम का कोई व्यक्ति दावा करता था तो उस व्यक्ति से जिस पर दावा किया जाता था और उतनी ही रकम की जमानत मांगी जाती थी। और जमानत न देने की

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

स्थिति में उसे कारागार भेज दिया जाता था, क्योंकि न्यायालय अपने निर्णय अधिक समय में देते थे उस कारण वह व्यक्ति कारागार में बन्दी रहता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ख़ाना तलाशी और हल्फ लेने की प्रथा भी लागू की थी। ख़ाना तलाशी से लोगों का अनादर होता था और कभी-कभी इस बात पर तलवार भी चल जाती थी। अंग्रेज़ ने अपना ही शहादत (गवाही) का कानून लागू किया और न्यायालय में जिरह (तर्क) का प्रचलन पड़ा। इससे निर्णय में देर होने लगी और सत्य, असत्य हो गया। झूठे गवाहों और झूठे हल्फनामों ने न्याय को भ्रष्ट कर दिया। ऐसे मुक़दमे जो पंचायतों में तय हो जाते थे वे भी नगरों के न्यायालय में तय होने लगे। यदि कोई सब जज या डिप्टी कॅलक्टर या सदर अमीन भारतीय होता था तब भी तो उसको अपने न्यायालय में ईसाइयों के मुक़दमे सुनने और फैसला देने की अनुमति नहीं थी। जब 1827 ई. में ज्यूरी प्रणाली प्रारम्भ हुआ तो केवल ईसाई धर्म के मानने वाले ही ज्यूरी होते थे। अंग्रेज़ न्यायाधीश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पक्ष में निर्णय देते थे, जिसकी पुष्टि नन्द कुमार को फाँसी देने के निर्णय से होती है। क्योंकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कानून में गबन के इल्ज़ाम में फाँसी देने की सजा नहीं थी।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जो न्याय की व्यवस्था की थी, वह वास्तव में जनता के लिए केवल कठिनाई थी और उनको न्याय नहीं मिलता था। जब जनता न्याय की ओर से भी निराश हो गयी तो उसके सामने एक ही मार्ग था कि वह अंग्रेज़ सरकार का विरोध करे और उनसे अन्याय का बदला लें।

शैक्षिक कारण :-

भारत में प्राचीन समय से ही शिक्षा का प्रबन्ध दो प्रकार से होता था। कुछ पाठशालाएं और मदरसे ऐसे थे जिनकी सहायता सरकार करती थी और कुछ को अनेक स्थानों के उच्च अधिकारी, ज़मींदार तथा जागीरदार आदि अपनी निजी सम्पत्ति से चलाते थे। मन्दिरों और मस्जिदों में भी पाठशालाएं

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

और मदरसे स्थापित किये जाते थे। ये पाठशाला और मदरसे नगरों, कस्बों तथा ग्रामों में होते थे। उस समय सरकार की ओर से पुस्तकें निश्चित नहीं की जाती थी। स्वयं विद्यार्थी के इच्छानुसार उसको शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि शिक्षा का आशय केवल ज्ञान प्राप्त करना था। राज्य की ओर से विद्वानों और आचार्यों को बहुत सम्मान दिया जाता था। शिक्षित व्यक्ति बेरोज़गार नहीं होते थे। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के राज्यकाल में केवल रूहेलखण्ड में पाँच हजार आचार्य उनके शिक्षा विभाग में नियुक्त थे। विद्यार्थियों को सौ रुपये वार्षिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती थी। उनको रहने और ख़ाने की सुविधा भी दी जाती थी।[6] इसके विपरीत ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उपर्युक्त शिक्षा की प्रथा को नष्ट कर दिया। प्रारम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शिक्षा पर धन लगाना अनावश्यक समझा। निर्धनता के कारण वे पाठशालाएं और मदरसे जो धनी व्यक्ति चलाते थे वह भी समाप्त हो गये । जब उन्नीसवीं शताब्दी में ईस्ट इंड़िया कम्पनी को अपना प्रशासन चलाने के लिए और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अंग्रेज़ी शिक्षा की आवश्यकता हुई तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने विद्यालय खोलने की अनुमति दी। परन्तु वे इस विषय में बहुत सावधान थे, क्योंकि वे चिन्तित थे कि भारतीय अंग्रेजी भाषा और साहित्य को पढ़ने के उपरान्त उनका विरोध न करने लगे, जैसाकि अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम में हुआ था[7]। अत: ईस्ट इण्डिया कम्पनी को विद्यालयों में जिन विषयों पर शिक्षा देनी थी वह निर्धारित किये और उनसे सम्बन्धित पुस्तकों को भी निश्चित किया। बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य कर दी। उन्होने शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार किया। परन्तु वह इस विषय में भी सावाधान रहे, क्योंकि उन्हें भय था कि भारतीय सेना इसका विद्रोह न करे[8]। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शिक्षा नीति को समझने के लिए इतना बता देना काफी है कि कम्पनी ने अपने विद्यालयों में कॉन्ट, रूसो, गिबन और मॉलथस आदि की पुस्तकों को नहीं पढ़ाया और न ही यूरोप में जो विज्ञान की उन्नति हुई थी उसको ही पढ़ाया। इसके विपरीत उसने ऐसी शिक्षा नीति लागू की जिससे भारत में धर्म और भाषा के नाम पर आपस में

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

असमानता उत्पन्न हुई, जिससे बाद में बढ़कर बहुत भंयकर रूप धारण कर लिया। भारत की जनता कम्पनी की शिक्षा नीति को सन्देह की दृष्टि से देखती थी और वह ऐसा समझती थी कि कम्पनी अपनी शिक्षा के माध्यम से उनको ईसाई बनाना चाहती है। भारत की जनता का यह अनुभव और यह विचार कुछ समय बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिये निर्णायक सिद्ध हुआ।

धार्मिक कारण :-

ईस्ट इण्डिया कम्पनी से पूर्व भारत में प्रत्येक धर्म को सम्पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। धार्मिक विद्वानों का सम्मान होता था। स्वयं मुगल राज्य में मुसलमान विद्वानों ने संस्कृत भाषा और साहित्य को पढ़ा और प्राचीन संस्कत साहित्य की पुस्तकों को फ़ारसी में अनुवाद किया। सम्राट अकबर ने तो संस्कृत भाषा की पुस्तकों को फ़ारसी में अनुवाद कराने के लिये एक विभाग नियुक्त कर दिया। मुसलमानों ने हिन्दी भाषा में कविता लिखी। प्रसिद्ध हिन्दुओ ने अरबी और फ़ारसी पढ़ी और पुस्तकें लिखी तथा फ़ारसी कविता में प्रसिद्ध हुए। भारत में फ़ारसी साहित्य के इतिहास में दजर्नों फ़ारसी के हिन्दू कवि सम्मिलित हैं। मुग़लों के राज्य में केवल साहित्यकार को सम्मान मिलता था और यह नहीं देखा जाता था कि वह किस धर्म का मानने वाला है। साहित्यकार हिन्दू और मुसलमान दोनों ही होते थे। सबके अधिकार समान थे। धर्म के कारण किसी व्यक्ति के लिये ज्ञान को प्राप्त करना और पदों की नियुक्ति के द्वारा बन्द नहीं होते थे। प्रत्येक धर्म के मानने वाले एक दूसरे के त्यौहारों में सम्मिलित होते थे। एक दूसरे के साथ ख़ुशी से जीवन व्यतीत करते थे।

सरकार की ओर से मन्दिरों को भूमि प्रदान की जाती थी जो आज तक जारी है। धार्मिक शिक्षा पर कोई प्रतिबन्ध न था। आचार्य को अनुमति थी कि वह जो भी पुस्तक चाहे अपने विद्यार्थियो को पढ़ाये। स्वयं रूहेलखण्ड में रूहेलों के राज्य में और उसके पश्चात् आसिफ़ उद्दौला के राज्य में मन्दिरों

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

का निर्माण हुआ। मन्दिरों को धन समर्पण (माफी) जारी हुए। बरेली का कोई भी प्रसिद्ध मन्दिर ऐसा नहीं है जिसके पास मुसलमान राजाओं या नवाबों की भूमि तथा धन समर्पण के फरमान न हो। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिये शिक्षा के माध्यम से भारत की जनता की सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कम्पनी ने इस प्रकार की शिक्षा दी कि जनता में अपने धर्म के लिए सन्देह उत्पन्न हुआ और भिन्न-भिन्न धर्मों में विवाद का मार्ग उत्पन्न हुआ। कम्पनी ने धर्मों में हस्ताक्षेप किया। कम्पनी ने 1806 में महाराष्ट्र प्रान्त के बिलौर नगर में सेना के सिपाहयों को आदेश दिया कि वे अपने माथे पर कोई चिन्ह न लगाये, कान में कुछ न पहने, ना दाढ़ियां मूड़ाये जिसका सेना ने विरोध किया था[9]। सन् 1833 ई. में ही बिहार प्रान्त के पूर्णिया नगर में काण्ड हुआ था । क्योंकि कम्पनी के ज़मींदार किशनराय ने प्रत्येक मुसलमान पर जिनको वह वहाब़ी कहता था ढाई रुपये का कर लगा दिया और किशनराय उसको दाढ़ी टैक्स कहकर वसूल करता था[10]। ईस्ट इण्डिया कंपनी का ईसाई धर्म प्रचार और भारत के धर्मे में हस्ताक्षेप की कहानी बहुत लंबी और दुखान्त है। मौलाना फ़ज़लेहक़ खैराबादी ने अपनी पुस्तक अलसुरतुलहिन्दियाँ में (बागी हिन्दुस्तान) जो उन्होंने अडंमान में उस समय लिखी थी जब अंग्रेज़ों ने उन्हें 1857 की स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के कारण वहाँ बन्दी बनाया था। यह बात विस्तार से लिखी है कि कम्पनी ने तन मन धन से भारत के धर्मों को नष्ट करने के लिए हर प्रकार से धोखे तथा अन्याय का सहारा लिया।[11] वास्तव में भारत की जनता के लिए ईसाई धर्म का प्रचार और उनके धर्मों में हस्ताक्षेप को सहन करना कठिन कार्य था। भारतवासियों को ऐसा लगा कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी उनकी शिक्षा और उनकी परम्परा को नष्ट करके ईसाई धर्म लागू करना चाहती थी। अतः वह उन परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगे। उन्नीसवीं शताब्दी में ही सैय्यद अहमद राय बरेलवी (मृत्यु 1831 ई.) ने ईसाई धर्म के प्रकोप को रोकने के लिए एक धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ किया था जिसको अंग्रेज़ मुसलमानों का

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

"वहाबी" आन्दोलन कहते हैं। आर.सी. मजूमदार के विचार में सैयूयद अहमद बरेलवी के वहाबी आन्दोलन का आशय यह था कि वह सिखों तथा अंग्रेज़ों से युद्ध करके भारत पर मुसलमान राज्य की स्थापना करना चाहते थे। सन् 1857 के विद्रोह में उस समय के महान मुसलमान धार्मिक नेता इसी आन्दोलन के सदस्य थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने को एक धार्मिक युद्ध का नाम दिया था। स्वयं बरेली में मौलवी इनायत अहमद काकोरवी (मृत्यू 1863 ई.) ने जो सैयूयद अहमद बरेलवी के वहाबी आन्दोलन के सदस्य थे, यह फतवा जारी किया था कि ख़ान बहादुर ख़ाँ की आर्थिक सहायता की जाये ताकि वह अंगेज़ों से युद्ध करें और जिसके फलस्वरूप मौलवी इनायत अहमद काकोरवी को काले पानी की सज़ा हुई थी। इसी प्रकार से 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के जिला मुज़फ़्फ़र नगर के कस्बो, थाना भवन, शमली, कांधला, कराना, परसौली में वहाबी आंदोलन के मौलवियों ने अंग्रज़ों के विरुद्ध मौहम्मदी झंडा लगाया था[12]।

उपर्युक्त विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के महत्वपूर्ण कारण क्या थे और ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ही अपनी ऐसी नीति से जिसका आधार अन्याय, भ्रष्टचार था अपने विरुद्ध एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर लिया था जो 1857 में ज्वालामुखी की भॉति फट पड़ा। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर धर्मों के विद्वान अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम में सम्मिलित हो गये थे और उनका एक ही आशय था कि अंग्रेज़ और उनके ईसाई धर्म को भारत से निकाल दिया जाये।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सन्दर्भ :-

1- पंडित सुन्दरलाल, भारत में अंग्रेज़ी राज के कारनामे, खण्ड-11 पृ.-807, 808

2- तारीख़े हिन्दुस्तान पृ.-229

3- तारीख़े हिन्दुस्तान पृ.-252-253

4- तुफ़ैल अहमद मंगलूरी, मुसलमानों का रौशन मुस्तक़बिल पृ.-63

5- हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ-पृ.-273

6- सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ - पृ.-282

7- तुफ़ैल अहमद मंगलूरी-मुसलमानों का रोशन मुस्तक़बिल - पृ.-129

8- वही, पृ.-141

9- डा. ताराचन्द्र, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, खण्ड-11 पृ.-27

10- तुफ़ैल अहमद मंगलूरी, मुसलमानों का रोशन मुस्तक़बिल- पृ.99

11- अब्दुल शाहिद ख़ाँ शेख़ानी (अनुवादक) बाग़ी हिन्दुस्तान पृ.-31

12- आर. सी. मजूमदार, BRITISH PARAMOUNTE AND INDIAN RENIASSANCE, पृ.-884

13- आर. एम. एडवर्डस, मेजिस्ट्रेट मुजफ़फ़रनगर का पत्र दिनांक 16-11-1958 एम. पी. नं. 2 मुज़फ़्फ़र नगर, एफ. एस. पृ. 127

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अध्याय-4

क्या सन् 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम की योजना बनायी गयी थी?

पिछले अध्याय में यह स्पष्ट किया गया था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत की राष्ट्रीय विरासत को नष्ट किया और भारतवासियों को यह सोचने पर मजबूर किया कि उनकी परम्परा, उनकी शिक्षा और उनका धर्म खतरे में है और वे तिरस्कृत हो चुके हैं। उन्होंने यह भी सोचा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वे निर्धन भी हो गये है। ऐसी परिस्थितियों में कम्पनी के विरुद्ध स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष की भावना उत्पन्न हुई थी। प्रश्न है कि 1857 में कम्पनी के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ वह किसी निर्धारित योजना के अनुसार हुआ अथवा वह एक घटना थी जो अचानक हो गयी। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए विद्रोह की घटनाओं की जाँच करना आवश्यक हो जाता है, ताकि सत्य का पता लगाया जाये कि वह घटना किसी निर्धारित योजना के रूप में हुई थी अथवा अचानक हुई थी।

मेरठ के विद्रोह की अदभुत घटनाएं

मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ और बीसवीं रेजीमेन्ट नेटिव इनफन्टरी ने विद्रोह करके कर्नल फिनिस की हत्या कर दी थी। इसके उपरान्त मेरठ में जो घटनाएं हुई उनसे ज्ञात होता है कि विद्रोह किसी निर्धारित योजना के अनुसार हुआ था। उदाहरणत :-

(1) अप्रैल 1857 को दो मुसलमान नायकों ने हिन्दुओं से गंगाजल पर और मुसलमानों से ''कुरआन'' पर शपथ ली कि वह अपने धर्म की रक्षा करने के लिए चर्बी के कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे और न आटे में हड्डियों के मिश्रण की रोटियाँ खाएंगे।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

(2) विद्रोह से पूर्व चपातियाँ वितरित की गयी थी।

(3) विद्रोह से पूर्व बीसवीं नेटिव इनफन्टरी में एक फ़क़ीर ठहरा था और वह फ़क़ीर मेरठ में ठहरने से पहले अम्बाला डिपो में रहा था। मेरठ में फ़क़ीर सूरजकुंड में ठहरा था और उस फक़ीर का सिपाहियों ने बहुत स्वागत सत्कार किया था और उसके बाद फक़ीर का कुछ पता नहीं चला।

(4) विद्रोह से पूर्व भारतीय सैनिकों को यह विश्वास दिलाया गया था कि कम्पनी के शासन की अवधि केवल सौ वर्ष है और वह सौ वर्ष 1857 में पूरे हो जाएंगे[1]।

मेरठ में सैनिक विद्रोह फैलने से पूर्व उपर्युक्त घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि विद्रोह निर्धारित योजना अनुसार हुआ था जिसकी तैयारियाँ पहले से प्रारम्भ हो चुकी थीं।

मेजर विलियम्स कमिश्नर मिलेटरी पुलिस इलाहाबाद ने 1857 के विद्रोह के सम्बन्ध में किसी निर्धारित योजना को अस्वीकार किया है। उनके विचार में भारतीय सैनिकों को कम्पनी के विरुद्ध आशंका अवश्य थी, परन्तु कोई निर्धारित योजना नहीं थी। मेजर विलियम्स ने अपने तर्क की पुष्टि में निम्नलिखित बातें प्रस्तुत की हैं :-

1- फक़ीर की कथा गुप्त ज्ञात होती है जिसकी पुष्टि नहीं हुई।

2- चपातियों की बात की भी पुष्टि नहीं हुई।

3- भारतीय सैनिक विद्रोह के उपरान्त मेरठ छोड़कर भाग गये थे। यदि कोई निश्चित योजना होती तो वह भागने के स्थान पर किसी नेता के नेतृत्व में एकत्र होकर संघर्ष जारी रखते।

4- भारतीय सैनिकों ने अपने परिवार की देख-रेख का कोई प्रबन्ध नहीं किया था। यदि कोई निश्चित योजना होती तो भारतीय सैनिक विद्रोह से पूर्व अपने परिवार की देखरेख का उचित प्रबन्ध करते और वह बेघर नहीं होते।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

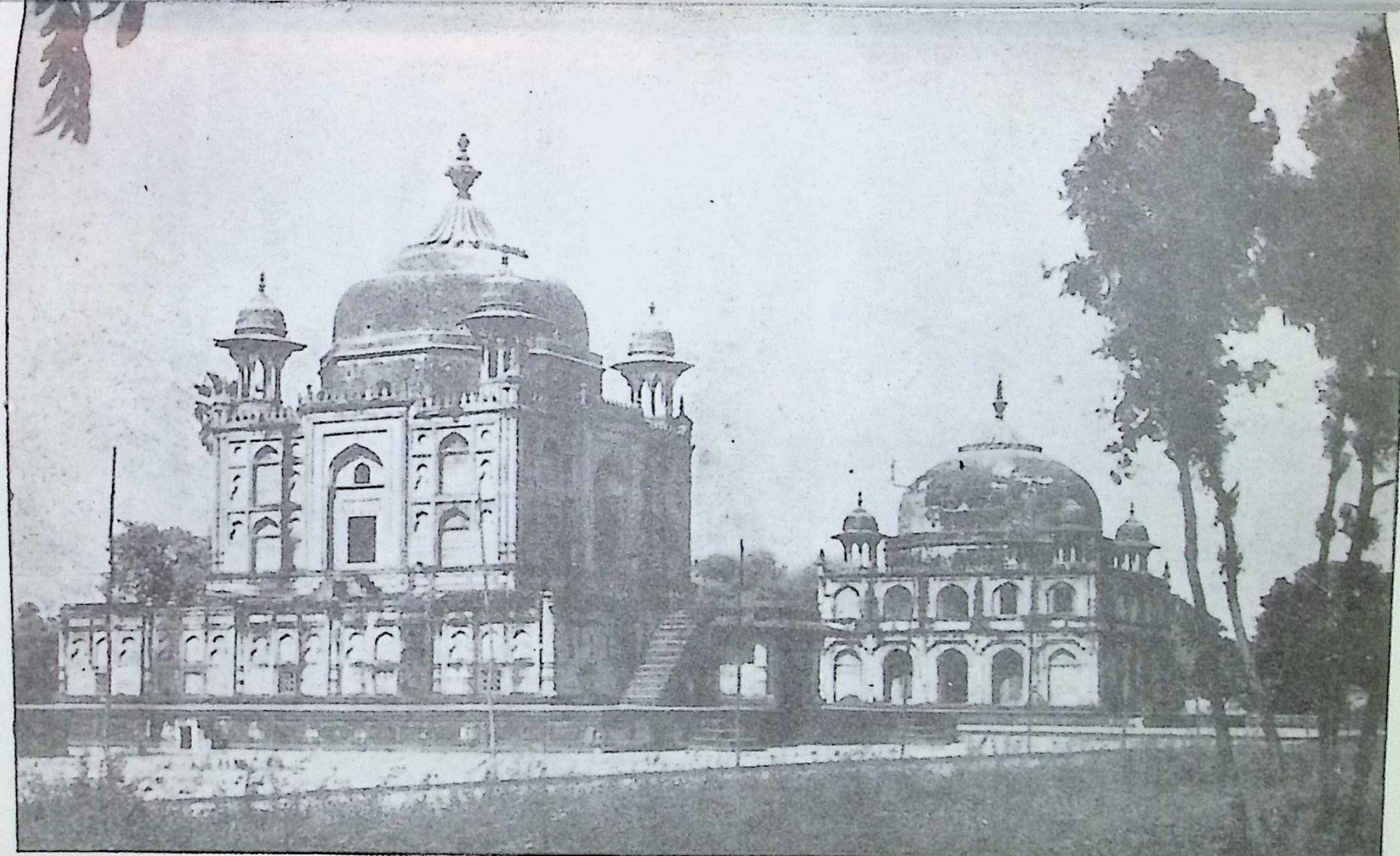

"खुसरू बाग़ इलाहाबाद" में क्रन्तिकारी मोलवी लियाक़त अली की क़याम गाह और क्रन्तिकारीयों का हैडक्वर्टर।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

रेजी डेंसी लखनउ (Residency Lucknow) में जनरल हौलाक का मैमुरियल जिसे स्वंतन्त्रता संग्रामियों ने घमसान मुकाबले के वाद मारा था।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

5- विद्रोह में समस्त भारतीय सैनिकों ने भाग नहीं लिया था। मेरठ की कई पलटनों ने विद्रोह नहीं किया था। भारतीय सैनिकों ने भी अंग्रेज़ अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को जीवन और सामग्री की सुरक्षा की जो इस बात की पुष्टि करती है कि विद्रोह की कोई निश्चित योजना नहीं थी[2]।

परन्तु उपर्युक्त बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अंग्रेज़ों की गवाही के नियम के अनुसार किसी सुनी हुई बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। क्योंकि फक़ीर और चपातियों की बात सुनी सुनायी थी मेजर विलियम्स ने इसको स्वीकार नहीं किया। वास्तव में फ़क़ीर और चपातियों की बात इतनी गुप्त थी इसका ज्ञान अंग्रजों को हो ही नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में मेजर विलियम्स को गवाही कैसे मिल सकती थी। फक़ीर और चपातियाँ को गुप्त रखना ही इस बात की पुष्टि करता है कि विद्रोह किसी निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। यह कहना काफी होगा कि मेरठ छावनी में विद्रोह निश्चित तिथि (31 मई 1857 ई. रविवार) से पहले हो गया था, जिसका कारण यह था कि मेरठ में 23 अप्रैल 1857 को परैड हुई थी तथा जिसमें चर्बी के कारतूस बांटे गये थे और भारतीय पलटन के 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने कारतूस लेने से मना कर दिया था जिसके फलस्वरूप उनको कोर्ट मार्शल के उपरान्त बन्दी बनाया गया था। इस वातावरण में मेरठ की अन्य पलटनों के सैनिकों ने 10 मई 1857 को सुनिश्चित समय के पूर्व ही विद्रोह कर दिया था। उन्होंने सैनिकों को कारागार से छुड़ा लिया और बारह सौ अन्य बन्दी भी छुड़ा लिये। क्योंकि यह विद्रोह निर्धारित समय से पूर्व हुआ था वह अपने परिवार की देखरेख का प्रबन्ध नहीं कर सके।

मेजर विलियम्स ने उपर्युक्त विचार मेरठ के विद्रोह के ड़ेढ़ वर्ष के पश्चात् दिये थे। और उस समय अंग्रेज़ की यह नीति थी कि विद्रोह को सैनिकों का विद्रोह माना जाये न कि सैनिकों का भारत की स्वतन्त्रता के लिए

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

एक प्रयास। अत: मेजर विलियम्स ने अंग्रेज़ों की नीति के अनुसार ही अपने विचार प्रस्तुत किये थे। जो स्वीकार नहीं किये जा सकते। 1857 के विद्रोह के समस्त युद्ध नाटक को देखने के उपरान्त यह बात सामने आती है कि उस समय की भिन्न भिन्न स्थानों के युद्धों के मध्य हुई घटनाएं समान मिलती हैं जो इस बात की पुष्टि करती है कि विद्रोह एक निश्चित योजना के फलस्वरूप हुआ था।

1857 की अदभुत घटनाओं की सदृश्यता :- उदाहरण :-

1- उत्तर प्रदेश में विद्रोह मेरठ के सैनिक विद्रोह से प्रारम्भ हुआ और इसके उपरान्त विभिन्न स्थानों पर सैनिकों ने विद्रोह किया था।

2- अंग्रेज़ों और ईसाइयों की प्रत्येक स्थान पर हत्या की गयी, उनका सामान ़लूटा गया और आग लगा दी गयी थी।

3- कारागार से बन्दी छुड़ाये गये।

4- सरकारी कोष पर अधिकार किया गया।

5- सैनिक कार्यवाही के पश्चात् प्रत्येक स्थान ़पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी समय में वहाँ का शासक था या उसके वंश का कोई सदस्य जीवित था उसको वहाँ का शासक बनाया गया।

6- उस शासक ने भारतीय सेना से मिलकर अंग्रेज़ी सेना से युद्ध किया तथा दूसरे स्थानों के शासकों की सहायता की तथा देहली के सम्राट की सहायता के लिये सेना और धन भेजा।

7- देहली से सम्राट के शासक का पत्र प्राप्त किया सेना में भर्ती की तथा अपने समस्त क्षेत्र का प्रबन्ध किया।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि 1857 का विद्रोह एक निश्चित योजना के अनुसार ही हुआ था।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अंग्रेज़ अधिकारियों की सुनिश्चित योजना के सम्बन्ध में स्वीकृति

ए. एफ. सी. विलसन कमिश्नर स्पेशल डियूटी ने जी. एफ. एडमानस्टन के नाम अपने पत्र दिनांक 24 दिसम्बर 1857 में निम्नलिखित सूचना भेजी थी[3]।

1- 31 मई रविवार 1857 ई. को बंगाल सेना में विद्रोह की तिथि निर्धारित की गयी थी[4]।

2- प्रत्यक पलटन में तीन सैनिकों की एक टुकड़ी थी जो विद्रोह के कार्य पर नियुक्त की गयी थी।

3- उक्त कमेटी दूसरी पलटनों और दूसरे स्थानों की टुकड़ियों से पत्राचार का सम्बन्ध बनाये हुए थी। टुकड़ी का यह कर्तव्य था, कि वह दिनांक 31 मई 1857 ई. के विद्रोह का कार्यक्रम तैयार करे तथा 31 मई को जबकि अंग्रेज़ रविवार को चर्च में जमा हों तो उनकी हत्या की जाये। ख़ज़ाने पर अधिकार किया जाये। कारागार से बन्दियों को छुड़ाया जाये तथा मैगज़ीन और मोर्चो पर अधिकार किया जाये और रबी की फसल की मालगुज़ारी की प्रथम किस्त वसूल की जाये। इस कार्य को पूरा होने तक अन्य बिग्रेडियर अपनी छावनियों में ही रहेंगे। इसी प्रकार से कमिश्नर रूहेलखण्ड ने उत्तर प्रदेश के सेक्रेट्री के नाम पत्र संख्या 331 दिनांक 30 नवम्बर 1858 ई. के द्वारा यह सूचना दी थी कि चपातियाँ कस्बों के स्थान पर ग्राम में बांटी गयी थीं और वहाँ से उन्हें दूसरे स्थानों में भेजा गया था जिससे यह अर्थ निकलता है कि चपातियों को लेने तथा भेजने का अनुचित उपाय किया गया था। यह भी ज्ञात होता है कि मेरठ में विद्रोह के उपरांत जो दूसरी छावनियों में सैनिक विद्रोह हुआ था उससे इस बात की पुष्टि होती है कि सैनिकों को इस बात का ज्ञान था कि उनको विद्रोह करना है[5]।

वास्तव में सत्य यह ही है कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को असम्मानित करने के लिए 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह तथा मुसलमान सैनिकों का

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

विद्रोह बताया था जबकि वास्तव में घटनाओं के रूप, विधि तथा स्वयं अंग्रेज़ अधिकारियों के उपर्युक्त कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि विद्रोह के पीछे एक गुप्त योजना थी।

भारतीय इतिहासकारों के विचार :-

डॉ. ताराचन्द्र ने 1857 की घटनाओं का विवरण देने के पश्चात् यह निर्णय दिया है कि विद्रोह की कुछ न कुछ योजना पहले से निर्धारित हो चुकी थी। उनके विचार में भारतीय पलटनों को कुछ न कुछ गुप्त योजना का ज्ञान था। ऐसी अप्रकाशित घटनाएं जैसे-चपातियाँ तथा लाल कमल के फूलों का वितरण करना। इस ओर संकेत करते हैं कि विद्रोह की कोई योजना बन चुकी थी। नाना साहब के विशेष परामर्शदाता अज़ीम उल्ला ख़ाँ और मौलवी अहमद उल्ला शाह जिन्होने अवध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया था और मौलवी फज़लहक ख़ैराबादी तथा अन्य बहुत से मौलवियों के गठबन्धन से यह स्पष्ट होता है कि विद्रोहियों की ओर से यह प्रयास किया गया था कि एक जनसाधारण आन्दोलन हो। बादशाह बहादुर शाह ज़फर ने भी भारतीय राजाओं तथा राजकुमारों और सैनिकों के साथ पत्राचार किया था। यह अफवाह भी थी कि भारतीय सेना एक निर्धारित तिथि पर प्रत्येक छावनी पर विद्रोह करेगी। 31 मई की तिथि विद्रोह के लिए निर्धारित की गयी थी। अतः जब मेरठ की सेना ने सुनिश्चित तिथि से पूर्व विद्रोह कर दिया तो बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को आश्चर्य हुआ था जिसके कारण वह विद्रोह में भाग लेने से हिचकिचाने लगे थे[6]।

पण्डित सुन्दरलाल ने 1857 के विद्रोह को सम्पूर्ण योजना को दृष्टि में रखकर जो चित्र प्रस्तुत किया है उसका सारांश निम्नलिखित है:-

1- नाना साहब (धोंधु पन्त पुत्र बाजीराव पेशवा बिठूर कानपुर) ने आठ लाख रुपये वार्षिक पेंशन तथा बीस हज़ार रूपये की शेष धनराशि वसूल करने के लिए अज़ीम उल्ला ख़ाँ को अपना वकील बनाकर लन्दन

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

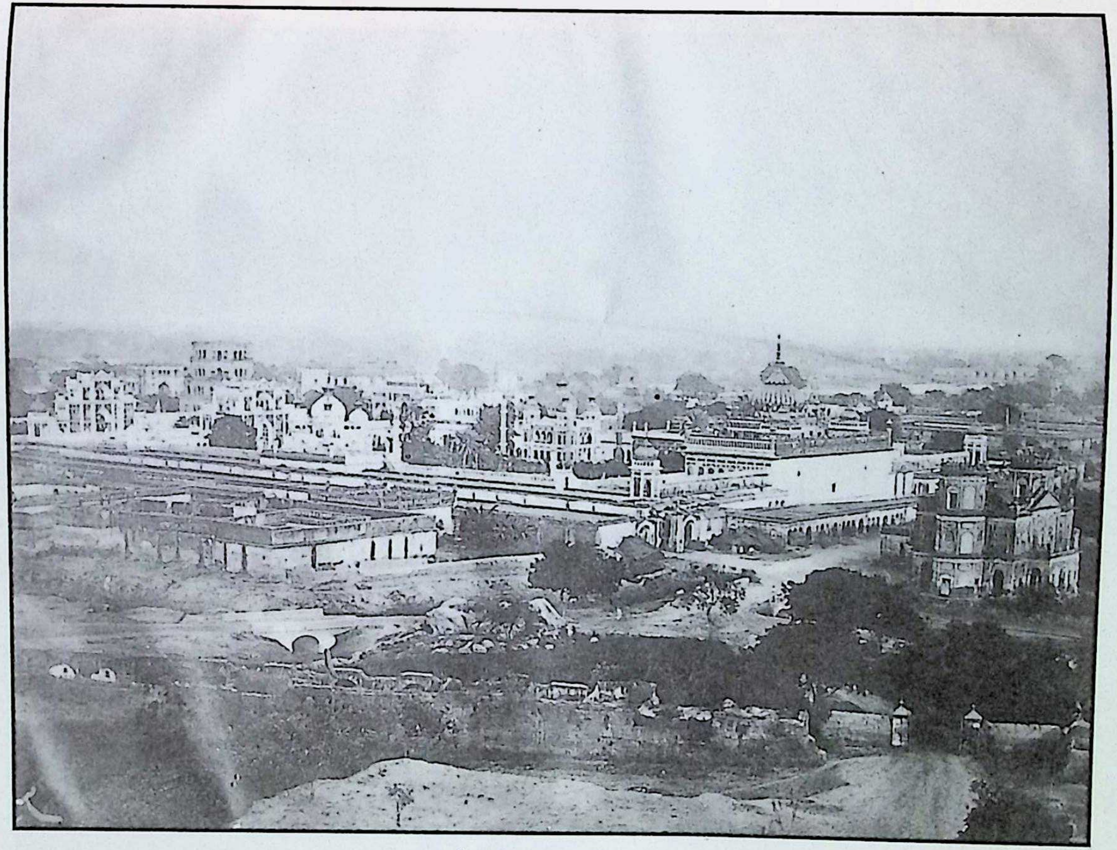

1857 में कदीम लखनउ का एक दृश्य

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

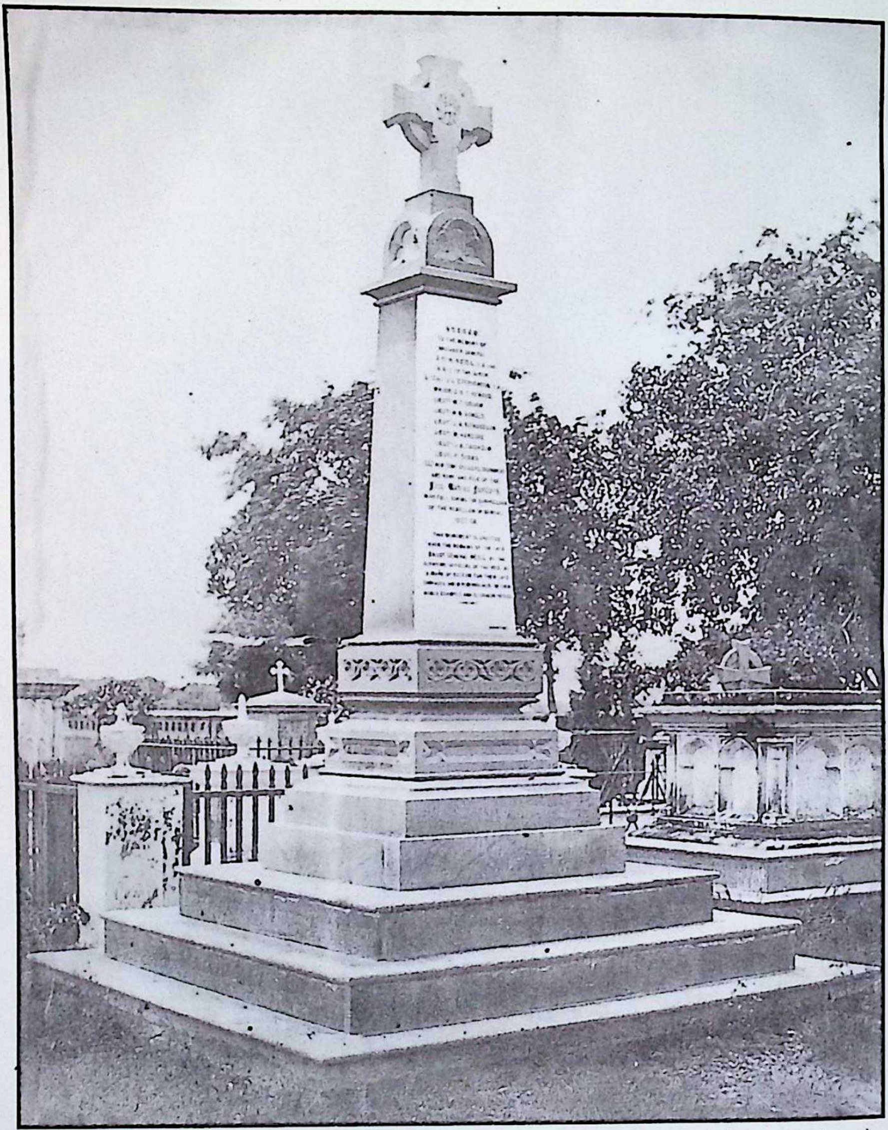

जनरल नील का मक़बरा और मैमूरियल, जंगे–आजादी के सिपाहियो ने घमसान मारके में जनरल नील को मारा।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

भेजा था। ठीक उसी समय ही बापूजी सतारा के राजा का मुक़दमा लेकर इंग्लैण्ड पहुँचा था। लन्दन में अज़ीम उल्ला ख़ाँ तथा बापू जी ने विद्रोह के विषय पर विचार विर्मश किया। बापू जी हिन्दुस्तान वापस आ गये और अज़ीम उल्ला ख़ाँ यूरोप तथा एशिया के प्रान्तो में स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए सहायता के उद्‌देश्य से घूमता फिरा उसके पश्चात् अज़ीम उल्ला ख़ाँ बिठूर वापस आये, जहाँ उसने और नाना साहब ने विद्रोह की योजना तैयार की थीं। बापू जी सतारा में बैठकर दक्षिण भारत में विद्रोह का वातावरण बना रहे थे। विद्रोह की पूर्ण योजना लन्दन या बिठूर में तैयार की गयी थी जिसको सम्पादन करने का कार्य बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तथा उनकी पत्नी ज़ीनत महल ने किया। उस विद्रोह के लिए धन की आवश्यकता थी। जिसके लिए फ़क़ीरों तथा सन्यासियों ने नगर-नगर तथा ग्राम-ग्राम घूम-घूम कर प्रचार किया। उन प्रचारकों में फ़ैज़ाबाद के एक ज़मींदार परिवार के मौलवी अहमद शाह का सबसे अधिक योगदान रहा, जिन्होंने अवध और आगरा में भारत की निर्धनता तथा अंग्रेज़ों के अत्याचार और भारतीयों की असहायता के विषय पर व्याख्यान देकर जनता को विद्रोह के लिये प्रोत्साहित किया और उनसे शपथ ली कि वे अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए अपने जीवन को बलिदान तक कर देंगे। इसके अतिरिक्त मेलों, नाटकों तथा कठपुतली के तमाशों आदि के माध्यम से भी विद्रोह का खुला प्रचार किया गया था। विद्रोह के पाँच बड़े केन्द्र देहली, बिठूर, लखनऊ, कलकत्ता और सतारा निर्धारित किये गये थे। धीरे-धीरे इन केन्द्रों की संख्या बढ़ गयी और इन केन्द्रों का भारतीयों से पत्राचार भी होता था। विद्रोह का आशय यह था कि भारत के राजा और नवाब बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के झण्डे के नीचे एकत्र होकर और इस प्रकार से भारतीय जनता आपस में एक होकर अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाने का प्रयास करे। विद्रोह के दो चिन्ह थे। लाल कमल और चपाती। लाल कमल उन पलटनों में घूमाया जाता था जो विद्रोह की योजना में शामिल हो गयी थी। एक पलटन का सिपाही लाल कमल को लेकर दूसरे पलटन में जाता था और इस प्रकार से वह फूल एक पलटन से

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

दूसरी पलटन में पहुँचा दिया जाता था। चपाती को ग्राम के चौकीदार के पास ले जाता था। उस चौकीदार का कर्तव्य था कि वह उस चपाती में से थोड़ी-सी स्वयं खाकर शेष चपाती को लोगों को खिला दे और फिर गेहूँ या किसी और अनाज के आटे की चपातियाँ बनाकर अपने निकट के ग्राम में पहुँचा दे। इसका यह अर्थ था कि उस ग्राम के निवासी राष्ट्रीय विद्रोह में भाग लेने के लिए तैयार हैं[7]।

1857 के विद्रोह के कारणों की समीक्षा करने के उपरान्त यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह विद्रोह एक योजना के अन्तर्गत हुआ था। इस तर्क का परिणाम यह है कि 1857 की घटनाओं की सदृश्यता जो बताती है कि विद्रोह की पहले से योजना तैयार की गयी थी। अंग्रज़ों के पत्र और भारतीय इतिहासकारों के कथन से यह स्पष्ट होता है कि विद्रोह की योजना निश्चित की गयी थी, इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि विद्रोह की योजना बिठूर और लन्दन में तैयार की गयी थी, जिसके महान विचारक तथा नेता नाना साहब, अज़ीम उल्ला ख़ाँ, बापू जी और बादशाह मुहम्मद शाह ज़फ़र तथा मौलवी अहमद उल्ला शाह थे। 31 मई 1857 ई. विद्रोह की तिथि निश्चित की गयी थी, पहले भारतीय सैनिकों को विद्रोह करना था और उसके उपरान्त विद्रोह को जनता में फैलाना था। अंग्रेज़ों की हत्या, मैग़ज़ीन और खजाने पर अधिकार अंग्रेज़ों के भवनों को आग लगाना, कारागार से बन्दियों को छुड़ाना, रबी की फसल की मालगुज़ारी की पहली किस्त वसूल करना तथा प्रत्येक स्थान पर जहाँ विद्रोह हुआ था वहाँ के किसी राजा या उसके परिवार के किसी सदस्य को देहली के सम्राट के अधीन शासक बनाना उस योजना की महत्वपूर्ण धटनाएं थीं।

सत्य यही है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण उसको अंग्रेज़ों ने स्वतन्त्रता संग्राम या स्वतन्त्रता आन्दोलन नहीं लिखा। यदि उस विद्रोह में भारत को विजय प्राप्त हो जाती तो बिना किसी सन्देह के उसको स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता और उसकी तुलना अमेरिका और फ्रान्स के

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

स्वतन्त्रता संग्रामी "नाना साहाव"

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

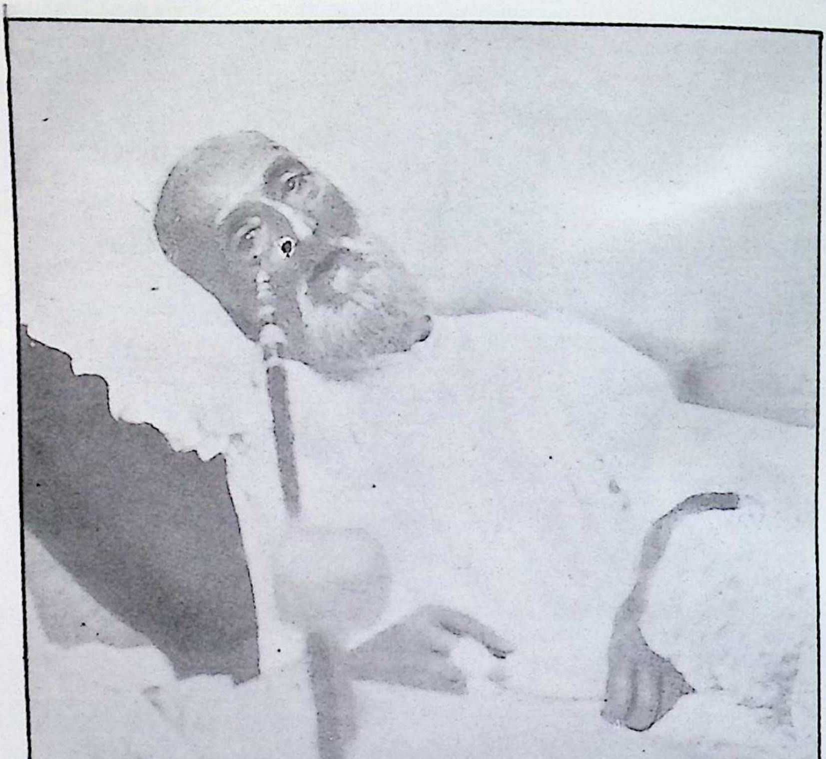

बादशाह बहादुर शाह ज़फर

शमा जलती है पर इस तरह कहाँ जलती है

हड्डी हड्डी मेरी ए सोज़े निहां जलती है।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

स्वाधीनता संग्राम से की जाती।

सन्दर्भः

1- एम. एन. ई. मेरठ, एफ. एस. पृ. 9,10, 11

2- वही।

3- एम. एन. ई.- एम. बी. एफ. एस. पृ.-163

4- डी. एन. ई., एम. एन. ई., एम. बी., एफ. एस.- पृ. 164-165

5- डी. एन. ई., एफ. एस. पृ. 165

6- भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, खण्ड-II पृ. 86

7- भारत में अंग्रेज़ी राज के कारनामे, खण्ड-II पृ. 819-826

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

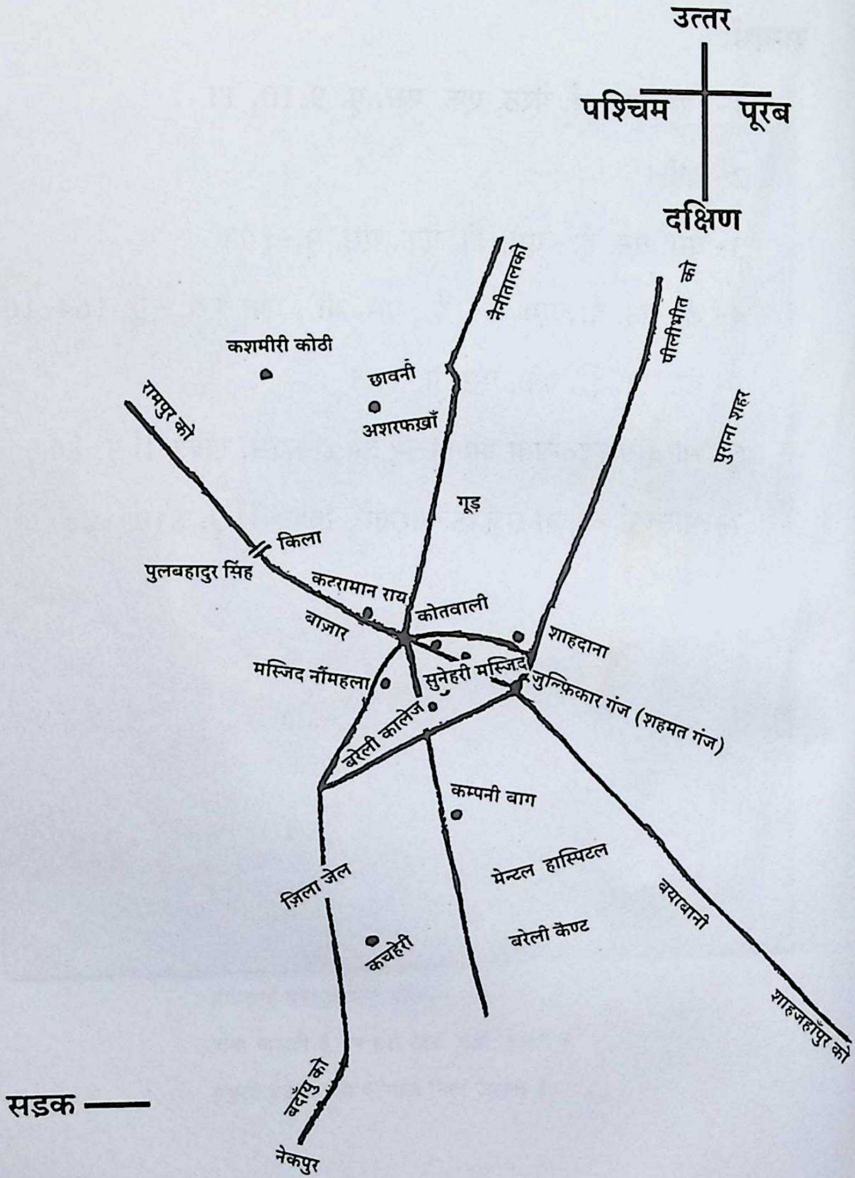

अनुमानित बरेली शहर का मानचित्र 1856 ई.

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

मानचित्र-ज़िला बरेली

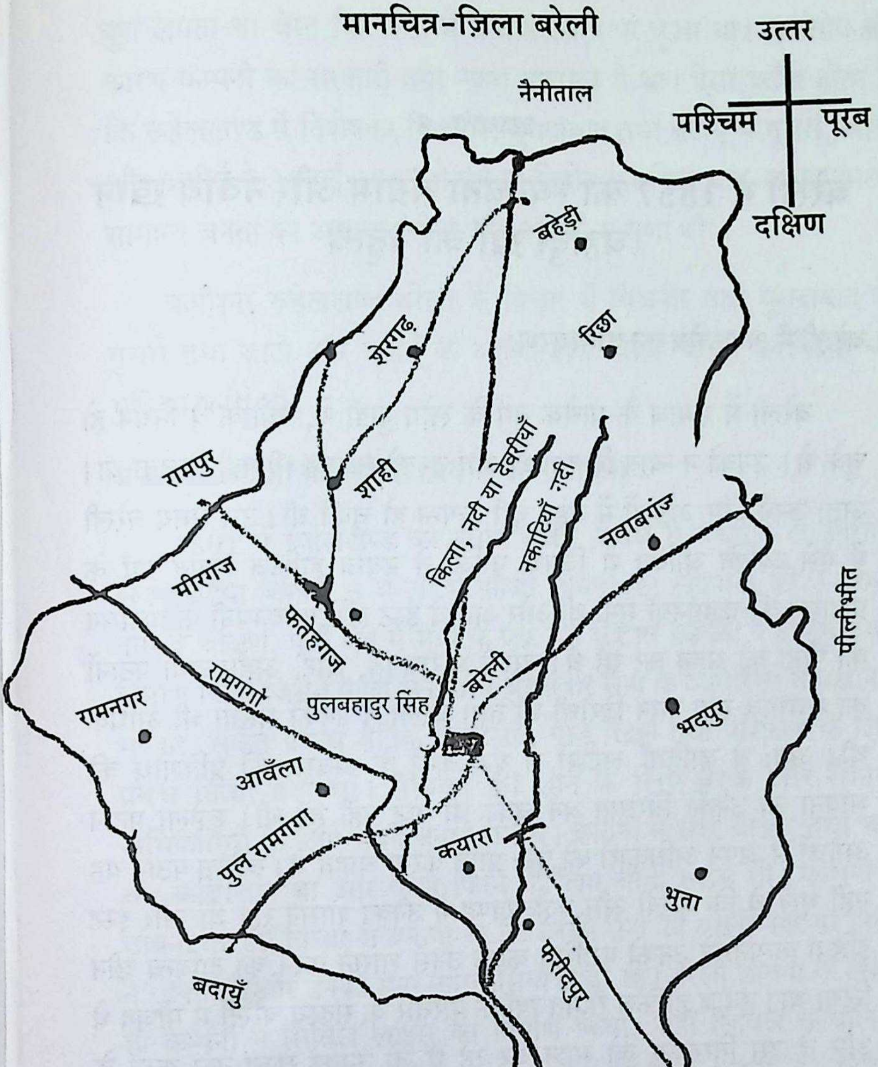

संदर्भ : भुगोल ज़िला बरेली लेखक : जी. एन. महरोत्र

गुरू प्रकाशन बरेली (1987)

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अध्याय-5

बरेली में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का नेतृत्व

बरेली में असन्तोष का वातावरण:-

बरेली में समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग दुखी थे, क्योंकि वे निर्धन हो चुके थे। उनको न न्याय मिलता था और उनको सम्मान भी नहीं मिलता था। अत: उनमें और अंग्रेज़ों में बहुत दूरी उत्पन्न हो चुकी थी। उस समय बरेली में ऐसे व्यक्ति जीवित थे जिनके पूर्वजों ने नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के प्रशासन की कहानियाँ सुनी थी और अब वे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रशासन की पीड़ा को सहन कर रहे थे। बरेली में राजपूत, जाट, अहीर तथा पठानों का स्वाभाव सदा दमन विरोधी थी तथा बरेली में उनकी संख्या भी अधिक थी। अत: वे जातियाँ अंग्रेज़ों से युद्ध करने के अवसर की प्रतिशोध की भावना जो उनकी विरासत बन चुकी थी नष्ट नहीं हुई थी। रूहेला पठान अंग्रेज़ों से अपने अधिकारों को पुन: प्राप्त करना चाहते थे। रूहेला पठान यह नहीं भूले थे कि बरेली और रूहेलखण्ड में उनका शासन रहा था और ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उनको पराजित करके उनसे शासन करने का दायित्व छीन लिया था। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के परिवार के सदस्य बरेली में मौजूद थे और वे उस तिरस्कार को सहन कर रहे थे जो उनका राज्य नष्ट करने के पश्चात् उनका भाग्य बन गया था। डॉ. ताराचन्द्र ने उस ओर संकेत करते हुए लिखा है कि रूहेलखण्ड 1801 में अवध के नवाब ने कम्पनी को दिया था और वहाँ भी जनता असन्तुष्ट होने लगी थी। रूहेला सरदार अपने अधिकारों से वंचित हो गये थे और उनके साथ वही व्यवहार किया जाता था जो उनके सेवकों के साथ किया जाता था। रूहेला सरदारों को कम्पनी का यह व्यवहार

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

बुरा लगता था जैसा कि भारत में प्रत्येक स्थान पर हुआ था। असंतोष का कारण कम्पनी का सरकारी और न्याय प्रशासन में था। ऐसा प्रतीत होता है कि रूहेलखण्ड में विशेषकर बिजनौर, मुरादाबाद तथा बदायूँ में गूजरों, जाटों और अहीरों ने 31 मई 1857 से पूर्व ही विद्रोह कर दिया था। उसका कारण सामान्य जनता का असन्तुष्ट होना और अंग्रेज़ों से घृणा थी[1]।

कमीश्नर रूहेलखण्ड बरेली के विचार में बिजनौर तथा मुरादाबाद के गुजरों तथा जाटो और बदायूँ के अहीरों द्वारा विद्रोह बरेली के विद्रोह की भूमिका बनी[2] थी।

बरेली में अंग्रेज़ों की फ़ौजी छावनी की स्थापना :-

1801 में रूहेलखण्ड को नवाब वज़ीर अवध से उकसाने के उपरान्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बरेली में फ़ौजी छावनी की स्थापाना की । बरेली नगर के दक्षिण, पूर्वी क्षेत्र में भूमि के एक बड़े क्षेत्र पर कम्पनी ने केन्टूमेन्ट का निर्माण किया जिसमें पैदल सेना और घुड़सवार सेना के अतिरिक्त तोपख़ाना, भण्डार, संकेत प्रबन्ध सैनिक कार्यालय, परेड मैदान तथा प्रशिक्षण के लिए प्रबंध किया गया था। सैनिकों को रहने के लिऐ बैरक और सैनिक अधिकारियों के लिए भवन बनाये गये थे। छावनी में सदर बाज़ार तथा चर्च था, कब्रिस्तान था और घूमने फिरने के लिए चौड़ी सड़क थी। कम्पनी ने छावनी को इस विचार से बनाया था कि उनकी सेना को बरेली नगर पर निर्भर न रहना पड़े और उनकी सेना नगरवासियों से दूर रहे। बरेली छावनी के निकट ही कम्पनी ने सिविल लाइंस का निर्माण किया, जहाँ सिविल कार्यालय, न्यायालय तथा अंग्रेज़ सिविल अधिकारियों के लिए भवनों का निर्माण हुआ। सिविल लाइंस के निर्माण में भी अंग्रेज़ों ने अपनी आवश्यकता और सुविधा के उपाय किये थे। 1857 में बरेली छावनी में अंग्रेज़ बिग्रेडियर जनरल रहता था। बरेली उत्तर प्रदेश की एक बड़ी छावनी थी। बरेली छावनी में सूबेदार, रिसालदार, और सूबेदार मेजर तक भारतीय अधिकारी होते थे और सार्जेन्ट, लेफटीनेन्ट से लेकर जनरल तक अंग्रेज़ अधिकारी होते थे।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सिविल अधिकारियों में सबसे ऊँचा पद कमिश्नर का होता और वह सिविल लाइस में रहता था। देखने में तो सिविल और सेना के दो भिन्न विभाग थे, परन्तु दोनों आपस में मिश्रित थे।

उस समय बरेली की छावनी में जो सेना थी उसका विवरण निम्न है:-

1- 8वीं अनियमित घुड़सवार सेना की रेजीमेन्ट[3]

2- 18वीं और 68 वीं देशी, पैदल सेना पलटनें।

3- देशी सैनिकों की देखरेख में एक तोपख़ाने की टुकड़ी।

जब मई 1857 में विद्रोह की चर्चा हुई तो घुड़सवार सेना में घुड़सवार पुलिस और पैदल पुलिस की भर्ती की गई।[4]

मई 1857 की अवधि में निम्नलिखित अंग्रेज़ अधिकारी बरेली में नियुक्त थे।

(अ) सैनिक:-

1. BRIG-Sibbald, 2. COL- TROUP, 3. MAJOR Pearson, commanding Officer 18th Regiment, 4. BRIGADE MAJOR CAPTAIN Brownlow, 5. Captain Kirby, Commanding Officer Artillery, 6. Lt. Gowan, Adjutant of 18th Regiment, 7. Lt. Gohnstone, 8. Captain Manckenzie commanding officer 8th Irregular ̣cavaby, 9. Lt. Beecher, 10. Lt. Marvel, 11. Lt. Roger, 12. Sjt. Henery, 13. Sjt. Stub, 14. Sjt. Malden, 15. Insine Tiko, Quarter Master.

(ब) सिविल:-

1. Alexander, commissioner ROHILKHAND, 2. Guthra, Collector BAREILLY, 3. Roberston District Judge,

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

4.Qrr. DY. collector 5. Dr. Hay, Civil Surgeon, 6. Henry Aspinall, 7. Wyalt (पद नहीं मालूम) 8. Currie (पद नहीं मालूम) 9. Pasal, Joint Magistrtate, 10. Maget Joint Magistrate.[5]

बरेली में विद्रोह का वातावरण:-

बैरकपुर से चर्बी के कारतूसों की सूचना छावनियों को भेज दी गयी थी। बैरकपुर में जो 29 मार्च 1857 को विद्रोह हुआ था उसकी सुचना भी सब छावनियों को पहुँच चुकी थी। 18 अप्रैल 1857 को भारतीय सैनिक (मंगल पाण्ड़े) को फाँसी की सज़ा हुई थी। यह सूचना भी बरेली पहुँच गयी थी। बैरकपुर की इन घटनाओं की दृष्टि में ही 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था[6]। जिसकी सूचना बरेली की छावनी में पहुँच चुकी थी। बरेली में अंग्रेज़ों के विद्रोह का वातावरण मई 1857 में उत्पन्न हो गया था। मस्जिद नौमहल्ला बरेली में जहाँ शुक्रवार को बरेली छावनी के सैनिक भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, उनका सम्बन्ध नौमहल्ला के सैयूयदों से हुआ जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे। नौमहल्ला की मस्जिद में अंग्रेज़ों के विरुद्ध शुक्रवार को नमाज़ के पश्चात् उत्साहित भाषण दिये जाते थे। मौलवी सैयूयद कुतुबशाह जो बरेली कॉलिज बरेली में फ़ारसी के अध्यापक थे तथा जिनका एक प्रेस ''मतब-ए-बहादुरी'' नाम का था। उसमें वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध इश्तहार (विज्ञापन) छापकर उसका वितरण कराते थे। वह उन विज्ञापनों में हिन्दू और मुसलमानों को सूचित करते थे कि वे अंग्रेज़ों से सावधान रहे और अपने धर्म को बचाने का प्रयत्न करे। एक ऐसा इश्तहार लाहौर के अनारकली संग्राहलय में सुरक्षित है और जिसको स्वयं मुस्तफा अली बरेलवी ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है[7]। पण्डित कन्हैया लाल ने भी अपनी पुस्तक में कुतुबशाह की पत्रिका की प्रतिलिपि अंकित की है जो उर्दू गद्य तथा पद में थी और उनकी शैली समस्त रूप से धार्मिक थी[8]।

बरेली छावनी में मुहम्मद बक्श उर्फ बख़्त ख़ाँ ''सूबेदार तोपख़ाना'' तथा मुहम्मद शफ़ी रिसालदार ''घुड़सवार सेना'' अंग्रेज़ों के विरूद्ध विद्रोह

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

के दो महान नेता थे। कर्नल ट्रूप ने एडजूटिन्ट जनरल आफ ऑरमी नैनीताल के नाम अपने पत्र दिनांक 10 जून 1857 में लिखा था कि तोपख़ाने के हवलदार[9] वेतन (Pay-Havildar) ने अठाहरवी तथा 68 वीं पलटनों को पत्र भेजकर उन्हें अंग्रेज़ों की हत्या पर तैयार किया था और उसने ख़ूद भी लिखा था कि यदि वे अंग्रेज़ों की हत्या किया नहीं करेंगे तो यह ऐसा ही होगा जैसा कि हिन्दुओं ने गाय का और मुसलमानों ने सुअर का माँस खाया। यही बात जे. एफ. डी. इन्गिलिस ने अपने पत्र दिनांक 30 नवम्बर 1857 में भी लिखी थी[10]।

उपर्युक्त कथन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि बरेली नगर और बरेली छावनी की फ़ौज में परस्पर सम्बन्ध था और वह अंग्रज़ों के विरुद्ध विद्रोह में एक दूसरे के साझेदार थे। विद्रोह बरेली छावनी की सेना के संकेत पर होना था तथा उसके लिये 31 मई 1857 की तिथि की प्रतीक्षा थी।

अंग्रेज़ अधिकारियों को यह आभास हो चुका था कि बरेली छावनी में सैनिकों में असन्तोष फैला हुआ है परन्तु उन्हें यह पूर्ण विश्वास नहीं था कि सेना उनके विरुद्ध विद्रोह करेगी। अंग्रेज़ अधिकारियों ने 20 मई 1857 को अपने परिवार के सदस्यों को नैनीताल भेज दिया था। अंग्रेज़ों ने अपनी घुड़सवार सेना और पैदल सेना एवं पुलिस की सख्या बढ़ायी। उन्होंने रामपुर के नवाब से घुड़सवार सेना की एक पलटन बुलाकर बरेली छावनी की बाहरी सीमा पर नियुक्त कर दी। बिजनौर, मुरादाबाद तथा बदायूँ में विद्रोह के उपरान्त जो सैनिक भागकर बरेली आ रहे थे, उन्होंने उनके प्रवेश को रोकने के लिए उचित कार्यवाही की ताकि बरेली नगर में शान्ति भंग न हो। बरेली नगर का कोतवाल बदरूद्दीन मस्जिद नौमहल्ला में हर शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने जाता था तथा उसने नगर के विशेष नागरिकों से सम्पर्क बनाये रखा था। वह रूहेलखण्ड के कमिश्नर अलैक्जैन्डर को पल-पल की सूचना देता रहता था और इस बात का अधिक प्रयत्न करता रहा कि नगर की जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्यवाही न करें।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

मई 1857 के अन्तिम सप्ताह में विद्रोह के संकेत स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगे। बरेली के कस्बा शाही में शान्ति भंग हुई तथा शाही के तहसीलदार ने बरेली के अधिकारियों को सूचना भेजी कि सरकारी कोष असुरक्षित नहीं है। अत: डिप्टी कलैक्टर तथा डिप्टी मजिस्ट्रेट बरेली सरकारी खज़ाने की सुरक्षा के लिए शाही गये थे। अलैक्जैन्डर कमिश्नर बरेली ने कस्बा आँवला में हकीम सआदत अली ख़ाँ के छोटे भाइयों हिदायत अली और मुहिब्बे अली को आँवले के सार्वजनिक कार्यों के प्रबन्ध के लिये नियुक्त किया। इसी प्रकार से कस्बा फ़रीदपुर के सार्वजनिक प्रशासन के लिए बख़्तावर सिंह और उसके भतीजे बिलास सिंह को नियुक्त किया। उस समय आगरा से बरेली को अंग्रेज़ों की डाक आना बन्द हो गयी थी, क्योंकि बदायूँ में विद्रोह हो चुका था। अंग्रेज़ बहुत परेशान हो गये थे। बरेली के एक प्रसिद्ध नागरिक नौबतराम ने बरेली के जिलाधीश को यह सूचना दे दी कि 29 मई 1857 को मस्जिद नौमहल्ला में शुक्रवार को नमाज़ के पश्चात् अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह हो सकता है। बरेली के कोतवाल बदरूद्दीन ने भी सह सूचना बरेली की कमिश्नर को दी थी। अत: अंग्रेज़ अधिकारियों ने अपनी घुड़सवार सेना को तैयार रहने के आदेश दिये तथा नगर की सड़कों पर सैनिक नियुक्त कर दिये। उस दिन अंग्रेज़ बहुत चिन्तित तथा परेशान थे। समस्त सिविल और सैनिक अंग्रेज़ अधिकारी एक भवन में एकत्रित हो गये थे, परन्तु विद्रोह नहीं हुआ और 29 मई 1857 का दिन शान्ति से गुज़र गया। वास्तव में हुआ यह था कि अश्वरोही सेना का रिसालदार मुहम्मद शफ़ी छुट्टी पर था और घुड़सवार पलटन को नगर में नियुक्त कर दिया गया था जिसके कारण पैदल सेना को विद्रोह करने के लिये घुड़सवार पलटन की सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। 29 मई 1857 को ही भारतीय पलटनों को एक प्रतिनिधि मण्डल ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से भेंट की, जिसकी सूचना बदरूद्दीन कोतवाल बरेली ने जिलाधीश को भेज दी थी। 30 मई 1857 को बरेली के अंग्रेज़ अधिकारियों को उनके विरुद्ध विद्रोह होने का सम्पूर्ण विश्वास हो गया था। उसी दिन नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने रूहेलखण्ड के

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

कमिश्नर आर अलैक्जैन्डर से भेंट की और उसको विश्वास दिलाया कि सेना विद्रोह अवश्य करेगी और उसको "अपनी जान बचाओ" की चेतावनी दी[11]।

बरेली में अंग्रेज़ अधिकारियों ने यह प्रयत्न किया था कि बरेली की सेना विद्रोह न करें। अंग्रेज़ अधिकारियों ने 19 मई 1857 को बरेली छावनी में एक परेड का आयोजन किया था और बरेली सेना के क्वॉटर मास्टर ब्रिगेडियर सिबबॉल्ड का यह सन्देश सुनाया कि पिछले पचास वर्षों से भारतीय सैनिकों और उनके मध्य परस्पर सहानुभूति का सम्बन्ध रहा है। उसके पश्चात् भारतीय सैनिक अधिकारियों के सामने की पंक्ति में बुलाकर बरेली के कमिश्नर ने लेफटीनेन्ट गर्वनर का यह सन्देश सुनाया कि हिन्दुओं और मुसलमानों के धर्मों में उनकी जातियों और परम्पराओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है और न किया जायेगा। इसके उपरान्त भी यदि भारतीय सैनिक नौकरी छोड़कर जाना चाहते हैं तो वे तुरन्त नौकरी छोड़ दें और अपने घरों को लौट जाएं। उस कार्यवाही को भारतीय सैनिकों और अधिकारियों ने शान्ति से सुना, परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया। इस कार्यवाही के पश्चात् बरेली के कमिश्नर ने अपने साप्ताहिक दरबार में 22 मई 1857 सोमवार को बरेली नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से विद्रोह के सम्बन्ध में प्रश्न किया, जिसके उत्तर में कमिश्नर को सन्तुष्ट रहने का विश्वास दिलाया गया था।[12] जब 30 मई 1857 को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ कमिश्नर से मिलने के लिये गये थे तो उन्होंने जहाँ उसको सैनिक विद्रोह का विश्वास दिलाया गया था और उसको "जान बचाओ" की चेतावनी दी थी। वहाँ उन्होंने यह स्पष्ट नहीं होने दिया था कि वह ईस्ट इण्ड़िया कम्पनी के प्रशासन के विरुद्ध थे।

वास्तव में मई का माह रमज़ान का महीना था जिसमें मुसलमान "व्रत" रखते है और क्योंकि मई के माह में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अतः मुसलमान सैनिकों के लिये "रोजे" में युद्ध करना कठिन कार्य था। 25 मई 1857 को "ईद" का दिन था और 31 मई 1857 को विद्रोह की तिथि

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सुनिश्चित की गयी थी। मुहम्मद शफ़ी रिसालदार भी छुट्टी पर थे। अधिकतर मुसलमान सैनिक छुट्टी लेकर ''ईद'' का त्यौहार मनाने के लिये अपने घरों को चले गये थे। अतः यह स्वाभाविक था कि मुसलमान सैनिक ईद के त्यौहार के पश्चात् ही 31 मई 1857 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते थे। इसी कारण से बरेली में 31 मई से पहले विद्रोह की घटना नहीं घटी।

बरेली में सैनिक विद्रोह

दिनांक 30 मई 1857:-

बरेली नगर में मई 1857 को फिरोज़पुर पलटन के भागे हुए सिपाही आये और उन्होंने यह सूचना दी कि अंग्रेज़ो की सेना बहुत निकट आ चुकी है तथा अंग्रेज़ सेना जहाँ जाती है, जनता की हत्या करती है। इन भागे हुए सैनिकों में बरेली छावनी के भारतीय सैनिकों को भी सूचना दी और उन पर बल दिया कि वह विद्रोह करने में देरी न करें। माह मई 1857 के अन्त तक बरेली के जो सिपाही अवकाश पर थे वे भी लौट आये थे और उन्होंने भी भागे हुए सिपाहियों की सूचना को सिद्ध किया। सारी रात आपसी विचार-विमर्श में व्यतीत हुई[13]।

मई 1857 को भारतीय सिपाहियों की एक टुकड़ी नकटिया के पुल के निकट छिपकर बैठे हुए आपस में गुप्त परामर्श कर रहे थे यदि अंग्रेज़ कमान्डिग ऑफिसर उधर बरेली छावनी से गुज़रे तो उसकी तुरन्त हत्या कर दी जाये[14]। इससे प्रतीत होता है कि मई 1857 की अन्तिम तिथियों में ही विद्रोह के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर ली गयी थी।

दिनांक 31 मई 1857

भारतीय सैनिकों ने प्रातःकाल से ही बरेली की छावनी को घेरे में ले लिया था। उन्होंने डाकघर के कार्यालय पर सैनिक नियुक्त कर दिये थे। समस्त डाक को फाड़ डाला था। बरेली छावनी में यह सूचना फैल रही थी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

कि भारतीय सैनिक 11 बजे दिन के समय अंग्रेज़ों की हत्या करेंगे तथा उनके भवनों में आग लगायेंगे। अंग्रेज़ अधिकारियों ने 18वीं घुड़सवार पलटन को तैयार रहने के आदेश दिये थे, परन्तु घुड़सवार पलटन ने तैयारी में अधिक देर लगायी थी[15]। 11 बजे तोप चलने की आवज़ आयी और उसके उपरांत बन्दूकें चलने की आवाज़ सुनायी दी। हर ओर से लोगों के चीख़ने की आवाज़ें आ रही थीं। अंग्रेज़ अधिकारी पहले से अपनी निर्धारित योजना के अनुसार कैप्टन मैकेन्ज़ी के भवन में एकत्रित हो गये थे, जो घुड़सवार पलटन की वफ़ादारी पर कोई सन्देह नहीं था जैसा कि कर्नल ट्रुप के पत्र दिनांक 10 जून 1857 से ज्ञात होता है जो उसने डिप्टी एडजयूटेन जनरल आफ ऑरमी के नाम नैनीताल से लिखा था[16]। 68 वीं पलटन के सैनिक ने अपने ठिकानों से दौड़कर बन्दूकों पर अधिकार किया तथा सेना के रसोईघरों पर गोलियाँ बरसाईं। उस समय अंग्रेज़ अधिकारियों ने प्रशासन के रखरखाव के लिये कोई प्रत्यन्त नहीं किया और वे घोड़ों पर 8वीं घुड़सवार पलटन की पंक्ति की ओर भागे। उन पर गोलियों की वर्षा होती रही। ठीक उसी समय आठवीं तथा 68 वीं पलटन सैनिकों ने ब्रिगेडियर सिबबॉल्ड को घेर लिया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रिगेडियर सिबबॉल्ड की हत्या के पश्चात् कर्नल ट्रुप ने उसका स्थान संभाला और अंग्रेज़ अधिकारियों ने नैनीताल जाने का निर्णय लिया। 8वीं घुड़सवार पलटन के उन्नीस भारतीय सैनिक वफ़ादार रहे और उन्होंने अंग्रेज़ को नैनीताल तक पहुँचा दिया[17]।

उपर्युक्त कथन उन अंग्रेज़ अधिकारियों का है जो उस समय बरेली छावनी में उपस्थित थे। उन्होंने अपने कथन में यह बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने ऐसे खतरे के वातावरण में भी धैर्य को बनाये रखा था। वास्तव में सत्य यह है कि वे अपनी जान बचाकर नैनीताल को भागे थे। भारतीय सैनिक बरेली छावनी में पागलों की भाँति प्रत्येक दिशा में भाग रहे थे। और जो अंग्रेज़ भी उनके सामेंने आता था उस पर गोली चला देते थे । इसी मार-काट के वातावरण में ब्रिगेडियर सिबाबॉल्ड, इंस्टाइन टंकर तथा क्वाटर मास्टर सरजिन्ट हेनरी मारे गये थे। जो हत्या से बच गये वह 8वीं घुड़सवार

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

रात्रि के समय ग्यारह बजे नैनीताल पहुँचे गये थे[18]।

जिस बरेली के गजट में बिना किसी संदर्भ के यह सूचना दी गयी है कि घुड़सवार पलटन के कमान्डिग ऑफिसर ने अपने सैनिकों को एकत्र किया तथा उसके उपरान्त समस्त अंग्रेज़ अधिकारियों के साथ नैनीताल की ओर चले गये, परन्तु अधिक संख्या में घुड़सवार पलटन के भारतीय सैनिक लौट आये जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। घुड़सवार सैनिकों के वापस आने की पुष्टि ''दुर्गादास बन्दोपध्याय'' की डायरी से होती है, जिसके सन्दर्भ में ''आर. सी. मजूमदार'' ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि घुड़सवार पलटन का रिसालदार मुहम्मद शफ़ी अपने सिपाहियों के साथ भागते हुए अंग्रज़ों में शामिल होने के लिये चला गया था। चूँकि अंग्रेज़ मुहम्मद शफ़ी को धोखेबाज़ समझते थे, अत: अंग्रेज़ घबराकर निकल गये तथा मुहम्मद शफ़ी अपने सिपाहियों के साथ लौट आया[19]।

मजूमदार का कथन सही प्रतीत होता है, क्योंकि मुहम्मद शफ़ी रिसालदार पर धार्मिक पागलपन चढ़ा हुआ था। और स्वयं अंग्रेज़ भी उसको अपना वफ़ादार नहीं समझते थे। अत: यह तो हो सकता है मुहम्मद शफ़ी घुड़सवार पलटन के उन सैनिकों को रोकने के लिए आगे बढ़ा हो जो अंग्रज़ों के साथ जा रहे थे। किन्तु इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह स्वयं नैनीताल जाने के लिए अंग्रज़ों के पीछे-पीछे चला था। मजूमदार ने दुर्गादास बन्दोपाध्याय की डायरी पर विश्वास किया है। वास्तव में उस समय बरेली में बंगाली अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने की योग्यता रखने के कारण सन्देह की दृष्टि से देखे जाते थे और उनको गुप्तचर समझा जाता था। मजूमदार के कथन के अनुसार उन बंगालियों में से सात को फाँसी की सज़ा भी हुई थी। उनको बरेली नगर छोड़कर जाने के आदेश भी दिये गये थे। ऐसी परिस्थिति में दुर्गादास बन्दोपाध्याय की डायरी को सत्य नहीं समझा जा सकता। मुहम्मद शफ़ी और बख़्त ख़ाँ बरेली छावनी में विद्रोह के नेता थे। मुहम्मद शफ़ी की विद्रोही भावना पर सन्देह नहीं किया जा सकता। वह अंग्रेज़ों से

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

युद्ध करने के लिए बख़्त ख़ाँ के साथ देहली तक गया था।

किन्तु यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता है कि भारतीय सैनिकों ने नैनीताल जाने वाली सड़क की ''नाकाबन्दी'' क्यो नही की? और अंग्रेज़ अधिकारियों का पीछा क्यों नहीं किया? मुहम्मद शफ़ी अंग्रेज़ों का पीछा किये बिना क्यो लौट आया? भारतीय सैनिकों ने केवल बरेली छावनी के भीतर ही बन्दूक़ें तोप क्यों चलाईं? और अंग्रेज़ कैसे बचकर निकल गये? इन प्रश्नों के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि 8वीं घुड़सवार पलटन के उन्नीस सैनिक अंग्रेज़ों के पक्ष में थे और वह अंग्रेज़ों को सुरक्षित रूप से बरेली छावनी से निकालकर ले गये थे। यदि मुहम्मद शफ़ी रिसालदार और अन्य सैनिक भागते हुए अंग्रज़ों का पीछा करते तो यह सम्भावना थी कि आपस में गोली चल जाती तथा जो भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों को अपनी सुरक्षा में नैनीताल ले जा रहे थे गोली चला सकते थे। यदि आपस में गोली चल जाती तो उससे विद्रोह पर बुरा प्रभाव पड़ता। आगे की घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि सिविल और सैनिक अंग्रेज़ अधिकारियों को सुरक्षित रूप से नैनीताल पहुँचाने से बरेली के स्वतन्त्रता आन्दोलन को हानि हुई। उन्होंने नैनीताल में बैठकर स्वतन्त्रता आन्दोलन को नष्ट करने के उपाय किये और दूसरी ओर रामपुर के नवाब युसुफ़ अली ख़ाँ की हर प्रकार से सहायता उनको प्राप्त होती रही। बरेली के महाजन आदि उनको नैनीताल में गुप्त सूचनायें भी भेजते रहे। बरेली के कमिश्नर अलैक्जेन्डर जो 31 मई 1857 को नैनीताल भागा था। वही अंग्रेज़ों की विजय के उपरान्त मृत्यु का दूत सिद्ध हुआ। यह खेद की बात है कि अंग्रेज़ों को बरेली में भी वफ़ादार मिले जैसा भारत के अन्य विद्रोह केन्द्र पर भी उनको वफादार मिले जिनकी सहायता के फलस्वरूप अंग्रेज़ों की विजय हुई। अन्यथा मुठ्ठी भर अंग्रेज़ों को पराजित करना कोई कठिन कार्य नहीं था।

31 मई 1857 को दोपहर के समय तक बरेली छावनी से सिविल और सैनिक अंग्रेज़ अधिकारी नैनीताल को भाग चुके थे। उस समय बरेली छावनी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

में विद्रोह का बड़ा नेता देशी तोपख़ाने का अफ़सर मुहम्मद बक़्श उर्फ बख़्त ख़ाँ था[20]। 8वीं घुड़सवार सेना का अफ़सर मुहम्मद शफ़ी विद्रोह का दूसरा बड़ा नेता था। वह धार्मिक भावना के कारण बहुत भड़का हुआ था। मुहम्मद शफ़ी के हाथ में हरा झंडा था[21]। बरेली छावनी में विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों ने मैगज़ीन के पास हरे रंग का मुहम्मदी झण्डा स्थापित किया था[22]। बख्त ख़ाँ ने बरेली छावनी को लूटने का नष्ट करने का आदेश दिया। बरेली छावनी में लूटने और आग लगाने की घटनाएं रात्रि के समय तक जारी रही। दूसरे दिन अर्थात दिनांक एक जून 1857 को प्रात: काल बरेली छावनी में चारों ओर से धूल ही धूल दिखायी देती थी[23]। बख़्त ख़ाँ ने ब्रिगेडियर सिबबॉल्ड की गाड़ी पर और अन्य भारतीय सैनिकों ने दूसरे भगौड़े अंग्रेज़ अधिकारियो की गाड़ियो और बघियों पर सवार होकर बरेली छावनी में घूमने-फिरने लगे[24]। भारतीय सैनिकों ने दिनांक 31 मई 1857 को ही सरकारी कोष पर अधिकार कर लिया था[25]। जेल तोड़कर बन्दियों को स्वतन्त्र कर दिया था[26]।

31 मई 1857 को बरेली नगर की स्थिति:-

बरेली छावनी में सैनिक विद्रोह के पश्चात् बरेली नगर में जनता ने विद्रोह किया। उस समय बरेली में उच्च वर्ग के लोग सैय्यद, पठान, कायस्थ, महाजन और निम्न वर्गों के सभी लोग आबाद थे। पठानों में रूहेला पठान नगर में बहुत प्रतिष्ठित थे तथा उनको युद्ध कौशल की भावना विरासत में मिली थी। और वह एक लम्बे समय से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे[27]। रूहेला पठान नगर में आबाद थे और उनमें जो नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के वंश से थे वह बहुत ही आदरणीय थे। नगर में नौमहल्ले के सैय्यदों का बहुत सम्मान होता था और वह पठानों के लिए बहुत आदरणीय थे। महाजन करोबार करते थे और बहुत धनवान थे। कायस्थ अधिकतर मौहल्ला भूड़ में रहते थे । वह शिक्षित थे और उनमें अधिकतर सरकारी कर्मचारी थे। उनका मुसलमानों से बहुत मेलजोल था बरेली में जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध जनता ने

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

विद्रोह किया तो स्वाभाविक रूप से उसका नेतृत्व पठानों ने किया और जिसकी सहायता नौमहल्ला के सैय्यदों और नगर के कायस्थों ने की। पड़ोस के ग्रामीण और कस्बों के राजपूत, अहीर, मेवाती और आम लोग भी विद्रोह में शामिल हो गये। उच्च वर्ग के ज़मींदार, महाजन और अधिकारी अपने स्वार्थ के कारण चिन्तित हो गये तथा उन्होंने गुप्त रूप से अंग्रेज़ों की सहायता की। 31 मई 1857 को बरेली में जो घटनायें घटीं उनमें यही जनता के लोग उपस्थित थे। इन सबका एक ही उद्देश्य था अर्थात अंग्रेज़ों की हत्या करना और उनके भवनों को लूटना तथा नष्ट करना और सरकारी कोष पर अधिकार करना, कारागार से कैदियों को छुड़ाना और प्रशासन स्थापित करना। नवाब नयाज़ अहमद ख़ाँ होश (मृत्यु 1892) जो हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के वंश से थे और जिसने 1857 की घटनायें स्वयं देखी थी उन्होंने बरेली के 31 मई 1857 के दिन के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक तारीख़े रूहेलखण्ड में लिखा है ''जबकि खबर फ़साद मुतअय्यना छावनी मेरठ और दिल्ली की बरेली में पहुँची तो यहाँ की फौज के दिमाग में भी सौदा-ए-शोरिश व फ़साद पैदा हुआ। चुनांचे बअहदे कमिश्नरी मिस्टर अलैकेण्डर साहब सातवी शव्वाल रोज यक शम्बा 1274 हिजरी को मुताबिक 31 मई 1857 के दोपहर के वक़्त मुसम्मा मुहम्मद बख़्श उर्फ बख्त ख़ाँ सूबेदार तोपख़ाना मय पलटन नम्बर अठारह व अड़सठ यथादवान हिन्दुस्तानी व आठवीं रेजीमेन्ट सवारान हिन्दुस्तानी मुताअयूयना छावनी बरेली के अपनी सरकार से बाग़ी हुई। उस वक़्त जनरल स्पाल्ड साहब को एक सवार हिन्दुस्तानी ने जो साहब मौसूफ़ की अर्दली में था, मुततसिल शुतर्खाना के बन्दूक से कत्ल किया और इन्सटन मकर साहब को तिलंगो ने मकसूद में मार डाला और चन्द्र फ़ाइर तोप के भी वास्ते अगाही मरदोमाने शहर के किये। मैगज़ीन और ख़ज़ाना सरकारी अपने कब्जे में किया और अस्बाब व माल कोठियों और बंगलों को लूटकर आग लगा दी। दफतर सरकारी फूंक दिये। जेलख़ाना तोड़कर कैदियों को रिहा कर दिया। मिस्टर अलैक्जेन्डर साहब कमिश्नर रूहेलखण्ड मय मिस्टर गन्थरी साहब मजिस्ट्रेट जिला बरेली और दीगर हुक्कामे मूलकी और फ़ौज

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

के तखमीनन और दीगर तीस साहब मस्लहते वक़्त के ग़नीमत जानकर नैनिताल को चले गये। उसी दिन ख़ान बहादुर ख़ाँ खलफ़ ज़ुल्फेकार ख़ाँ इब्न हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ वालीये साबिक़ मुलके रूहेलखण्ड व इम्दाद शोभाराम और मदार अली ख़ाँ वग़ैरा शोहरा पुश्ते आवाम बरेली और सादाते नौमहल्ला के कोतवाली में आकर वालिये मुल्क बन गया और मनादी अपने नाम की शहर बरेली में करा दी। मिन जुमला हुक्कामे अंग्रेज़ी के मिस्टर राबर्टसन साहब जज और डॉ. हेय साहब और मिस्टर आर. साहब डिप्टी कलैक्टर बसबब तमाज़ते आफ़ताब के मौलवी हामिद हुसैन मुन्सिफ़ के मकान में और डॉ. बुक साहब प्रिंसिपल बरेली कॉलेज और मिस्टर रैक्स साहब सेशन जज अमान अली ख़ाँ की कोठी में पनाहगीर हुये। यह सुनते ही बागीये शहर जोक-जोक दोनों मकानों पर हमला आवर हुए और अंग्रेज़ों को तहतेग़ करके लाशें उनकी घसीटकर कोतवाली में डाल दी और अमान अली ख़ाँ के तहख़ाने को जलाकर ख़ाक कर दिया। उसी दिन मिस्टर अस्पनल साहब और उनकी बीबी और माँ को कोतवाली के सामने कत्ल किया और अक्सर ईसाई को जहाँ देखा कत्ल किया। पिअरसन साहब मेजर रेजीमेन्ट नम्बर अठारह नैनीताल जा रहे थे कि रास्ता भूलकर पीलभीत की सड़क पर चले गये चुनांचे मौजा अमेटा परगना नवाबगंज में गाँव वालों ने उन्हें कत्ल किया। अलबत्ता गौन साहब कप्तान रेजीमेन्ट नम्बर अठारह अपनी पलटन के सिपाहियों की मदद से बख़ैरो आफ़ीयत छावनी से निकल गये और मौज़ा खेड़ बझेड़ा जिला शाहजहाँपुर जा छिपे और बच गये। जिस वक़्त बाग़ियों ने जेलख़ाना तोड़ने का इरादा किया डॉ. बन्सबरो साहब ने कमाल बहादुरी की और हततुल मक़दूर बाज़ रखा।

बाग़ियों ने जिस कदर छप्पर वहाँ मौजूद थे, मुत्तसिल दरवाजा रखकर उनमें आग लगा दी। जबकि दरवाजा जलने लगा और डॉ. साहब ने इन्सदाद इस फ़ितने का अपनी ताकत से बाहर देखा और जान लिया कि जुमला मुलाजेमीन जेलख़ाना और बागियों में शामिल हो गये हैं तो नाचार बाला ऐ दरवाजा से उतरकर अन्दर में जेलख़ाना जा छिपे। दूसरे रोज़ बागि जब

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

असबाब जेलख़ाना लूटने पहुँचे तो डॉ. साहब को भी पकड़ लाये और रूबरू कोतवाली उनको भी कत्ल कर दिया[28]।

मई 1857 ई. को जिन अंग्रेज़ों की बरेली में हत्या हुई थी उनके नाम निम्नलिखित है :

1.Robertson, Distt. Judge, 2. Dr. Hay Civil Surgeon, 3. ORR Dy. collector, 4. Dr. Buck, Principal, Bareilly College, Bareilly, 5. Raikes, Session Judge, 6. Major Pearson, 7. Henry Aspinall Supdt. Stores, Mrs. Aspinal, 9. Miss Aspinal, 10. Master Aspinal, 11. Nicholas (पद का पता नहीं चला) 12. Dr. Hansbrough Jailor, 13. Jaques Darogha Insane Hospital, Bareilly.

तीन अंग्रेज़ सैनिक अधिकारियों की बरेली की छावनी में हत्या हुई थी। इस प्रकार से सोलह अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या हुई थी। जितने ईसाइयों की हत्या हुई थी उसका विवरण प्राप्त नहीं है।[29] पंडित कन्हैया लाल का यह कथन सही प्रतीत होता है कि ''इस शहर (बरेली) में बेरहमी हाये बे अंदाज़ा वस्त अंग्रज़ों के वकू में आयी थी और मर्द और औरतें और बच्चे अंग्रेज़ों के जो गिरफ़तार हुए थे। सब बेरहमी से मारे गये थे[30]।''

जनता भड़की हुई थी और उनमें ऐसे अपराधी भी शामिल हो गये थे जो कारागार से छुड़ाये गये थे। उन्होंने अंग्रेज़ औरतों और बच्चों की हत्या करने में कोई संकोच नहीं किया था। सपिनल की पत्नी और पुत्री की हत्या करना ठीक नहीं था, क्योंकि यह कायरता भारतीय परम्परा के विपरीत थी और जिसके फलस्वरूप सपिनल और उनके परिवार की हत्या का दण्ड मिला। ये़ोजना के अनुसार सैनिक विद्रोह अंग्रज़ो की हत्या सरकारी कोष पर अधिकार, अंग्रेज़ों के भवनों की लूट और उनमें आग लगाने की कार्यवाही, कारागार से कैदियों की मुक्ति आदि का कार्य सम्पूर्ण होने के पश्चात अगला

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

कदम स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का था। जिसका प्रारंभ 31 मई 1857 को ही नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त करने के उपरान्त हो गया[31]।

बरेली में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना

रूहेला इतिहास के दो महत्वूर्ण इतिहासकार सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी और अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के रूहेलखण्ड के प्रशासक नियुक्त होने के सम्बन्ध में यह कथन दिया[32] है कि अलैक्जेंडर कमिश्नर रूहेलखण्ड ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से कहा था कि आज कल में यहाँ विद्रोह होने वाला है। क्योंकि रूहेलखण्ड पर आपके दादा का राज्य था। अत: आप रूहेलखण्ड के प्रशासन को संभालिये। अलताफ़ अली बरेलवी ने यह बात हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के वंश के एक इतिहासकार नवाब सुलैमान ख़ाँ की पुस्तक "तारीख़े सुलैमानी" के संदर्भ में अंकित किया है[33]। जबकि अब्दुल अज़ीज ख़ाँ ऑसी बरेलवी ने यह बात हैदर अली की पुस्तक "तारीख़ गदरे हिन्दी" के सन्दर्भ से लिखी है। हैदर अली ख़ान बहादुर ख़ाँ की क्रान्तिकारी परिषद के सदस्य भी थे। इसके अतिरिक्त जो अभिलेख 1857 के विद्रोह के संबंध में प्रकाशित हो चुके है उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि अलैक्जेंडर ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त किया था। इस बात के दो पक्ष है। अलैक्जेंडर कमिश्नर रूहेलखण्ड तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ। अलैक्जेंडर कमिश्नर रूहेखण्ड ने बरेली के रोज़नामचे में यह सूचना नहीं दी थी कि उसने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को अपने दादा के प्रान्त अर्थात रूहेलखण्ड का प्रशासन संभालने के लिए कहा था, जबकि उसने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से अपनी दिनांक 30 मई 1857 ई. की अन्तिम भेंट का भी उल्लेख किया है और जबकि ख़ान बहादुर ख़ाँ ने उसको अपनी जान बचाओ की चेतावनी दी थी यदि अलैक्जेन्डर ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड सभालने के

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

लिये कहा होता तो इसका कथन अवश्य देता। यह समझ में आने वाली बात नहीं है कि अलैक्जेंडर ने हकीम सआदत अली ख़ाँ के भाई हिदायत अली ख़ाँ और मोहिब अली ख़ाँ को आँवला में और बख़्तावर सिंह और उसके भतीजे बिलास सिंह को आँवला और फ़रीदपुर में नियुक्त करने की सूचना तो दी, किन्तु उसने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त करने की सूचना नहीं दी जिससे यही ज्ञात होता है कि उसने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त नहीं किया था। स्वंय नवाब बहादुर के मुक़दमें के अभिलेख से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती[34] कि अलैक्जेंडर′ने उनको रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त किया था और उन्होने उसके उपरांत अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया स्वयं नवाब अहमद ख़ाँ होश बरेलवी ने भी अपनी पुस्तक "तारीख़े रूहेलखण्ड" (1866) में यह सूचना नहीं दी है कि अलैक्जेंडर ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त करने का आमन्त्रण दिया था। सत्य यही है कि अलैक्जेंडर कमिश्नर बरेली ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासन संभालने के लिए नहीं कहा था। हैदर अली, नवाब सुलैमान ख़ाँ असद की सूचना किसी अभिप्रय के अनुसार ज्ञात होती या फिर उन दोनों ने आँवला और फरीदपुर पर प्रशासकों की नियुक्ति को दृष्टि में रखकर नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की समस्त रूहेलखण्ड पर अलैक्जेंडर द्वारा नियुक्ति का कथन दे दिया था।

वास्तविकता यह है कि बरेली से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के पश्चात् ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक बनाने की योजना पहले ही निश्चित हो चुकी थी और जिसके अनुसार 31 मई 1857 को ही सैनिक विद्रोह के उपरान्त दोपहर के पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का नाज़िम (प्रशासक) नियुक्त कर दिया गया था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त करने में बख़्त ख़ाँ, मुबारकशाह ख़ाँ, जयमल सिंह राजपूत निवासी क्यारा, शोभाराम कायस्थ, मदार अली ख़ाँ, मुबारक शाह ख़ाँ, कुतुबशाह नौमहला के सैयूयद मियाँ जान और सैय्यद

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

फ़ैज़उल्ला आदि एकमत थे[35]। हाँ यह हो सकता है केय (Kaye) की सूचना में कुछ सत्य हो कि मुबारक शाह ख़ाँ ही रूहेलखण्ड का वायसराय बनने का प्रत्याशी (उम्मीदवार) था[36]। लेकिन निर्णय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के पक्ष में हुआ।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का रूलेखण्ड का नाज़िम बनना :-

दिनांक 31 मई 1857 को बरेली की कोतवाली में दोपहर के पश्चात् एक समारोह नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की नियुक्ति के सम्बन्ध में हुआ। कोतवाली में एक आसन का प्रबन्ध किया गया जिस पर रेशम की शाल बिछायी गयी। मदार अली ख़ाँ ने पठानों के प्रतिनिधि के रूप में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से पद ग्रहण करने और दिल्ली में सम्राट के एक प्राधिकारी के पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। मौलवी कुतुबशाह ने हरे रंग का मौहम्मदी झंड़ा लगाया और उसके आगे एक पक्के चबूतरे पर लोबान सुलगाया[37]। इस समारोह के उपरान्त बरेली नगर में यह सूचना करायी गयी की "रिआया ख़ुदा की मुल्क बादशाह का सूबा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का"[38]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के नाज़िम बनने के बाद प्रारम्भिक कार्यवाही:-

जें. आर. डी. इंगलिस (Inglis) के कथन के अनुसार नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने बरेली की कोतवाली के अभिलेख में आग लगवा दी। कोतवाली के बरकनदाज़ सिपाहियों से सरकारी वर्दी उतरवा ली और मालख़ाने में जो रुपया था उस पर अधिकार कर लिया। बरेली नगर के प्रमुख व्यक्तियों ने तथा सरकारी कर्मचारियों ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को नज़र पेश की और इस प्रकार से अपने निष्ठा, आज्ञाकारी होने की पुष्टि की[39]। 31 मई 1857 को चार बजे सायंकाल जुलूस निकाला गया जिसमें नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ हाथी पर बैठे और उनके सहायक मुबारक शाह, अहमद शाह ख़ाँ आदि भी हाथियों पर सवार होकर चले। हाथियों के पीछे नगर के निवासियों की एक

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

भीड़ थी[40]। इस जुलूस से यह लाभ हुआ कि नगर में शान्ति तथा विश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया। उस समय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की दृष्टि में बरेली नगर की सुरक्षा और शान्ति महत्वपूर्ण थी। समस्त जनता घरों के बाहर निकल आयी थी। सैनिकों के नगर में घुसने और नगर को लूटने की चिन्ता उत्पन्न हो गयी थी। अतः नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने सैयूयद मियाँ जान को बख़्त ख़ाँ के पास भेजा कि वह नगर में सैनिकों का प्रवेश रोकें। बख़्त ख़ाँ ने इस शर्त के साथ सैनिकों को नगर में न घुसने की प्रार्थना को स्वीकार किया कि बरेली छावनी में तुरन्त खाद्य-साम्रग्री भेजी जाये और जो धन बैजनाथ साहूकार के पास अंग्रेज़ों का है, वह बैजनाथ और कोषपाल उसको तुरन्त पहुँचा दे। यह सूचना प्राप्त होने के उपरान्त नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने खाद्य-सामग्री तो तुरन्त ही भेज दी, परन्तु बैजनाथ साहूकार तथा कोषपाल को दूसरे दिन भेजने का वचन दिया। इस कार्यवाही के बाद नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने नगर में यह सूचना प्रकाशित की कि विद्रोही सैनिक नगर में प्रवेश नहीं करेंगे और बाजार खोल दिया जाये। अतः बाजार खुल गया[41]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की प्रशासन चलाने के लिये कार्यवाहियाँ:-

उस समय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की दृष्टि में दो महत्वपूर्ण समस्यायें थीं। प्रथम समस्या अपने प्रशासन को शक्तिशाली बनाने की तथा दूसरी समस्या वित्तीय निर्भरता थी। यह दोनों ही समस्याएं परस्पर समान थीं तथा शक्तिशाली प्रशासन के बिना मालगुजारी वसूल नहीं की जा सकती थी। और मालगुजारी के बिना प्रशासन नहीं चल सकता था। अतः नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने जून 1857 को समस्त सरकारी कर्मचारियों को कोतवाली में बुलाकर आदेश दिया था कि वे अपने कर्तव्य को पूर्णरूप से करें और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जायेगा। बरेली नगर का कोतवाल बदरूद्दीन ख़ाँ अंग्रेज़ों के साथ नैनीताल चला गया था। ख़ान बहादुर ख़ाँ ने उसके स्थान पर अहमद हुसैन ख़ाँ को बरेली नगर का कोतवाल नियुक्त किया उसी दिन ख़ान बहादुर ख़ाँ ने कोतवाली में एक सभा

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

का आयोजन किया, जिसमें मुबारक शाह खाँ, अहमद शाह ख़ाँ, अकबर अली ख़ाँ, शोभाराम आदि ने भाग लिया तथा प्रशासनिक बातों पर विचार-विमर्श किया। इसके पश्चात् वे सब लोग एक जुलूस के रूप में बख़्त ख़ाँ से भेंट करने के लिए बरेली की छावनी गये। बख़्त ख़ाँ को ग्यारह तोपों की सलामी दी। उसके पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपने भवन पर एक सभा का अयोजन किया तथा आपसी विचार विमर्श के उपरान्त शोभाराम को अपने प्रशासन का दीवान नियुक्त किया और उसके साथ ही शोभाराम को पुलिस तथा सरकारी मालगुज़ारी के विभाग सौप दिये[42]। तथा 2 जून 1857 को बरेली के क्रान्तिकारियों की एक टुकड़ी बदायूँ पहुँची थी, जहाँ उसने बदायूँ के क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के भवनों को नष्ट किया और मिर्ज़ा मंसूर बेग की सहायता से सरकारी अस्पताल और कॉलिज को नष्ट किया। क्रान्तिकारियों ने बदायूँ के मौहल्ला ब्रहमनपुर (बमनपुर), पटयाली सराय, नयी सराय, जालधंरी सराय, सराये मीरान सराय नाहिर ख़ान तथा रसूलपुर के निवासियों को साथ लेकर बदायूँ की कोतवाली और मुनसिफी के अभिलेख (रिकार्ड) को आग लगा दी[43]। 2 जून 1857 को ही नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने बरेली की कोतवाली में अपने परामर्शदाता की एक बैठक बुलायी जो कोतवाली में प्रातःकाल एकत्र हुए और चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित व्यक्तियों को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के स्वतन्त्र प्रशासन में नियुक्ति के आदेश जारी किये गये।

नाम	पद	वेतन
शोभाराम, कायस्थ	दीवान	समस्त आय में से सरकारी व्यय की राशि निकालने के पश्चात् जो शेष राशि बचती है वह शोभाराम को वेतन के रूप में दी जायेगी।
मदार अली ख़ाँ	सेनापति	1000/- रुपये मासिक

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

नयाज़ मोहम्मद ख़ाँ	सेनापति	1000/- रुपये मासिक
मौलवी ख़ाँ	कमीदान	ग्राम शाही के कर्म की आय इसका मासिक वेतन तय हुआ था।
मूलचन्द	सीनियर अवर दीवान	500-00 रुपये मासिक
होरी लाल पुत्र शेभा राम	वेतन वितरण करने वाला	100-00 रुपये मासिक
अली हुसैन ख़ाँ पुत्र मादार अली ख़ाँ	अश्वरोही सेना का कमानदार	500-00 रुपये मासिक
दीन दयाल	बंदूक़ बनाने के कारख़ाने का दारोग़ा	200-00 रुपये मासिक
सैफ़उल्ला ख़ाँ	जेल अधीक्षक	500-00 रुपये मासिक

रज़ाउद्दैला को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का पेशकार नियुक्त किया गया था। उच्च पदों के अतिरिक्त अधीनस्थ पदों पर भी नियुक्तियाँ की गयी थीं। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने नगर में यह घोषणा करायी कि जो भी व्यक्ति पचास या सौ व्यक्तियों को सेना में भर्ती करेगा उसको कमीनदान का पद दिया जायेगा। जून 1857 को ही रज़ाउद्दौला के परामर्श पर बादशाह ज़फ़र के नाम एक पत्र लिखा गया जिस के द्वारा शाहे दिल्ली से अनुरोध किया गया कि ख़ान बहादुर ख़ाँ को कठेर का नाज़िम अर्थात प्रशासक बना दिया जाये।[44]

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

दीवान शोभारम का दिनांक 8 जून 1857 का घोषणा-पत्र:-

दीवान शोभाराम ने 8 जून 1857 को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की मोहर और अपने हस्ताक्षर सहित एक घोषणा पत्र जारी किया तथा उस घोषणा पत्र को नगर में स्थान-स्थान पर लगवा दिया। शोभाराम के उस घोषणा पत्र में विशेष बातें अंक्ति की गयी थीं। उनमें विशेषतर यह बात थी कि अंग्रेज़ अफ़सरों की हत्या करने की दर नियुक्त की गयी थी। वे अंग्रेज़ अधिकारी वही थे जो बरेली से भागकर नैनीताल चले गये थे और जिनकी सहायता रियासत-ए-रामपुर का नवाब तथा बरेली के कुछ देशद्रोही कर रहे थे। अंग्रेज़ अधिकारियों कीं हत्या की जो दर तय की गयी थी उसका विवरण निम्नलिखित है[45]।

अलैक्जेंडर, कमिश्नर बरेली 1000/- रुपये, गंथरी, कॅलैक्टर बरेली - 700/- रुपये, कारमिकल-ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पीलीभीत - 500/- रुपये, करी, मजिस्ट्रेट ज्वाइन्ट, बरेली-500/- रुपये, पासली ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट द्वितीय, बरेली-500/- रुपये, कर्नल ट्रप 500/- रुपये, अतिरिक्त अंग्रेज़ अधिकारी 300/- रुपये प्रत्येक पर। इस घोषणापत्र में जनता को यह बताया गया था कि वह अंग्रेज़ अफ़सरों और ईसाइयों को शरण न दें तथा उनसे पत्राचार न करें अन्यथा उनके भवन और ज़मीन ज़ब्त कर ली जायेंगी और उनको मृत्यु दण्ड दिया जायेगा[46]।

ऐसा प्रतीत होता है कि क्रान्तिकारियों को यह सूचना मिल गयी थी कि बरेली में अंग्रेज़ों के पक्षपाती हैं और वे गुप्त रूप से अंग्रेज़ों से मिलकर क्रान्तिकारियों के प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में क्रान्तिकारियों के प्रशासन को उन गुप्तचरों से बहुत हानि हुई थी। हकीम नजमुल ग़नी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि : ''ऐसे तूफ़ान के ज़मान में सिर्फ़ चन्द आदमी मुरादाबाद के अंग्रेज़ खैर-ख़्वाह थे जो हमेशा मिस्टर विलसन और दूसरे अंग्रेज़ अफ़सरों से खुफ़िया खतो-किताबत रखते थे। उन लोगों में दुर्गा, प्रसाद, डिप्टी इन्सपेक्टर स्कूल, नन्द किशोर, सुपररिनटेन्डेन्ट सड़क, भाव जगन्नाथ डिप्टी पोस्ट मास्टर, बाबू तारा चन्द असिस्टेन्ट सर्जन, बाबू गणेश

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

प्रसाद अनुवादक, मुंसिफ़ी थे यह अशख़ास थे और उस डाक रसानी की ख़िदमत लाला लक्ष्मी नारायण बरेली के एक महाजन ने अपने ज़िम्मे ले ली थी[47]।

अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी ने अपनी पुस्तक में लिखा है:- "बरेली का दुर्गा प्रसाद कायस्थ अंग्रेज़ों के पास रोज़ाना की खबरे खुफ़िया भिजवाता रहा[48]।" मुस्तफ़ा अली बरेलवी ने अपनी पुस्तक में चौधरी नौबत राम, गंगा प्रसाद, बदरूद्दीन कोतवाल, लक्ष्मी नारायण और बैजनाथ मिश्रा के अतिरिक्त और भी नाम ऐसे व्यक्तियों के लिखे हैं, जो ज़मींदार थे[49]। यह बात याद रखने की है कि अंग्रेज़ों ने बरेली पर अधिकार जमाने के उपरान्त अपने जिन विश्वसनीय व्यक्तियों को जागीरें दीं, पदों पर नियुक्त किया तथा विभाग दिये उनमें जगींरदार वर्ग के लाखन सिंह, रघुनाथ सिंह, ज़ालिम सिंह तथा बख़्तावर सिंह के नाम भी दिये हैं[50]।

शोभाराम के उक्त घोषणा पत्र के उपरान्त भी गुप्तचरी का कार्य जारी रहा।

11 जून 1857 को बख़्त ख़ाँ का बरेली से प्रस्थान:-

बख्त ख़ाँ और मोहम्मद शफ़ी ने ख़ान बहादुर ख़ाँ के क्रान्तिकारी प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया था। बरेली का सिविल प्रशासन नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ चलाते रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि जून 1857 के प्रथम सप्ताह में बख़्त ख़ाँ दिल्ली जाने की तैयारी में लगे रहे। बख़्त ख़ाँ को दिल्ली जाने के लिए सेना अस्त्र-शस्त्र और धन की आवश्यकता थी। उन्होंने पाँच हज़ार सैनिक तैयार किये। उसको बरेली छावनी से हथियार और तोप पहले से मिल चुकी थी। उसने धन, प्राप्त करने के लिए बैजनाथ मिश्र कोषपाल और लक्ष्मी नारायण महाजन को बन्दी बना लिया तथा उन दोनों से अठावन (58) हजार रुपया वसूल किया। एक लाख इकतालीस हज़ार रुपया जो शाही का तहसीलदार नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के पास ला रहा था बख्त ख़ाँ

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ने वह भी छीन लिया[51]। बख़्त ख़ाँ जुलाई 1857 को बहादुर शाह ज़फर की सहायता के लिए देहली पहुँचा। उसके पास लगभग चार लाख चांदी के सिक्के और पांच हज़ार सैनिक थे। 12 जुलाई 1857 को बहादुर शाह ज़फर ने उसको अपने दरबार में बुलाकर भेंट की तथा उसको समस्त सेना का सेनापति बना दिया[52]। बख़्त ख़ाँ ने दिल्ली में अंग्रेज़ों से युद्ध किया।

बरेली में जब बख़्त ख़ाँ सेना लेकर चला गया तो बरेली के क्रान्तिकारियों पर यह अनिवार्य हुआ कि वे अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए एक सेना तैयार करें जिसके कारण क्रान्तिकारी प्रशासन पर व्यय का बोझ पड़ गया। उस समय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का प्रशासन नियमित नहीं था तथा बहादुर शाह ज़फ़र से नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के नाज़िम बनने के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त नहीं हुए थे तथा जिसके बिना नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ न तो जनता का विश्वास प्राप्त कर सकते थे और न कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को कठेर (रूहेलखण्ड) का नाज़िम होने के आदेश 21 जून 1857 को देहली से प्राप्त हुए थे[53]। बाहदुर शाह ज़फर ने उपर्युक्त फरमान के माध्यम से ख़ान बहादुर ख़ाँ को नवाब इन्तेज़ाम उद्दौला मुहाफ़िज़ उलमूलक, तनवीर जंग, रईसे-आज़म रूहेलखण्ड ख़िताब भी दिया था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की मोहर पर ये शब्द थेः-

''अलहुकमे लिलाह वलमुलको लिलाह'' और मोहर पर यह सज्जा थी ''शुदेम ख़ान बहादुर बजुल फ़िक़ारी''[54]

बहादुर शाह ज़फ़र से रूहेलखण्ड के प्रशासक नियुक्त होने का फरमान मिलने के पश्चात् ख़ान बहादुर ख़ाँ नियमित रूप से रूहेलखण्ड के नाज़िम (प्रबन्धक) हो गये और इससे जनता में विश्वास उत्पन्न हो गया। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने क्रान्तिकारी प्रशासन को चलाने के लिए अब जो कार्यवाहियाँ की वे इस प्रकार हैं।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

प्रशासनिक परिषद की स्थापना:-

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने क्रान्तिकारी प्रशासन को चलाने के लिए एक प्रशासनिक परिषद नियुक्त की जिसके निम्नलिखित सदस्य थे :

करामत अली ख़ाँ, अकबर अली ख़ाँ, काज़ी गुलाम हमज़ा, पंडित औझा तेग़नाथ, मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ, जफ़र अली ख़ाँ, जयमल सिंह, कलबे अली शाह । मालगुज़ारी वसूल करने के लिए मालगुजारी के विभाग के अधिकारी अकबर अली ख़ाँ नियुक्त किये गये थे । काज़ी गुलाम हमज़ा को बरेली का नगर काज़ी बनाया गया था। पंडित ओझा तेग़नाथ को बरेली के प्रवर पंडित के पद पर नियुक्त किया गया था मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ बरेली के सदर आला (सब जज) नियुक्त किये गये थे[55] । इन सदस्यों में करामत अली ख़ाँ, अकबर अली ख़ाँ तथा मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के सम्बन्धी थे[56] । परन्तु अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी तथा मुस्तफ़ा अली बरेलवी ने अपनी पुस्तक में सदस्यों के निम्नलिखित नाम प्रस्तुत किये हैं :-

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ- नाज़िम कठेर, मदार अली ख़ाँ-सेनापति, होरीलाल-बक्शी (सेना), शोभाराम-दीवान तथा अपील न्यायालय का अध्यक्ष मौहम्मद युसूफ रिसालदार, अकबर अली ख़ाँ-कोतवाल, मौहम्मद अहसन ख़ाँ मुसिंफ (न्यायाधीश), मौहम्मद अमीन ख़ाँ-सदर अमीन (सब जज) मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ-सदरे आला (जज), मौलवी सैयूयद अहमद बदायूँनी मुफ़्ती नगर, मुल्ला मुनीर-मुल्लाए क़ुरआनी, हाफ़िज़ काले ख़ाँ-(दुर्रे) कोड़े लगाने वाला, मौलवी हैदर अली-रोज़नामचा निगार, मुंशी फ़रहत उल्ला बक्शी-फौज़[57] । जयमल सिंह-परिषद का दो माह तक सदस्य रहा । नगर की जनता को काज़ी गुलाम हमज़ा की वफादरी पर सन्देह था। अत: उन्होंने काज़ी गुलाम हमज़ा और उनके सम्बन्धियों के भवनों को 16 जनवरी 1857 को लूट लिया[58] । यह परिषद निरन्तर रूप से कार्य करती रही । जयमल सिंह ने अंग्रजों को शरण दी थी तथा क़ाज़ी गुलाम हमज़ा ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शुभचिन्तक था। मुफ़्ती सैयूयद अहमद बदायूँनी का

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

विवाह क़ाज़ी गुलाम हमज़ा के परिवार में हुआ था और अंग्रेज़ों ने बरेली पर अधिकार करने के पश्चात उनको काले पानी का दण्ड दिया था वह पुनः हिन्दुस्तान वापस नहीं आ सके।

क्रान्तिकारी परिषद के अधिकारी:-

प्रशासनिक परिषद के नियुक्त होने के उपरान्त नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने रूहेलखण्ड के दूसरे ज़िलों में भी अपने अधीन उप नाज़िम नियुक्त किये। नवाब ख़ान बहादुर ने इस बात को विशेष ध्यान में रखा था कि जो व्यक्ति ईस्ट इण्डिया कम्पनी में मुलाज़िम थे और जो अब ख़ान बहादुर ख़ाँ से मिल गये थे उनको क्रान्तिकारी प्रशासन की सेवा करने का विशेष अवसर प्रदान किया जाये ताकि उनके अनुभव से लाभ उठाया जाये। स्वयं शोभाराम ईस्ट इण्डिया कम्पनी की कमीसैरीयट में मुलाज़िम थे तथा अपने अनुभव के कारण दीवानी के पद के लिए सबसे अधिक योग्य थे। अतः नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपने अधीन उप नाज़िम नियुक्त करते समय उनके अनुभव को दृष्टि में रखा था। क्रान्तिकारी प्रशासन के अधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं:-

1- महमूद यार ख़ाँ, उप नाज़िम बरेली (उप नायक) पेशकार, तहसीलदार

2- सैय्यद कल्बे अली ख़ाँ, नायक बक्शी, बरेली

3- गुलाम कादिर ख़ाँ, उप नाज़िम, शाहजहाँपुर

4-मौलवी फ़ज़ल हक शाहजहाँपुरी, उप नाज़िम पीलीभीत

5- अब्दुल रहमान ख़ान, उप नाज़िम, बदायूँ[59]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने पीलीभीत, बदायूँ तथा शाहजहाँपुर के उक्त नाज़िमों को ख़िलअत प्रदान की। ग्राम बुधेली के ठाकुर रघुनाथ सिंह को राजा का ख़िताब देकर उनके माथे पर टीका लगाया। कस्बा फरीदपुर (बरेली) के बिलास सिंह को कमींदान का पद देकर आँवला (बरेली) के

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

निवासी तथा अंग्रेज़ों पक्षपाती हाकिम सआदत अली ख़ाँ के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने मौलवी फज़लेहक शाहजहाँनपुरी उप नाज़िम पीलीभीत को आदेश दिया कि वह उन अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्यवाई करें जो नैनीताल में शरण लिये हुए थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने मूलचन्द कायस्थ को शोभाराम का उप दीवान बनाया था[60]। स्वयं बख़्त ख़ाँ ने दिल्ली जाते हुए ग़जरौला के निकट ग्राम रजबपुर में 18 जून 1857 को नज्जू ख़ाँ को बहादुर शाह ज़फ़र के अधीन मुरादाबाद का प्रशासक नियुक्त किया था[61]। रूहेलखण्ड में बिजनौर का जिला महमूद ख़ाँ के अधीन था। इस प्रकार से समस्त रूहेलखण्ड नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के प्रशासन के अधीन था।

क्रान्तिकारी प्रशासन की वित्तीय कठिनाइयाँ:-

क्रान्तिकारी प्रशासन को धन की आवश्यकता थी धन की प्राप्ति का एक माध्यम मालगुज़ारी थी, जिसकी मात्रा प्रशासन चलाने के लिए पूर्ण नहीं थीं। सेना का व्यय बहुत अधिक था सैनिक भर्ती करने के लिए धन का होना आवश्यक था। जिन सैनिकों ने अंग्रेज़ों से विद्रोह करने के उपरांत उनकी सरकारी सेवायें सामप्त हो गयी थीं उनको भी मुलाज़िम रखना आवश्यक था। हथियारों की सामग्री के लिए भी धन की आवश्यकता थी। समस्त वातावरण कुछ प्रशासन नष्ट होने के उपरान्त अपना व्यक्तिगत स्थान बनाने की चिन्ता और प्रयत्न में लगा हुआ था। जिसके कारण आपस में झगड़े भी होते थे तथा मालगुजारी की वसूली में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थीं। बख़्त खाँ सरकारी कोष का धन तथा अंग्रेज़ों का धन जो बैजनाथ मिश्र और लक्ष्मी नारायण के पास सुरक्षित था उनसे वसूल करके दिल्ली जा चुका था। बख़्त ख़ाँ ने शाही के तहसीलदार से शाही की मालगुज़ारी की राशि भी छीन ली थी। इस प्रकार से चार-पाँच लाख रुपये जो नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ अपना प्रशासन चलाने के लिए प्रयोग करते, वह बख़्त ख़ाँ अपने साथ दिल्ली ले गया था। बरेली नगर के साहूकार, महाजन, व्यापारी तथा

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

मक़बरा नज्जू खाँ और बुलँद खां, फ़तहगंज बरेली

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ज़मीदार जो नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते थे वे उनके समर्थक नहीं थे। नवीन कर लगाने का भी अवसर नहीं था तथापि कर लगाने से नगर में बलवा हो सकता था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के प्रशासन के व्यय का अनुमान उस मानचित्र से किया जा सकता है जो ज़े.एफ. डी. इंग्लिस ने अपनी रिपोर्ट (सूचना पत्र दिनांक 30 दिसम्बर 1857) के साथ भेजा था[62] उस मानचित्र के अनुसार नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने 9 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक सैनिकों के वेतन पर 26,55,990 रुपये का व्यय किया था जिससे प्रतिदिन का व्यय 8,900-00 रुपये का लगभग होता है। इस व्यय के अतिरिक्त और भी व्यय थे। अत: नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो कार्य किये वे निम्नलिखित हैं :-

(1) पंडित ओझा तेग़ बहादुर, मुफ़ती इनायत अहमद तथा मौलवी अमानत हुसैन से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त नगर के धनवान व्यक्तियों पर अप्रत्यक्ष धन कर (INDIRECT WEALTH TAX) लगाया। जिसकी दर समस्त धन पर 10%- थी। इस कर को चार भागों में वसूल करना था अर्थात जून, जुलाई और सितम्बर 1857 में। एक कमेटी के माध्यम से उपर्युक्त कर का एक प्राक्कथन तैयार किया गया था। कर की समस्त राशि 10, 700 रुपये मासिक तय की गयी, जिसकी प्रथम क़िश्त 82000 रु. वसूल हो गयी और जिसको नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने तोपों के ढालने तथा बारूद के खरीदने पर व्यय किया था[63]।

(2) नवाब ख़ान बहादुर ने बरेली में टकसाल नियुक्त की तथा शाह आलम (मृत्यु 1806) के रुपये के समान बरेली टकसाल से 1274 हिजरी अर्थात 1857 ई. को रुपया जारी किया[64]।

(3) साहूकार रुपये की हुन्डी का दर निर्धारित करते थे, जिसमें प्रशासन को इस कारण से हानि होती थी। और इसका मूल्य भी कम हो जाता था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने हुन्डियों की दरों को निर्धारित किया। अर्थात एक

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

रुपये पर चालीस डबल पैसा तथा साहूकारों को वह मानने पर विवश किया।

परन्तु प्रतीत होता है कि क्रान्तिकारी प्रशासन को आर्थिक सहायता तुरन्त मिलनी चाहिये थी जो अप्रत्यक्ष कर से पूर्ण नहीं हो सकती थी। रबी की फ़सल की मालगुजारी की प्रथम क़िस्त मई 1857 में वसूल हुई थी और उसके पश्चात् अशान्ति के कारण से शेष क़िस्त वसूल होना कठिन हो गयी थी। अधिकारियों में कपट तथा असत्यता फैल गयी थी। मास्टर शीट (जिस पर वेतन दिया जाता है) पर जितने सैनिकों का वेतन वसूल किया जाता था उतनी संख्या में सैनिक होते ही नहीं थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बेईमानियाँ फैल गयी थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रान्तिकारी प्रशासन के पास वित्तीय कठिनाई से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी नहीं था।

क्रान्तिकारी प्रशासन की सैन्य व्यवस्थाः-

उस समय जनता पर हथियारों को रखने के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं था। धनी व्यक्ति हाथियारों के साथ घोड़े भी रखते थे। रूहेलों के राज्य में सेना का रखरखाव मुग़लों की मनसबदारी प्रथा के आधार पर किया जाता था। प्रत्येक मनसबदार युद्ध के अवसर पर अपने मनसब की भाँति सेना लाता था। मनसबदारों को जागीरें प्रदान की जाती थीं, जिससे वे सेना का प्रबन्ध करते थे । मुग़लों के अन्तिम शासनकाल में केन्द्रीय सत्ता के दुर्बल पड़ने से मनसबदारी व्यवस्था बेईमानी का उदाहरण बन गयी थी और जिसका बुरा प्रभाव युद्धों पर पड़ने लगा था। मुगल शासन के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण मनसबदारी व्यस्था में बेईमानी का उत्पन्न होना भी था, परन्तु नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ मनसब कहाँ से देते उन्होंने सेना का प्रबन्ध रिसालदारों तथा कुमानदानों के माध्यम से किया, जिनको मासिक वेतन दिया जाता था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की सेना में 88 रिसालदार घुड़सवार सेना के थे। जिनके अधीन समस्त 4,000 घुड़सवार सैनिक थे, 57 कुमानदार बन्दूक सेना के थे जिसके अधीन समस्त 24,330 सैनिक थे । घुड़सवार सेना में 100 सैनिकों का एक रिसाला (दल) होता था तथा रिसालदार का मासिक

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

वेतन 30 रुपये से 100 रुपये तक निर्धारित किया गया था। 34 रिसालदार भी नियुक्त किये गये थे जिनका मासिक वेतन भी 50 रुपये था। 10 घुड़सवारों पर दफ़ादार होता था जिसका मासिक वेतन 28 रु. था। प्रत्येक रिसाले में एक वकील नियुक्त किया गया था जिसका मासिक वेतन 15 रु. से 30 रु. तक था। घुड़सवार सेना का मासिक वेतन 15 रुपये से 25 रुपये तक था। बन्दूक चलाने वाले सैनिकों का प्रबन्ध निम्न प्रकार से किया गया था:-

एक दस्ता-10 सैनिकों का एक तोमन, 100 सैनिकों का एक ऊलुस-500 सैनिकों की एक पलटन 1,000 की/दस्ता का अधिकारी 10 रुपये मासिक वेतन का जमादार होता था। ऊलुस का अधिकारी तुमनदार था जिसका मासिक वेतन 25 रुपये था। एक अतिरिक्त तुमनदार भी था जिसका मासिक वेतन 15 रुपये था। ऊलुस का अधिकारी ऊलुसदार था जिसका मासिक वेतन 50 रुपये था। पलटन का अधिकारी ऊलुसदार था जिसका 100 रुपये से 200 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाता था। तुमन में एक वकील था जिसको 8 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। तुमन में एक बक्शी था जिसका मासिक वेतन 30 रुपये था वेतन का कम या अधिक होना सैनिकों की संख्या पर था। यदि सैनिकों की संख्या पूरी होती थी तो वेतन भी पूरा मिलता था और यदि सैनिकों की संख्या कम होती थी, तो वेतन भी कम मिलता था। प्रत्येक सैनिक का मासिक वेतन 5 रुपये से 8 रुपये तक था[65]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने सितम्बर 1857 में मौहल्ला नवादा पुराना शहर बरेली में शोभाराम के उद्यान में तोपें ढालने के कारख़ाने की स्थापना की थी कुछ समय पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने उस कारख़ाने को मौहल्ला भूड़ में अपने भवन में स्थापित कर दिया था[66]।

उपर्युक्त सैनिक सत्त में घुड़सवार सेना की दशा उत्तम थी, तथापि उसमें अधिक सैनिक अंग्रेज़ी सेना में सेवा कर चुके थे। पैदल सेना में सैनिकों की संख्या अधिक थी, परन्तु उनमें सैनिक अनुशासन तथा उत्तम हथियार की

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

कमी थी। तोपख़ाना बस नाम मात्र था। एक अनुमान के अनुसार ख़ान बहादुर ख़ाँ के पास 40 तोपें थीं।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के क्रान्तिकारी प्रशासन ने जनता में अंग्रेज़ों के विरुद्ध उत्साह उत्पन्न करने के लिए तथा आपस में एक होने के लिए तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए घोषणा पत्र जारी करने की विधि प्रारम्भ की थी। घोषणा पत्र नगर में विशेष स्थानों पर लगा दिये जाते थे। छापने तथा प्रकाशित करने का कार्य मौलवी कुतुबशाह करते थे। मौलवी कुतुबशाह बरेली कॉलेज में फ़ारसी के अध्यापक थे और उन्होंने एक उर्दू प्रेस जिसका नाम मतब-ए-बहादुरी था स्थापित किया था, जिसमें वह उपर्युक्त विज्ञापन अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापते थे। वास्तव में उन विज्ञापनों तथा घोषणापत्रों की आवश्यकता थी। तथापि अंग्रेज़ों ने अपने गुप्तचरों के द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य घृणा उत्पन्न कराने का प्रयत्न किया था। ताकि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का क्रान्तिकारी प्रशासन अपने घरेलू झगडों में व्यस्त होकर इतना दुर्बल हो जाये कि उसको अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्यवाही करने का समय ही न मिले। अंग्रेज़ों ने बरेली में साम्प्रदायिकतावाद फैलाने के लिए पचास हज़ार रुपये की राशि नियुक्त की थी। परन्तु अंग्रेज़ साम्प्रदायिकता फैलाने में असफल हो गये थे[67] ऐसे वातावरण में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपने अनुभव से ऐसे घोषण-पत्र जारी कराये जो एक ओर अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे तो दूसरी ओर साम्प्रदायिकता को रोकने में सहायक थे। उस समय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें उन्होने उदाहरण देकर यह सूचना दी थी कि अंग्रेज़ हिन्दू धर्म के विरोधी हैं और भारत में केवल ईसाई धर्म की उन्नति चाहते हैं। अंग्रेज़ हिन्दू और मुसलमान दोनों के शत्रु हैं तथा अंग्रेज़ धोखेबाज़ हैं हिन्दुओं तथा मुसलमानों को अपने-अपने धर्म की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिये।[68] नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का एक और घोषणा-पत्र उनके भवन में 8 मई 1858 को मिला था जिसमें उन्होंने यह आदेश जारी किया था कि निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त किसी और स्थान पर गाय का वध न किया जाये यदि इस आदेश का पालन न करने के उपरांत

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

6 माह का दण्ड तथा जुर्माना देना अनिवार्य है। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने इस विज्ञापन में वचन दिया था कि यदि हिन्दू अंग्रेज़ों की हत्या करेंगें और उनको देश से निकाल देंगे तो समस्त कठेर में गाय के वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा[69]। इसी प्रकार की एक घोषणा शाहज़ादा फिरोज़शाह ने जारी की थी जिसमें फिरोज़शाह ने 15 उदाहरण देकर यह सूचना प्रस्तुत की थी कि अंग्रेज़ भिन्न-भिन्न प्रकार से भारतीयों के धर्म तथा उनकी परम्पराओं को नष्ट करना चाहते हैं। फ़िरोज़शाह ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों से प्रार्थना की थी कि वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करें तथा उनको देश के बाहर निकाल दें। फ़िरोज़शाह ने इस घोषणा पत्र में जनता को परस्पर मेल मिलाप तथा अंग्रेज़ों से जुटकर युद्ध करने के लिए कई परामर्श भी दिये थे। फ़िरोज़शाह का यह घोषणा-पत्र दिनांक 18 फरवरी 1857 को जारी हुआ था[70]।

अंग्रेज़ों ने एक और दुष्ट कार्य किया था जो यह था कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के मध्य शिया-सून्नी विवाद को जन्म देने का प्रयत्न किया था। परन्तु नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने एक घोषणा पत्र जारी करके यह परामर्श दिया कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध समस्त जनता विद्रोह करें, तथापि अंग्रेज़ प्रत्येक भारतीय के शत्रु हैं। स्वयं सैयूयद कुतुबशाह ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विज्ञापन जारी किये थे। जब कुतुबशाह पर अंग्रेज़ों ने मुकदमा चलाया था, तो ऐसे सात विज्ञापनों का सन्दर्भ दिया गया था। सैयूयद कुतुबशाह को पहले तो मृत्यु दण्ड दिया गया था, परन्तु अपील के उपरांत उनको मृत्यु दण्ड के स्थान पर काले पानी की सजा दी गयी थी[72]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का दूसरे स्थान के क्रान्तिकारियों से सम्पर्क बनाना:-

बरेली में क्रान्तिकारी प्रशासन के स्थापित होने तथा उसके सुचारू रूप से चलाने का अमुक प्रभाव दूसरे स्थानों पर भी पड़ा। दूसरे स्थानों के क्रान्तिकारी बरेली आया करते थे। बरेली पश्चिम की ओर दिल्ली और पूरब

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

की ओर अवध के बीच में एक माध्यम बन गया था, दोनों ओर के क्रान्तिकारियों से नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का संबंध स्थापित हो चुका था। मालागढ़ जिला बुलन्द शहर के नवाब वलीदाद ख़ाँ बरेली आये थे[73]। वलीदाद ख़ाँ ने रहीम अली के साथ रामघाट के स्थान पर अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। वलीदाद ख़ाँ ने नवाब फर्रूखाबाद के साथ फर्रूखाबाद के निकट भी अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। फतेहगढ़ के नवाब भी बरेली आये थे[74]। फतेहगढ़ के नावब ने नयाज़ मोहम्मद ख़ाँ की उस समय सैनिक सहायता की थी जब वह जिला ऐटा में गंगा के क्षेत्र को घेरे में लेकर अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहे थे। वास्तव में उस समय बरेली में भिन्न-भिन्न स्थानों के क्रान्तिकारी एकत्र हो गये थे। देहली गजट की सूचना के अनुसार बहादुर शाह ज़फ़र के पुत्र मिर्जा कोचक भी नवाब वलीदाद ख़ाँ के साथ बरेली आये थे[75]। शाहजादा फ़िरोज़शाह भी बरेली आया था जिसने रूहेलखण्ड में विभिन्न स्थानो पर अंग्रेज़ों से युद्ध किया। फिरोज़शाह ने बरेली से एक घोषणा पत्र जारी करके अंग्रेज़ों से जनता को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। शाहजहाँपुर से नवाब कादिर ख़ाँ भी बरेली आये थे तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने उनका स्वागत करके उनको शाहजहाँपुर का प्रशासक नियुक्त किया था[76]। जो क्रान्तिकारी बरेली आये थे, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाना साहब थे, तथापि नाना साहब ने ही अपने मित्र अज़ीम उल्ला ख़ाँ के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 की क्रान्ति की योजना बनायी भी तथा अंग्रेज़ों ने उन्हें बन्दी बनाने के पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये देने की घोषणा की थी[77]। नाना साहब ने बदायूँ तथा शाहजहाँपुर जाकर क्रान्ति की स्थिति का निरीक्षण किया था। नाना साहब मार्च 1858 में बरेली आये थे। उनको बरेली कॉलिज में ठहराया गया था। उस समय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से भेंट की थी तथा नवाब ख़ान बहादुर के बीमार होने के कारण कुछ समय के लिए बरेली का प्रशासन अपने हाथ में लिया था। गाय का वध बन्द करा दिया था। कसाइयों की दुकानें बन्द कर दी थीं। उसके पश्चात् वह शाहजहाँनपुर चले गये थे[78]।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

बरेली में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के शक्तिशाली क्रान्तिकारी प्रशासन से अंग्रेज़ भयभीत हो गये थे। मेरठ के कमिश्नर जे. सी. विलसन ने अपने पत्र दिनाक 12 अप्रैल 1858 के द्वारा रामपुर के नावाब को लिखा था कि प्रत्येक माह अंग्रेज़ों के लिए भय उत्पन्न हो रहा है। क्रान्तिकारियों में यदि कोई हैदर अली जैसा भी नेता हो सकता है जिसका नेतृत्व अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण बन जाए[79]।

रूहेलखण्ड के अन्य क्षेत्रों में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ : बिजनौर तथा मुरादाबाद

बिजनौर में क्रान्तिकारियों के नेता महमूद ख़ाँ थे। क्रान्ति प्रारम्भ होने से पूर्व अंग्रेज़ों ने बिजनौर का प्रशासन महमूद ख़ाँ को सौप दिया था। परन्तु क्रान्ति के उपरान्त वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गये और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र से अपने प्राधिकारी होने की अनुमति प्राप्त कर ली। महमूंद ख़ाँ को जुलाई तथा अगस्त 1857 में चौधरी प्रताप सिंह तथा चौधरी उमराव सिंह से युद्ध में पराजय मिली, जिसके कारण उनको बिजनौर छोड़कर नजीबाबाद वापस जाना पड़ा था। अंग्रेज़ों ने बिजनौर के चौधरियों को प्रशासन करने के लिए दे दिया। इस घटना के पश्चात् महमूद ख़ाँ ने नगीना तथा हलदौर पर आक्रमण किया। हलदौर पर आक्रमण करके चौधरियों को पराजित किया तथा बिजनौर को अपने अधीन कर लिया। 18 अप्रैल 1857 को ब्रिगेडियर जीनॅस ने महमूद ख़ाँ को पराजित करके बिजनौर पर अधिकार कर लिया था[80]।

मुरादाबाद के क्रान्तिकारियों के दो शत्रु थे। एक अंग्रेज़ तथा दूसरा रियासत-ए-रामपुर का नवाब। मुरादाबाद के क्रान्तिकारियों को भिन्न-भिन्न स्थानों पर नवाब रामपुर की तथा अंग्रेज़ो की सेना से युद्ध करना पड़ रहा था। मुरादाबाद नगर में मज्जू ख़ाँ तथा असद अली ख़ाँ क्रन्तिकारियों के नेता थे। उस समय अमरोहा और सम्भल में भी क्रान्तिकारियों ने महान बहादुरी का उदाहरण दिया। मौलवी मुन्नू तथा गुलज़ार अली उस समय के क्रान्तिकारी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

थे। शाहज़ादा फिरोज़शाह ने भी मज्जू ख़ाँ की सहायता की थी तथा अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। 1857 की क्रान्ति में मुरादाबाद क्रान्तिकारियों का एक बड़ा केन्द्र बन गया था। 25 अप्रैल 1858 को अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद पर अधिकार कर लिया था।

पीलीभीत:-

पीलभीत नगर में नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ठहरा करते थे तथा वहाँ उनकी बनवायी हुई जामा मस्जिद और अन्य भवन आज भी स्थापित हैं पीलीभीत में अधिकतर रूहेला पठान आबाद थे। बरेली में दिनांक 31 मार्च 1857 को सैनिक विद्रोह के पश्चात् बरेली के क्रान्तिकारी दिनांक 1 जून को ही पीलीभीत पहुँच गये थे तथा उन्होंने पीलीभीत की जनता के साथ वहाँ की तहसील को घेर लिया था। उन्होंने तहसील के खज़ाने को लूटा था[81]। उस समय क्रान्ति के समय पीलीभीत के एक प्रभावी तथा प्रसिद्ध व्यक्ति अब्दुल रहमान ख़ाँ ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। उन्होंने मौलवी फज़ले हक़ शाहजहाँपुरी को जो नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की ओर से पीलीभीत के उप नाज़िम नियुक्त किये गये थे। उन्हें रोका तथा ए.बरेमर सहायक अधीक्षक, सिंचाई विभाग तथा उसके परिवार के सदस्यों को अपनी शरण में लिया। उसके पश्चात् अब्दुल रहमान ने ए. बरेमर के कहने पर मौलवी फज़ले हक़ शाहजहाँनपुरी से मित्रता का षडयन्त्र रचाया। डिवरिया के ठाकुरों तथा राजा पवाया से भी सहायता माँगी, ताकि पीलीभीत में अंग्रेज़ों का प्रशासन पुनः बहाल हो जाये। परन्तु अब्दुल रहमान ख़ाँ को सहायता नहीं मिली। जिसके उपरान्त अब्दुल रहमान ख़ाँ ने अंग्रेज़ शरणार्थियों को अपने भवन में ग्राम शेरपुर भेज दिया, ताकि वह वहाँ सुरक्षित रहे। ठीक उसी समय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने आदेश जारी किया कि अंग्रेज़ शरणार्थियों को बरेली भेज दिया जाये। जिस पर अब्दुल रहमान ख़ाँ तथा फज़ले हक़ में इतनी बहस हुई कि तलवार चलते-चलते रह गयी। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के आदेश के पालन के लिये अंगेजों को बरेली और पीलीभीत के मध्य में नवाबगंज तक लाया

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

गया था। अंग्रेज़ों के साथ अब्दुल रहमान ख़ाँ भी आये थे। अब्दुल रहमान ख़ाँ ने मुहम्मद बशीर ख़ाँ को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के पास यह प्रार्थना पत्र देकर भेजा कि अंग्रेज़ शरणार्थियों को पीलीभीत में ही रखा जाये। जिसकी अनुमति नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने प्रदान कर दी तथा अब्दुल रहमान ख़ाँ अंग्रेज़ों को पीलीभीत वापस ले गये और अपने भाइयों मौलवी फ़ख़रूद्दीन ख़ाँ तथा गुलाम रब्बानी ख़ाँ और अन्य हथियारबन्द व्यक्तियों की सुरक्षा में अग्रेज़ शरणार्थियों को ब्रह्मदेव के मार्ग से नैनीताल पहुँचा दिया[82]। यह सत्य है कि अब्दुल रहमान ख़ाँ के कारण ही पीलीभीत में क्रान्तिकारियों को सम्पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का वह आदेश सही नहीं था जिसमें उन्होने अंग्रेज़ों को पीलीभीत में रहने की अनुमति दी थी। शायद यह उनकी नीति क्षतिकारक रही।

बदायूँ:-

जिला बदायूँ के चारो ओर बरेली, रामपुर, शाहजहाँपूर और ऐटा था जबकि ऐटा, शाहजहाँपुर, तथा फर्रूखाबाद अवध से निकट था। इसके फलस्वरूप बदायूँ के नगर तथा कस्बों में चारों ओर क्रान्तिकारी एकत्र हो गये थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अब्दुल रहमान ख़ाँ को 1 जून को बदायूँ का उप प्रशासक नियुक्त करके भेजा था[83]। शेख फ़साहत उल्लाह जो प्रसिद्ध वकील थे उनको अब्दुल रहमान ख़ाँ के अधीन उप प्रशासक नियुक्त किया था। बरेली के क्रान्तिकारी 2 जून 1857 को ही बदायूँ पहुँच गये थे तथा सरकारी खज़ाना आदि को लूट लिया था। बदायूँ के नगर, कस्बों तथा ग्रामों में विद्रोह होने लगा था। जहाँ बरेली के नयाज़ मुहम्मन ख़ाँ तथा अब्दुल रहमान ख़ाँ दिल्ली के शहज़ादा फ़िरोज़शाह, मालागढ़ के नवाब वलीदाद ख़ाँ और उसके पुत्र इस्माईल ख़ाँ ने विभिन्न स्थानों पर अंग्रेज़ों से युद्ध किया तथा गंगा के घाटों पर अपना अधिकार जमाये रखा और अंग्रेज़ों को आगे बढ़ने से रोक लिया। बदायूँ इस कारण प्रसिद्ध हुआ कि बदायूँ के कस्बा-ककराला में अंग्रज़ों के प्रसिद्ध सेनापति जनरल पैनी की एक युद्ध में हत्या कर दी गयी थी।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

जिला बदायूँ की ऐसी उत्तम क्रान्तिकारी कार्यवाहियों में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जो क्रान्ति के पक्ष में प्रतीत नहीं होती हैं:

उदाहरणत:-

1- मुसलमान तथा ठाकुर ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था।

2- ऐसी जमींदारियाँ जो अंग्रेज़ों ने नीलाम के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को दी थी उन पर पुन: अधिकार करने के लिए आपस में युद्ध किया था।

3- क्रान्तिकारियों को कई स्थानों पर वहाँ की जनता से भी युद्ध करना पड़ा था।

4- अब्दुल रहमान ख़ाँ, (भूरे ख़ाँ), मुबारक शाह ख़ाँ, अहमद शाह ख़ाँ तथा नयाज़ मुहम्मद ख़ाँ जो क्रान्तिकारी आंदोलन के नेता थे। वे आपस में झगड़ा करने लगे थे जिसके फलस्वरूप नयाज़ मुहम्मद ख़ाँ ने इब्राहीम खाँ की बिना किसी अपराध के हत्या कर दी थी[84]। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने मुहम्मद इब्राहीम ख़ाँ की हत्या के उपरान्त नयाज़ मुहम्मद ख़ाँ के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे यह ज्ञात होता है कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ उस समय किसी अपराधी के विरुद्ध भी कार्यवाही करने से हिचकिचाते थे। उन्होंने अपने दस माह के शासनकाल में किसी भी क्रान्तिकारी को दण्ड नहीं दिया।

उपर्युक्त दुर्बलताओं के उपरान्त भी बदायूँ में मई 1857 से अप्रैल 1858 तक अंग्रज़ों से कठोर संघर्ष हुआ। जो बदायूँ के इतिहास की स्मरण करने योग्य घटना है।

शाहजहाँनपुर:-

शाहजहाँनपुर में 31 मई 1857 को 28 वीं पलटन ने अंग्रेज़ों से विद्रोह किया था[85]। 31 मई 1857 को शाहजहाँनपुर की सैनिक छावनी के निकट

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

एक चर्च में अंग्रेज़ अधिकारी रविवार की प्रार्थना के लिऐ एकत्र हो चुके थे। 28 वीं पलटन के सैनिकों ने तलवारों और लाठियों से उन पर आक्रमण किया। थोरहन्ट रिकिटॅस मेजिस्ट्रेट उसका कलर्क लेमिन्स्टे कप्तान जेम्स तथा ही. हाउलिंग की हत्या हो गयी[86]। 28वीं पलटन का क्रान्तिकारी नेता जवाहर राय था। उसने ही मजिस्ट्रेट की तलवार से हत्या की थी। शाहजहाँनपुर की छावनी में विद्रोह के पश्चात् अंग्रेज़ पुवायाँ और मुहम्मदी की ओर भागे। सैनिकों ने सरकारी खज़ाना लूटा तथा कारागार से बन्दियों को छुड़ाया। सरकारी सामान को लूटा तथा आग लगा दी। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने गुलाम क़ादिर ख़ाँ को शाहजहाँनपुर का उप प्रशासक के पद पर नियुक्त किया था। गुलाम क़ादिर ख़ाँ ने जलालाबाद के तहसीलदार अहमद यार ख़ाँ को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के आदेश से जलालाबाद का प्रशासक बनाया था। उस समय शहजहाँन पुर में मौलवी अहमद उल्ला शाह काज़ी, सरफ़राज़ अली, शाहज़ादा फ़िरोज़शाह, दौलत राऊ बख्शी, भूलन ख़ाँ आदि ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जमकर युद्ध किया था। शाहजहाँनपुर में ही पुवायाँ के राजा जवरनाथ सिंह की गढ़ी में मौलवी अहमद उल्ला शाह को गोली मारकर 15 जून 1858 को हत्या कर दी गई थी तथा राजा के भाई बलदेव सिंह ने मौलवी अहमद उल्ला शाह का सिर शरीर से काटकर अलग किया था तथापि अंग्रेज़ों ने मौलवी अहमद उल्ला शाह के सिर की कीमत पचास हजार रुपये घोषित की थी[87]। उन व्यक्तियों को छोड़कर जो क्रान्ति के विरोधी तथा कम्पनी की सरकार के पक्ष में थे। शाहजहाँनपुर अपने 1857 के क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा।

बरेली-क्रान्ति का प्रसार:

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की नैनीताल को जाने वाली सहायता रोकने का प्रबन्ध:-

बरेली में निकट तथा दूर के स्थानों के क्रान्तिकारी पहुँच गये थे। बरेली में क्रान्ति के महान नेता भी आये थे। उन सबकी नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

भेंट होती थी। बरेली का क्रान्तिकारी प्रशासन एक उदाहरण बन गया था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की दृष्टि में नैनीताल था जहा अंग्रेज़ों ने शरण ली थी तथा जहाँ से वह एक अस्थाई प्रशासन (Interim Government) चला रहे थे। अंग्रेज़ों ने नैनीताल में शरण लेकर अपने गुप्तचरों का एक जाल बिछा दिया था जिनके द्वारा उक्त क्रान्तिकारी गतिविधियों की सूचना मिलती रहती थी तथा रामपुर का नवाब नैनीताल में अंग्रेज़ों की विभिन्न प्रकार से सहायता करता रहता था। अत: नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने नैनीताल को घेरे में लेकर वहाँ पहुँचने वाली सहायता को रोकना, अति आवश्यक समझा। नैनीताल को पहुँचने के लिए दो मार्ग थे। एक मार्ग बरेली से हल्द्वानी तथा काठगोदाम होकर जाता था तथा दूसरा मार्ग मुरादाबाद व रामपुर से काला ढोगी होकर जाता था। उन दोनो मार्गों के बन्द होने से नैनीताल को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं पहुँच सकती थी। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने कई बार सेना भेजी थी। पहली बार काले ख़ाँ के नेतृत्व में सितम्बर 1857 में जिसके उपरान्त अंग्रेज़ों ने महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से अल्मोड़ा भेज दिया था तथा नैनीताल के बचाने के लिए 66 वीं गोरखा पलटन लगा दी थी[88]। काले ख़ाँ बिना युद्ध किये बरेली को लौट आया था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने दूसरी बार अक्टूबर 1857 में सेना भेजी जिसने 17 अक्टूबर 1857 को हल्द्वानी के थाने पर अधिकार कर लिया तथा काठगोदाम की ओर बढ़ना आरम्भ किया। मेजर रैम्स की सेना ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की भेजी हुई सेना से हल्द्वानी की मंडी के निकट 18 अक्टूबर 1857 को युद्ध किया तथा बरेली की सेना पराजित होकर बरेली को लौट आयी[89]। हल्द्वानी से सेना के बरेली पहुँचने पर खेद तथा क्रोध प्रकट किया और तीसरी बार नैनीताल को घेरे में लेने के आदेश जारी किये। बरेली की सेना ने दिसम्बर 1857 में बरेली हल्द्वानी मार्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तथा हल्द्वानी, रामनगर मार्ग पर स्थित काला ढोगी के थाने पर अधिकार कर लिया। मुरादाबाद व रामपुर से नैनीताल को जाने वाली सहायता को रोक दिया[90]। बरेली की सेना ने एक जनवरी 1858 को

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

हल्द्वानी पर एक और असफल आक्रमण किया था। ख़ान बहादुर ख़ाँ की उपर्युक्त कार्यवाहियों से नैनीताल को जाने वाली सहायता तथा सामग्री समाप्त हो गयी थी। जिससे अंग्रेज़ बहुत चिन्तित हो गये थे[91]। उस भंयकर परिस्थितियों में नवाब रामपुर ने अंग्रेज़ों की बहुत सहायता की थी। नेपाल के जंग बहादुर ने भी अंग्रेज़ों की गोरखा सेना भेजकर सहायता की थी। नैनीताल को भेजी जाने वाली सहायता तथा सामग्री को रोकने के लिए बरेली की सेना का अन्तिम युद्ध 10 जनवरी 1858 को हुआ था। बरेली की सेना का अधिकारी काले ख़ाँ था तथा अंग्रेजी सेना का अधिकारी एम.सी. कॉजलैन्ड था। वह युद्ध बहुत जम कर हुआ था। दोनों सेनाओं की ओर से तोपें चली थीं, परन्तु अन्त में अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई और काले ख़ाँ पराजित होकर पीछे हट गया[92]। उस युद्ध के उपरान्त अंग्रेज़ों को जो नैनीताल की नाकाबन्दी का भय था वह समाप्त हो गया और उनकी सहायता सामग्री पुनः जारी हो गयी। 1857 की ऐतिहासिक घटनाओं में रूहेलखण्ड में बहेड़ी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसमें क्रान्तिकारियों की पराजय से क्रान्ति की रूपरेखा ही परिवर्तित हो गयी और अंग्रेज़ों को सत्ता प्राप्त हुई।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की बारूद की मैगजीन में आग लगना:-

बहेड़ी के युद्ध में असफलता के पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की क्रान्तिकारी गतिविधियों को एक और धक्का लगा। दिनांक 24 मार्च 1858 को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की बारूद के मैगज़ीन में आग लगी। वह धमाका इतना अधिक शक्तिशाली था कि आस-पास के भवन गिर गये तथा 63 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। बारूद के नष्ट होने से क्रान्तिकारियों की सैनिक कार्यवाही पर बुरा प्रभाव पड़ा[93]।

रूहेलखण्ड में 1857 के क्रान्तिकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में समस्त गतिविधियों को दृष्टि में रखने के उपरान्त यह ज्ञात होता है कि क्रान्तिकारियों ने अंग्रेज़ी सेना से इस तरह युद्ध नहीं किया जैसा कि बड़े युद्धों में होता है। अधिकतर क्रान्तिकारी अपने क्षेत्र में अंग्रेज़ी सेना से झड़पें (Skirmishes)

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

करते रहते थे तथा वह अंग्रेज़ों को एकत्र होकर बड़ा आक्रमण करने का अवसर नहीं देते थे। क्रान्तिकारी अंग्रेज़ सेना को मिलने वाली प्रत्येक सहायता को रोकते तथा उनके सूचना साधनों को नष्ट करते थे। यही कारण है कि शाहज़ादा फ़िरोज़शाह, नानासाहब, बख्त ख़ाँ, ईसमाईल ख़ाँ, नयाज़ मुहम्मद ख़ाँ, मौलवी अहमद उल्ला शाह आदि ने भिन्न भिन्न स्थानों पर अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। वह आकस्मिक रूप से अवध तथा रूहेलखण्ड के किसी भी स्थानों पर अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए उपस्थित हो जाते थे। इससे यह समझा गया कि युद्ध की प्रक्रिया में आन्दोलनकारियों के मध्य कोई तालमेल प्रतीत नहीं होता था तथा उसका रूप एक बलवे के समान था, परन्तु उस समय के वातावरण में जबकि क्रान्तिकारियों के पास न तोपख़ाना था न न्यू एन. फील्ड राइफलें थी न स्वस्थ घोड़े थे, न प्रशिक्षित सेना थी और न ही वेतन देने को ऐसी स्थिति में गोरिल्ला युद्ध जो उन्होंने किया वह ठीक प्रतीत होता है। इस बात की पुष्टि एक अभिलेख से होती है जो नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के भवन में अंग्रेज़ों के बरेली पर अधिकार करने के पश्चात् मिला था। उस अभिलेख के द्वारा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने यह घोषण जारी की थी कि क्रान्तिकारियों को अंग्रेज़ों की अनुशासित सेना से आमने-सामने का युद्ध न करना चाहिये तथापि कम्पनी सेना हर तरह से हिन्दुस्तान सेना से शक्तिशाली है। अत: अंग्रेज़ी सेना के आने-जाने को दृष्टि में रखना चाहिये। उनके सूचना के माध्यमों को नष्ट करना चाहिये। उसके कैम्पें के आसपास रहना चाहिये। नदियों के घाटों पर अधिकार करना चाहिये। शत्रु जिससे न सुविधापूर्वक रह पाये। इस घोषणापत्र पर डब्लू. एच. रसिल ने टिप्पणी करते हुए लिख़ा था कि उपर्युक्त घोषणा पत्र एक महान गोरिल्ला युद्ध की रूपरेखा थी जिससे अंग्रेज़ो को निबटना था[94]।

उपर्युक्त अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ में अत्यधिक सैन्य सूझबूझ थी। यह भी मालूम होता कि रूहेलखण्ड में क्रान्ति का युद्ध गोरिल्ला युद्ध की भाँति था। अत: यह कहना उचित नहीं है कि क्रान्तिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था तथा उनकी गतिविधियाँ एक बलवे के समान थी।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

वास्व में गोरिल्ला युद्ध के लिए एक लम्बे समय की आवश्यकता होती है तथा गोरिल्ला युद्ध को लम्बे समय तक जारी रखने के लिये युद्ध के माध्यमों की आवश्यकता होती है। क्रान्तिकारियों के पास शाक्तिशाली सैनिक माध्यम नहीं थे, जबकि उनका युद्ध अंग्रेजी सेना से था, जिसके पास युद्ध करने के लिए उचित माध्यम थे। अतः क्रान्तिकारियों का गोरिल्ला युद्ध वीरता तथा साहस के उपरान्त भी कैसे सफल होता? इसके अतिरिक्त क्रान्किारियों के क्षेत्र में ही अंग्रेज़ों के गुप्तचर खेत के चूहों की भाँति, स्वतन्त्रता आन्दोलन को नष्ट कर रहे थे तथा कभी-कभी स्वयं क्रान्तिकारियो में भी आपस में झड़पें हो जाती थीं जिसके कारण क्रान्तिकारियों के आन्दोलन को बहुत हानि पहुँची।

(ज) स्वतन्त्रता संग्राम की अन्तिम अवधि:-

सितम्बर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली को विजित कर लिया था। क्रान्तिकारियों ने दिल्ली की पराजय के उपरान्त भी अंग्रेज़ों से युद्ध जारी रखा था जिसका उचित उदाहरण रूहेलखण्ड तथा अवध की क्रान्तिकारी गतिविधियाँ हैं। रूहेलखण्ड में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने क्रान्तिकारी गतिविधियों को कठोरता से जारी रखा था तथा एक योजना को सामने रखकर अंग्रेज़ों को परेशान करते रहे थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने दक्षिण की ओर फतेहगढ़ तथा पूरब की ओर शाहजहाँपुर तक और उत्तर में हल्द्वानी, काठगोदाम तथा काला ढ़ोगी तक सैनिक कार्यवाही की थी। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने क्रान्तिकारी नेताओं से सम्पर्क बनाये रखा तथा उनकी सहायता की दिल्ली की पराजय के पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का क्रान्ति को जारी रखना उनकी महान देशभक्ति का उदाहरण था। जब 14 मार्च 1858 को अंग्रेज़ों ने लखनऊ को भी विजित कर लिया तो बरेली क्रान्तिकारियों का एक बड़ा केन्द्र बना गया था। इस विषय में पंडित सुन्दर लाल ने लिखा है ''उस समय तक रूहेलखण्ड की राजधानी बरेली पर नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का अधिकार बना हुआ था तथा दिल्ली का एक शहज़ादा

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

फ़िरोज़शाह और नाना साहब, मौलवी अहमद शाह, बाला साहब, बेगम हज़रत महल, राजा तेज सिंह और कई अन्य नेता उस समय बरेली में थे सरकॉलिन कैम्पबैल सेना को लेकर बरेली की ओर बढ़ा। क्रान्तिकारी पहले से ही बरेली छोड़ देने तथा बरेली में चारों ओर फैल जाने की योजना बना चुके थे। 5 मई 1858 को अंग्रेज़ी सेना ने बरेली नगर को घेर लिया बरेली में समस्त क्रान्तिकारियों ने केवल ढाल और तलवार लेकर अंग्रेज़ी सेना पर आक्रमण किया। दोनों ओर की सेनाओं के बहुत से सैनिक मारे गये। अन्त में 7 मई 1858 को ख़ान बहादुर ख़ाँ अन्य नेताओं के साथ और कुछ सेना लेकर बरेली छोड़कर निकल गये। अंग्रेज़ी सेना ने बरेली नगर पर अधिकार कर लिया''[95]। नयाज़ अहमद ख़ाँ होश ने तारीखे-ए-रूहेलखण्ड में वलीदाद ख़ाँ, नवाब मालागढ़, नवाब नजीबाबाद, मांड़े ख़ाँ तथा इस्माईल ख़ाँ के नाम भी अंकित किये हैं। वह सब भी उस समय बरेली में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के पास पहुँच गये थे[96]।

बरेली में अंग्रेज़ी सेना से नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की सेना का युद्धः-

बरेली पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण की योजना बहुत विचार-विमर्श के बाद बनायी थी। अप्रैल 1858 को अंग्रेज़ों ने बिजनौर, मुरादाबाद, फतेहगढ़ फर्रूखाबाद, बदायूँ तथा शाहजहाँपुर पर अधिकार कर लिया था। समस्त रूहेलखण्ड में केवल बरेली और पीलीभीत क्रान्तिकारियों के अधिकार में था। अतः अंग्रेज़ों ने बरेली पर तीन ओर से आक्रमण करने की योजना बनायी। मुरादाबाद से ब्रिगेडियर जोनॅस अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा तथा उसने बरेली नगर के पश्चिम व उत्तर में कश्मीरी कोठी तथा उसके निकट बाग व मैदान में पड़ाव किया जो बरेली में पश्चिम की ओर है। दक्षिण की ओर से बरेली बदायूँ 48 किलोमीटर दूर है। ब्रिगेडियर पैनी बदायूँ की ओर से बरेली पर आक्रमण करना चाहता था। परन्तु वह 18 अप्रैल 1858 को ककराला में मारा गया तथा उसके स्थान पर कर्नल कॉलिन कैम्पबैल ने अंग्रेजी सेना

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

का नेतृत्व सभाला था। सर कॉलिन कैम्पबैल जो अंग्रेजी सेना का सेनापति था। वह फ़तेहगढ़ से शाहजाँनपुर होता हुआ पूरब की ओर से बरेली पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा। अंगेज़ों की बरेली पर आक्रमण करने की योजनानुसार बरेली पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेजी सेना को एक ही दिन तथा एक ही तिथि में एकत्र होना, तथापि बरेली पर तीनों ओर से आक्रमण हो जाये। बरेली की क्रान्तिकारियों को अंग्रज़ों के आक्रमण की योजना की सूचना मिल चुकी थी और वह अंग्रेज़ों से कोई बड़ा युद्ध नहीं करना चाहते थे तथापि उनकी सैन्य शक्ति, अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति की तुलना में बहुत कम थी। क्रान्तिकारियों का उद्देश्य केवल इतना था कि गोरिल्ला युद्ध जारी रहे तथा अंग्रेज़ परेशान रहें।

क़िला बरेली का मोर्चा:-

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने बरेली में अंग्रेज़ों से दो मोर्चों पर युद्ध किया था। 5 मई 1858 को बिग्रेडियर जोनॅस की सेना से बरेली नगर के निकट क़िला के क्षेत्र में युद्ध हुआ। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने वहाँ एक तोप लगा दी थी। अंग्रेज़ी सेना दीवान बहादुर सिंह द्वारा बनवाये हुए किला नदी के पुल तक पहुँच चुकी थी जिस पर ख़ान बहादुर ख़ाँ की सेना ने तोप का गोला फेंका जिसके पश्चात् सेना ने तोप के दो गोले फेंके। एक गोला दीवान बहादुर सिंह की कोठी वर्तमान (किला कोठी) में गिरा था, दूसरा गोला बाजार सन्दल ख़ाँ[97] में नवाब अहमद यार ख़ाँ[98] के भवन में गिरा जिससे उनकी मृत्यु हो गयी । बरेली का कोतवाल बदरूद्दीन अंग्रेज़ी सेना के साथ था। कुछ समय के पश्चात् ब्रिगेडियर जोनॅस ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया[99]। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की सेना पराजित हुई तथा ब्रिगेडियर जोनॅस की सेनाओं ने 6 मई 1858 को बरेली नगर में प्रवेश किया तथा नगर की लूटमार में भाग लिया। ब्रिगेडियर जोनॅस को दिनांक 7 मई 1857 को शाहजहाँनपुर जाने के आदेश मिले, तथापि शाहजहाँनपुर के मौलवी अहमद उल्ला शाह ने शाहजहाँनपुर के पश्चात् भी अंग्रेज़ी सेना पर

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

आक्रमण करना समाप्त नहीं किये थे[100]। ब्रिगेडियर जोनॅस के आक्रमण से उनको बरेली नगर पर विजय तो प्राप्त हुई, परन्तु बरेली के क्रान्तिकारी बरेली छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने में सफल हो गये और इस प्रकार से क्रान्ति जारी रही और वह समाप्त नहीं हुई।

बरेली में दूसरा मोर्चा नकटिया नदी के तट पर:-

बरेली के पूरब की ओर से सर जॉन कैम्पबैल फरीदपुर से अपनी सेना लेकर बरेली की ओर साढ़े तीन बजे प्रात: चला और वह बरेली की व्यर्थ छावनियों के निकट दोपहर के समय दिनांक 5 मई 1858 को पहुँच गया था। अंग्रज़ों की सैन्य शक्ति का विवरण निम्नलिखित है:-

घुड़सवार सेना:-

पंजाब घुड़सवार फौज की पहली पलटन 17 वीं पलटन पंजाब घुड़सवार सेना की 5वीं पलटन मुलतानी घुड़सावार पलटन, Tombs Horse Artillery 22 वीं पंजाब इन्फैन्टरी घुड़सवार पलटन।

तोपख़ाना:- 7 तोपें।

पैदल सेना:- 42 वीं हाईलैण्डर्स, 78 वीं हाई लैन्डर्स, 93 वीं पलटन, 89वीं पलटन, चौथी पंजाब पलटन, 21 वीं पलटन हरमाजन्डी, 64 वीं पलटन, एक दस्ता बिलोच सेना का।

अन्य सेनाएं:-

एक दस्ता नौवे लैनर्सस का इंजीनियर्स रोपरस कार बाइनस स्टोर, मैगज़ीन, माइनस आदि[101]।

उपर्युक्त विवरण से प्रतीत होता है कि अंग्रेज़ बरेली पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी योजना बनाकर लाये थे। डब्लू.एच.रसिल की डायरी से यह सूचना प्रप्त होती है कि अंग्रेज़ी सेना ने फरीदपुर से बरेली तक यात्रा बहुत सावधानीपूर्वक की गयी थी तथा बीच-बीच में उनकी सेना पर गोलियों

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

से आक्रमण होते रहते थे तथा क्रान्तिकारियों के घुड़सवार सैनिक भी दिखायी देते थे। इसी कारण अंग्रेज़ी सेना धीरे-धीरे आगे बढ़ती रही थी[102]। इस बात की पुष्टि ऐसे भी होती है कि बरेली से फ़रीदपुर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है जो अंग्रेज़ी सेना ने 8 घंटो में पूरी की थी।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की सेना की संख्या का अनुमान चार्ल्स बॉल ने 6000 से 18000 सैनिकों तथा 100 तोपों का किया था[103]। किन्तु यह विवरण ठीक नहीं प्रतीत होता है, तथापि न्यूनतम तथा अधिकतम में 12000 का अन्तर है। 100 तोपों की संख्या भी सही नहीं है। बरेली पर कई ओर से आक्रमण हुआ था केवल एक मोर्चे पर इतनी बड़ी संख्या में सेना का लगाना भी युद्ध की नीति के विरुद्ध था। यह ठीक प्रतीत होता है कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की सेना की संख्या बहुत कम थी तथा उनका उद्देश्य केवल रक्षक युद्ध था। अंग्रेज़ों की सेना तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की सेना ने 5 मई 1858 को बरेली नगर के पूरब में नकटिया नदी के तट पर मोर्चे लगाये थे। बरेली में मई का माह अत्यधिक गर्म होता है तथा हवायें भी चलती हैं और नकटिया नदी सूखकर एक नाले का रूप धारण कर लेती है और उसका नगर की ओर का तट इतना ऊँचा हो जाता है कि उस पर चढ़ना असम्भव हो जाता है, नकटिया नदी पर बीसलपुर जाने वाली सड़क पर पुल भी है। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की सेना के पीछे बरेली नगर था। अंग्रेज़ों की सेना नकटिया नदी के दूसरे तट पर नीचे समतल पर थी। दोनो सेनाओं के दाएं-बांएं मैदान तथा वृक्षों के झुंड थे। यह स्थान ग्राम सतीपुर कहलाता है और वह युद्ध ग्राम सतीपुर में हुआ था[104]। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने दो पंक्ति में सेना को लगाया था। प्रथम पंक्ति में (Advance Line) पुल तथा नकटिया के ऊँचे तट पर लगायी गयी थी, द्वितीय पंक्ति (Second Line) प्रथम पंक्ति के पीछे थी तथा वह बरेली छावनी के प्राचीन खण्डहरों तक फैली हुई थी। द्वितीय पंक्ति में ही घुड़सवार सेना तथा तोपें थीं। युद्ध का प्रारम्भ एक तोप के दाग़ने से हुआ जो क्रान्तिकारियों की ओर से हुआ तथा जिसके पश्चात् अंग्रज़ो की सेना की ओर से भी तोपें चलायी गयीं।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

क्रान्तिकारियों की प्रथम पंक्ति बरेली छावनी की ओर से सिमट गयी। क्रान्तिकारियों ने टूम्स ट्रूप (Tombs Troop) पर तोपों से सफलतापूर्वक आक्रमण किया तथा अंग्रेज़ी सेना के सामान (Baggage) और उनकी बांई पंक्ति पर दबाब डाला। अंग्रेज़ी सेना के सेनापति ने पंजाब पलटन को बरेली छावनी के भवनों की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया तथा उस पलटन की सहायता के लिए दो भागों में 42 वीं पलटन भेजी। 78 वीं पलटन ने कुछ दूरी पर सहायता के लिए स्थान संभाला। जैसे ही पंजाब रेजीमेंन्ट के सिक्ख बरेली छावनी के भवनों के निकट पहुँचे उन पर गोलियों की वर्षा होने लगी तथा वे घबराहट में हाईलैण्डर्स पर जा गिरे जो उनकी सहायता के लिए उनके पीछे थे। भवनों की दीवारों के पीछे ग़ाज़ी छिपे हुए थे जिन्होंने "बिस्मिल्लाह-अल्लाहदीन" का नारा लगाकर सिक्ख और हाईलैण्डर्स पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतनी तेजी से हुआ था कि अंग्रेजी सेना अपना अभिप्राय खो बैठी[105]। ग़ाज़ियों की कमर में हरे रंग का पटका बंधा हुआ था, उनके सिर पर हरे रंग की पगड़ी थी। उनकी दाढ़ी काली थी जिनमें सफेद बाल भी थे। उनकी दाढ़िया कतरी (Gizzly Bearded) हुई थी। उनके शरीर पर मोटी रूई की मिर्ज़ई (Tunic) थी। उनके हाथों में तलवार थी तथा उंगलियों में चाँदी की अँगुठियाँ थीं जिनमें क़ुरआन की पंक्ति (आयत) अंकित थी। ग़ाज़ियों ने ढाल की आड़ लेकर शरीर को झुकाकर आक्रमण किया तथा तलवार घुमाते हुए अंग्रेज़ी सेना में घुस पड़े थे। उन्होंने ब्रगेडियर वालपूर तथा कर्नल कैमरून को घोड़े पर से खींच लिया। उनके एक सेना अधिकारी कर्नल बॉलपूल के आक्रमण के फलस्वरूप बॉलपूल की उंगलियाँ कट गईं तथा वह मृत्यु के निकट ही था कि सार्जेन्ट गाइर्नर ने आक्रमण करके ग़ाज़ियों की हत्या कर दी। जरनल कॉलिन कैम्पबैल ने आदेश दिया था कि ग़ाज़ियों पर संगीनों से आक्रमण किया जाये। हाईलैण्डर्स तथा 42वीं पलटन ने ग़ाज़ियों पर राईफ़लों से गोलियाँ भी चलायीं। तीन मिनट के भीतर 333 गाज़ी शहीद हो गये[106]। गाज़ियों की तलवारों ने अंग्रेजी सेना की न्यू एन फील्ड राईफ़लों तथा उन पर चढ़ी हुई संगीनों का सामना किया था और वह

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

3 मिनट में शहीद हो गये थे। उन ग़ाज़ियों की बहादुरी तथा बलिदान की कथाएं आज तक बरेली में सुनायी जाती हैं।

जिस समय ग़ाज़ियों ने आक्रमण किया था ठीक उसी समय क्रान्तिकारियों की घुड़सवार सेना ने अंग्रेज़ी सेना की बाईं पंक्ति पर आक्रमण किया था, जिससे अंग्रेज़ी सेना तितर-बितर हो गयी[107]। उसके पश्चात् अंग्रेज़ों की घुड़सवार सेना क्रान्तिकारियों की सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ी जिससे क्रान्तिकारियों की घुड़सवार सेना का आक्रमण रूक गया। अंग्रेज़ी सेना की अगली पंक्ति ने बरेली नगर की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया तथा वह सायंकाल तक बरेली नगर में प्रवेश कर गयी। 6 मई 1858 को अंग्रेज़ों के तोपख़ानों ने बरेली नगर के ऐसे भवनों को नष्ट किया जिन्हें क्रान्तिकारियों के छिपने तथा आक्रमण करने की आशंका हो सकती थी[108]। वह युद्ध लगभग 6 घंटे तक हुआ था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ, मांड़े ख़ाँ[109] तथा इस्माईल ख़ाँ[110] और शाहज़ादा फ़िरोज़शाह ने बड़ी वीरता से युद्ध किया था। परन्तु उन वीरों में फ़िरोज़शाह ने बड़ी वीरता से युद्ध में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की वीरता की जितनी भी प्रंशसा की जाये कम है। ख़ान बहादुर ख़ाँ वृद्धावस्था के थे उनको साँस का रोग था। अप्रैल 1858 में दमें तथा बुख़ार की पीड़ा से गुज़र चुके थे। उनके वंश के कई व्यक्ति स्वतन्त्रता संग्राम में अपना बलिदान दे चुके थे। उदाहरणतः मुहम्मद इब्राहीम ख़ाँ (भूरे ख़ाँ) तथा नवाब अहमद यार ख़ाँ और उनके परिवार के कई व्यक्ति जैसेः अब्दुल रहमान ख़ाँ, मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ तथा करामत हुसैन ख़ाँ स्वतन्त्रता संग्राम में उनके साथ-साथ थे। उनका एकमात्र पुत्र जान मुहम्मद ख़ाँ अपनी माँ के साथ कहीं छिपा हुआ था। मई के माह की गर्मी तथा गर्म हवायें और दोपहर का समय शरीर को झूलसा रहा था। इन समस्त बातों को दृष्टि में रखने के पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का युद्ध में भाग लेना, वीरता से युद्ध करना उनकी विशेष देशभक्ति का प्रमाण है जो रुहेलों की विरासत का प्रमाण था। नकटिया के पुल से थोड़ी दूर पर कटरा मीरानपुर में बहगुल नदी के निकट 23 अप्रैल 1774 को उनके दादा नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने कर्नल चैम्पियन के

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

तोपख़ाने का सामना करके अपने प्राण त्याग दिये थे। नदियाँ दो थी नकटिया एवं बहुगल तथा स्थान दो थे ग्राम सतीपुर तथा मीरानपुर कटरा परन्तु देशभक्ति तथा बलिदान का मार्ग एक ही था, जिसने 83 वर्षों की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी सतीपुर तथा मीरानपुर कटरा को मिला दिया था।

अंग्रेज़ों की विजय तथा क्रान्तिकारियों का स्थानान्तरण:-

अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से इस युद्ध की योजना बनायी थी, उससे यह ज्ञात होता है कि वह बरेली को घेरे में लेकर क्रान्तिकारियों को समाप्त करना चाहते थे। अंग्रेज़ बरेली की विजय के साथ ही क्रान्तिकारी युद्ध का अन्त चाहते थे। इस युद्ध में स्वयं अंग्रेजी सेना का सेनापति सर कॉलिन कैम्पबैल ने भाग लिया था तथा जो ग़ाज़ियों की तलवार से बाल-बाल बचा था। क्रान्तिकारियों ने अंग्रेज़ों की योजना को सफल नही होने दिया। उन्होंने एक ही दिन में दो मोर्चों पर अंग्रेज़ों से युद्ध किया तथा सफलतापूर्वक क्रान्ति का झण्डा हाथ में लेकर बरेली के बाहर निकल गये तथापि क्रान्तिकारियों ने अंग्रेज़ों की योजना को असफल किया था। अत: वास्तव में यह क्रान्तिकारियों की विजय थी न कि अंग्रेज़ो की। यहीं कारण है कि इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए अंग्रेज़ इतिहासकार तथा अंग्रेजी पत्रकारों ने सर जान कैम्पबिल की निन्दा की थी। डब्लू-एच.रसिल जो लंदन टाइम्स का प्रतिनिधि था और युद्ध में एक शव की भाँति एक डोली में पड़ा हुआ था उसने अपनी डायरी में लिखा है कि शत्रु स्पष्ट रूप से बचकर निकल गया ऐसा ज्ञात होता है कि ''हमारी दक्षता अपनी सीमा से कुछ आगे बढ़ गयी थी[111]।'' अंग्रेजी अखबार The Friend of India, दिनांक 27 मई 1858 में यह सूचना प्रकाशित हुई थी। 6 मई का दिन व्यर्थ हो गया था, जबकि दोनों ओर की सेनाएं आमने-सामने थीं। शत्रु बचकर निकल गये तथा उनके नेता जीवित रहे। हम सेना की युद्ध कुशलता सेना के नियम तथा युद्ध की आवश्यकताओं के विषयम निर्णय लेने का बहाना नहीं कर सकते, परन्तु किसी युद्ध के निर्णय पर न्याय करने के लिए यन्त्रकला की

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे युद्ध में जिसमें किसी की हत्या न हो भारत में विजय नहीं कहलाती है । एक ऐसा युद्ध जिसमें शत्रु बचकर निकल जाये, वह अपूर्ण विजय होती है। हमने रूहेलखण्ड को अवश्य अपने अधीन कर लिया जो इतना आवश्यंक नहीं था, परन्तु हमने क्रान्तिकारियों को नष्ट नहीं किया जिनका नष्ट होना हमारी शान्ति के लिए आवश्यक था[112]।

5 मई 1858 को ग्राम सतीपुर में नकटिया के तट पर युद्ध करने के पश्चात् क्रान्तिकारी बरेली से चले गये तथा उन्होंने दूसरे स्थानों पर क्रान्तिकारी संघर्ष को जारी रखा।

दिनांक 6 मई 1857 को अंग्रेज़ी सेना की कार्यवाही:-

बरेली नगर में कमरूल हुदा ख़ाँ[113] जो क्रान्तिकारियों की सेना का नेता था अंग्रेजी सेना से युद्ध करता हुआ 5 मई 1858 को बरेली से निकल गया। दिनांक 6 मई 1858 को प्रात: सर कॉलिन कैम्पबैल ने अपनी घुड़सवार सेना को बरेली नगर भेजा। सर कॉलिन कैम्पबैल बरेली नगर के उन स्थानों से जहाँ क्रान्तिकारायों के छुपने का सन्देह था। वहाँ से वह उनको समाप्त करना चाहता था। इसी कारण उसने उन स्थानों को तोप से नष्ट कर दिया था। बरेली नगर में नौमहल्ला क्रान्तिकारियों का केन्द्र था । अंग्रेज़ी सेना ने नौमहल्ला के भवन तथा वहाँ के निवासियों को नष्ट कर दिया। केवल मस्जिद नौमहल्ला नष्ट होने से बच गयी। बरेली नगर के निवासी भाग गये। सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी ने लिखा है :

" 6 मई 1858 को मशरिक़ व मग़रिब की जानिब से अंग्रेज़ फ़ौजों ने शहर में दाखिल होकर क़त्लेआम और लूटमार का बाज़ार गर्म किया और अहलियाने शहर की वह मशहूर भगदड़ वाक़ेय हुई जिसकी दर्द अंगेज़ याद आज तक लोगों के दिलों में ज़िन्दा है[114]।"

दिनांक 7 मई 1858 को बरेली नगर की स्थिति:-

दिनांक 7 मई 1858 को अंग्रेज़ी सेना की प्रथम पंक्ति ने पूरब की ओर

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

से बरेली में प्रवेश किया। नगर पहले से ही नष्ट हो चुका था। बरेली पर अंग्रेजी सेना ने सम्पूर्ण अधिकार कर लिया। सर कॉलिन कैम्पबैल ने बरेली नगर में प्रवेश करने के पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के भवन की तलाशी करायी थी। गंगा प्रसाद को बरेली का तहसीलदार नियुक्त किया था। बदरूद्दीन को बरेली नगर का कोतवाल नियुक्त किया था तथा बरक़न्दाज़ों की भर्ती प्रारम्भ की थी।[115]।

अंग्रेज़ी सेना का बरेली नगर पर अधिकार करने के उपरांत बरेली स्थिति:

अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ बरेलवी ने ''अंग्रेज़ों का ज़ुल्म-ए-आम'' के शीर्षक के अधीन लिखा है:- ''सिक्खों और मुसलमानों की पुरानी अदावत[116]'' सिक्खों ने मुसलमानों पर क़यामत ढायी फ़ौज ने कत्लोग़ारत शुरू किया। तमाम शहर में फैल गये मकानात लूटे और बड़ी बेदर्दी से कत्ल करना शुरू किया। बाज़ ग़ैरतदार औरतें मय बच्चों के मुहम्मद फाज़िल पंजाबी के पास वाले कुँए में कूद पड़ी[117]। फौज ने उन्हें निकलवा लिया और ख़ुद कत्ल किया। जो लोग गाँव को भाग गये थे वह भी अक्सर लूटे और मारे गये। काज़िम अली ख़ाँ रामपुरी के मकान के पास चन्द जगहों पर फ़ौज के सिपाही पड़े थे और लोग गिरफ़तार होकर आते थे और गोलियों से उड़ाये जाते थे। मरने वालों की लाशें कूँचा व बाज़ार, मकानों के अन्दर-बाहर पड़ी थीं। गुलाम कादिर ख़ाँ और दूसरे चन्द मुख़बिर व जासूस व्यक्तियों को पकड़ने वाले और पता लगाने पर नियुक्त थे। फाँसी का एक चौखटा कदीमी और दो नये चौकी पुलिस पचपेड़ा[118] के पीछे खड़े किये गये थे। कबीर शाह ख़ाँ बक्शी मय अपने लड़के खैलम से अफज़ल हुसैन ख़ाँ, ज़मीअत हुसैन ख़ाँ, इनायत उल्ला ख़ाँ उर्फ मुल्ला मियाँ पिसराने नवाब अकबर हुसैन देहाते शुमाली से मोहसिन ख़ाँ, अहसन ख़ाँ, पिसराने नवाब मुहम्मद हसन ख़ाँ (बिहारीपुरी) रामपुर से मुबारक शाह ख़ाँ, अहमद शाह ख़ाँ पिसराने-खुन शाह ख़ाँ व लुत्फुल्ला ख़ाँ सैय्यद काले मियां, बशारतगंज से, ज़ाकिर

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अली, सुतुईयाँ शहर के मौलवी ख़ाँ रामपुर से गिरफ़तार हो कर फाँसी दिये गये[119]। बरेली कमिश्नरी के हाते में बरगद का वृक्ष भी फाँसी घर बन गया था, जहाँ सैकड़ो व्यक्तियों को अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। अंग्रेज़ों ने मार्शल ला लागू कर दिया था कुछ कहने तथा सुनने का कोई अवसर न था। सैनिक जिसको चाहते उसकी हत्या कर देते थे तथा जिस भवन को चाहते लूट लेते थे। किसी प्रकार का कोई नियम नहीं था। बरेली की जनता में जो व्यक्ति अंग्रेज़ का गुप्तचर का कार्य करते थे वे अंग्रेज़ो के तो साथ थे ही, परन्तु ऐसे व्यक्ति जो एक ही समय में अंग्रज़ों और ख़ान बहादुर ख़ाँ के साथ थे अपनी जान बचाने के लिए गुप्तचर का र्काय कर रहे थे। यह भी हो रहा था कि व्यक्ति अपनी आपसी शत्रुता के कारण एक दूसरे की मुख़बिरी कर रहे थे। जनता को बिना मुक़दमा चलाये गोली मार दी जाती थी या फाँसी पर चढ़ा दिया जाता था। सैयूयद मुस्तफ़ा अली बरेलवी ने अंग्रेज़ी सेना के अत्याचार पर लिखते हुए मुहम्मद शफ़ी की पुस्तक 1857 के सन्दर्भ से लिखा है:-

''यह मज़ालिम जो देहली में गुज़रे उन मज़ालिम का शिम्मा हैं जो अवध और रूहेलखण्ड में उन सितमगरों के हाथों से इन्सानों पर बीते। हक़ीक़त यह है कि रूहेलखण्ड के उन जाँबाज़ों ने अंग्रेज़ी इस्तबदाद के मुक़ाबले ऐसी मिसाल क़ायम की कि सारे हंगामें में उनकी नज़ीर नहीं मिलती[120]।

तथापि बरेली का पतन हो गया अंग्रेज़ वापस आ गये। यह बात स्मरण करने योग्य है कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपने उत्तराधिकारी के समय में बेमिसाल प्रशासन चलाया था। मालगुजारी समय पर वसूल होती थी नगर में शान्ति रहती थी। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का 11 माह 4 दिन का प्रशासन भारत की किसी भी देशी रियासत की भाँति था। 83 वर्ष के अन्तराल के उपरान्त भी उनका प्रशासन रूहेला प्रशासन से संबंधित होना ज्ञात होता है। कदापि वह अपने दादा की विरासत से जुड़े थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने क्रान्ति तथा क्रान्तिकारियों का नेतृत्व किया था। यह वह क्रान्ति थी जिनके

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

नाम तथा जिनके महान कार्य जिनके युद्ध तथा बलिदान ने आने वाली पीढ़ी पर भी प्रभाव डाला और जो आज तक प्रसिद्ध है। आज भी नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के नाम के साथ शाोभाराम, मौलवी कुतुबशाह, मुहम्मद अली ख़ाँ (जिम्नी ग्रीन), मुबारक शाह ख़ाँ, अहमद शाह ख़ाँ, सैयूयद काले मियाँ मौलवी ख़ाँ, कबीर शाह ख़ाँ, बन्डे मीर ख़ाँ, वलीदाद ख़ाँ, जंगबाज़ ख़ाँ, नयाज़ मुहम्मद ख़ाँ, अब्दुल रहमान ख़ाँ, वज़ीर मुहम्मद ख़ाँ तथा मुल्ला मियाँ आदि को याद रखा गया है और जिनके बलिदान की कथाऐं बरेली में बहुत समय तक प्रसिद्ध रहीं। वास्तव में बरेली तथा समस्त रूहेलखण्ड में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक उदाहरण बन गया था। मौलवी ज़का उल्ला लिखते हैं कि अन्य स्थानों पर ज़ो बग़ावत हुई वह बरेली की बग़ावत के आगे कम थीं[121]।

जॉन इंगलिस बरेली का कॅलैक्टर नियुक्त हुआ। मार्शल लॉ हटा दिया गया। बिना कार्यवाही के मुकदमे के दण्ड देना समाप्त कर दिया गया। जो क़ैदी कारागार में बन्दी थे उनके मुकदमे पर निर्णय बिना किसी विलम्ब के जारी हुए तथा सरकारी भवनों की मरम्मत की गयी। नवम्बर 1858 को बरेली छावनी में परैड के मैदान में बरेली की जनता को एकत्र करके अलैक्जेन्डर कमिश्नर बरेली ने मलिका-विक्टोरिया की घोषणा वजीह उज़्जमाँ ख़ान जागीरदार से पढ़वाकर सुनवायी। उस अवसर पर अंग्रेजी सेना ने अपने अनुशासन तथा सत्ता का प्रदर्शन किया। नगर में दिये जलाये गये, आतिशबाज़ी छोड़ी गयी, नृत्य तथा संगीत का कार्यक्रम हुआ, भाँड़ो की नक़ल (बहरूपिये) हुई, नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ तथा शोभाराम की नक़लो पर क़ेहक़हे बुलन्द हुए। सांयकाल से प्रात:काल तक यह प्रदर्शन कार्य चलता रहा। अलैक्जेन्डर कमिश्नर ने बरेली में बन्दी भी जेलों से रिहा किये। 1857 को रूहेलखण्ड में तार बरकी की व्यवस्था की गयी। 1858 को ही मुरादाबाद में स्पेशल कमीशन के विभाग की नियुक्ति हुई जिसके द्वारा क्रान्तिकारियों की जायदाद ज़ब्त करके अंग्रेज़ों के विश्वसनीय पात्रों को पुरस्कार में दी गयी। जॉन इंग्लिस ने निर्धनों को धन के साधन उपलब्ध कराने

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

के लिऐ निर्माण कार्य आरम्भ किया। उसने इंग्लिस गंज बाज़ार तथा (Western Inglis Memorial school) वर्तमान तिलक इन्टर कॉलिज बेरली (Eastern Inglis Memorial school) वर्तमान मौलाना आजाद इन्टर कॉलेज का निर्माण किया। 1860 में ही अलैक्जेन्डर के स्थान पर जॉन इंग्लिस बरेली का कमिश्नर नियुक्त हुआ था[122]।

अंग्रेज़ों ने बरेली के प्रशासन पर विशेषरूप से ध्यान दिया। उन्होंने सेना के लिए अन्न का भण्डार उपलब्ध किया तथा सेना की सुविधा के लिए भवनों की मरम्मत कराने और निर्माण कार्य करने के लिए ठेके दिये। दरयाओ सिंह को दुमका का, रघुनाथ सिंह को नवाबगंज का, मक्खनलाल को आँवला का, तहसीलदार नियुक्त किया तथा उनको बरकनदाज़ रखने की अनुमति दी थी[123]। उन्होंने गंगा प्रसाद को बरेली का तहसीलदार तथा बदरूद्दीन को बरेली का कोतवाल पहले ही नियुक्त कर दिया था। फ़रीदपुर तथा बिसलपुर में भी तहसीलदार तथा थानेदार नियुक्त किये। तराई के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिये रिकिटस को सिविल अधिकारी बनाकर भेजा और उसकी सहायता के लिए ब्रिगेडियर फोक सेना का एक दस्ता लेकर गया वहाँ वज़ीर मुहम्मद ख़ाँ और कबीर शाह ख़ाँ से झड़पें हुईं। जिनमें अंग्रेजी सेना का एक सैनिक मारा गया। वज़ीर मुहम्मद ख़ाँ तथा कबीर शाह ख़ाँ को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और उनको 12 मई 1858 को फाँसी दे दी गयी थी[124]। वज़ीर मुहम्मद ख़ाँ तथा कबीर ख़ाँ 1857 की क्रान्ति के महान नेता तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के विशेष मित्र थे। पीलीभीत के कुर्मियों ने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की और वह गुप्त रूप से क्रान्तिकारियों को अपने घरो में शरण देते रहे। 24 मई 1858 को महान क्रान्तिकारी फ़तेहशाह ख़ाँ को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और उनको फाँसी दे दी[125]। धीरे-धीरे रिकिटस ने अंग्रेज़ी शासन लागू कर दिया तथा उसने पीलीभीत में तहसीलदार तथा थोनेदार नियुक्त कर दिये[126]।

उपर्युक्त विवरण से यह अनुमान लगाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने बरेली में

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

शान्ति स्थापित करने के लिए प्रयत्न किये थे तथा उन्होंने जनता को यह बताने की चेष्टा की थी कि उनका प्रशासन जनता के हित में है।

बरेली के पतन के पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की क्रान्तिकारी गतिविधियाँ:-

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ तथा अन्य क्रान्तिकारी बरेली से निकलने में सफल हो गये थे। क्रान्तिकारियों को जब भी अवसर मिलता था वह ग्रामों, कस्बों तथा घाटों पर आक्रमण करके अंग्रेज़ों के सुरक्षा के प्रबन्ध को नष्ट कर देते थे और फिर वहाँ से हट जाते थे। क्रान्तिकारियों के ऐसे आक्रमण से अंग्रेज़ों को अपने विजित क्षेत्रों का प्रबन्ध करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उदाहरणतः बरेली के उत्तर में तराई के क्षेत्र में निज़ाम अली ख़ाँ ने बहेड़ी, शाही, रिच्छा, मोहनपुर तथा शेरगढ़ आदि में आक्रमण करके कैप्टन क्रॉसमैन के दाँत खट्टे कर दिये[127]। क्रान्तिकारियों ने अपना युद्ध जारी रखा, जिसका एक बड़ा केन्द्र जिला शाहजहाँनपुर था और वहाँ मौलवी अहमद उल्ला शाह के नेतृत्व में युद्ध हो रहा था। हरे रंग का मुहम्मदी झण्डा शाहबाद (हरदोई) मुहम्मदी खीरी तथा शाहजंहाँनपुर में लहरा रहा था[128]। अधिकतर क्रान्तिकारी तथा उनके नेता मुहम्मदी और शाहजहाँनपुर में एकत्र हो गये थे। जिला शाहजहाँनपुर में कई स्थानों पर अंग्रेजी सेना तथा क्रान्तिकारियों के मध्य युद्ध हुआ।

शाहजहाँनपुर में युद्धः-

11 मई 1858 को शाहजहाँनपुर में घघरा नदी, खंनूद नदी, हकीम मेंहदी की सराय तथा लोदी के पुल पर क्रान्तिकारियों और अंग्रेजी सेना में युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना का अधिकारी ब्रिगेडियर जॉन था जो बरेली में क़िले के मोर्चे पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् शाहजहाँनपुर भेजा गया था। इन युद्धों में मई का युद्ध अत्यधिक प्रसिद्ध तथा कठोर था, जिसमें बरेली के

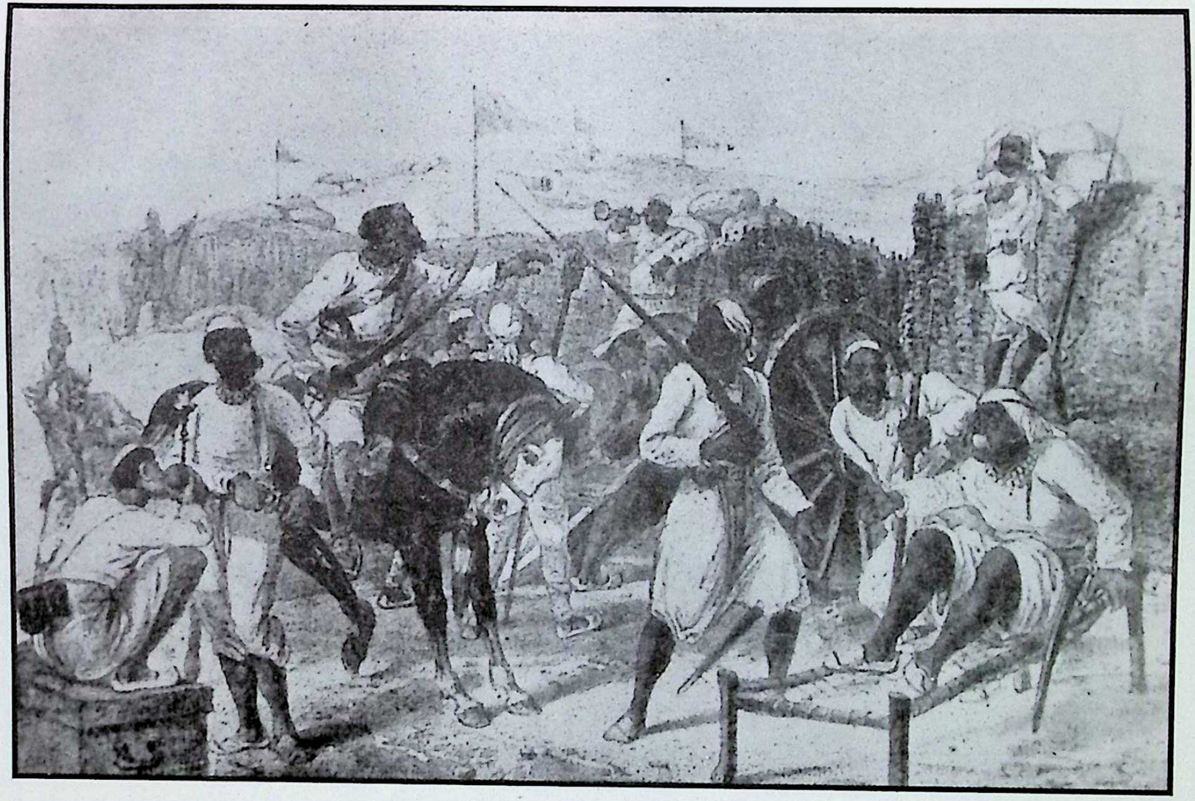

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के कुछ क्रान्तिकारी।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

कैसर बाग लखनउ की इमारतें जो 1857 की जंगे आज़ादी में तबाह हो गईं।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

क्रान्तिकारियों ने भी भाग लिया था तथा जिसमें अंग्रेजी सेना का अधिकारी लेफटीनेन्ट डी. कॉन्ट जो घायल हुआ था। अन्त में अंग्रेज़ों ने शाहजहाँनपुर पर पुनः अधिकार कर लिया[129]।

शाहजहाँनपुर के पूरब में थोड़ी दूर पर हातौरा तथा बौनी में दिनांक 18 मई 1858 को क्रान्तिकारियो ने अंग्रेजी सेना का रात गये तक जमकर मुकाबला किया था इस समय क्रान्तिकारी मुहम्मदी तथा शाहजहाँनपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रो में एकत्र हो गये थे[130]। जिनमें नाना साहब, नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ, इस्माईल ख़ाँ तथा शाहज़ादा फ़िरोज़शाह भी शामिल थे[131]। बदायूँ की तहसील इस्लामनगर में अब्दुल्ला ख़ाँ, अकबर ख़ाँ तथा बाबू राम नारायण के नेतृत्व में क्रान्तिकारी एकत्र हो गये थे, जिससे चन्दौसी तथा नरौरा पर क्रान्तिकारियों के आक्रमण का भय उत्पन्न हो गया था। अंग्रेजी सेना के सेनापति जान जॉनस ने मुहम्मदी पर आक्रमण करने के लिये आदेश जारी किये थे[132]। क्रान्तिकारियों ने शाहजहाँनपुर तथा फतेहगढ़ मार्ग पर अंग्रेजी सेना का मार्ग बंद करने के लिये जलालाबाद तथा शाहजहाँनपुर के मध्य में कांट की चौकी पर आक्रमण किया[133]। दिनांक 20 मई 1858 को ही नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के भतीजे मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ को अंग्रेज़ों ने शाहजहाँनपुर में फाँसी दी थी। दिनांक 24 मई 1858 सर कॉलिन कैम्पबैल की सेना से क्रान्तिकारियों का अन्तिम युद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप शाहजहाँनपुर पर अंग्रेज़ों का सम्पूर्ण अधिकार हो गया। बेगम हज़रत महल, शाहज़ादा फ़िरोज़शाह तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ आदि शाहजहाँनपुर से मुहम्मदी (खीरी) चले गये। उसी समय मौलवी लयाक़त अली इलाहाबादी ने बिलग्राम (हरदोई) पर आक्रमण करके अंग्रेजी सेना का सामना किया था[134]।

मुहम्मदी का युद्ध तथा क्रान्तिकारियों की पराजयः-

कस्बा मुहम्मदी लखीमपुर जिले में शाहजहाँनपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कस्बा मुहम्मदी में एक ईटों का दुर्ग था जिसमें बेगम हज़रत

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

महल के साथ नवाब अहमद अली ख़ाँ उर्फ मम्मू ख़ाँ तथा अन्य क्रान्तिकारियों के नेता एकत्र हो गये थे। उपर्युक्त स्थान से ही क्रान्तिकारी उन ग्रामों पर आक्रमण करते रहते थे, जो अंग्रेज़ों के वफ़ादार थे[135]। अहमद उल्ला शाह जिन्हें राजा पुवाँया ने धोखा देकर दिनांक 15 जून 1858 को शहीद करवा दिया था, उनका बदला लेने के लिए क्रान्तिकारियों ने दिनांक 7 अक्टूबर 1858 को पुवायाँ पर आक्रमण कर दिया। वह युद्ध 19 अक्टूबर 1858 तक चलता रहा इसी युद्ध में क्रान्तिकारी नेता मोहसिन अली ख़ाँ वीरगति को प्राप्त हो गये थे[136]। क्रान्तिकारी पुवायाँ पर अधिकार करने में सफल हुए, परन्तु दिनांक 24 मई 1858 को मुहम्मदी पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया।

क्रान्तिकारियों का अवध में एकत्र होना:-

वास्तव में मौलवी अहमद उल्ला शाह[137] की हत्या के पश्चात् क्रान्तिकारी गतिविधियों को धक्का लगा तथापि अहमद उल्ला शाह एक ऐसा क्रान्तिकारी नेता थे, जिसने अंग्रेजी सेना के सेनापति सर कॉलिन कैम्पबैल को दो बार पराजित किया था। मौलवी अहमद उल्ला शाह अपने समय के एक महान योद्धा थे। उनके स्थान पर बेगम हज़रत महल ने नवाब अहमद अली ख़ाँ उर्फ मम्मू मियाँ को क्रान्तिकारियों का सेनापति नियुक्त किया था। परन्तु मम्मू ख़ाँ के सम्बन्ध में मौलाना ख़ैराबादी ने जो अपनी राय प्रस्तुत की है। उससे ज्ञात होता है कि मम्मू ख़ाँ सेनापति के पद के योग्य नहीं था[138]। अब हुआ यह कि क्रान्तिकारियों की अंग्रेज़ सेना से झड़पे जारी रहीं। परन्तु उनकी शक्ति प्रतिदिन घटती रही तथा अंग्रेज़ उनको दबाने में लगे। समस्त क्रान्तिकारी अवध में एकत्र हो गये थे। ख़ान बहादुर ख़ाँ भी अवध पहुँचे तथा अन्त में बेगम हज़रत महल और मम्मू ख़ाँ के साथ नेपाल चले गये। मौलाना फ़ज़ल-ए-हक खैराबादी ने उस समय वातावरण को निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया है ''नसारा के मुसल्लत और मुनतशिर हो जाने की वजह से बेगम के पास खेराज़ और मोहासिल का आना बन्द हो

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

''सिकँदर वाग़ लखनउ'' जहां 16 नवम्बर 1857 को 2000 क्रान्तिकारी शहीद हुए।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सरज़मीन अवध की जाँबाज़ ''बेगम हज़रत महल''।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

गया। जमीन की कुशादगी के बावजूद उन पर तंग हो चुकी थी। वह बड़ी सख़्त मुसीबत और तंगी में पड़ गये थे। वह सब तंग दस्त आसायश व राहत से दूर थे। उनके दिल अहलो अयाल की जूदाई से पारा पारा थे। ऐसे हालात में मजबूर व मुज़्तर होकर बहुत से लश्करी वगैहरा नसारा के इताअत गुज़ार बन गये उनके पास हथियार, घोड़े जो कुछ था छीन लिया गया और परवाना-ए-अमान दे दिया गया अब वह अहले वतन की तरफ ख़ाइब ख़ासिर होकर लौटे फिर तो नसारा सारे मुल्क पर बिला मुजाहिमत काबिज हो गये। मैदाने-कारज़ार और लड़ाइयो से निजात पाने के लिये बेगम इस तबाही व बरबादी के बाद बचे-खुचे साथियों के साथ पहाड़ी की चोटियों पर चली गयी[139]। मौलाना फ़जले हक ख़ैराबादी के उपर्युकत विवरण से यह स्पष्ट होता है कि क्रान्ति ने कैसी परिस्थिति में दम तोड़ा था।

बुटवल (नेपाल) में क्रान्तिकारियों का एकत्र होना:-

एक गुप्तचर ने अंग्रेज़ अधिकारियो को दिनांक 7 अप्रैल 1858 को सूचना दी कि नेपाल की तराई में बुटबल के 42 नाराकोटा दुर्ग में बेगम हज़रत महल, ब्रजीसकद्र, नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ, नाना साहब तथा 200 सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं। अत: यह सूचना प्राप्त होने के उपरान्त सेना की एक टुकड़ी लेफटीनेन्ट कर्नल किंग के नेतृत्व में भेजी गयी[140]।

ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेज़ों की सेना भारत तथा नेपाल की सीमा के निकट ठहरकर क्रान्तिकारियों की क्रिया की समीक्षा करती रही और उसने नेपाल में प्रवेश नहीं किया था तथा उसी अन्तराल से अंग्रेज़ों ने नेपालियों की सहायता से क्रान्तिकारियों को पराजित किया था। नेपाल का सर जंग बहादुर अंग्रेज़ों का मित्र था और उसने अंग्रेज़ों की उस समय भी सहायता की थी। जब क्रान्तिकारियों ने हल्द्वानी, काठगोदाम तथा कालाढ़ोंगी पर आक्रमण किया था। सर जंग बहादुर ने अवध पर अधिकार करने के लिए अंग्रेज़ों की अपनी सेना से सहायता की थी। गोरखा सैनिक अंग्रेजी सेना के साथ रहते थे। अंग्रेज़ों ने लखनऊ में आलमबाग़ तथा चौलखी का युद्ध गोरखों की

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सहायता से सफल किया था[141]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की गिरफतारी:-

सर जंग बहादुर अपनी सेना को लेकर बुटबल पहुँचा। उसने हज़रत महल तथा ब्रजीसकद्र को नेपाल में रहने की अनुमति दे दी[142]। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ तथा मम्मू ख़ाँ अंग्रेज़ी राज्य के नागरिक थे। सर जंग बहादुर ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ तथा मम्मू ख़ाँ को हिरासत में लेलिया क्रान्तिकारियों ने हथियार डाल दिये। सर जंग बहादुर ने समस्त बन्दियों को जरनल डाईलर के हाथो में दे दिया[143]।

बुटबल में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ 8 माह तक रहे थे। अप्रैल 1858 से सितम्बर 1858 के पहले सप्ताह तक उनके कई क्रान्तिकारी साथी नेपाल की तराई से अरब चले गये थे। जिनमें उनका सेनापति नयाज़ मुहम्मद ख़ाँ भी थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ भी नेपाल से अरब जा सकते थे। परन्तु वह नहीं गये। इस सम्बन्ध में गर्वनर जरनल के नाम अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14 फरवरी 1860 में लिखा था उससे ज्ञात होता है कि जंग बहादुर ने उनको यह वचन दिया था कि यदि उन्होंने अंग्रेज़ों की हत्या नहीं की है तो वह आठ दिन तक नेपाल में ठहरकर जहाँ चाहे जा सकते हैं तथा गर्वनर जरनल उनको क्षमा कर देगा। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने इस प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा था कि यदि उन्होंने अंग्रेज़ों की हत्या की होती तो वह 8 दिनो में अपना वेश बदल कर कहीं भी जाकर छिप जाते, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया तथा जंग बहादुर के दिये हुए वचन का पालन किया था[144]। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपनी पैतृक परंपरा के अनुसार अपने शत्रु को अपना मित्र समझा और जंग बहादुर के वचन को सत्य मानकर नेपाल में ठहरे रहे तथा अन्त में बन्दी बना लिये गये[145]।

गवर्नर जरनल लार्ड कर्निंग ने आदेश दिया था कि मम्मू ख़ाँ पर लखनऊ तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ पर बरेली में मुकदमा चलाया जाये। मम्मू ख़ाँ

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ सिक्ख कवैलरी संख्या एक की रखवाली में बुटवल से गोंड़ा होते हुऐ लखनऊ लाकर कारागार में बन्द कर दिये गये। बुटवल से लाये हुए बन्दियों में चार क्रोन्तिकारी नेता और भी थे, जिनमें एक का नाम देवीदीन तथा दूसरे का गंगासिंह लाट साहब था[146]। मम्मू ख़ाँ तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को कारागार की अलग-अलग कोठरियों में रखा गया था। मम्मू ख़ाँ तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की गिरफतारी के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ हुई। मम्मू ख़ाँ तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का हुलिया दर्ज किया गया। जिसका सारांश यह है:- ''मम्मू ख़ाँ जेल की कोठरी में चिन्ता में डूबा हुआ बैठा था परन्तु नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के मुख पर चिन्ता नहीं थी उनके हाथ में तस्बीह थी तथा वह ईश्वर की इबादत कर रहे थे। मम्मू ख़ाँ की तुलना में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का स्वास्थ्य अच्छा था और उनको देखकर यह कहा जा सकता था कि उनका सम्बन्ध नवाबों के वंश से है। उनके सिर पर बाल नहीं थे। उनके मुख पर सत्य का तेज था। उनकी दाढ़ी लम्बी तथा लगभग सफेद थी उनकी भवें खुदरी थी जिनके नीचे तेज़ तथा चमकदार काले नेत्र थे। उनका मुख न लम्बा न छोटा बल्कि बनावट में अंडे के आकार का था। उनकी नाक डलहौजी की नाक की भाँति झुकी हुई थी। उनके मस्तिक के आकार पर कोई भी पादरी गर्व कर सकता था। उनका रंग गोरा था तथा उनकी लम्बाई 5 फुट 7 या 8 इंच थी। उनके मुँह में दाँत नहीं थे और वह जब बात करते थे तो रुकावट का आभास होता था। परन्तु उनकी आवाज़ रोबदार थी[147]। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की उंगलियों में दो अंगूठियां थी। उनके पास दो अशरफियाँ भी थी। कागजों, पत्रों, मसविदों, अंगूठियों तथा अशरफियों को लखनऊ के तोशाख़ाने में जमा करा दिया गया था[148]।

जिस समय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को बन्दी बनाया गया था उस समय उनके पास से 36 कागज़ प्राप्त हुए थे। वह सब कागज उर्दू में थे। इन कागज़ों में वे पत्र भी उपलब्ध थे, जो स्वयं उनको प्राप्त हुए थे। उनमें एक पत्र बहादुर शाह ज़फर का दिनांक 24 रजब 1275 हिजरी (28 फरवरी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

1859) का था, जिसको पढ़कर अंग्रेज़ अधिकारी ने क्रान्तिकारियों के मध्य हुई गुप्त पत्राचार की व्यवस्था की प्रशंसा की थी तथा उनको आश्चर्य हुआ था कि उपर्युक्त पत्र अंग्रेज़ों की इतनी देखभाल के पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के पास कैसे पहुँच गया। दूसरा पत्र दिनांक 3 रबीउल अव्वल 1275 हिजरी (21 अक्टूबर 1858) का बेगम हज़रत महल का था, जिसमें उन्होंने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से क्रान्ति की सफलता के लिऐ सहायता मांगी थी। कई पत्रों के मसविदे उन पत्रों के थे जो जंग बहादुर के नाम लिखे गये थे। एक कागज़ ऐसा भी था जिसमें नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपने क्षेत्र (रूहेलखण्ड) की सीमाओं को अंग्रेज़ों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित करने के लिए विचार किया था। कई पत्र वे भी थे जो नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने बेगम हज़रत महल के दूत अहमद यार ख़ाँ को भेजे थे। एक मसविदा उस प्रार्थना पत्र का था जो उन्होंने गवर्नर जनरल को अपने बचाव के लिये तैयार किया था। एक मसविदा ऐसा भी था जिसमें नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने किसी पर बल दिया था कि वह देश से शत्रुओं को नष्ट कर दे।

उपर्युक्त नियमित कार्यवाही के उपरान्त गवर्नर जरनल के आदेश पर नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को 1 जनवरी 1860 को बरेली पहुँचा दिया गया। बरेली के मजिस्ट्रेट इंग्लिस ने यह सोचकर कि जिला बरेली की जेल में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को बन्दी बनाकर रखना उचित नहीं होगा। अत: उसने ख़ान बहादुर ख़ाँ को फौज की सुरक्षा में बरेली छावनी के दुर्ग में बन्दी बनाकर रखा[149]। गवर्नर जरनल के आदेशानुसार इंग्लिस ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के विरुद्ध दण्ड पत्र तैयार करके स्पेशल कमीशन को प्रस्तुत किया। स्पेशल कमीशन के निम्नलिखित सदस्य थे:-

1- विलियम रार्ब्टस (स्थानापन्न सेवा) William Roberts

2- ए. शेक्सपियर (जज मुरादाबाद) A. Shakespeare

3- एच. वॉनस्नीतत (जज बरेली) H. Vansettart

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सहायक मजिस्ट्रेट बरेली माइनस (Moens) को परॉसीक्यूटर नियुक्त किया गया था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की वकालत के लिए जो वकील नियुक्त हुआ था उसका नाम लायक़ अली थी। 1 फरवरी 1860 को मुकदमे की कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी। जिन व्यक्तियों ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के विरुद्ध गवाही दी थी उनके नाम निम्नलिखित हैं:- 1- कन्हैया लाल कोषपाल, 2- कपिल मुनी पंडित निवासी कॅव्वा टोला बरेली, 3- जयमल सिंह ठाकुर निवासी ग्राम कॅयारा बरेली, 4- चेत सिंह ठाकुर निवासी ग्राम बसईघोपा, बरेली, 5- शेख इनायत अली मुलाज़िम ख़ान बहादुर ख़ाँ, 6- मिनी लाल ब्राह्मण, 7- छेदालाल पण्डित ज़मींदार, बसई घोपा, 8- जुवा मुनादी वाला, 9- सिबबुआ मुनादी वाला, 10- गुमानी मुनादी वाला, 11- चन्द्र मुनादी वाला, 12 ब्रिज लाल मुख़तार, 13- परमेश्वरी दास, पेशकार, तहसीलदार करूर बरेली, 14- सलाहउद्दीन अहमद, 15- क्लब अली शाह, 16- मूल चन्द्र कायस्थ, 17- छज्जू लाहौरी, 18- अमान अली, 19- राम प्रसाद सुनार, 20- दूर्गा सुनार, 21- बाल किशन (भरत की ढलाई करने वाला) 22- ख़ुदाबक़्श, 23- तुलसीराम, परवाना नवीस 24- चौधरी नौबत राम[150]

उपर्युक्त गवाहो ने स्पेशल कमीशन के सामने जो बयान दिये थे उनसे अभियोग की कहानी निम्न प्रकार से बनती हैं। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को सदर अमीन बरेली तथा नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के पौत्र होने के कारण अंग्रेज़ सरकार से पेन्शन मिलती है। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने सूबेदार बख़्त ख़ाँ को विद्रोह करने के लिए उकसाया। दिनांक 31 मई 1857 को विद्रोह के चौथे दिन नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने बख़्त ख़ाँ से बरेली छावनी में भेंट की। दिनांक 31 मई 1857 को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने दिन के एक बजे कोतवाली में मुनादी करने वालों को आदेश दिया कि वह बरेली के बाज़ार में घोषणा करे कि मख़लूक़ ख़ुदा की मुल्क बादशाह का और सूबा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने कठेर की निज़ामत का फ़रमान सम्राट ज़फ़र से प्राप्त किया तथा अपने आदेश अनुसार उप नाज़िम और अधिकारी नियुक्त किये। नवाब बहादुर ख़ाँ ने एक प्रबन्धक परिषद स्थापित की। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने जो आदेश जारी किये उन पर उनके हस्ताक्षर तथा मुहर है। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने नौमहल्ला के मौलवी मियाँ जान के द्वारा जयमल सिंह पर दबाब डाला कि वह 18 अंग्रेज़ों तथा 4 देशी ईसाइयों को जो उसके भवन में छिपे हुए थे, नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के हाथो में दे दे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने पलटन के कमीदान इंनायत उल्लाह ख़ाँ को अंग्रेज़ों को भगाने के लिऐ नैनीताल सेना सहित भेजा। ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपनी मुद्रा जारी की। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने तोपें ढालने के लिए एक कारख़ाना (Brass Foundry) स्थापित की। नवाब ख़ा बहादुर ख़ाँ ने एक घोषणा पत्र जारी करके अंग्रेज़ों के सिर का मूल्य निर्धारित किया तथा हिन्दू तथा मूसलमानों को अपना-अपना धर्म सुरक्षित करने के लिऐ प्रोत्साहित किया तथा समस्त ईसाइयों की हत्या करने की घोषणा की। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने उपर्युक्त घोषणापत्र में यह शुभ सूचना दी कि 3 जमादी उस्सॉनी 1274 हिजरी को फतेहगढ़ के युद्ध में एक यूरोपियन जरनल, 20 यूरोपियन एवं 20 सिक्ख मारे गये थे जबकि विद्रोहियों की पंक्ति में केवल एक सैनिककी शहादत हुई थी।

उपर्युक्त अपराधों की नामवली से यह सिद्ध करने की चेष्टा की गयी है कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ अंग्रेज़ों के नागरिक थे उन्होने अंग्रेज़ों के विरुद्ध षडयन्त्र किया। क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाया, युद्ध किया, कठेर का शासक नियुक्त होकर कठेर में अपना राज्य स्थापित किया अपनी मुद्रा चलायी, अंग्रेज़ों की हत्या के लिए जनता को प्रोत्साहित किया।

उपर्युक्त अपराधों को दृष्टि में रखने के उपरान्त नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपने बचाव के लिये स्पेशल कमीशन से कई ऐसे केसों की मिसालें मांगी थीं, जिनका सम्बन्ध 37 अंग्रेज़ अधिकारियों के मुकदमे से था, जिनकी 31

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

मई 1857 को बरेली में हत्या कर दी गयी थी तथा अपराधियों को मृत्यु दण्ड दिया जा चुका था। उन मुकदमों में भी अंग्रेज़ों की ही हत्या करने के आदेश जारी करने का आरोप नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ पर लगाया गया था। परन्तु उन मुकदमों में गवाहों ने अपने बयानों में यह नहीं कहा था कि हत्या के आदेश नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने जारी किये थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को उपर्युक्त मिसालें नहीं दी गयी थीं नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने निम्नलिखित गवाह अपने पक्ष में प्रस्तुत करने की सूची कमीशन को दी थी।

1- हैदर अली पुत्र विलायत अली निवासी मौहल्ला भूड़, बरेली

2- करामत हुसैन निवासी मौहल्हा भूड़, बरेली।

3- अज़ीम उल्ला ख़ाँ पुत्र निज़ाम उद्दीन ख़ाँ निवासी मौहल्ला भूड़, बरेली।

4- शकूर अली पुत्र इमाम अली निवासी मौहल्ला भूड़, बरेली।

उक्त गवाहों में से कोई भी गवाह स्पेशल कमीशन के सामने उपस्थित नहीं हुआ था[151]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने दिनांक 10 फरवरी 1860 को जो बयान स्पेशल कमीशन को दिया था उसकी विशेष बातें निम्नलिखित हैं:-

1- रूहेलखण्ड में दिनांक 31 मई 1857 को जो गड़बड़ी हुई वह सेना की ओर से थी। मैंने किसी को विद्रोह पर नहीं उभारा तथा न किसी यूरोपियन की हत्या का आदेश दिया।

2- मेरे विरुद्ध गवाहियाँ असत्य हैं तथापि कई गवाहों को पदोन्नति की आशा है और जो गवाह शहर के धनी हैं वे मेरे शत्रु तथा अंग्रेज़ सरकार के पक्षपाती हैं। कई गवाह अपराधी हैं और वह मेरे विरुद्ध गवाही देकर अपने अपरोधों से बचना चाहते हैं। कई गवाहों ने जो मेरे विरुद्ध बयान दिया है वह उस बयान से भिन्न है जो उन्होंने पिछले मुक़दमों में दिये थे और जिसमें

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

उन्होंने मुझे निरापराधी बताया था।

3- मुझे शेख बदरूद्दीन कोतवाल बरेली ने दिनांक 31 मई 1857 को मेरे भवन मौहल्ला भूड़ में सैनिक विद्रोह की सूचना दी थी। उसके पश्चात् पुराना शहर से मदार अली ख़ाँ ने सैनिकों के हाथों नगर के लुटने तथा महिलाओं के अपमानित होने की चिन्ता व्यक्त की थी।

4- मैं कोतवाली गया। मेरे साथ मुबारक शाह ख़ाँ भी गया। फैज़ उल्लाह, मियाँ जान तथा नौमहल्ला के अतिरिक्त सैय्यद भी कोतवाली गये। शहर तथा ग्रामों के बदमाशों ने कोतवाली का अभिलेख नष्ट कर दिया था तथा फर्नीचर लूट लिया था। मैंने सैय्यद फैज़ उल्लाह को बख्त ख़ाँ के पास यह सूचना देकर भेजा कि सेना नगर में लूटमार न करे। बख़्त ख़ाँ ने इस शर्त पर कि सेना को रसद भेजी जाये और बैजनाथ मिश्र कोषपाल से धन प्राप्त करके भेजा जाये, नगर को न लूटने का वचन दिया।

5- दिनांक 32 मई 1857 को ही दिन के दो बजे यह शोर सुनाई दिया कि भीड़ के अधिकार में अंग्रेज़ों के तीन शव है जो उन्होंने कोतवाली के सामने फेंक दिये हैं। उसके पश्चात् यह सुनाई दिया कि भीड़ ने न्यायाधीश रार्बटसन् तथा हई को मौलवी हामिद हुसैन मुनसिफ़ के भवन में तथा सेशन जज की अमान अली ख़ाँ के भवन में हत्या कर दी थी। मैं आश्चर्य में पड़ गया और मुझे ख़तरे का अभास हुआ। उसी दिन शाम को चार बजे मैंने सुना कि भीड़ हेनरी सपीनल उसकी पत्नी तथा बच्चों को ला रही है। उस समय कोई किसी की नहीं सुन रहा था। बदमाशों ने हेनरी सपीनल तथा उसके परिवार को सुनहरी मस्जिद के पास कोतवाली लाने से पूर्व ही मार डाला था किसी ने भी उनकी हत्या करने के लिए मेरी अनुमति नहीं ली थी। मैंने दूसरे दिन सुना था कि स्पीनल की माँ ने लोगों से कहा था कि उसके पास काफी धंन है यदि उनकी हत्या न की जाये तो वह धन देने को तैयार है। परन्तु उन लोगों ने जिनके पास सपीनल परिवार का धन था उनकी हत्या करा दी। मैंने निकोलस की हत्या के संबंध में कुछ भी नहीं सुना था। मैंने विद्रोह के दूसरे

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

दिन सुना था कि टीपरी के मेवातियो ने डॉ. हंसबुरू तथा पागलख़ाने के दारोग़ा जैम्स को मार डाला है। उस समय तक मेरे पास न सेना थी, न इतने व्यक्ति कि मैं उन घटनाओं को घटित होने से रोकता। मैंने किसी अंग्रेज़ की हत्या करने का आदेश नहीं दिया था। मैं उन घटनाओं के समय असहाय था और कोई भी व्यक्ति मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अत्यधिक प्रयत्न किया था कि ग्रामीण अनियमित कार्यवाही न करे।

6- बरेली के आदरणीय व्यक्तियों तथा महाजनों ने मुझे नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ का पौत्र होने के कारण शासक बनाया था। मैंने वृद्धावस्था तथा दुर्बलता के कारण शासक बनने से मना किया था।

7- अंग्रेज़ों की हत्या के सम्बन्भ में कोई भी घोषणा पत्र मुझे सूचना देकर जारी नहीं किया गया था।

8- मुझे जब अंग्रेज़ों की वापसी की सूचना मिली, तो मैं शहर छोड़कर चला गया था।

9- मैं गवाहों, की एक सुची प्रस्तुत कर रहा हूँ। कदापि उनकी गवाही के उपरान्त सत्य का पता चल जायें[152]।

यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि उपर्युक्त बयान नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का उर्दू मूल भाषा में लिखा हुआ नहीं है, किन्तु उसके अंग्रेज़ी अनुवाद का हिन्दी अनुवाद है। जो अंग्रेजी में भूल से भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त बयान अपराधी ने अपनी सफाई में न्यायालय को प्रस्तुत किया था, जिसमें वह अपने ''बचाव'' के लिऐ कुछ भी कहने का अधिकार रखता था।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को फाँसी:-

स्पेशल कमिशन ने अभियोग की कथा पर विश्वास करके अपना निर्णय दे दिया। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को अंग्रेजी सरकार का नागरिक मानकर

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

उनको अंग्रेजी प्रशासन का नागरिक घोषित करके अंग्रेजी प्रशासन का विद्रोही घोषित किया जिसने सेना को विद्रोह पर भड़काया तथा मई 1857 से मई 1858 तक रूहेलखण्ड के क्रान्तिकारियों का नेतृत्व किया। जिसने बादशाह ज़फर से कठेर का शासक बनने की अनुमति पत्र प्राप्त किया, अपनी मुद्रा चलायी तथा नैनीताल में अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिऐ इनायत उल्ला ख़ाँ को सेना लेकर नैनीताल पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तोपे ढलवायी तथा अपने अधिकारी नियुक्त किये। अंग्रेज़ों को अपने भवनों में छिपाने वाले को दण्ड की चेतावनी दी, अंग्रेज़ों के सिर का मोल निर्धारित किया। उसने अंग्रेज़ों से विद्रोही का व्यवहार सदा बनाये रखा। बरेली में 7 अंग्रेज़ों (नागरिकों) की हत्या के अपराध में सहायता की तथा उसमें सम्मिलित हुआ। अपने शासन के समय में अंग्रजों से शत्रुता जारी रखी। अतः स्पेशल कमिशन ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को सरकार से विद्रोह करने के लिए विद्रोहियो का नेतृत्व करने तथा 7 अंग्रेज़ नागरिकों की हत्या में सहायता करने तथा सम्मिलित होने के अपराध में फाँसी की सजा के निर्णय को घोषित किया[153]।

मुकदमे की कार्यवाही की आलोचनाः-

इस सत्य को स्वीकार करते हुए नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। तथा क्रान्ति का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ नागरिकों की हत्या करना क्रान्ति की सफलता के लिये आवश्यक समझा था, परन्तु अंग्रेज़ों ने जो उन पर मुकदमे की कार्यवाही की वह न्याय के नाम पर ढोंग तथा तमाशा थी। इस मुकदंमे से अंग्रेज़ों का उद्‌देश्य था कि वे अपने न्याय तथा अपनी शक्ति को जनता पर दर्शा के उनको उत्तेजित करना चाहते थे तथा इसके साथ ही वह जनता के हृदय में भी भय उत्पन्न करना चाहते थे। इस मुकदमे के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों से यह स्पष्ट होता है कि मुक़दमा एक देशीय था।

1- नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने सरकारी गवाहों पर जो पक्षपाती होने का

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

दोष लगाया था वह ठीक था। वे गवाह स्वतन्त्र नहीं थे। उन पर अंग्रेज़ों का प्रभाव था।

2- कोई सफ़ाई का गवाह कमिशन के सामने पेश नहीं हुआ था।

3- समस्त अंग्रेज़ नवाब ख़ान बहादुर को ऐसा वृद्ध विद्रोही मानते थे जिसने आज्ञा पालन की आड़ में अंग्रेज़ों का विश्वास प्राप्त करके अंग्रेज़ों के साथ विश्वासघात किया था[154]।

अंग्रेज़ों की दृष्टि में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेता तथा अंग्रेज़ों का शत्रु था[155]।

अत: यह मुक़दमा न स्वतंत्र था और न ही अपक्षपाती वास्तव में उस मुकदमे में अंग्रेज़ों की प्रतिशोध की भावना छिपी थी।

4- अंग्रेज़ अफ़सरों की हत्या के अपराध में हत्यारों को फाँसी दे दी गयी थी। उन मुक़दमों में गवाहों ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को एक बेइख़्तयार शासक बताया था। उन मुक़दमो में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को अपराधी नहीं बनाया था और न उनको उनकी अनुपस्थिति में दण्ड दिया था।(Conviction in Absentia) अत: अंग्रेज़ नागरिकों की हत्या के सम्बन्ध में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को इस आधार पर मृत्यु दण्ड देना कि उन्होंने हत्यारों को उकसाया था वह स्वयं हत्या में सम्मिलित थे। न्याय के प्रत्येक नियम के विरुद्ध थे।

5- मुकदमे की जो कार्यवाही सामने आयी थी, उससे ज्ञात होता है कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अंग्रेज़ों की हत्या का न आदेश दिया था और न 31 मई 1858 को उनका हत्यारों से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध था। अत: उन पर 7 अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या में सहायता देने का अपराध (Accessory) मुकदमे की कार्यवाही से सिद्ध नहीं होता।

31 मई 1857 को अंग्रेज़ नागरिकों की हत्या के सम्बन्ध में बरेली के

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

2 प्रसिद्ध इतिहासकारों अर्थात नवाब नयाज़ अहमद ख़ाँ होश तथा अब्दुल अज़ीज ख़ाँ ऑसी के लेखों से भी नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की हत्या में सहायता करने या आदेश देने के उपराध की पुष्टि नहीं होती। नयाज़ अहमद ख़ाँ होश ने नगर के बाग़ियों को स्पष्ट रूप में अंग्रेज़ नागरिकों और अन्य ईसाइयों की हत्या का अपराधी निर्धारित किया है। उन्होंने लिखा है ''शहर के बाग़ी जूक़-जूक़ मौलवी हामिद हुसैन और अमान अली के मकानों पर हमलाआवर हुए, अंग्रेज़ों को तहे तेग़ किया और उनकी लाशें घसीट कर कोतवाली के सामने डाल दी। उस दिन स्पीनल साहब और उनकी बीबी बच्चे और माँ को कोतवाली के सामने क़त्ल किया और अक्सर ईसाई कमरुतबा को जहाँ देखा कत्ल किया[156]। ''मीर हुसैन (सादात-ए-बारह में से) कोतवाली आये और नवाब से कहा कि जज और मिस्टर हेय व मिस्टर और मौलवी हामिद हुसैन के मकान (कटरा मानराय) में और सेशन जज और स्कूल का साहब अमान अली ख़ाँ की कोठी (किला) में है। नवाब ने कोई हुक्म नहीं दिया, लेकिन उसने कोतवाली के दरवाज़ों पर कहा कि जहाँ कहीं अंग्रेज़ मिले कत्ल कर दो[157]।''

अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी की सूचनानुसार अंग्रेज़ों की हत्या का आदेश नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने नहीं दिया था। इसके विपरीत मीर हुसैन ख़ाँ ने अपनी ओर से घोषणा की थी। अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी ने उन व्यक्तियो के नाम प्रस्तुत किये हैं जो 31 मई 1857 को अंग्रेज़ों की हत्या में सम्मिलित थे। वह नाम इस प्रकार हैं :

अहमद हुसैन-कोतवालं, मण्डल, मेवा फरोश, खुदाबक्श, मुलाजिम नवाब फतेह अली ख़ाँ, हाफ़िज़ मक्खन ख़ाँ मुलाजिम नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ, नबी बक्श, इलाही बक्श, गुलाम समदानी ख़ाँ तथा उसके भाई पुत्र गुलाम जिलानी ख़ाँ, बक्श ख़ाँ मुलाजिम नवाब मुहम्मद ख़ाँ, फज्जू ख़ाँ, चूना फरोश के पुत्र फज़्ज़लू बदमाश, मदार अली ख़ाँ, मन्सूर अली ख़ाँ, महमूद शाह[158]।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

नयाज़ अहमद ख़ाँ होश 1857 की घटनाओं के समय बरेली में उपस्थित थे और उनकी पुस्तक तारीख-ए-रूहेलखण्ड 1866 में प्रकाशित हुई थी। अब्दुल अज़ीज ख़ाँ ऑसी का दिनांक 31 मई 1858 के ग्राम सतीपुर बरेली के युद्ध बन्डे मीर ख़ाँ के परिवार में पालन पोषण हुआ था। अत: इन दोनो इतिहासकारों की सूचना को निराधार नहीं कहा जा सकता।

स्पेशल कमिशन ने अभियोग की कहानी को दृष्टि में रखकर निर्णय दिया था। भेड़िए को भेड़ का बच्चा हड़प करना था, जो उसने निराधार तथा झूठे तर्क देकर हड़प कर लिया। उस मुकदमे से जहाँ इस बात की पुष्टि होती है कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांतिकारी आन्दोलन का नेतृत्व किया उसको चलाया तथा उनसे युद्ध भी किया। वहाँ यह बात भी सिद्ध होती है कि अंग्रेज़ ढोंगी और धोखेबाज़ थे।

उस मुकदमे के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखने की है कि अंग्रेज़ों ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ पर मुकदमा चलाने से पूर्व ही उनको दण्ड देने के लिऐ आवश्यक कार्यवाही कर ली थी, जो निम्नलिखित है:

1- गवर्नर जरनल ने यह आदेश लागू किया था कि रूहेलखण्ड में केवल क्रान्तिकारियों के नेताओं को मृत्युदण्ड दिया जायेगा[159]।

2- केवल उन व्यक्तियों को आम माफी (Amnesty) के योग्य समझा जायेगा जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था तथा जिन्होंने बिना किसी विलम्ब के अंग्रेज़ों की आज्ञा का पालन स्वीकार कर लिया था (Submission)।[160]

3. नवाब फ़र्रूख़ाबाद, नवाब बाँदा, राजा मैनपुरी, नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ तथा वलीदाद ख़ाँ को आम माफ़ी (Amnesty) की सूची में सम्मिलित नहीं किया था।

उपर्युक्त विवरण का यही अर्थ है कि स्पेशल कमिशन ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ पर मुकदमा सुनने से पूर्व ही उनको मृत्यु दण्ड देने का निर्णय

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

लिया था, क्योंकि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ, क्रान्ति के नेता थे और आम माफी की सूची में सम्मिलित नहीं थे। उन पर मुकदमे की कार्यवाही केवल एक ढोंग प्रतीत होती है।

गर्वनर जनरल के नाम नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का प्रार्थनापत्र :-

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14 फरवरी 1860 गवर्नर जरनल को भेजा था। उन्होंने इस प्रार्थना पत्र में लगभग वही बातें अंकित की थीं जो उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही में स्पेशल कमिशन के सामने प्रस्तुत की थी। उन्होंने इस प्रार्थना पत्र में गवर्नर जरनल को यह समझाने का प्रयास किया था कि बरेली नगर में विद्रोह नगर के बदमाशों ने किया था और उन्होंने ही उनके विरुद्ध मुकदमे में गवाही दी थी। वह 31 मई 1857 को बिल्कुल निराधार थे तथा जिसके मन में जो आता था वह करता था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने इस प्रार्थना पत्र में यह अनुरोध किया था कि उनके मृत्यु दण्ड को उस समय तक रोक दिया जाये, जब तक कि वह किसी अंग्रेज़ वकील के माध्यम से अपने केस की सुनवायी गवर्नर जरनल के यहाँ पूरी न कर ले। प्रार्थना पत्र के अन्त में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपराध से क्षमा का अनुरोध किया था[161]।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र अत्यधिक दीर्घ है तथा मुकदमे की मिसाल की एक दस्तावेज़ ही समझना चाहिये। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिये कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने जो भी लिखा था वह सत्य था तथा उनकी भावनाओं का प्रतीक था। वह अपनी सफाई में तथा अपने बचाओं के लिए कुछ भी प्रस्तुत कर सकते थे। गवर्नर जरनल ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। वास्तव में उसने तो दो वर्ष पूर्व ही नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को आम माफ़ी की सूची में सम्मिलित नहीं किया था।

एच. आर. क्लार्क मजिस्ट्रेट बरेली ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को दिनांक 22 मार्च 1860 को उनकी मृण्तुदण्ड की सूचना बरेली छावनी के दुर्ग

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

में जाकर दी। दिनांक 23 मार्च दोपहर के समय मजिस्ट्रेट क्लर्क ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से पूछा, क्या वह किसी से मिलना चाहते हैं? नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने दो नाम बताये थे। परन्तु उन दोनों ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से भेंट करने से इन्कार कर दिया। अंग्रेज़ों ने सुरक्षा की दृष्टि से बरेली कोतवाली पर पुलिस तथा सेना का पहरा लगा दिया था, ताकि कोई व्यक्ति फाँसी देने के स्थान तक न पहुँच सके और किसी भी प्रकार की अशान्ति न उत्पन्न हो। दिनांक 24 मार्च 1860 को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को 42 हाईलैण्डर्स की सुरक्षा में बरेली छावनी के दुर्ग से बरेली की कोतवाली लाकर उनको मृत्यु का वॉरन्ट सुनाया गया। जिसके उत्तर में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने यह कहा :- "यह सच है कि मैंने यूरोपियन कत्ल किये, मैं इस मक़सद के लिए ही पैदा किया गया था। मैंने सैकड़ों अंग्रेज़ कुत्तों को कत्ल किया है। यह कारे ख़ैर था और मैं उस पर फ़ख्र करता हूँ[162]।"

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को फाँसी:-

उसके पश्चात् उस समय आवश्यक नियमित कार्यवाही पूरी की गई और अन्त में दिनांक 24 मार्च 1860 ई. शनिवार को प्रात: सात बजकर दस मिनट पर बरेली की जनता के सामने बरेली कोतवाली में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को फाँसी दे दी गयी। एक घंटे तक उनका शरीर फाँसी के फन्दे पर झूलता रहा। एक घन्टा बीतने के पश्चात् असिस्टेन्ट सिविल सर्जन ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवाब ख़ान यहादुर ख़ाँ के मृतक शरीर को उनके किसी परिवार के सदस्य तथा अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, क्योंकि बरेली में यह बात फैली हुई थी कि उनके मृतक शरीर को दफ़न करके नगर में लोग मज़ार बनाएंगे और उनकी स्मृति स्थापित करेंगे। अंग्रेज़ों ने एक दिन पूर्व ही पुरानी जेल में उनकी क़ब्र तैयार कर दी थी, जहाँ उनके मृत शरीर को दफ़ना दिया[163]। एस.एन.सेन ने अपनी पुस्तक "Eighteen Fifty Seven" में सत्य ही अंकित किया है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने का अधिकार है।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

परन्तु असफलता का दण्ड मृत्यु होता है। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के दादा नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ दिनांक 23 अप्रैल 1774 को कर्नल चैम्पियन की तोप के गोले से शहीद हुए थे। और 83 वर्ष के पश्चात् उनके पौत्र नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अंग्रेज़ों से विद्रोह करके 24 मार्च 1860 को शहादत प्राप्त की। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के मित्र दीवान शोभाराम कायस्थ को काले पानी का दण्ड दिया गया था। परन्तु उनकी अस्वस्थता के कारण उनको काले पानी के स्थान पर मौलमीन (वर्मा) में बन्दी बनाकर रखा गया। एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए यह सजा भी मृत्यु दण्ड से अधिक कठोर थी।

रूहेलखण्ड तथा बरेली में क्रान्ति की असफलता के कारण:-

समस्त भारत में क्रान्ति को असफलता का कारण प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी की दृष्टि में यह था कि भारतीय क्रान्तिकारी इसके उपरान्त कि वह किसी भी अंग्रेज़ सैनिक अधिकारी से वीरता में कम नहीं थे, किन्तु एक महत्वपूर्ण अन्तर यह था कि भारतीय वीर अलग-अलग टुकड़ों में युद्ध कर रहे थे, जबकि अंग्रेज़ एक सैनिक योजना बनाकर युद्ध करता था जबकि अंग्रेज़ों का केवल एक ही उद्देश्य था अर्थात अपने प्राधिकार को निर्धारित करना। प्रत्येकं अंग्रेज़ सैनिक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की विजय के लिए लड़ रहा था, जबकि भारतीय वीर पृथक-पृथक स्थानों पर भिन्न-भिन्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर युद्ध कर रहे थे[164]।

यह बात भी ध्यान में रखना चाहिये कि अंग्रेज़ों के पास अस्त्र, शस्त्र तोपख़ाना तथा गुप्तचरों का प्रबन्ध, तार बरकी और अनुशासन भारतीय सेना की तुलना में उत्तम था। जिसके कारण क्रान्तिकारियों की पराजय हुई थी, वह निम्नलिखित है :-

1- दिनांक 31 मई 1857 को बरेली में सैनिक विद्रोह के पश्चात् अंग्रेज़ अधिकारियों का घुड़सवार फौज की निगरानी में नैनीताल पहुँचना अत्यधिक हानिकारक सिद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों ने नैनीताल में शरण लेकर

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
रात्रि के समय ग्यारह बजे नैनीताल पहुँचे गये थे[18]।

जिस बरेली के गजट में बिना किसी संदर्भ के यह सूचना दी गयी है कि घुड़सवार पलटन के कमान्डिग ऑफिसर ने अपने सैनिकों को एकत्र किया तथा उसके उपरान्त समस्त अंग्रेज़ अधिकारियों के साथ नैनीताल की ओर चले गये, परन्तु अधिक संख्या में घुड़सवार पलटन के भारतीय सैनिक लौट आये जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। घुड़सवार सैनिकों के वापस आने की पुष्टि ''दुर्गादास बन्दोपध्याय'' की डायरी से होती है, जिसके सन्दर्भ में ''आर. सी. मजूमदार'' ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि घुड़सवार पलटन का रिसालदार मुहम्मद शफ़ी अपने सिपाहियों के साथ भागते हुए अंग्रज़ों में शामिल होने के लिये चला गया था। चूँकि अंग्रेज़ मुहम्मद शफी को धोखेबाज़ समझते थे, अत: अंग्रेज़ घबराकर निकल गये तथा मुहम्मद शफ़ी अपने सिपाहियों के साथ लौट आया[19]।

मजूमदार का कथन सही प्रतीत होता है, क्योंकि मुहम्मद शफ़ी रिसालदार पर धार्मिक पागलपन चढ़ा हुआ था। और स्वयं अंग्रेज़ भी उसको अपना वफ़ादार नहीं समझते थे। अत: यह तो हो सकता है मुहम्मद शफ़ी घुड़सवार पलटन के उन सैनिकों को रोकने के लिए आगे बढ़ा हो जो अंग्रज़ों के साथ जा रहे थे। किन्तु इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह स्वयं नैनीताल जाने के लिए अंग्रज़ों के पीछे-पीछे चला था। मजूमदार ने दुर्गादास बन्दोपाध्याय की डायरी पर विश्वास किया है। वास्तव में उस समय बरेली में बंगाली अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने की योग्यता रखने के कारण सन्देह की दृष्टि से देखे जाते थे और उनको गुप्तचर समझा जाता था। मजूमदार के कथन के अनुसार उन बंगालियों में से सात को फाँसी की सज़ा भी हुई थी। उनको बरेली नगर छोड़कर जाने के आदेश भी दिये गये थे। ऐसी परिस्थिति में दुर्गादास बन्दोपाध्याय की डायरी को सत्य नहीं समझा जा सकता। मुहम्मद शफ़ी और बख़्त ख़ाँ बरेली छावनी में विद्रोह के नेता थे। मुहम्मद शफ़ी की विद्रोही भावना पर सन्देह नहीं किया जा सकता। वह अंग्रेज़ों से

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

युद्ध करने के लिए बख़्त ख़ाँ के साथ देहली तक गया था।

किन्तु यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता है कि भारतीय सैनिकों ने नैनीताल जाने वाली सड़क की "नाकाबन्दी" क्यो नही की? और अंग्रेज़ अधिकारियों का पीछा क्यों नहीं किया? मुहम्मद शफ़ी अंग्रेज़ों का पीछा किये बिना क्यो लौट आया? भारतीय सैनिकों ने केवल बरेली छावनी के भीतर ही बन्दूक़ें तोप क्यों चलाईं? और अंग्रेज़ कैसे बचकर निकल गये? इन प्रश्नों के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि 8वीं घुड़सवार पलटन के उन्नीस सैनिक अंग्रेज़ों के पक्ष में थे और वह अंग्रेज़ों को सुरक्षित रूप से बरेली छावनी से निकालकर ले गये थे। यदि मुहम्मद शफ़ी रिसालदार और अन्य सैनिक भागते हुए अंग्रज़ों का पीछा करते तो यह सम्भावना थी कि आपस में गोली चल जाती तथा जो भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों को अपनी सुरक्षा में नैनीताल ले जा रहे थे गोली चला सकते थे। यदि आपस में गोली चल जाती तो उससे विद्रोह पर बुरा प्रभाव पड़ता। आगे की घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि सिविल और सैनिक अंग्रेज़ अधिकारियों को सुरक्षित रूप से नैनीताल पहुँचाने से बरेली के स्वतन्त्रता आन्दोलन को हानि हुई। उन्होंने नैनीताल में बैठकर स्वतन्त्रता आन्दोलन को नष्ट करने के उपाय किये और दूसरी ओर रामपुर के नवाब युसुफ़ अली ख़ाँ की हर प्रकार से सहायता उनको प्राप्त होती रही। बरेली के महाजन आदि उनको नैनीताल में गुप्त सूचनायें भी भेजते रहे। बरेली के कमिश्नर अलैक्जेन्डर जो 31 मई 1857 को नैनीताल भागा था। वही अंग्रेज़ों की विजय के उपरान्त मृत्यु का दूत सिद्ध हुआ। यह खेद की बात है कि अंग्रेज़ों को बरेली में भी वफ़ादार मिले जैसा भारत के अन्य विद्रोह केन्द्र पर भी उनको वफादार मिले जिनकी सहायता के फलस्वरूप अंग्रेज़ों की विजय हुई। अन्यथा मुठ्ठी भर अंग्रेज़ों को पराजित करना कोई कठिन कार्य नहीं था।

31 मई 1857 को दोपहर के समय तक बरेली छावनी से सिविल और सैनिक अंग्रेज़ अधिकारी नैनीताल को भाग चुके थे। उस समय बरेली छावनी

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

में विद्रोह का बड़ा नेता देशी तोपख़ाने का अफ़सर मुहम्मद बक़्श उर्फ बख़्त ख़ाँ था[20]। 8वीं घुड़सवार सेना का अफ़सर मुहम्मद शफ़ी विद्रोह का दूसरा बड़ा नेता था। वह धार्मिक भावना के कारण बहुत भड़का हुआ था। मुहम्मद शफ़ी के हाथ में हरा झंडा था[21]। बरेली छावनी में विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों ने मैगज़ीन के पास हरे रंग का मुहम्मदी झण्डा स्थापित किया था[22]। बख्त ख़ाँ ने बरेली छावनी को लूटने का नष्ट करने का आदेश दिया। बरेली छावनी में लूटने और आग लगाने की घटनाएं रात्रि के समय तक जारी रही। दूसरे दिन अर्थात दिनांक एक जून 1857 को प्रात: काल बरेली छावनी में चारों ओर से धूल ही धूल दिखायी देती थी[23]। बख़्त ख़ाँ ने ब्रिगेडियर सिबबॉल्ड की गाड़ी पर और अन्य भारतीय सैनिकों ने दूसरे भगौड़े अंग्रेज़ अधिकारियो की गाड़ियो और बघियों पर सवार होकर बरेली छावनी में घूमने-फिरने लगे[24]। भारतीय सैनिकों ने दिनांक 31 मई 1857 को ही सरकारी कोष पर अधिकार कर लिया था[25]। जेल तोड़कर बन्दियों को स्वतन्त्र कर दिया था[26]।

31 मई 1857 को बरेली नगर की स्थिति:-

बरेली छावनी में सैनिक विद्रोह के पश्चात् बरेली नगर में जनता ने विद्रोह किया। उस समय बरेली में उच्च वर्ग के लोग सैय्यद, पठान, कायस्थ, महाजन और निम्न वर्गों के सभी लोग आबाद थे। पठानों में रूहेला पठान नगर में बहुत प्रतिष्ठित थे तथा उनको युद्ध कौशल की भावना विरासत में मिली थी। और वह एक लम्बे समय से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे[27]। रूहेला पठान नगर में आबाद थे और उनमें जो नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के वंश से थे वह बहुत ही आदरणीय थे। नगर में नौमहल्ले के सैय्यदों का बहुत सम्मान होता था और वह पठानों के लिए बहुत आदरणीय थे। महाजन करोबार करते थे और बहुत धनवान थे। कायस्थ अधिकतर मौहल्ला भूड़ में रहते थे । वह शिक्षित थे और उनमें अधिकतर सरकारी कर्मचारी थे। उनका मुसलमानों से बहुत मेलजोल था बरेली में जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध जनता ने

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

विद्रोह किया तो स्वाभाविक रूप से उसका नेतृत्व पठानों ने किया और जिसकी सहायता नौमहल्ला के सैयूयदों और नगर के कायस्थों ने की। पड़ोस के ग्रामीण और कस्बों के राजपूत, अहीर, मेवाती और आम लोग भी विद्रोह में शामिल हो गये। उच्च वर्ग के ज़मींदार, महाजन और अधिकारी अपने स्वार्थ के कारण चिन्तित हो गये तथा उन्होंने गुप्त रूप से अंग्रेज़ों की सहायता की। 31 मई 1857 को बरेली में जो घटनायें घटीं उनमें यही जनता के लोग उपस्थित थे । इन सबका एक ही उद्‌देश्य था अर्थात अंग्रेज़ों की हत्या करना और उनके भवनों को लूटना तथा नष्ट करना और सरकारी कोष पर अधिकार करना, कारागार से कैदियों को छुड़ाना और प्रशासन स्थापित करना। नवाब नयाज़ अहमद ख़ाँ होश (मृत्यु 1892) जो हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के वंश से थे और जिसने 1857 की घटनायें स्वयं देखी थी उन्होंने बरेली के 31 मई 1857 के दिन के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक तारीख़े रूहेलखण्ड में लिखा है ''जबकि खबर फ़साद मुतअय्यना छावनी मेरठ और दिल्ली की बरेली में पहुँची तो यहाँ की फौज के दिमाग में भी सौदा-ए-शोरिश व फ़साद पैदा हुआ। चुनांचे बअहदे कमिश्नरी मिस्टर अलैकेण्डर साहब सातवी शव्वाल रोज यक शम्बा 1274 हिजरी को मुताबिक 31 मई 1857 के दोपहर के वक़्त मुसम्मा मुहम्मद बख़्श उर्फ बख्त ख़ाँ सूबेदार तोपख़ाना मय पलटन नम्बर अठारह व अड़सठ यथादवान हिन्दुस्तानी व आठवीं रेजीमेन्ट सवारान हिन्दुस्तानी मुताअयूयना छावनी बरेली के अपनी सरकार से बाग़ी हुई । उस वक़्त जनरल स्पाल्ड साहब को एक सवार हिन्दुस्तानी ने जो साहब मौसूफ़ की अर्दली में था, मुततसिल शुतर्खाना के बन्दूक से कत्ल किया और इन्सटन मकर साहब को तिलंगो ने मकसूद में मार डाला और चन्द्र फ़ाइर तोप के भी वास्ते अगाही मरदोमाने शहर के किये। मैगज़ीन और ख़ज़ाना सरकारी अपने कब्जे में किया और अस्बाब व माल कोठियों और बंगलों को लूटकर आग लगा दी। दफतर सरकारी फूंक दिये। जेलख़ाना तोड़कर कैदियों को रिहा कर दिया। मिस्टर अलैक्जेन्डर साहब कमिश्नर रूहेलखण्ड मय मिस्टर गन्थरी साहब मजिस्ट्रेट जिला बरेली और दीगर हुक्कामे मूलकी और फ़ौज

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

के तखमीनन और दीगर तीस साहब मस्लहते वक़्त के ग़नीमत जानकर नैनिताल को चले गये। उसी दिन ख़ान बहादुर ख़ाँ खलफ़ ज़ुल्फेकार ख़ाँ इब्न हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ वालीये साबिक़ मुलके रूहेलखण्ड व इम्दाद शोभाराम और मदार अली ख़ाँ वग़ैरा शोहरा पुश्ते आवाम बरेली और सादाते नौमहल्ला के कोतवाली में आकर वालिये मुल्क बन गया और मनादी अपने नाम की शहर बरेली में करा दी। मिन जुमला हुक्कामे अंग्रेज़ी के मिस्टर राबर्टसन साहब जज और डॉ. हेय साहब और मिस्टर आर. साहब डिप्टी कलैक्टर बसबब तमाज़ते आफ़ताब के मौलवी हामिद हुसैन मुन्सिफ़ के मकान में और डॉ. बुक साहब प्रिंसिपल बरेली कॉलेज और मिस्टर रैक्स साहब सेशन जज अमान अली ख़ाँ की कोठी में पनाहगीर हुये। यह सुनते ही बागीये शहर जोक-जोक दोनों मकानों पर हमला आवर हुए और अंग्रेज़ों को तहतेग़ करके लाशें उनकी घसीटकर कोतवाली में डाल दी और अमान अली ख़ाँ के तहख़ाने को जलाकर ख़ाक कर दिया। उसी दिन मिस्टर अस्पनल साहब और उनकी बीबी और माँ को कोतवाली के सामने कत्ल किया और अक्सर ईसाई को जहाँ देखा कत्ल किया। पिअरसन साहब मेजर रेजीमेन्ट नम्बर अठारह नैनीताल जा रहे थे कि रास्ता भूलकर पीलभीत की सड़क पर चले गये चुनांचे मौजा अमेटा परगना नवाबगंज में गाँव वालों ने उन्हें कत्ल किया। अलबत्ता गौन साहब कप्तान रेजीमेन्ट नम्बर अठारह अपनी पलटन के सिपाहियों की मदद से बख़ैरो आफ़ीयत छावनी से निकल गये और मौज़ा खेड़ बझेड़ा जिला शाहजहाँपुर जा छिपे और बच गये। जिस वक़्त बाग़ियों ने जेलख़ाना तोड़ने का इरादा किया डॉ. बन्सबरो साहब ने कमाल बहादुरी की और हततुल मक़दूर बाज़ रखा।

बाग़ियों ने जिस कदर छप्पर वहाँ मौजूद थे, मुत्तसिल दरवाजा रखकर उनमें आग लगा दी। जबकि दरवाजा जलने लगा और डॉ. साहब ने इन्सदाद इस फ़ितने का अपनी ताकत से बाहर देखा और जान लिया कि जुमला मुलाजेमीन जेलख़ाना और बागियों में शामिल हो गये हैं तो नाचार बाला ऐ दरवाजा से उतरकर अन्दर में जेलख़ाना जा छिपे। दूसरे रोज़ बागि जब

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

असबाब जेलख़ाना लूटने पहुँचे तो डॉ. साहब को भी पकड़ लाये और रूबरू कोतवाली उनको भी कत्ल कर दिया[28]।

मई 1857 ई. को जिन अंग्रेज़ों की बरेली में हत्या हुई थी उनके नाम निम्नलिखित है :

1.Robertson, Distt. Judge, 2. Dr. Hay Civil Surgeon, 3. ORR Dy. collector, 4. Dr. Buck, Principal, Bareilly College, Bareilly, 5. Raikes, Session Judge, 6. Major Pearson, 7. Henry Aspinall Supdt. Stores, Mrs. Aspinal, 9. Miss Aspinal, 10. Master Aspinal, 11. Nicholas (पद का पता नहीं चला) 12. Dr. Hansbrough Jailor, 13. Jaques Darogha Insane Hospital, Bareilly.

तीन अंग्रेज़ सैनिक अधिकारियों की बरेली की छावनी में हत्या हुई थी। इस प्रकार से सोलह अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या हुई थी। जितने ईसाइयों की हत्या हुई थी उसका विवरण प्राप्त नहीं है।[29] पंडित कन्हैया लाल का यह कथन सही प्रतीत होता है कि "इस शहर (बरेली) में बेरहमी हाये बे अंदाज़ा वस्त अंग्रज़ों के वक़ू में आयी थी और मर्द और औरतें और बच्चे अंग्रेज़ों के जो गिरफ़तार हुए थे। सब बेरहमी से मारे गये थे[30]।"

जनता भड़की हुई थी और उनमें ऐसे अपराधी भी शामिल हो गये थे जो कारागार से छुड़ाये गये थे। उन्होंने अंग्रेज़ औरतों और बच्चों की हत्या करने में कोई संकोच नहीं किया था। सपिनल की पत्नी और पुत्री की हत्या करना ठीक नहीं था, क्योंकि यह कायरता भारतीय परम्परा के विपरीत थी और जिसके फलस्वरूप सपिनल और उनके परिवार की हत्या का दण्ड मिला। य़ोजना के अनुसार सैनिक विद्रोह अंग्रज़ो की हत्या सरकारी कोष पर अधिकार, अंग्रेज़ों के भवनों की लूट और उनमें आग लगाने की कार्यवाही, कारागार से कैदियों की मुक्ति आदि का कार्य सम्पूर्ण होने के पश्चात अगला

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

कदम स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का था। जिसका प्रारंभ 31 मई 1857 को ही नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त करने के उपरान्त हो गया[31]।

बरेली में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना

रूहेला इतिहास के दो महत्वूर्ण इतिहासकार सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी और अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के रूहेलखण्ड के प्रशासक नियुक्त होने के सम्बन्ध में यह कथन दिया[32] है कि अलैक्जेंडर कमिश्नर रूहेलखण्ड ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से कहा था कि आज कल में यहाँ विद्रोह होने वाला है। क्योंकि रूहेलखण्ड पर आपके दादा का राज्य था। अत: आप रूहेलखण्ड के प्रशासन को संभालिये। अलताफ़ अली बरेलवी ने यह बात हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के वंश के एक इतिहासकार नवाब सुलैमान ख़ाँ की पुस्तक "तारीख़े सुलैमानी" के संदर्भ में अंकित किया है[33]। जबकि अब्दुल अज़ीज ख़ाँ ऑसी बरेलवी ने यह बात हैदर अली की पुस्तक "तारीख़ गदरे हिन्दी" के सन्दर्भ से लिखी है। हैदर अली ख़ान बहादुर ख़ाँ की क्रान्तिकारी परिषद के सदस्य भी थे। इसके अतिरिक्त जो अभिलेख 1857 के विद्रोह के संबंध में प्रकाशित हो चुके है उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि अलैक्जेंडर ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त किया था। इस बात के दो पक्ष है। अलैक्जेंडर कमिश्नर रूहेलखण्ड तथा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ। अलैक्जेंडर कमिश्नर रूहेखण्ड ने बरेली के रोज़नामचे में यह सूचना नहीं दी थी कि उसने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को अपने दादा के प्रान्त अर्थात रूहेलखण्ड का प्रशासन संभालने के लिए कहा था, जबकि उसने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से अपनी दिनांक 30 मई 1857 ई. की अन्तिम भेंट का भी उल्लेख किया है और जबकि ख़ान बहादुर ख़ाँ ने उसको अपनी जान बचाओ की चेतावनी दी थी यदि अलैक्जेन्डर ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड सभालने के

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

लिये कहा होता तो इसका कथन अवश्य देता। यह समझ में आने वाली बात नहीं है कि अलैक्जेंडर ने हकीम सआदत अली ख़ाँ के भाई हिदायत अली ख़ाँ और मोहिब अली ख़ाँ को आँवला में और बख़्तावर सिंह और उसके भतीजे बिलास सिंह को आँवला और फ़रीदपुर में नियुक्त करने की सूचना तो दी, किन्तु उसने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त करने की सूचना नहीं दी जिससे यही ज्ञात होता है कि उसने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त नहीं किया था। स्वंय नवाब बहादुर के मुक़दमें के अभिलेख से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती[34] कि अलैक्जेंडर ने उनको रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त किया था और उन्होने उसके उपरांत अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया स्वयं नवाब अहमद ख़ाँ होश बरेलवी ने भी अपनी पुस्तक ''तारीख़े रूहेलखण्ड'' (1866) में यह सूचना नहीं दी है कि अलैक्जेंडर ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त करने का आमन्त्रण दिया था। सत्य यही है कि अलैक्जेंडर कमिश्नर बरेली ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासन संभालने के लिए नहीं कहा था। हैदर अली, नवाब सुलैमान ख़ाँ असद की सूचना किसी अभिप्रय के अनुसार ज्ञात होती या फिर उन दोनों ने आँवला और फरीदपुर पर प्रशासकों की नियुक्ति को दृष्टि में रखकर नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की समस्त रूहेलखण्ड पर अलैक्जेंडर द्वारा नियुक्ति का कथन दे दिया था।

वास्तविकता यह है कि बरेली से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के पश्चात् ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक बनाने की योजना पहले ही निश्चित हो चुकी थी और जिसके अनुसार 31 मई 1857 को ही सैनिक विद्रोह के उपरान्त दोपहर के पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का नाज़िम (प्रशासक) नियुक्त कर दिया गया था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को रूहेलखण्ड का प्रशासक नियुक्त करने में बख़्त ख़ाँ, मुबारकशाह ख़ाँ, जयमल सिंह राजपूत निवासी क्यारा, शोभाराम कायस्थ, मदार अली ख़ाँ, मुबारक शाह ख़ाँ, कुतुबशाह नौमहला के सैयूयद मियाँ जान और सैय्यद

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

फ़ैज़उल्ला आदि एकमत थे[35]। हाँ यह हो सकता है केय (Kaye) की सूचना में कुछ सत्य हो कि मुबारक शाह ख़ाँ ही रूहेलखण्ड का वायसराय बनने का प्रत्याशी (उम्मीदवार) था[36]। लेकिन निर्णय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के पक्ष में हुआ।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का रूलेखण्ड का नाज़िम बनना :-

दिनांक 31 मई 1857 को बरेली की कोतवाली में दोपहर के पश्चात् एक समारोह नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की नियुक्ति के सम्बन्ध में हुआ। कोतवाली में एक आसन का प्रबन्ध किया गया जिस पर रेशम की शाल बिछायी गयी। मदार अली ख़ाँ ने पठानों के प्रतिनिधि के रूप में नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ से पद ग्रहण करने और दिल्ली में सम्राट के एक प्राधिकारी के पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। मौलवी कुतुबशाह ने हरे रंग का मौहम्मदी झंड़ा लगाया और उसके आगे एक पक्के चबूतरे पर लोबान सुलगाया[37]। इस समारोह के उपरान्त बरेली नगर में यह सूचना करायी गयी की "रिआया ख़ुदा की मुल्क बादशाह का सूबा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का"[38]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के नाज़िम बनने के बाद प्रारम्भिक कार्यवाही:-

जें. आर. डी. इंगलिस (Inglis) के कथन के अनुसार नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने बरेली की कोतवाली के अभिलेख में आग लगवा दी। कोतवाली के बरकनदाज़ सिपाहियों से सरकारी वर्दी उतरवा ली और मालख़ाने में जो रुपया था उस पर अधिकार कर लिया। बरेली नगर के प्रमुख व्यक्तियों ने तथा सरकारी कर्मचारियों ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को नज़र पेश की और इस प्रकार से अपने निष्ठा, आज्ञाकारी होने की पुष्टि की[39]। 31 मई 1857 को चार बजे सायंकाल जुलूस निकाला गया जिसमें नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ हाथी पर बैठे और उनके सहायक मुबारक शाह, अहमद शाह ख़ाँ आदि भी हाथियों पर सवार होकर चले। हाथियों के पीछे नगर के निवासियों की एक

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

भीड़ थी[40]। इस जुलूस से यह लाभ हुआ कि नगर में शान्ति तथा विश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया। उस समय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की दृष्टि में बरेली नगर की सुरक्षा और शान्ति महत्वपूर्ण थी। समस्त जनता घरों के बाहर निकल आयी थी। सैनिकों के नगर में घुसने और नगर को लूटने की चिन्ता उत्पन्न हो गयी थी। अत: नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने सैय्यद मियाँ जान को बख़्त ख़ाँ के पास भेजा कि वह नगर में सैनिकों का प्रवेश रोकें। बख़्त ख़ाँ ने इस शर्त के साथ सैनिकों को नगर में न घुसने की प्रार्थना को स्वीकार किया कि बरेली छावनी में तुरन्त खाद्य-साम्रग्री भेजी जाये और जो धन बैजनाथ साहूकार के पास अंग्रेज़ों का है, वह बैजनाथ और कोषपाल उसको तुरन्त पहुँचा दे। यह सूचना प्राप्त होने के उपरान्त नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने खाद्य-सामग्री तो तुरन्त ही भेज दी, परन्तु बैजनाथ साहूकार तथा कोषपाल को दूसरे दिन भेजने का वचन दिया। इस कार्यवाही के बाद नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने नगर में यह सूचना प्रकाशित की कि विद्रोही सैनिक नगर में प्रवेश नहीं करेंगे और बाजार खोल दिया जाये। अत: बाजार खुल गया[41]।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की प्रशासन चलाने के लिये कार्यवाहियाँ:-

उस समय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की दृष्टि में दो महत्वपूर्ण समस्यायें थीं। प्रथम समस्या अपने प्रशासन को शक्तिशाली बनाने की तथा दूसरी समस्या वित्तीय निर्भरता थी। यह दोनों ही समस्याएं परस्पर समान थीं तथा शक्तिशाली प्रशासन के बिना मालगुजारी वसूल नहीं की जा सकती थी। और मालगुजारी के बिना प्रशासन नहीं चल सकता था। अत: नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने जून 1857 को समस्त सरकारी कर्मचारियों को कोतवाली में बुलाकर आदेश दिया था कि वे अपने कर्तव्य को पूर्णरूप से करें और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जायेगा। बरेली नगर का कोतवाल बदरूद्दीन ख़ाँ अंग्रेज़ों के साथ नैनीताल चला गया था। ख़ान बहादुर ख़ाँ ने उसके स्थान पर अहमद हुसैन ख़ाँ को बरेली नगर का कोतवाल नियुक्त किया उसी दिन ख़ान बहादुर ख़ाँ ने कोतवाली में एक सभा

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

का आयोजन किया, जिसमें मुबारक शाह खाँ, अहमद शाह ख़ाँ, अकबर अली ख़ाँ, शोभाराम आदि ने भाग लिया तथा प्रशासनिक बातों पर विचार-विमर्श किया। इसके पश्चात् वे सब लोग एक जुलूस के रूप में बख़्त ख़ाँ से भेंट करने के लिए बरेली की छावनी गये। बख़्त ख़ाँ को ग्यारह तोपों की सलामी दी। उसके पश्चात् नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अपने भवन पर एक सभा का अयोजन किया तथा आपसी विचार विमर्श के उपरान्त शोभाराम को अपने प्रशासन का दीवान नियुक्त किया और उसके साथ ही शोभाराम को पुलिस तथा सरकारी मालगुज़ारी के विभाग सौप दिये[42]। तथा 2 जून 1857 को बरेली के क्रान्तिकारियों की एक टुकड़ी बदायूँ पहुँची थी, जहाँ उसने बदायूँ के क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के भवनों को नष्ट किया और मिर्ज़ा मंसूर बेग की सहायता से सरकारी अस्पताल और कॉलिज को नष्ट किया। क्रान्तिकारियों ने बदायूँ के मौहल्ला ब्रहमनपुर (बमनपुर), पटयाली सराय, नयी सराय, जालधंरी सराय, सराये मीरान सराय नाहिर ख़ान तथा रसूलपुर के निवासियों को साथ लेकर बदायूँ की कोतवाली और मुनसिफी के अभिलेख (रिकार्ड) को आग लगा दी[43]। 2 जून 1857 को ही नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने बरेली की कोतवाली में अपने परामर्शदाता की एक बैठक बुलायी जो कोतवाली में प्रातःकाल एकत्र हुए और चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित व्यक्तियों को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के स्वतन्त्र प्रशासन में नियुक्ति के आदेश जारी किये गये।

नाम	पद	वेतन
शोभाराम, कायस्थ	दीवान	समस्त आय में से सरकारी व्यय की राशि निकालने के पश्चात् जो शेष राशि बचती है वह शोभाराम को वेतन के रूप में दी जायेगी।
मदार अली ख़ाँ	सेनापति	1000/- रुपये मासिक

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

नयाज़ मोहम्मद ख़ाँ	सेनापति	1000/- रुपये मासिक
मौलवी ख़ाँ	कमीदान	ग्राम शाही के कर्म की आय इसका मासिक वेतन तय हुआ था।
मूलचन्द	सीनियर अवर दीवान	500-00 रुपये मासिक
होरी लाल पुत्र शेभा राम	वेतन वितरण करने वाला	100-00 रुपये मासिक
अली हुसैन ख़ाँ पुत्र मादार अली ख़ाँ	अश्वरोही सेना का कमानदार	500-00 रुपये मासिक
दीन दयाल	बंदूक़ बनाने के कारख़ाने का दारोग़ा	200-00 रुपये मासिक
सैफ़उल्ला ख़ाँ	जेल अधीक्षक	500-00 रुपये मासिक

रज़ाउद्दैला को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का पेशकार नियुक्त किया गया था। उच्च पदों के अतिरिक्त अधीनस्थ पदों पर भी नियुक्तियाँ की गयी थीं। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने नगर में यह घोषणा करायी कि जो भी व्यक्ति पचास या सौ व्यक्तियों को सेना में भर्ती करेगा उसको कमीनदान का पद दिया जायेगा। जून 1857 को ही रज़ाउद्दौला के परामर्श पर बादशाह ज़फ़र के नाम एक पत्र लिखा गया जिस के द्वारा शाहे दिल्ली से अनुरोध किया गया कि ख़ान बहादुर ख़ाँ को कठेर का नाज़िम अर्थात प्रशासक बना दिया जाये।[44]

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

दीवान शोभारम का दिनांक 8 जून 1857 का घोषणा-पत्र:-

दीवान शोभाराम ने 8 जून 1857 को नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की मोहर और अपने हस्ताक्षर सहित एक घोषणा पत्र जारी किया तथा उस घोषणा पत्र को नगर में स्थान-स्थान पर लगवा दिया। शोभाराम के उस घोषणा पत्र में विशेष बातें अंक्ति की गयी थीं। उनमें विशेषतर यह बात थी कि अंग्रेज़ अफ़सरों की हत्या करने की दर नियुक्त की गयी थी। वे अंग्रेज़ अधिकारी वही थे जो बरेली से भागकर नैनीताल चले गये थे और जिनकी सहायता रियासत-ए-रामपुर का नवाब तथा बरेली के कुछ देशद्रोही कर रहे थे। अंग्रेज़ अधिकारियों कीं हत्या की जो दर तय की गयी थी उसका विवरण निम्नलिखित है[45]।

अलैक्जेंडर, कमिश्नर बरेली 1000/- रुपये, गंथरी, कॅलैक्टर बरेली - 700/- रुपये, कारमिकल-ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पीलीभीत - 500/- रुपये, करी, मजिस्ट्रेट ज्वाइन्ट, बरेली-500/- रुपये, पासली ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट द्वितीय, बरेली-500/- रुपये, कर्नल ट्रप 500/- रुपये, अतिरिक्त अंग्रेज़ अधिकारी 300/- रुपये प्रत्येक पर। इस घोषणापत्र में जनता को यह बताया गया था कि वह अंग्रेज़ अफ़सरों और ईसाइयों को शरण न दें तथा उनसे पत्राचार न करें अन्यथा उनके भवन और ज़मीन ज़ब्त कर ली जायेंगी और उनको मृत्यु दण्ड दिया जायेगा[46]।

ऐसा प्रतीत होता है कि क्रान्तिकारियों को यह सूचना मिल गयी थी कि बरेली में अंग्रेज़ों के पक्षपाती हैं और वे गुप्त रूप से अंग्रेज़ों से मिलकर क्रान्तिकारियों के प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में क्रान्तिकारियों के प्रशासन को उन गुप्तचरों से बहुत हानि हुई थी। हकीम नजमुल ग़नी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि : ''ऐसे तूफ़ान के ज़मान में सिर्फ़ चन्द आदमी मुरादाबाद के अंग्रेज़ खैर-ख़्वाह थे जो हमेशा मिस्टर विलसन और दूसरे अंग्रेज़ अफ़सरों से खुफ़िया खतो-किताबत रखते थे। उन लोगों में दुर्गा, प्रसाद, डिप्टी इन्सपेक्टर स्कूल, नन्द किशोर, सुपररिनटेन्डेन्ट सड़क, भाव जगन्नाथ डिप्टी पोस्ट मास्टर, बाबू तारा चन्द असिस्टेन्ट सर्जन, बाबू गणेश

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

प्रसाद अनुवादक, मुंसिफ़ी थे यह अशख़ास थे और उस डाक रसानी की ख़िदमत लाला लक्ष्मी नारायण बरेली के एक महाजन ने अपने ज़िम्मे ले ली थी[47]।

अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी ने अपनी पुस्तक में लिखा है:- ''बरेली का दुर्गा प्रसाद कायस्थ अंग्रेज़ों के पास रोज़ाना की खबरे खुफ़िया भिजवाता रहा[48]।'' मुस्तफ़ा अली बरेलवी ने अपनी पुस्तक में चौधरी नौबत राम, गंगा प्रसाद, बदरूद्दीन कोतवाल, लक्ष्मी नारायण और बैजनाथ मिश्रा के अतिरिक्त और भी नाम ऐसे व्यक्तियों के लिखे हैं, जो ज़मींदार थे[49]। यह बात याद रखने की है कि अंग्रेज़ों ने बरेली पर अधिकार जमाने के उपरान्त अपने जिन विश्वसनीय व्यक्तियों को जागीरें दीं, पदों पर नियुक्त किया तथा विभाग दिये उनमें जगींरदार वर्ग के लाखन सिंह, रघुनाथ सिंह, ज़ालिम सिंह तथा बख़्तावर सिंह के नाम भी दिये हैं[50]।

शोभाराम के उक्त घोषणा पत्र के उपरान्त भी गुप्तचरी का कार्य जारी रहा।

11 जून 1857 को बख़्त ख़ाँ का बरेली से प्रस्थान:-

बख्त ख़ाँ और मोहम्मद शफ़ी ने ख़ान बहादुर ख़ाँ के क्रान्तिकारी प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया था। बरेली का सिविल प्रशासन नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ चलाते रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि जून 1857 के प्रथम सप्ताह में बख़्त ख़ाँ दिल्ली जाने की तैयारी में लगे रहे। बख़्त ख़ाँ को दिल्ली जाने के लिए सेना अस्त्र-शस्त्र और धन की आवश्यकता थी। उन्होंने पाँच हज़ार सैनिक तैयार किये। उसको बरेली छावनी से हथियार और तोप पहले से मिल चुकी थी। उसने धन, प्राप्त करने के लिए बैजनाथ मिश्र कोषपाल और लक्ष्मी नारायण महाजन को बन्दी बना लिया तथा उन दोनों से अठावन (58) हजार रुपया वसूल किया। एक लाख इकतालीस हज़ार रुपया जो शाही का तहसीलदार नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के पास ला रहा था बख्त ख़ाँ

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ने वह भी छीन लिया[51]। बख्त ख़ाँ जुलाई 1857 को बहादुर शाह ज़फर की सहायता के लिए देहली पहुँचा। उसके पास लगभग चार लाख चांदी के सिक्के और पांच हज़ार सैनिक थे। 12 जुलाई 1857 को बहादुर शाह ज़फर ने उसको अपने दरबार में बुलाकर भेंट की तथा उसको समस्त सेना का सेनापति बना दिया[52]। बख्त ख़ाँ ने दिल्ली में अंग्रेज़ों से युद्ध किया।

बरेली में जब बख़्त ख़ाँ सेना लेकर चला गया तो बरेली के क्रान्तिकारियों पर यह अनिवार्य हुआ कि वे अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए एक सेना तैयार करें जिसके कारण क्रान्तिकारी प्रशासन पर व्यय का बोझ पड़ गया। उस समय नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का प्रशासन नियमित नहीं था तथा बहादुर शाह ज़फ़र से नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के नाज़िम बनने के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त नहीं हुए थे तथा जिसके बिना नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ न तो जनता का विश्वास प्राप्त कर सकते थे और न कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को कठेर (रूहेलखण्ड) का नाज़िम होने के आदेश 21 जून 1857 को देहली से प्राप्त हुए थे[53]। बाहदुर शाह ज़फर ने उपर्युक्त फरमान के माध्यम से ख़ान बहादुर ख़ाँ को नवाब इन्तेज़ाम उद्दौला मुहाफ़िज़ उलमूलक, तनवीर जंग, रईसे-आज़म रूहेलखण्ड ख़िताब भी दिया था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की मोहर पर ये शब्द थे:-

"अलहुकमे लिलाह वलमुलको लिलाह" और मोहर पर यह सज्जा थी "शुदेम ख़ान बहादुर बजुल फ़िक़ारी"[54]

बहादुर शाह ज़फ़र से रूहेलखण्ड के प्रशासक नियुक्त होने का फरमान मिलने के पश्चात् ख़ान बहादुर ख़ाँ नियमित रूप से रूहेलखण्ड के नाज़िम (प्रबन्धक) हो गये और इससे जनता में विश्वास उत्पन्न हो गया। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने क्रान्तिकारी प्रशासन को चलाने के लिए अब जो कार्यवाहियाँ की वे इस प्रकार हैं।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

प्रशासनिक परिषद की स्थापना:-

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने क्रान्तिकारी प्रशासन को चलाने के लिए एक प्रशासनिक परिषद नियुक्त की जिसके निम्नलिखित सदस्य थे :

करामत अली ख़ाँ, अकबर अली ख़ाँ, काज़ी गुलाम हमज़ा, पंडित औझा तेग़नाथ, मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ, जफ़र अली ख़ाँ, जयमल सिंह, कलबे अली शाह । मालगुज़ारी वसूल करने के लिए मालगुजारी के विभाग के अधिकारी अकबर अली ख़ाँ नियुक्त किये गये थे । काज़ी गुलाम हमज़ा को बरेली का नगर काज़ी बनाया गया था। पंडित ओझा तेग़नाथ को बरेली के प्रवर पंडित के पद पर नियुक्त किया गया था मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ बरेली के सदर आला (सब जज) नियुक्त किये गये थे[55]। इन सदस्यों में करामत अली ख़ाँ, अकबर अली ख़ाँ तथा मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के सम्बन्धी थे[56]। परन्तु अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी तथा मुस्तफ़ा अली बरेलवी ने अपनी पुस्तक में सदस्यों के निम्नलिखित नाम प्रस्तुत किये हैं :-

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ- नाज़िम कठेर, मदार अली ख़ाँ-सेनापति, होरीलाल-बक्शी (सेना), शोभाराम-दीवान तथा अपील न्यायालय का अध्यक्ष मौहम्मद युसूफ रिसालदार, अकबर अली ख़ाँ-कोतवाल, मौहम्मद अहसन ख़ाँ मुसिफ (न्यायाधीश), मौहम्मद अमीन ख़ाँ-सदर अमीन (सब जज) मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ-सदरे आला (जज), मौलवी सैय्यद अहमद बदायूँनी मुफ़्ती नगर, मुल्ला मुनीर-मुल्लाए क़ुरआनी, हाफ़िज़ काले ख़ाँ-(दुर्रे) कोड़े लगाने वाला, मौलवी हैदर अली-रोज़नामचा निगार, मुंशी फ़रहत उल्ला बक्शी-फौज़[57]। जयमल सिंह-परिषद का दो माह तक सदस्य रहा । नगर की जनता को काज़ी गुलाम हमज़ा की वफादरी पर सन्देह था। अत: उन्होंने काज़ी गुलाम हमज़ा और उनके सम्बन्धियों के भवनों को 16 जनवरी 1857 को लूट लिया[58]। यह परिषद निरन्तर रूप से कार्य करती रही। जयमल सिंह ने अंग्रजों को शरण दी थी तथा क़ाज़ी गुलाम हमज़ा ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शुभचिन्तक था। मुफ़्ती सैय्यद अहमद बदायूँनी का

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

नवाब रामपुर तथा अपने गुप्तचरों की सहायता से क्रान्तिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की थी।

2- बख़्त ख़ाँ ने रियासत-ए-रामपुर पर अधिकार नहीं किया था, जबकि नवाब रामपुर अंग्रेज़ों की सहायता कर रहा था। शत्रु का मित्र शत्रु होता है। अत: रुहेलखण्ड में क्रान्तिकारियों की असफलता का महत्वपूर्ण कारण वह सहायता है जो नवाब रामपुर ने अंग्रेज़ों को दी थी।

3- बख़्त ख़ाँ का अपनी सेना लेकर दिल्ली जाना तथा बादशाह बहादुर शाह ज़फर की सहायता करना एक भावनात्मक फैसला ज्ञात होता है। बख़्त ख़ाँ ने देहली जाने में अतिशीघ्रता दिखायी तथा उसने दिल्ली की घटनाओं की समीक्षा नहीं की। उदाहरणत: बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों से आयी हुई सेनाओं को दिल्ली में एक झंडे के नीचे एकत्र नहीं कर पाये थे और जब मुहम्मद शाह ज़फर ने अपने पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल के स्थान पर बख़्त ख़ाँ को सेनापति के पद पर नियुक्त किया तो उससे अनुशासनहीनता का वातावरण उत्पन्न हुआ तथा शाहज़ादों और सेना ने बख़्त ख़ाँ के अधीन कार्य करने से मना कर दिया[165]। रूहेलखण्ड में क्रान्तिकारी एकत्र हो गये थे। बख़्त ख़ाँ तथा उसकी सेना रूहेलखण्ड बरेली में रहकर क्रान्तिकारी आन्दोलन की अत्यधिक सहायता कर सकती थी। बख़्त ख़ाँ अंग्रेज़ों के तोपख़ानों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की तोपें ढालने तथा सेना में भर्ती करने की चिन्ता भी कम हो जाती। अत: यही कहना पड़ता है कि बख़्त ख़ाँ का देहली को जाना रुहेलखण्ड बरेली की सैनिक शक्ति का दुर्बल होने का कारण बना और जिसने क्रान्तिकारियों की पराजय के लिऐ मार्ग स्पष्ट किया।

4- नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने मौलवी फज़लेहक शाहजहाँपुरी को पीलीभीत का उप प्रशासक बनाते समय शर्त रखी थी कि वह नैनीताल से अंग्रेज़ों को हटायेगा। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का यह निर्णय उचित था। जिला नैनीताल, जिला पीलीभीत से मिला हुआ है और पीलीभीत तथा

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

नैनीताल के मध्य तराई का घना जंगल था, जो सेना की गुप्त कार्यवाही के लिये उचित था। परन्तु पीलीभीत के ज़मींदार रहमान ख़ाँ ने अंग्रज़ों से यहाँ तक वफ़ादारी की कि जो अंग्रेज़ पीलीभीत में थे उनको भी नैनीताल पहुँचा दिया। पीलीभीत से तराई के जंगल में से होकर फ़ज़्लहक के सेना के माध्यम से अंग्रेज़ों को नैनीताल से न निकालना भी क्रान्तिकारियों के पतन का महत्वपूर्ण कारण बना।

5- नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अंग्रेज़ों के गुप्तचरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की तथा उनको नैनीताल सूचना भेजने से नहीं रोक सके।

6- नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी कारण उन्होंने जो बहुत कम वेतन पर सेना भर्ती की। वह युद्ध करने के योग नहीं थी।

सन् 1857 का अंग्रजों के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम भारत की जनता तथा भारतीय वीरों की स्वतन्त्रता की भावना की अभिलाषा थी। उस युद्ध में भारत के प्रत्येक समुदाय के व्यक्तियों ने भाग लिया था। रूहेलखण्ड बरेली में रूहेला पठानों की विभिन्न जातियों ने उस युद्ध का नेतृत्व किया था, क्योंकि रूहेला पठान उस क्षेत्र के शासक रहे थे।

रूहेलखण्ड एवं बरेली के क्रान्तिकारियों को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय अवश्य हुई थी, परन्तु उनकी स्वतन्त्रता की भावना समाप्त नहीं हुई थी। इसी कारण स्वतन्त्रता दिलाने के लिए आने वाली पीढ़ी ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध अत्यधिक प्रयत्न किया। 1857 के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था और अन्ततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता प्राप्त हो गयी।

इस बात की आवश्यकता है कि 1857 के शहीदों का स्मरण किया जाये। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ, बख़्त ख़ाँ, शोभा राम तथा अन्य शहीद केवल हमारा इतिहास ही नहीं है, हमारी प्रेरणा भी है। बरेली नगर तथा

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

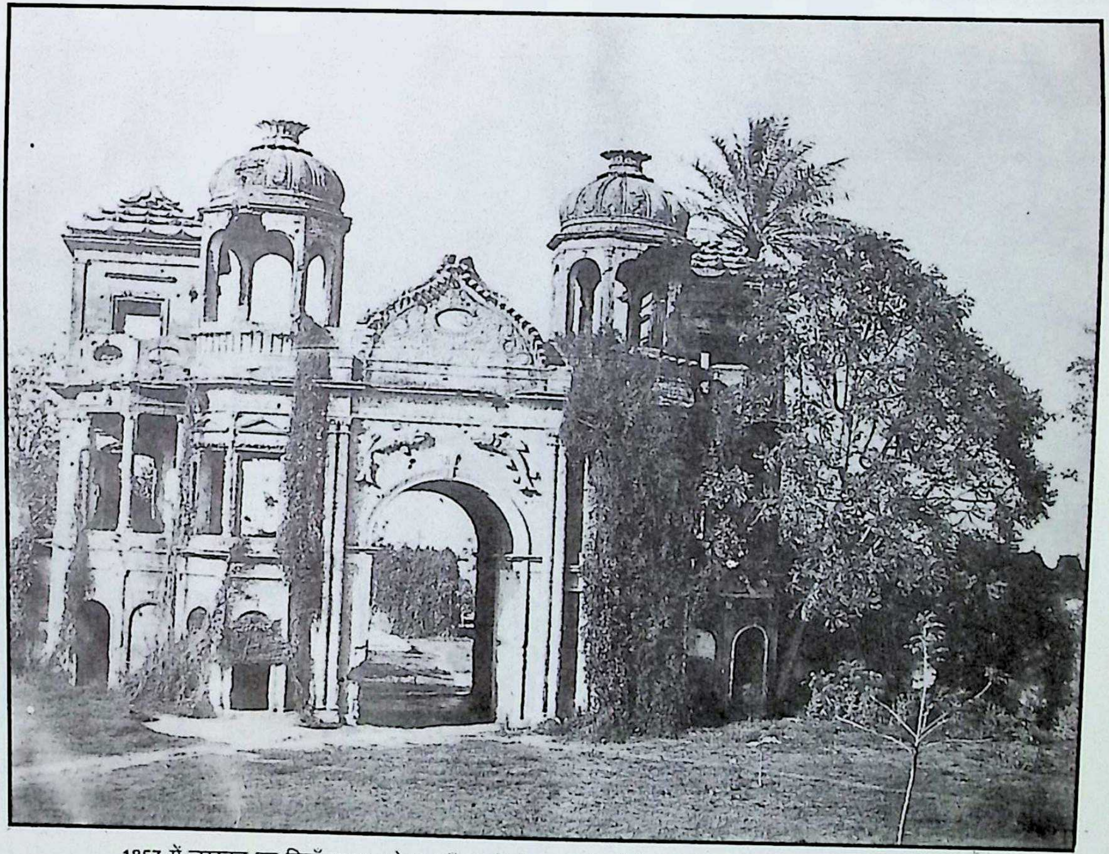

1857 में लखनउ का सिकँदर बाग़ गेट जहाँ मरदों के साथ औरतों ने भी अंग्रज़ो की फौज को मौत के घाट उतारा।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

वारादरी हुसैनाबाद लखनउ का तालाब जहाँ 1857 में जगं हुई।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

बरेली केन्ट के ऐसे स्थान जिनके साथ 1857 की क्रान्तिकारी कार्यवाही जुड़ी है उन स्थानों के नाम, 1857 के शहीदों के नाम पर रखना चाहिये, ताकि बरेली के नागरिक अपने नगर के 1857 के शहीदों तथा उनके माध्यम से 1857 की घटनाओं और बलिदान का स्मरण करते रहे। अंग्रेज़ों ने नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के जिला जेल में इस कारण से ही दफ़न कराया था कि जनता उनकी क़ब्र पर जाकर प्रेरणा प्राप्त न करे। यह खेद की बात है कि वह अभी तक लागू है जो अनुचित है कि नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की क़ब्र को जनता के लिए खोल दिया जाये। बरेली के बच्चो को 1857 के शहीदों के बलिदानों से उनकी पुस्तको में लेखों के माध्यम से अवगत कराया जाये, जिससे देशभक्ति के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता भी उत्पन्न होगी।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सन्दर्भः-

1- भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, खण्ड-11 पृ. 19

2- डी.एन.ई. एफ. एस. पृ.-167

3- आ. पी. (1857) पृ.-197-200, एफ. एस. पृ. 178

4- आर.पी. (1857) पृ. -197-200 एफ.एस. पृ. 178

5- उपर्युक्त सैनिक तथा सिविल अंग्रेज़ अधिकारियों के नाम और पद अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी की पुस्तक तारीख़े-रूहेलखण्ड पृ. 209 तथा FREEDOM STRUGGLE IN UTTAR PRADESH खण्ड -5 में अंकित करके प्रस्तुत किये गये हैं।

6- पंडित सुन्दर लाल, भारत में अग्रेज़ी राज के कारनामे, खण्ड 2 पृ. 827, 831

7- ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद, पृ. 52

8- तारीख़े बग़ावते हिन्द,पृ. 300

9- एफ. पी. एम. आई. 1857, एफ, एस. पृ. 190

10- एम. एन. ई.BRY , एफ.एस. पृ.-193

11- डी. एन. ई. BRY , एफ. एस. पृ. 167-175

12- वही-पृ. -167-175

13- हकीम नजमुल ग़नी, अख़बार-उस-सनादीद, खण्ड दो, पृ. 35

14- कन्हैया लाल, तारीख़े बग़ावते हिन्द-1857- पृ.-291

15- आर. पी., 1857 पृ.-197-200 एफ.एस. पृ.-179

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

16- एफ. एस. पृ.-191

17- एफ. पी. एम. आई. 1857, एफ. एस. पृ.-179-180

18- कन्हैया लाल, तारीख़े बग़ावते हिन्द, पृ.-288,289,290

19- The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857, पृ. 347

20- एम. एन. ई., BRY एफ. एस. पृ.-193

21- अब्दुल अज़ीज ख़ाँ आसी बरेलवी, तारीखे रूहेलखण्ड, पृ.-211

22- आर. पी., एफ, एस., पृ.-180

23- पंडित कन्हैया लाल, तारीखे बग़ावते हिन्द 185, पृ.-290

24- वहीं, पृ.-291

25- The Friends of India, समाचार पत्र दिनांक 4 जून 1857 एफ.एस. पृ.-177

26- बी. एम.आर Trial of Khan Bahadur Khan, एफ.एस. पृ.-608

27- आ. पी., एफ. एस., पृ. -177

28- पृ.-60

29- यह सूचना विभिन्न पुस्तकों और अभिलेखों से एकत्रित करके प्रस्तुत की गयी है।

30- तारीख़े बग़ावते हिन्द, 1857, पृ.-290

बिस्त का अर्थ है 20। हम 13 की सूची दे सकते हैं शेष 7 का पद और नाम मालूम नहीं हुआ है।

31 नियाज़ अहमद ख़ाँ होश बरेलवी-तारीखे रूहेलखण्ड पृ.-60 तथा हकीम नजमुल ग़नी अख़बार-उस सनादीद, खण्ड-दो पृ.- 36

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

32 तारीख़े रूहेलखण्ड, पृ.-209

33- हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ. 366

34- बी. एम. आर., एफ. एस. पृ.-167-610

35- एफ. पी. सी., एफ.एस. पृ.-182, बी.एम. आ., एफ. एस. पृ.-599

36- एफ. एस. A History of the Sepoy War in India, vol.III Kaye पृ.-185, पृ.-274-275

37- बी. एम. एस. पृ. 194

38- वही, एफ. एस. पृ. 599

39- वही. एफ. एम. पृ. 277

40- वही एफ. एस. पृ. 280

41- बी.एम.आ., एफ.एस. पृ. 182

42- बी.एम.आर., एफ. एस. पृ. 277

43- बी.एम.आर., बी.ई.एन., एफ.एस. पृ.222

44- बी.एम.आर., एफ.एस. पृ.-280

45- Trial of Khan Bahadur Khan, एफ.एस. पृ. 606-607

46- बी.एम.आ., एफ.एस. पृ.-605-607

47- अख़बार-उस-सनादीद, खण्ड-2 पृ.-58

48- तारीख़-ए-रूहेलखण्ड, पृ. 215

49- नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद, पृ.-189-190

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

50- वही पृ. 189-190

51- तारीख़े रूहेलखण्ड, पृ.-213

52- देहली उर्दू अख़बार, दिनांक 12 जुलाई 1857, एफ.एस. पृ.-199

53- फ़रमान-ए-शाही देहली की प्रतिलिपि, एफ.एस. पृ.-208-284

हबीब उल अखबार बदायूँ दिनांक 16 जुलाई 1857, बी. एम. आर. बदायूँ एफ. एस. पृ.-283-284

54- बी. एम. आर. एफ.एस. पृ.-285

55- सैय्यद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ पृ.-304-355

56- तारीख़-ए-रूहेलखण्ड पृ.-214 तथा ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद पृ.-51

57- अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी, तारीख़-ए-रूहेलखण्ड- पृ.-213

58- सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, पृ.-353

59- बी. एम. आर., एफ.एस. पृ.-601

60- हकीम नजमुल ग़नी-अख़बार-उस सनादीद, खण्ड-2 पृ.-49

61- एम.एन.ई. BRY, एफ.एस. पृ.-289

62- एम.एन.ई. BRY, एफ.एस. पृ.-287-288

63- वही

64- एम.एन. ई., , एफ.एस. पृ. -290-295

65- बी.एम.आर., एफ.एस. पृ.-603

66- एफ. एस.सी., एफ.एस. पृ. 342-343

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

67- वही, पृ.-347, 348

68- एफ.एस.सी., एफ.एस. पृ.-348-349

69- एफ.पी.पी., दिनांक 8 मई 1858, एफ. एस. पृ.-376, 380

70- वही-एफ.एस. पृ. -349-351

71- वही-एफ.एस. पृ.-585,588

72- एफ.डी.एन. ई., एफ.एस. पृ.-387

73- वही-पृ. -372

74- वही- पृ.-372

75- सैयूयद मुस्तफ़ा अली बरेलवी, ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद पृ.-104

76- THE HINDU PATRIOT, दिनांक 8 अप्रैल, एफ.एस. पृ.-433

77- एफ.एस. पृ.-433

78- वही प्र. 434

79. THE FRIEND OF INDIA, दिनांक 8 अप्रैल, 1858 एफ.एस. पृ. 393

80- नवाब नयाज़ अहमद ख़ाँ होश बरेलवी-तारीखे-रूहेलखण्ड पृ.-60

81- डी.एम.आर. PBE, एफ.एस. पृ.-228,230

82- डी.एम.आर., PBE , एफ.एस. पृ.230-234

83- डा. शम्स बदायूँनी, निज़ामी बदायूँनी और निज़ामी प्रेस की अदबी ख़िदमात, पृ.-35

84- मुहम्मद इब्राहीम ख़ाँ नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के पुत्र नवाब अल्लाह यार ख़ाँ के पुत्र थे (सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी, हयाते हाफ़िज़

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

हमत ख़ाँ-पृ.-343) इस प्रकार से इब्राहीम ख़ाँ नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के सम्बन्धी थे।

85- बी.एम.आर., एफ़.एस. पृ.-194

86- वही, पृ.-200-201

87- वही, एफ. एस. पृ.- 539

88- कर्नल एम. सी. कॉज़लैन्ड सेना अधिकारी कुमायूँ का पत्र दिनांक 8 अगस्त 1858 ब्रिगेडियर चमबरलैन्ड के नाम, एफ.एस.- पृ.-358

89- Memorandum of Intelligence, fort Agra, एफ.एस.पृ.363

90- एफ.आर. एम.आई., एफ.एस. पृ.-366,371

91- एफ.एस.-पृ.-371

92- एफ.एस.-पृ. 372

93- W.H. Russel,My Indian Mutiny Diary -Vol.I

एफ.एस.एम. आई. एफ.एस. पृ.-389

94- W.H. Russel, My Indian Mutiny Diary

एफ.एस. पृं.-440

95- पंडित सुन्दर लाल, भारत में अंग्रेजी राज, खण्ड-11 पृ.-934

96- नवाब नयाज़ अहमद ख़ाँ होश, तारीखे रूहेलखण्ड पृ. -60

97- सनदल ख़ाँ नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के समय में बरेली का कोतवाल था, उसने बाज़ार सनदल ख़ाँ बनवाया था जो अब ''बज़रिया सनदल ख़ाँ'' कहलाती है और जो मौहल्ला इंग्लिस गंज तथा मौहल्ला जसौली के मध्य में स्थित है।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

98- नवाब अहमद यार ख़ाँ के पिता का नाम ज़ुल्फेकार ख़ाँ था और वह नवाब हाफ़िज़ रहमत के पुत्र थे। इस सम्बन्ध से नवाब अहमद यार ख़ाँ नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के ताया थे। नवाब अहमद यार ख़ाँ के पुत्र मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ ने बरेली के स्वतन्त्रता संग्राम में ख़ान बहादुर ख़ाँ का साथ दिया था।

99- अब्दुल अज़ीज ख़ाँ ऑसी, तारीखे-रूहेलखण्ड पृ.-126

100- W.H. Russel, My Indian Mutiny Diary Chapter -21 पृ. 138-147, एफ.एस.-459

101- CHARLES BALLS, The History of the Indian Mutiny Vol-II -21 पृ. -328-331, एफ.एस. पृ.-461

102- CHARLES BALLS, The History of the Indian Mutiny Vol-II पृ. 328-331, एफ.एस. -पृ.-460

103- CHARLESS BALL, The History of the Indian Mutiny पृ.-328-331, एफ.एस. पृ.462-463

104- अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ आँसी बरेलवी-तारीखे-रूहेलखण्ड पृ.-216

105- W.H. Russel, My Indian Mutiny -पृ.138-148 एफ.एस. पृ.463

106- वही

107- सैय्यद मुस्तफ़ा अली बरेलवी ने अपनी पुस्तक ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद में यह अंकित किया था कि अंग्रेजी सेना बाईं पंक्ति पर तथा उसके रसद और सामान पर शाहज़ादा फ़िरोजशाह ने आक्रमण किया था (पृ.-146) तथा डब्लू रसिल की सूचना सही प्रतीत होती है। इस प्रकार से चाल्से बॉल की सूचना को भी गलत नहीं कहा जा सकता। मुस्तफ़ा अली बरेलवी ने फोर्बिस मचिल पर निर्भर किया है जिसका

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

संदर्भ अधिकांश इतिहासकार नहीं देते हैं।

108- CHARLES BALL, The History of the Indian Mutiny Vo.II पृ.-328-331, एफ.एस.-464

109- यह बरेली में बन्डेमीर ख़ाँ के नाम से प्रसिद्ध है। यह 1872 में पकड़े गये थे और उनको फाँसी की सजा हुई थी। अब्दुल अज़ीज ख़ाँ ऑसी बरेलवी लेखक "तारीख़े-रूहेलखण्ड" का पालन पोषण बन्डे मीर ख़ाँ के पुत्र नज़ीर ख़ाँ ने किया था (सैयूयद मुस्तफा अली बरेलवी, ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद-पृ.-151)

110- इस्माईल ख़ाँ भालागढ़ के नवाब बलीदाद ख़ाँ के पुत्र थे, प्रत्येक मोर्चे पर ख़ान बहादुर ख़ाँ के साथ रहे और बड़ी वीरता से युद्ध किया। वह ख़ान बहादुर ख़ाँ के साथ मोहम्मदी चले गये। इसके पश्चात् क्या हुआ कुछ पता नहीं चल सका। यह खेद की बात है 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में वलीदाद ख़ाँ तथा उनके पुत्र इस्माईल ख़ाँ के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाया नहीं गया।

111- W.H. Russel, My Indian Mutiny Diary पृ.-138-147 एफ.एस. पृ. 456

112- The Friend of India दिनांक 27 मई 1858, एफ.एस. पृ.-448

113- चार्ल्स बॉल ने इसका नाम Kambonadra Khan अंकित किया है एफ.एस.-465

114- हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ-पृ. 367

115- डी. एन. ई., एफ.एस. पृ.-483

116- अब्दुल अज़ीज ख़ाँ ऑसी बरेलवी का संकेत उन विधियों की ओर ज्ञात होता है जो 1828 तथा 1829 में सैयूयद अहमद राय बरेलवी और शाह इस्माईल देहलवी ने सिक्खो के विरुद्ध की थी। (सैयूयद

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अहमद शहीद, वहीद रहमद मसऊद वदायुँनी, पृ.-171)

117- इस घटना के अतिरिक्त सादाते-नौमहल्ला की 70, 80 स्त्रियो ने मस्जिद नौमहल्ला के कुएँ में कूदकर अपने अस्तित्व की रक्षा की। सादाते-नौमहल्ला के आदरणीय व्यक्ति सैयूयद इस्माईल शाह मस्जिद में अज़ान देते हुए शहीद किये गये थे (सैयूयद मुस्तफा अली बरेलवी, ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद, पृ.-187)

118- कदाचित यह वही स्थान था, जहाँ बरेली कमिश्नरी के हाते में बरगद का वृक्ष है और जहाँ 1857 के स्वतन्त्रता सैनानियों को फाँसी दी गयी थी।

118- अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी तारीख़े-रूहेलखण्ड, पृ. 216-218 (इनायत उल्ला ख़ाँ पुत्र अकबर हुसैन ख़ाँ, पुत्र नवाब इरादत ख़ाँ पुत्र नवाब हाफिज रहमत ख़ाँ) सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी-पृ. 340, मोहसिन ख़ाँ, अहसन ख़ाँ, मुजफ़्फ़र हुसैन ख़ाँ (पुत्र अहमद यार ख़ाँ पुत्र ज़ुल्फ़ेकार ख़ाँ, पुत्र हाफ़िज़ ख़ाँ, पुत्र हाफ़िज़ रहमत ख़ा-सैयूयद अलताफ़ अली बरेलवी-पृ. 340) हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ वंश से थे ज़ाकिर अली के भवन में हेनरी स्पीनल तथा उसके बीबी बच्चे छिपे हुऐ थे जिनकी सुनहरी मस्जिद के निकट हत्या करके कोतवाली के सामने डाल दिया था। कबीर शाह और वज़ीर मुहम्मद ख़ाँ को मई 1858 को बरेली में एक भीड़ के सामने फाँसी दी गयी थी। (एफ.एस. पृ. 485) वज़ीर मुहम्मद ख़ाँ सिरौली में तहसीलदार था।

120- ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद, पृ.-153

121- मुंशी ज़का उल्ला, तारीख़े उरूजे सलतनते इंगिलिश्यिा प्र. 820

122- नयाज़ मुहम्मद ख़ाँ होश बरेलवी (तारीख़े-रूहेलखण्ड) पृ.-60-70 तथा अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी बरेलवी, पृ. 225

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

123- एफ.डी.एन. ई., एफ.एस. 485

124- एफ.डी.एन.ई., एफ.एस.-484

125- वही-एफ.एस. पृ. -486

126- वही-एफ.एस. पृ.-485

127- एफ.एन.ई., नफ.एस. पृ.-516-522

128- एफ. एस.सी., एफ.एस. पृ.-474

129- डी.एन.ई. एफ.एस. पृ.-475-477

130- एफ.पी.एम.आई., एफ.एस.पृ.-510,511

131- डी. एन. ई., एफ.एस. पृ.477,478

132- एफ.पी.एम.आई., एफ.एस. पृ.-510,511

133- वही, एफ.एस., पृ.-510,511,514

134- एफ.पी.एम.आई., एफ.एस. पृ.-523

135- The Bangal Harkaru and Indian Gazetter May 28 1858, एफ.एस. पृ.-509

136- बी.एम.आ., एफ.एस.पृ.-570-572

137- एफ.पी.एम.आई., एफ.एस. पृ.-522

138- सूरतुलहिंदिया अर्थात बाग़ी हिन्दुस्तान (अरबी भाषा में) पृ.-63-65

139- वही-पृ.-71-73

140- एफ.पी.पी., एफ.एस. पृ.-575-576

141- कमालउद्दीन हैदर कैसरउत्तवारीख, पृ.-332-333

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

142- एफ.पी.सी., एफ.एस.पृ.-589 तथा अनीस फ़ातमा बरेलवी-सन सत्तावन के हीरो, प्र.-45,47

143- वही-पृ. 589

144- एफ.पी.सी., एफ.एस.-पृ.-189-190

145- बी.एम.आर., एफ.एस.-पृ.-591

146- एफ.पी.सी., एफ.एस. पृ.-591

147- बी.एम.आ., एफ.एस., पृ.-591,92

148- वही- पृ. 593-594

149- बी.एम.आर, एफ.एस. पृ.-595-596

150- Trial of Khan Bahadur Khan बी.एम.आर. एक. एस. पृ. 596-607

151- Trial of Khan Bahadur Khan बी.एम.आर.

एफ.एस. पृ.-610

152- Trial of Khan Bahadur Khan बी.एम.आर.

एफ.एस.पृ. 601-610

153- "To be hanged by the neck till he is dead" बी.एम.आर.-एफ. पृ. 610 से 613

154- But so it was: The hoary traitor, under the mask of servility wound himself in to our confidence and he employed the hold which he has thus gained on our authorities to bring about their destruction-R.P.F,S.P 179

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

155- Khan Bahadur Khan Soul of the conspiracy
-वही पृ.-77

156- नयाज़ अहमद ख़ाँ होश तारीख़े-रूहेलखण्ड-पृ.60-75

157- अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ ऑसी तारीख़े-रूहेलखण्ड- पृ.-210

158- वही पृ.-211

159- The Friend of India- दिनांक 2 सितम्बर 1858 एफ.एस. -पृ.-561

160- डॉ. ईश्वरी प्रसाद, तारीख़े हिन्दुस्तान पृ.-524 तथा जो आममाफ़ी की सूची में सम्मिलित नहीं होंगे। एक एम पृ.– 433

161- एफ.पी.सी., एफ.एस. पृ.-181-190

162- बी.एम.आर.-एफ.एस. पृ.- 614-615

163- बी.एम.आर. - एफ.एस.पृ.-615

164- मुक़दमा, रोजनामचा-ए-ग़दर, अब्दुल अतीफ, सम्पादक प्रो.-ख़लीक अहमद निज़ामी। पृ.– 3-48

165- R.C. MAZUMDAR, British Paramountey and Indian Renaissance, Part-I पृ.-516-517

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

उपसंहार

सन् 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम जो रूहेलों के पतन के 83 वर्ष के पश्चात् हुआ था और जिसमें रूहेलों ने जो भूमिका निभायी थी वह उनकी विरासत (संस्कृति) के अनुसार थी। रूहेले 1774 ई. में एक युद्ध हारे थे, परन्तु उनकी स्वतन्त्रता की चेतना तथा अंग्रेज़ों से प्रतिशोध की भावना समाप्त नहीं हुई थी, जिसकी पुष्टि 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में हो गयी।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ (जन्म 1708-मृत्यु 1774 ई.) के पौत्र थे। अत: इनका सम्बन्ध बैड़च कबीले से था। यह क़बीला अपने पूर्वजों में शहाबउद्दीन के कारण अत्यधिक सम्मनित तथा प्रसिद्ध था। शहाबउद्दीन कन्धार से आये सूफी थे, जो हज़ारा में रहने लगे थे और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। शहाबउद्दीन के सभी अच्छे गुण उनके वंश में मिलते हैं जिसका उदाहरण नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ उनके पुत्र नवाब जुल्फ़ेकार ख़ाँ तथा उनके पुत्र नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ थे।

रूहेला इतिहासकार "रोह" की भौगोलिक सीमाओं को तय नहीं कर सके हैं परन्तु उनके लेखन से इतना ज्ञात होता है कि "रोह" का क्षेत्र भारतीय अप महादीप के उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त में स्थित था। रोह का अर्थ है "पहाड़ में रहने वाला"। "रोह" का क्षेत्रफल पहाड़ों में था। अत: यह भी हो सकता है कि पहाड़ों का निवासी होने के कारण रूहेला कहलाये। इसी संबंध में रूहेला इतिहासकार अब्दुल हलीम असद अफ़ग़ानी ने राय दी है कि रूहेला रोहईल वंश से थे। प्राचीन समय में यह वंश ईरान तथा अफगनिस्तान से आकर बस गये थे। इस प्रकार रोहईला रूहेला कहलाये।

अफ़ग़ानिस्तान से आये पठान भारत में मुग़लों के आने से पूर्व ही मौजूद

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri
थे। अफ़गानी पठान, जिन्होंने भारत में राज्य किया, मुग़लों के समय में भी भारत के निवासी बने रहे। इस प्रकार वह भारतीय समाज का एक भाग थे जिन्होंने भारत में रहकर भारतीय राजनैतिक तथा सामाजिक दोनों ही परिस्थितियों को अपना लिया था। परन्तु वह मुगल दरबार की सुन्दरता मुग़ल अमीरों के ठाट-बाट को पसन्द नहीं करते थे। अठाहरवीं शताब्दी में रूहेलों की रियासत बनने से पूर्व वह भारत में घोड़ों का व्यापार तथा फौज में नौकरी करते थे। रूहेला पठान तलवार के धनी थे और सैन्य जीवन व्यतीत करना उन्हें पसन्द था। उनकी भाषा पश्तो थी। उनका पहनावा (लिबास) उनके रीति रिवाज, उनकी भाषा तथा दैनिक गतिविधियाँ वही थीं, जो वह अफ़ग़ानिस्तान से अपने साथ लाये थे। रूहेले आपस में किसी एक कबीले का कोई एक सरदार नियुक्त कर लेते थे और सभी उसके आदेश से बंधे रहते थे।

दाऊद ख़ाँ शाह आलम का गोद लिया पुत्र था। दाऊद ख़ाँ ने ही भारत में रूहेला राज्य की नींव डाली थी। दाऊद ख़ाँ के गोद लिये पुत्र अली मुहम्मद ख़ाँ ने रूहेला राज्य का निर्माण किया था। अली मुहम्मद ख़ाँ की मृत्यू के पश्चात् उसका पुत्र सादउल्ला ख़ाँ तेरह-चौदह वर्ष का बालक था जिसको उत्तराधिकारी तो बना दिया गया, परन्तु प्रशासन की बाग-डोर नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के हाथ में थी। नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ ने रूहेला राज्य को संगठित और सम्पन्न किया और इन्हीं के समय में रूहेला राज्य का अंत हो गया। जब रूहेलों की राजनैतिक शक्ति बढ़ी तो देहली के सम्राट तथा अवध के नवाब को चिन्ताओं ने घेर लिया। वे सदैव मित्रता की आड़ में शत्रुता करते रहे और नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ की उन्नति को वह नहीं देख सके, क्योंकि रूहले बात के धनी होते थे और वह ऐसी राजनीतिक में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें छल-कपट तथा विश्वास घात हो यही कारण है कि वह अपने शत्रु को अपना मित्र समझते थे। शुजाउद्दौला नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ की शक्ति को तोड़ना चाहता था। इसी कारण उसने 40 लाख रुपये को मुद्दा बनाकर कर्नल चैम्पियन के साथ मिलकर 1774 ई. में

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

मीरानपुर कटरा में नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ के साथ युद्ध किया था, जिसमें नवाब हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ को वीरगति प्राप्त हुई। इसके पश्चात् लाल डांग सन्धि जो अनावश्यक थी, जिससे रूहेलों की शक्ति को धक्का लगा। अंग्रेज़ो की दृष्टि पहले से ही देहली पर थी तथा फैज़ उल्ला ख़ाँ उनका वफादार था। परन्तु लाल डांग सन्धि से अंग्रेज़ रूहेलों के शक्ति प्राप्त करने के मार्ग को बन्द नहीं कर सके। रूहेले देश निवार्सित होकर भी अपनी विरासत से जुड़े रहे। ऐसे समय में जबकि अकाल पड़ा तथा आसिफ उद्दौला ने शिया निष्ठा का प्रचार किया। ऐसे समय में रूहेले सदैव बदले के अवसर की प्रतीक्षा करते रहे जिसका 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम के रूप में विस्फोट हुआ।

नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का जन्म 1205 हिजरी में हुआ था। उनकी माँ कटरा शाहजहाँनपुर के एक आदरणीय पठान कमालज़ाए ख़ाँ की पुत्री थी। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की शिक्षा उस समय की रीति के अनुसार हुई थी। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का निवास स्थान था बरेली में मौहल्ला भूड़ का वह स्थान जो अब (नवाब का खेड़ा) कहलाता है। इनका विवाह मुमताज़ बेगम से हुआ था इनके एक पुत्र जान बहादुर ख़ाँ था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में सदर अमीन थे और मासिक वेतन 150-00 रुपये था। 100-00 रुपये मासिक पारिवारिक पेंशन थी तथा उनको माफीआत से भी धन मिलता था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ का तख़ल्लुस "मसरूफ" था वह अपनी गज़लों की उर्दू के प्रसिद्ध कवि शेख कलन्दर बख्शर्जुअत से इस्लाह कराते थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने कवि होने के साथ-साथ कई पुस्तकें भी लिखी जिसमें से एक पुस्तक "मक़ासिद उल सलेहीन" दो बार कँराची से प्रकाशित हो चुकी है। रूहेलों का सम्पूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ, जिसके कारण उस समय कला की पूर्ण उन्नति नहीं हो सकी। रूहेलों के समय में कुछ मस्जिदें, मदरसे, सराये, पुल तथा बाज़ार आदि बनाये गये थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने भी एक मस्जिद मौहल्ला भूड़ में बनवायी थी जो मस्जिद नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ कहलाती

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

है, परन्तु नवाब ख़ान यहादुर ख़ाँ 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम के नायक बनें तथा अन्त में वीरगति प्राप्त करने के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध हुए और इतिहास का एक पन्ना बन गये।

1857 ई. के कारणों में विशेष कारण हड़प नीति (Doctrine of Lapse) तथा सहायक सन्धि (Subsidiary Alliance) था। इसके अतिरिक्त अन्य सामान्य व धार्मिक, शैक्षिक, न्यायिक, आर्थिक राजनैतिक कारण भी 1857 के विद्रोह का कारण बने। 1857 का विद्रोह एक योजनानुसार हुआ था। अंग्रेज़ों के पत्र तथा भारतीय इतिहासकारों के कथन से यह स्पष्ट होता है कि योजना निश्चित की गयी थी। यह योजना नाना साहब अज़ीम उल्ला ख़ाँ बापू जी, बादशाह मुहम्मद शाह ज़फर तथा मौलवी अहमद उल्ला शाह के द्वारा बिठौर तथा लन्दन में बनायी गयी थी। विद्रोह के मुख्य साधन कमल तथा चपातियाँ थे। इतना कुछ होने के उपरान्त भी विद्रोह विभिन्न कारणों से असफल रहा। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने 1 जून 1857 ई. को क्रान्तिकारियों का नेतृत्व किया और एक क्रान्तिकारी परिषद की स्थापना की 9 जुलाई 1857 ई. को बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के एक फ़रमान के द्वारा नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ कठेर के नाज़िम नियुक्त हुए थे। उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों, गुप्तचरों की साज़िशों अपनी वृद्धावस्था तथा विभिन्न कठिनाइयों के उपरान्त भी दस माह तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रान्ति को जारी रखा था। उन्होंने अंगेजों को नैनीताल से निकालने के लिये दो बार हल्द्वानी पर आक्रमण किया। उन्होंने रूहेलखण्ड के अन्य ज़िलों के क्रान्तिकारी नेताओं से सम्पर्क किया तथा उनकी सहायता की थी। अन्त में उनके दो निर्णायक युद्ध अंग्रेज़ी सेना से हुए थे। दिनांक 5 मई 1858 को किला नदी के पुल के समीप तथा नकटिया नदी के तट पर हुआ था। यह दोनो युद्ध एक ही दिन में हुए थे। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ की सेना पराजित हुई तथा अंग्रेज़ों ने बरेली पर अधिकार कर लिया। इस पराजय के उपरान्त भी नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा और मोहम्मदी तथा अवध के क्षेत्र में अंग्रज़ों से युद्ध किया। अन्त में वह अवध

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

की बेगम हज़रत महल के साथ नेपाल चले गये, जहाँ नेपाल के जंग बहादुर की साज़िश से उनको बन्दी बनाकर लखनऊ की कारागार में रखा गया और बाद में उन्हें बरेली लाकर उन पर मुक़दमा चलाया गया और 24 मार्च 1860 को उन्हें फाँसी देदी गयी। अंग्रेज़ अधिकारियों ने उनके शव को गुप्त रूप से ज़िला जेल में दफ़न करा दिया था। नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ के अंग्रेज़ों के विरुद्ध पतन के मूल कारणों में एक कारण यह था कि बख़्त ख़ाँ सेना तथा धन सहित देहली चले गये थे। दूसरा यह कि नवाब रामपुर की रियासत पर अधिकार नहीं किया और नवाब रामपुर अंग्रेज़ों की हर प्रकार से सहायता करता रहा। इसके अतिरिक्त उनके ज़िलों के क्रान्तिकारियों के नेताओं के मध्य वैसा तालमेल नहीं था जैसा अंगेज़ों में था और न ही अंग्रज़ों जैसे अस्त्र-शस्त्र थे।

1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम में बरेली की क्रान्ति की यह महत्वपूर्ण विशेषता थी कि चारों ओर क्रान्तिकारियों के पतन के पश्चात् भी बरेली में क्रान्तिकारियों का प्रभाव बना रहा। और बरेली रूहेलखण्ड तथा अवध के क्षेत्र में क्रान्तिकारी अंग्रेज़ों से युद्ध करते रहे थे।

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

सन्दर्भ-ग्रन्थ

(BIBLIOGRAPHY)

1. ताराचन्द (डॉ.) — भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, खण्ड-II दिल्ली 1982
2. पाण्डे बद्रीदत्त — कुमायूँ का इतिहास, अलमोड़ा 1937
3. सुन्दर लाल (प.) — भारत में अंग्रेज़ी राज खण्ड-11 दिल्ली 1982
4. अलताफ़ अली बरेलवी (सैयूयद) — हयाते हाफ़िज़ रहमत ख़ाँ, तीसरा प्रकाशन, कराची 1980
5. अनीस फ़ातमा (सैयूयदा) — 1857 के हीरो, अलीगढ़ 1949
6. अज़ीज़, अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ बरेलवी — दीवाने अज़ीज़, लखनऊ 1893
7. आसी, अब्दुल अज़ीज ख़ाँ बरेलवी — तारीखे रूहेलखण्ड, कराची 1963
8. अयूयूब कादरी (मो.) — मुहम्मद अहसन नानोतवी, कराची 1966
9. असद, अब्दुल हलीम अफ़ग़ानी — (लेख) हमारी नस्ली, कराची जून 1960, और सक़ाफ़ती वहदत, मासिक "माहे नौ"
10. इमदाद साबरी — 1857 के मुजाहिद शोअरा, दिल्ली 1959
11. ईश्वरी प्रसाद (डा.) — तारीख़े हिन्दुस्तान, इलाहाबाद 1928
12. कमालउद्दीन हैदर (सैयूयद) — क़ैसरउत्तवारीख, लखनऊ1897
13. कन्हैयालाल (प.) — तारीखे बगावते हिन्द (महार बये अज़ीम), लखनऊ 1916
14. ख़लीक अहमद निजामी (प्रो.) — रोजनामचा-ए-गदर, (अब्दुल लतीफ) दिल्ली 1971
15. ज़हीर, ज़हीर उद्दीन देहलवी (सैयूयद) — दास्ताने ग़दर
16. ज़का उल्लाह - देहलवी — तारीख़े उरूजे सलतनते इंगलिशिया हिन्द, दिल्ली 1904
17. ज़िया उल कादरी — अकमलुत तारीख, खण्ड-1 बदायूँ 1915

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

18. तुफ़ैल अहमद मंगलूरी — मुसलमानों का रोशन मुस्तक़बिल, बदायूँ 1938
19. नजमुल ग़नी (हकीम) — अखबार-उस-सनादीद,खण्ड-1-2,लखनऊ1918
20. नस्साख़ अब्दुल ग़फूर ख़ाँ — तज़कारा-ए-सरापा सखुन, लखनऊ 1982
21. फ़रीदउद्दीन अत्तार (शेख) — तज़करातुल औलिया (फ़ारसी) अनुवादक: आदिल ख़ाँ, दिल्ली
22. फज़लेहक़ ख़ैराबादी (मौलाना) — अलसूरतुल-हिंदिया(बाग़ी हिन्दुस्तान), आज़मगढ़ 1984
23. मसऊद नक़वी — (लेख) बदायूँ और नवाबीने अवध का 27 साला अहदे हुकूमत, मसिक पत्रिका (मुजल्ला-ए-बदायूँ), कराची सितम्बर 1993
24. मुस्तफा अली बरेलवी (सैयूयद) — 1857 का एक जाँबाज़ मुजाहिद नवाब ख़ान बहादुर ख़ाँ शहीद, कराची 1963
25. मुस्तजाब ख़ान (नवाब) — गुलिस्ताने रहमत, लाइब्रेरी रामपुर रज़ारामपुर
26. मुहम्मद क़ासिम — तारीखे फरिश्ता, अनुवादक: अब्दुलहई ख़्वाजा, दियोबंद 1985
27. मुहम्मद फ़ाईक़ (मौलवी) — करामाते निज़ामिया, दिल्ली 1916
28. लतीफ़ हुसैन अदीब (सैयूयद) — (लेख) रूहेलखण्ड में उर्दू शायरी का फ़रोग़, मासिक पत्रिका मआरिफ़, आज़मगढ़, अगस्त 1965
29. लतीफ़ हुसैन अदीब (सैयूयद) — (लेख) बरेली के अहम अख़बारात, मासिक, नव.,दिस. 1993, पत्रिका मआरिफ़, आज़मगढ़
30. लतीफ़ हुसैन अदीब (सैयूयद) — ताज़करा-ए-शोअराए (पाण्डुलिपि) बरेली
31. शम्स बदायूँनी (डा.) — निज़ामी बदायूँनी और निज़ामी प्रेस की अदबीं खिदमात, दिल्ली 1995
32. सर सैयूयद अहमद ख़ा — असबाबे बग़ावते हिन्द, दिल्ली 1858
33. होश, नवाब नयाज़ अहमद ख़ाँ बरेलवी — तारीखे रूहेलखण्ड, बरेली 1866
34. ATHAR ABBAS RIZVI (Dr.) — FREEDOM STRUGGLE IN UTTAR PRADESH, VOL.V, LUCKNOW 1960

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

इस पुस्तक में जो 1857 से संबंधित अभिलेख है उनका आलोचनात्मक अध्ययन करके लघु शोध में प्र य ा ` ग किया गया है।

35. AGARWAL J.C. AND CHOWDRY N:K: HISTORY (MODERN INDIA) AND CIVICS. DELHI

36. JOHN STRETCHY (SIR) HASTINGS AND THE ROHILA WAR, OXFORD 1892

37. MAZUMDAR-R.C. BRITISH PARAMOUNTEY AND RENIASSANCE BOMBAY 1970

38. SRIVASTAVA-A.L. SHUJADDAULA VOL.I & IIND., AGRA1955

39. SEN-S.N. EIGHTEEN FIFTY SEVEN, DELHI 1957

40. ATKINSON GAZETTEER VOL,V, BAREILLY, ALLAHABAD 1887

☆☆☆☆☆

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अनुक्रमणिका

(INDEX)

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अनुक्रमणिका (INDEX)

व्यक्ति

अ

अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ आसी बरेलवी 8,10, 47, 119, 126, 128
अब्दुल लतीफ़ 11
अब्दुल ग़फ़ूर नस्साख़, मौलवी 65
अयूब क़ादरी, मोहम्मद 67
अली, मोहम्मद 28
अली ख़ाँ, मोहम्मद 44, 45, 47
अहसन ख़ाँ मुसिफ, मोहम्मद 128
अमीन ख़ाँ, मोहम्मद 128
ओझ तेग़नाथ, पण्डित 128, 131
अज़ीज़उद्दीन बहादुर शाह 33
अहमद ख़ाँ 35
अहमद ख़ाँ, सर सैय्यद 11, 79
अहसन उल्ला ख़ाँ, हकीम 11
अहमद नयाज़ 37
अबुल मन्सूर 28, 29, 30
अहमद शाह अब्दाली 29, 31
अब्दुला ख़ाँ 31
अतहर अब्बास रिज़वी, सैयूयद 11
अहमद शाह ख़ाँ 32, 33, 64, 121
अब्दुल हलीम असद 24
अज़मत उल्ला ख़ाँ फ़ारूक़ी 27
अली ख़ाँ 38, 48, 117, 120
आसिफ़ अली ख़ाँ 41, 114
आसिफ़ उद्दौला 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 89
आर. साहब, मिस्टर 117
अकबर अली ख़ाँ 43, 128
अमीर ख़ाँ, 51, 52
आखून मोहम्मद रहीम 38
अकबर सम्राट 81, 82, 89
अहमद बहादुर ख़ाँ 62, 63, 71
अहमद उल्ला शाह 98, 100
अलैक्ज़ैन्डर 108, 109, 110, 114, 116, 119, 120
अबरक रम्बई, जनरल 46
अज़ीम उल्ला ख़ाँ 98,99,100
अली ख़ाँ,करामत 128
अल्ताफ़ अली बरेलवी, सैय्यद 8, 10, 26, 86, 119
अहमद राय बरेलवी, सैय्यद 90, 91
अहमद बदायूँनी, सैय्यद 128, 129
अकबर शाह 79
अमान अली ख़ाँ 117
अबू बक़्र शिबली रहमत, हज़रत 68
नवाब अली मुहम्मद ख़ाँ 7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 44
अहमद हुसैन बेग- 123
अब्दुल अज़ीज़ ख़ाँ अज़ीज़, नवाब 65
अययूब क़ादरी, डॉ. 10
अतुल कुमार सिन्हा, डॉ. 12
अभय कुमार सिंह, डॉ. 11

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

इ

इन्तेज़ाम उद्दौला, नवाब 127

इंस्टाइन टंकर 112

इन्सटन मकर 116

इनायत अहमद, मौलवी 91, 131

ई

ईलज ख़ाँ 40

उ

उदय प्रकाश अरोड़ा, डॉ. 12

उमर ख़ाँ 45

उमराव सिंह, चौधरी 137

ए

ए. एफ. सी. विलसल 97

एवज़, मुफ़ती मुहम्मद 52

क

क़मर उद्दीन ख़ाँ, नवाब 28, 29

कमाल ज़ाऐ ख़ाँ 61

कलीम बहादुर ख़ाँ 71

कुली, मोहम्मद 49

कूमायूँ 24, 27, 31, 43

कलबे अली शाह 128

कन्हैया लाल, पण्डित 107, 118

कर्नल टूप 112

कन्तो बाबू 83

कर्नल फिनिस 93

किशन राय 90

कुँवर दया शंकर 68

कर्नल चैम्पियन, 38, 39, 41

कुन्दन लाल 37

कुतुबउद्दीन ख़ाँ 32, 34

काज़ी आरिफ़ हुसैन 10

कुतुब शाह, मौलवी सैयूयद 107, 121, 134, 135, 136

ख

ख़लीक़ अहमद निज़ामी 11

ख़ान बाहदुर ख़ाँ, नवाब 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 38, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 85, 109, 110, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 130, 132, 134

ख़ुर्शीद मुस्तफ़ा रिज़वी, सैयूयद 10

ग

गन्थरी साहब मजिस्ट्रेट 116

ग़ुलाम मोहम्मद ख़ाँ 45, 46, 47

ग़ुलाम हसन ख़ाँ 45

गणेश प्रसाद, बाबू 126

गाज़ी उद्दीन ख़ाँ 33

ग़ुलाम हमज़ा, काज़ी 128, 129

ज

ज़काउल्लाह, मुंशी 9

जफ़र, मोहम्मद शाह 100

ज़फ़र अली ख़ाँ 128

जयमल सिंह 128,12

ज़ालिम सिंह 126

ज़फ़र यार ख़ाँ 62

ज़ीनत महल 99

जे. एफ. डी. इन्गिलिस 108

जे. सी. विलसन, कमिश्नर 137

जिलानी ख़ाँ, मौलवी 45

जी. एफ. एडमानस्टन 97

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

जान बहादुर ख़ाँ 62, 71
ज़ाबता ख़ाँ 35, 43
ज़हीर देहलवी, सैय्यद 11
ज़ुल्फ़ेक़ार ख़ाँ, नवाब 25, 61, 64, 71

ट

टोडरमल, राजा 81, 82

त

तैमूर शाह 43
तारा चन्द, बाबू 126

द

दानावली, हज़रत शाह 52
दीन दयाल 124
दूंगी प्रसाद 126
देवी सिंह 83
दोस्त मुहम्मद ख़ाँ 71
दाऊद ख़ाँ 25, 61, 64, 71, 116
दूंदे ख़ाँ 27

न

नयाज़ अहमद ख़ाँ होश बरेलवी, नवाब 8, 11, 116
नन्द कुमार 87
नजमूल ग़नी ख़ाँ, हक़ीम 9, 44
नन्द किशोर 126
नादिरशाह दुर्रानी 64
नजमूल ग़नी, हकीम 24, 26, 40, 46, 126
नाना साहब 98, 99, 100
निज़ाम अली ख़ाँ 46
नसरूल्ला ख़ाँ 47
नजीब ख़ाँ 33
नजीब उद्दौला 35
नयाज़ अली ख़ाँ 38
नज्जू ख़ाँ 11, 45, 130

प

परमूल ख़ाँ 45
पायन्दा ख़ा 27, 29
पुष्पा सक्सेना, डॉ. 12
प्रताप सिंह, चौधरी 137

फ

फ़रहत उल्ला 129
फ़तह अली ख़ाँ 46
फ़ज़लेहक़ ख़ैराबादी, मौलाना 11
फतेह ख़ाँ 35, 36, 43
फ़रीदउंद्दीन ख़ाँ 28
फिरोज़शाह, ठाकुर शाहज़ादा 135, 138, 140
फैज़ उल्ला ख़ाँ 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 120
फ़ज़लेहक़ ख़ैराबादी, मौलाना 11, 90, 98

ब

बहादुर सिंह भटनागर, दीवान 53
बहादुर ख़ाँ, हकीम 71, 119
बैजनाथ साहूकार 122
बैजनाथ मिश्र 126, 127, 131
बापू जी 99, 100
बदरूद्दीन, कोतवाल 108, 109, 122, 126
बशीरउद्दीन, क़ारी 67
बख़्तावर सिंह 109, 119, 126
बिलास सिंह 109, 120, 130
बन्डे मीर ख़ाँ 38

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

बदरूल इस्लाम ख़ाँ 28
बख़्त ख़ाँ 7, 11, 38, 63, 107, 113, 114, 114, 116, 120, 122, 123, 127, 130, 131
बहादुर शाह ज़फ़र, बादशाह 9, 98, 99, 127, 128, 130
बाबर 25

भ

भाव जगन्नाथ 126

म

मरदान 25
मीर क़ासिम, नवाब 80
मियाँ जान, सैय्यद 120
मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ाँ 128
मज्जू ख़ाँ 138
मदार अली ख़ाँ 121, 124, 128
मनसूर बेग, मिर्ज़ा 123
मोहिब अली ख़ाँ 119
मुस्तफ़ा अली बरेलवी, सैय्यद 70, 126, 128
मूसा रज़ा ख़ाँ 62
मुस्तजाब ख़ाँ, नावब 8,10
मुजाहिद ख़ान 63
मुस्तफ़ा अली बरेलवी 107
मुहिब्बे अली 109
मेडर्काफ रेजीडेन्ट, चार्ल्स 79
मेंहदी अली खाँ, मिर्ज़ा 48, 49
मुमताज़ बेगम 62
मुहब्बत ख़ाँ 41, 65
मुस्तक़ीम ख़ाँ 45
मुन्नू लाल फ़लसफ़ी 37
मोहतिशम ख़ाँ 35
मोहम्मद ख़ाँ 27, 28, 62
मुबारक शाह ख़ाँ 38, 120
महमूद ख़ाँ 11, 27, 130, 137, 138

य

यार ख़ाँ, मोहम्मद 71, 129
यावर मोहम्मद ख़ाँ 71
युसूफ़ अली ख़ाँ 41, 114
यहुदा 24
याक़ूब 24

र

रत्न सिंह, महाराजा 37
रसद अली ख़ाँ 138
रघुनाथ सिंह- 126,130
राज़ाअत ख़ाँ ग़िलजई 29
राम नारायण, बाबू 11
रहमत ख़ाँ, नावब हाफ़िज़ 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 61, 63, 65, 70, 71, 78, 85, 86, 87, 104, 115, 116, 117, 119
रहमत ख़ाँ 27
रूस्तम अली बिजनौरी 10
रूदल प्रसाद यादव, डॉ. 12
राबर्टसन साहब 117
रैक्स साहब 117

ल

लक्ष्मी नारायण, लाला 126,127,131,
लाखन सिंह 126
लतीफ़ हुसैन 65

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

लार्ड लेकॅ 51
लाल डांग 39, 40, 41, 42, 46

व

वारंगे-हेस्टिंग 85,86
वज़ीर ख़ाँ 44
वली उल्ला, हज़रत शाह 33
विलियम्स, मेजर 94, 95
विलसन, मिस्टर 126
वक़ारूल हसन सिद्दीक़ी, डॉ. 10, 11

श

शफ़ी, मोहम्मद 109, 111, 113, 114, 115, 127
शाह, मोहम्मद 28, 29, 32
शेरशाह सूरी 81
शिव प्रसाद 40
शाह आलम 35, 43, 51, 132
शाह नयाज़ 37
शहाबद्दीन ख़ाँ 24, 61
शाह आलम ख़ाँ 26, 27, 30.
शोभराम 11, 85, 117, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 134
शादी ख़ाँ 27
शुजाउददौला, नवाब 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 47

स

सआदत अली ख़ाँ, हकीम 31, 39, 47, 48, 109, 119, 130
सईद ख़ाँ, मोहम्मद 45
सरफ़राज़ अली, मीर 11
सिबबॉल्ड, मास्टर ब्रिगेडियर 110, 112, 115
सैफउल्ला ख़ाँ 124
सुलैमान ख़ाँ, नवाब 8, 119, 120
सलीम बहादुर ख़ाँ 63, 71
सनाउल्ला ख़ाँ 35
साद उल्ला ख़ाँ 31
सालेह, मोहम्मद 28
सदर ख़ाँ 27
सर हिन्द 29
सैफ़उद्दीन अली ख़ाँ, नवाब सैयूयद 28

ह

हुसैन अली ख़ाँ, मिर्ज़ा 48
होरीलाल बक्शी 128
हामिद हुसैन, मौलवी 117
हुर्मत ख़ाँ 43, 44
हसन रज़ा खाँ, नवाब 8,10
हिदायत अली ख़ाँ 9, 119
हैदर अली ख़ान 119, 120
हसन अली ख़ाँ 46
हादी यार ख़ाँ 62
हारून सिद्दीक़ी, मोहम्मद 12
हरनन्दन अरोड़ा खत्री 28
हेरनी, मास्टर सरजिन्ट 112
हैदर हुसैन 67
हुसैन बाग़ 49, 52
हुर्मत ख़ाँ 27
हेय साहब, डॉ. 117

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

अनुक्रमणिका (INDEX)

स्थान

अ

अल्मोड़ा 28

अवध 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 69, 99, 104, 105, 136

अमेरिका 100

अफ़ग़ानिस्तान- 25, 26

अडंमान 9, 90

अमरोहा 11, 28

आ

आगरा 99

आँवला- 28, 29, 36, 38, 39, 49, 109, 119, 120, 130

आज़मगढ़ 9

इ

इंग्लैण्ड 84, 85, 99

इलाहाबाद 39, 82, 94

इटावा 31

ई

ईस्ट इण्डिया कम्पनी, 38, 41, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 104, 105, 110, 129

इस्लामपुर 11

उजावन 41

क

कन्धार 24, 31

कादिर गंज 29, 130

कठेर 34, 125, 127

काबर 41

कानपुर 46

कलकत्ता 47, 99

कराँची 63, 67

ख

ख़ैराबाद 31

ग

गढ़वाल 28, 39

ग्वालियर 62

च

चौहमहल्ला 41

त

तूरशहामतपूर 25

द

देहली 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 51, 64, 79, 82, 96, 99, 100

दिल्ली 5, 29, 30, 31, 33, 116, 127, 130, 131

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

न

नवाबगंज 117

नैनीताल 53, 108, 112, 113, 114, 117, 125, 130

प

पेशावर 24

पीलीभीत 28, 36, 39, 43, 51, 68, 117, 125, 130, 139

पंजाब 36

पूर्णिया 90

प्लासी 35,, 51, 80,

फ

फ़्रान्स 100

फ़रीदपुर 120

फ़तेहगढ़ 136

फ़र्रूखाबाद 32, 39, 43, 51, 137

ब

बिलौर 90

बरेली 5, 10, 11, 28, 32, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 76, 89, 91, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127

बिजनौर 11, 33, 105, 108, 130, 137, 138

बदायूँ 11, 27, 36, 39, 105, 108, 123, 130, 139

बैरकपुर 107

बक्सर 35, 51

बिलासपुर 41

बड़ैच 51

ब्रसनपुर 51, 52

बंगाल 80, 97

बिहार 90

बिठूर 99

भ

भारत 25, 26, 35, 78, 79, 86, 87, 99

भरतपुर 31

म

मुरादाबाद 11, 28, 44, 52, 105, 108, 126, 130, 138

मरदान 25

मेरठ 31, 33, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 116

मीरानपुर 61

म्युज़ियम पाकिस्तान 63

महाराष्ट्र 90

मुज़फ़्फ़र नगर 91

य

यहुदा 24

र

रोह 23, 24, 27

राजस्थान 36

रामपुर 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 108, 114, 125, 139

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

रावलपिंडी 63

रूहेल खण्ड 2, 5, 7, 8,10, 11, 23, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 47, 47, 48, 49, 51, 53, 68, 88, 89, 97, 104, 105, 108, 110, 116, 117, 118, 119, 120

ल

लाहौर 24

लन्दन 99

लाल डाग 39, 40, 41, 42, 46

लखनऊ 41, 61, 62, 65, 99

लखीमपुर 62

व

वज़ीरगंज 27

वाकरगंज 49, 52

श

शाहजहाँपूर 28

शाहाबाद कलाँ 28

शाहबाद 41

शाहजहॉपूर 63, 117, 130, 139

स

सम्भल 28

सतारा 99

सपिनल 118

सर हिन्द 29

सहारनपुर 33

सागरताल 36

सरकड़ा 41

सरसाँवा 41

ह

हज़ारा 24,

हिन्दुस्तान- 25, 26, 29, 64, 83, 84, 99

हुसैन बाग़ 49, 52

श्र

श्रीनगर 28

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

CC-0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

ZEBA LATEEF

NAWAB KHAN BAHADUR KHAN

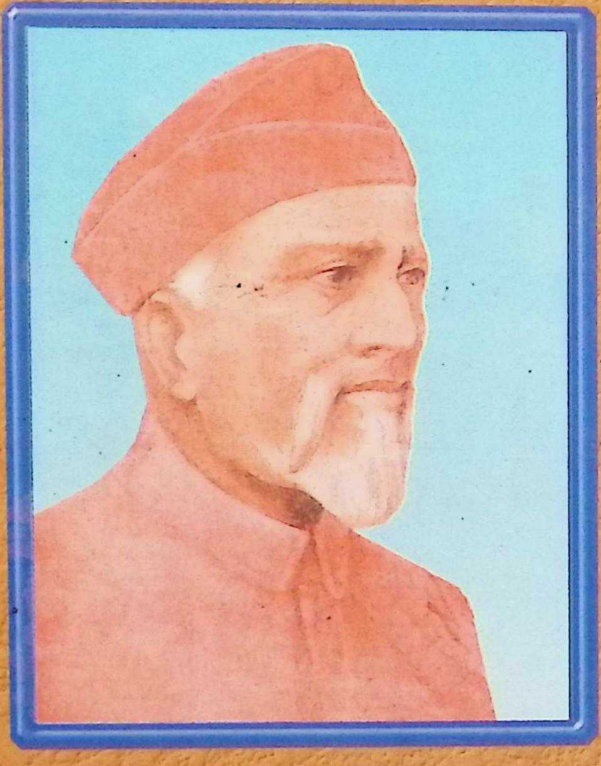

Foreword

Dr. W. H. SIDDIQI

Former Director Archeological Survey of India

Officer on Special Duty, Rampur Raza Library, Rampur

RAMPUR RAZA LIBRARY, RAMPUR